विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

वार्षिक रिपोर्ट
1990-91

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956
की धारा 18 के अनुपालन में
भारत सरकार को प्रस्तुत
नई दिल्ली

विषय-सूची

		पैरा सं.	पृष्ठ सं
प्रस्तावना			
खंड -1	**संस्थाओं, नामांकनों तथा संकायों की संख्या में वृद्धि**		
	नए विश्वविद्यालय	1.02	- 7
	केंद्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए योग्य घोषित किए गए	1.03	- 7
	विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 3 के तहत "विश्वविद्यालय मानी गई संस्थाएं"	1.04	- 8
	धारा 2 (च) के अधीन कालेज	1.05	- 8
	छात्र नामांकन	1.06	- 8
	नामांकन की वृद्धि दर	1.07	- 10
	स्तर-वार नामांकन	1.08	- 10
	संकायवार नामांकन	1.09	- 11
	नए कालेजों की स्थापना	1.10	- 11
	कालेजों की संख्या में राज्यवार वृद्धि	1.11	- 12
	स्टाफ की संख्या	1.12	- 12
	डाक्टरेट की प्रदत्त उपाधियां	1.13	- 12
खंड-2	**अंतर-विश्वविद्यालय केंद्र तथा सूचना केंद्र**		- 14
	न्यूकलीय विज्ञान केंद्र, नई दिल्ली	2.02	- 14
	पूना विश्वविद्यालय के कैम्पस में खगोल-विज्ञान तथा तारा भौतिकी का अंतर-विश्वविद्यालय केंद्र	2.03	- 16
	अंतर-विश्वविद्यालय संकाय, इंदौर	2.04	- 17
	क्रिस्टल वृद्धि केंद्र, अन्ना विश्वविद्यालय, मद्रास	2.05	- 20
	पश्चिमी क्षेत्रीय यंत्रीकरण केंद्र बंबई	2.06	- 22
	शैक्षिक संचार के लिए अंतर-विश्वविद्यालय संकाय (न्यूक्लीय विज्ञान केंद्र का एक परियोजना प्रकार)	2.07	- 23
	एम एस क्यू रडार केंद्र - श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय	2.08	- 25

	विज्ञान सूचना केंद्र, भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर	2.09	- 26
	मानविकी तथा समाजविज्ञानों में सूचना केंद्र, एम. एस. विश्वविद्यालय बड़ौदा तथा एस एन डी टी वीमेंस यूनीवर्सिटी, बंबई	2.10	- 27
	सूचना तथा पुस्तकालय नेटवर्क (इनूफ्बिनेंट)	2.11	- 27
खंड-3	**उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्र और अनुसंधान तथा विकास के प्रयास**		30
	अतिचालकता कार्यक्रम	3.01	- 30
	जैव-प्रौद्योगिकी (जैव-प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार - वि. अ. आ. सहयोगी कार्यक्रम	3.02	- 33
	समुद्र -विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का विकास	3.03	- 33
	वायुमंडल-विज्ञान	3.04	- 34
	जनसंपर्क तथा शैक्षिक प्रौद्योगिकी (देशव्यापी कक्षा कार्यक्रम)	3.05	- 34
	फिल्म अध्ययन केंद्र	3.06	- 36
	प्राविद्यालय टी वी	3.07	- 37
	सहयोगी कार्यक्रम	3.08	- 37
	बृहत अनुसंधान परियोजनाएं (मानविकी तथा समाज-विज्ञान)	3.09	- 38
	लघु अनुसंधान परियोजनाएं (मानविकी तथा समाज-विज्ञान)	3.10	- 38
	विज्ञान मे ं बृहत अनुसंधान परियोजनाएं	3.11	- 39
	विज्ञान में लघु अनुसंधान परियोजनाएं	3.12	- 39
	इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी	3.13	- 39
	इंजीनियरी तथा प्रौघयोगिकी में लघु अनुसंधान परियोजनाएं	3.14	- 40
	वृत्तिक पुरस्कार	3.15	- 40
खंड-4	**'कासिस्ट' कार्यक्रम**		41
	उद्देश्य तथा प्रगति	4.01	- 41
	परिवीक्षण तथा मूल्यांकन	4.02	- 43
	उप-समूह की सिफारिशें	4.03	- 44
खंड-5	**स्तरों का अनुरक्षण तथा माडल**		- 47
	प्रबंध के वैकल्पिक माडल	5.02	- 47

	राष्ट्रीय शिक्षा परीक्षा	5.03	48
	पाठ्यक्रमों का पुनर्गठन	5.04	49
	कालेज मानविकी तथा समाजविज्ञान सुधार कार्यक्रम (कोहिस्सिप)	5.05	50
	कालेज विज्ञान सुधार कार्यक्रम (कोसिप)	5.06	50
	विश्वविद्यालय नेतृत्व परियोजना	5.07	51
	विषय नामिकाएं	5.08	51
	इलैक्ट्रानिकी और यंत्रीकरण का नामिका	5.09	51
	इंजीनियरी का नामिका	5.10	52
	विशेष सहायता कार्यक्रम	5.11	52
	पाठ्यचर्या विकास केंद्र	5.12	54
	परीक्षा सुधार	5.13	54
	भारतीय लेखकों द्वारा विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों का निर्माण	5.14	56
	डाक्टरेट के शोध-प्रबंधों सहित विश्वत्तपूर्ण/अनुसंधान कृत्तियों का प्रकाशन	5.15	56
	हरीओम आश्रम न्यास पुरस्कार	5.16	56
	स्वामी प्रणवनंद पुरस्कार	5.17	56
	गांधी पर अध्ययन	5.18	57
	बौद्ध अध्ययन	5.19	57
	नेहरू अध्ययन	5.20	57
खंड-6	**विश्वविद्यालयों का विकास**		58
	विश्वविद्यालयों की विकास योजनाओं का प्रस्ताव बनाने के लिए आठवीं योजना के दिशा निर्देश	6.02	58
	आठवीं योजना में विश्वविद्यालयों के विकास प्रस्तावों की विशेषज्ञ समितियों की सिफारिशें	6.03	60
	केंद्रीय विश्वविधिालयों और विश्वविद्यालय मानी गई संस्थाओं का परिसर विकास	6.04	60
	केंद्रीय विश्वविद्यालयों के मेडीकल कालेजों और अस्पतालों को योजनागत विकास स्कीमों के अंतर्गत अनुदान	6.05	60

	केंद्रीय विश्वविद्यालयों की विकास स्कीमों के लिए उप-योजना	6.06 - 61
	इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी का विकास	6.07 - 64
	प्रबंध पाठ्यक्रम	6.08 - 64
	जनशक्ति प्रशिक्षण के लिए कम्पयूटर सुविधाओं और कम्पयूटर शिक्षा का विकास	6.09 - 64
	अनियत अनुदान	6.10 - 66
	प्रदर्शनकलाओं, संग्रहालयों तथा पुरालेख सेलों का विकास	6.11 - 67
	विकासशील देशों का अध्ययन केंद्र	6.12 - 67
	वैज्ञानिकी समाजवाद केंद्र	6.13 - 68
	क्षेत्रीय अध्ययन केंद्र (भंजा साहित्य)	6.14 - 68
	मणिपुरी अध्ययन ओर अनुसंधान तथा जनजातीय अनुसंधान केंद्र	6.15 - 68
	विकलांग बच्चों के शिक्षण के लिए शिक्षकों को विशेष शिक्षा	6.16 - 69
	पत्रिकाओं के प्रकाशन के लिए सहायता	6.17 - 69
	विज्ञान शिक्षा केंद्र	6.18 - 70
	विश्वविद्यालय विज्ञान यंत्रीकरण केंद्र	6.19 - 70
	मूल्यपरक शिक्षा	6.20 - 71
	विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में खेल-कूद आधारित संरचना का विकास	6.21 - 72
	विश्वविद्यालयों तथा बहु-संकाय कालेजों में शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य की तीनवर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम	6.22 - 72
	भावी अध्ययन	6.23 - 72
	क्षेत्र अध्ययन केंद्र	6.24 - 73
	जयंती/शताब्दी अनुदान	6.25 - 75
	कुलपति सम्मेलन	6.26 - 76
खंड-7	**कालेजों को विकास सहायता**	78
	आठवीं योजना में कालेजों के विकास कार्यक्रम संबधी प्रस्ताव तैयार करने के लिए दिशा-निर्देश	7.02 - 78

	कालेज विकास परिषदें	7.03 - 79
	सामान्य विकास के लिए अनदुान	7.04 - 80
	स्वायत्त कालेज	7.05 - 82
	दिल्ली के कालेजों को योजनगत सहायता	7.06 - 83
	शताब्दी समारोह अनुदान	7.07 - 83
खंड-8	**विश्वविद्यालय मानी गई संस्थाओं का विकास**	84
	अनुरक्षण अनुदान	8.03 - 88
	मुख्य उपलब्धियां	8.04 - 89
	विश्वविद्यालय मानी गई संस्थाओं को दिए गए अनुदान	8.05 - 103
खंड-9	**विश्वविद्यालयों को योजनेत्तर अनुदान**	106
	केंद्रीय विश्वविद्यालयों को योजनेतर अनुदान	9.02 - 108
	केंद्रीय विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय मानी गयी संस्थाओं तथा	903 - 110
	राज्य विश्वविद्यालयों को अनुरक्षण अनुदान	9.04 - 110
	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिए मकान निर्माण पेशगी के लिए	9.04 - 110
	निधि परिक्रामती सृजित करने के लिए योजनागत अनुदान	
	परिक्रामती निधि सृजित करने के लिए भोजनागत अनुदान	
खंड-10	**संकाय सुधार कार्यक्रम**	1111
	संगोष्ठियां, परिचर्चाएं, पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, कार्यशालाएं, आदि	10.02 - 111
	सम्मेलन	10.03 - 112
	अंग्रेजी भाषा के शिक्षण को सुदृढ़ बनाना	10.04 - 112
	अकादमिक स्टाफ कालेज योजना	10.05 - 112
	राष्ट्रीय अध्येतावृत्तियों	10.06 - 114
	अभ्यागत एसोशिएटशिपें	10.07 - 115
	राष्ट्रीय लेक्चरशिप	10.08 - 115
	अतिथि/अंशकालीन शिक्षक	10.09 - 116
	इमेरिटस अध्येतावृत्तियां	10.10 - 116
	अभ्यागत प्रोफेसर/अभ्यागत अध्येता	10.11 - 116

	अनुसंधान परियोजनाओं में सेवा-निवृत्त शिक्षकों की सहभामिता	10.12 - 118
	अनुसंधान वैज्ञानिक	10.13 - 118
	विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने के लिए यात्रा अनुदान	10.14 - 118
	संकाय आवास काम्प्लैक्स/अतिथिगृह	10.15 - 119
	शिक्षक अध्येतावृत्तियां	10.16 - 119
	पारंपरिक स्कालर	10.17 - 120
	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की प्रोफेसरशिप	10.18 - 121
खंड-11	**छात्रों के लिए कार्यक्रम**	**122**
	'नियतकालीन आधार' पर कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्तियां	11.02 - 122
	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्तियों	11.03 - 123
	सीमावर्ती पर्वतीय क्षेत्रों के लिए छात्रवृत्तियां	11.04 - 123
	इंजीनियरी तथा प्रौद्यगोगिकी में अनुसंधान अध्येतावृत्तियों	11.05 - 124
	अनुसंधान अध्येताओं की आकस्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालयों को इकमुश्त अनुदान	11.06 - 124
	विकासशील देशों के राष्ट्रिाके को कनिष्ट अनुसंधान अध्येतावृत्तियां अनुसंधान एसोशिएटशिपें	11.07 - 124
	अनुसंधान एसोशिएटशिपें	11.08 - 124
	महिलाओं के लिए अंशकालिक अनुसंधान एसोशिएटशिपें	11.09 - 125
	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए अनुसंधान एसोशिएटशिपें	11.10 - 125
	विकलांग छात्रों के लिए अनुसंधान एसोशिएटशिपें	11.11 - 125
	छात्रावासों का निर्माण	11.12 - 126
	चुनिंदा विश्वविद्यालयों में भारत भवन छात्रावास काम्प्लैक्स	11.13 - 126
	युवा तथा खेलकूद-राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) का कार्यान्वयन	11.14 - 126
खंड-12	**सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग**	**128**
	सांस्कृतिक विनियम कार्यक्रम	12.01 - 128

	द्विपक्षीय संस्थागत संबंध	12.02 - 128
	प्रतिनिधि	12.03 - 129
	विदेशी भाषा शिक्षक	12.04 - 129
	अध्येतावृत्तियों/छात्रवृत्तियां	12.05 - 129
	ऐसे शिक्षकों को यात्रा अनुदान प्रदान करना जिन्हें विदेश में उनके रख-रखाव के लिए अध्येतावृत्तियां/वजीफे दिए जाने का प्रस्ताव है	12.06 - 130
	यू. के. तथा अन्य देशो में अनुसंधान कार्य के लिए स्रोत सामग्री का एकत्रीकरण	12.07 - 131
	भारत-अमेरिक अध्येतावृत्ति कार्यक्रम	12.08 - 131
	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्-सी. एन. आर. एस. का वैज्ञानिक विनिमय कार्यक्रम	12.09 - 131
	कनाडियन अध्ययनों का विकास	12.10 - 131
	अकादमिक संपर्क अंतर्विनियम योजना	12.11 - 132
	सार्क पीठें/अध्येतावृत्तियां/छात्रवृत्तियां	12.12 - 132
	सैद्धांतिक भौतिकी के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (आई सी आई पी)	12.13 - 133
	राष्ट्र-मंडल शैक्षिक स्टाफ अध्येतावृत्तियां तथा छात्रवृत्तियां	12.14 - 133
	विदेश यात्राएं	12.15 - 133
खंड-13	**प्रौढ़ अनुवर्ती तथा विस्तार शिक्षा अैर दूरवर्ती शिक्षा**	134
	प्रौढ़ अनुवर्ती तथा विस्तार शिक्षा	13.01 - 134
	कार्यमूलक साक्षरता का जनसंपर्क कार्यक्रम	13.02 - 137
	योजना फोरम	13.03 - 137
	जनसंख्या शिक्षा	13.03 - 137
	शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए अल्प-संख्यक समुदायों के कमजोर वर्गो के उम्मीदवारों. के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने हेतु अनुशिक्षण कक्षाएं	13.05 - 138
	दूरवर्ती शिक्षा /पत्राचार पाठ्यक्रम	13.06 - 139
खंड-14	**अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को सुविधाएं**	141
	विश्वविद्यालयों तथा कालेजों के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आरक्षण	14.02 - 142

	लेक्चरारों तथा शिक्षेकतर पदों की नियुक्तियों में आरक्षण	14.03 - 142
	छात्रावासों में सीटों का आरक्षण	14.04 - 142
	स्टाफ क्वार्टर्स तथा शिक्षक होस्टलों में स्थानों/यूनिटों का आरक्षण	14.05 - 143
	विश्वविद्यालयों/संस्थाओं में विशेष सेलों की स्थापना	14.06 - 143
	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्तियां	14.07 - 143
	अनुसंधान एसोशिएटशिपों का आरक्षण	14.08 - 144
	शिक्षक अध्येतावृत्तियों का आरक्षण	14.09 - 145
	सीमावर्ती पहाड़ी क्षेत्रों के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारो के लिए स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियां	14.10 - 145
	उपचारी अनुशिक्षण कक्षाएं	14.11 - 145
	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों की जरूरतें पूरा करने वाले कालेजों को सहायता	14.12 - 145
	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यालय में आरक्षण	14.13 - 146
खंड-15	**उच्च शिक्षा तथा महिलाएं**	147
	नामांकन में वृद्धि	15.02 - 147
	महिला कालेज	15.03 - 150
	महिलाओं के नामांकन का राज्यवार वितरण	15.04 - 151
	स्तरवार वितरण	15.05 - 151
	संकायवार वितरण	15.06 - 152
	विश्वविद्यालय में महिला अध्ययनों का संवर्धन	15.07 - 152
	महिलाओं के लिए अंशकालिक अनुसंधान एसोशिएटशिपें	15.08 - 153
खंड-16	**प्रबंधात्मक गठन एवं वित्त**	154
	प्रबंधात्मक गठन	16.01 - 154
	योजनेतर निधियां	16.02 - 155
	योजनागत निधियां	16.03 - 158

फोटोग्राफ
विश्वविद्यालयों में विकास
(1990-91)

1. गामा संसूचक व्यूह (जीडीए) न्यूक्लीय विज्ञान केंद्र, जे एन यू कैम्पस, नई दिल्ली ।
2. सद्भाव ज्ञापन (एम ओ यू) - खगोल विज्ञान तथा तारा-भौतिकी में अंतर-विश्वविद्यालय केंद्र और पूना विश्वविद्यालय के बीच हस्ताक्षर ।
3. श्री पी.एन. हक्सर द्वारा पूना में द्वितीय आई.यू.सी.सी.ए. प्रतिष्ठान दिवस व्याख्यान ।
4. एक्स-रे कैमरा और संसूचक का पास का चित्र, मद्रास विश्वविद्यालय ।
5. घन अवस्था भौतिकी (प्रायोगिक) अर्ध-चालक प्रयोगशाला, कासिस्ट ।
6. एसीबीज और रिले कन्ट्रोल पेनल सहित एलटी स्विच बोर्ड ।
7. बीज गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला में प्रयुक्त युक्तियां, अनुप्रयुक्त वनस्पति विज्ञान, मैसूर विश्वविद्यालय ।
8. भू-विज्ञान विभाग, जादवपुर विश्वविद्यालय ।
9. पालिवार माइक्रोस्कोप, सूक्ष्म जैविकी विभाग, एम.एस. विश्वविद्यालय ।
10. पोलराइजिंग माइक्रास्कोप, भूविज्ञान विभाग, बंगलौर विश्वविद्यालय ।

चित्र निरूपण

1. विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि
1980-81 से 1990-91 तक

2. विश्वविद्यालय मानी गई संस्थाओं की संख्या में वृद्धि
1980-81 से 1990-91 तक

3. कालेजों की संख्या में वृद्धि
1980-81 से 1990-91 तक

4. छात्र नामांकनों में वृद्धि (विश्वविद्यालय स्तर)
1980-81 से 1990-91 तक

5. विश्वविद्यालय विभागों/विश्वविद्यालय कालेजों तथा संबंध कालेजों में शिक्षण स्टाफ
1985-86 से 1990-91 तक

6. महिलाओं का नामांकन (विश्वविद्यालय स्तर)
1980-81 से 1990-91 तक

7. जन संपर्क केन्द्रों से प्राप्त कार्यक्रमों का विषय-वार ब्यौरा
(अप्रैल 1990 से मार्च 1991)

8. कार्यक्रमों का प्रसारण - नया और पुनः प्रसारण (संख्यावार)
(अप्रैल 1990 से मार्च 1991 तक)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
(1990-91)

अध्यक्ष

1. प्रोफेसर यशपाल*

उपाध्यक्ष

2. प्रोफेसर एस. के. खन्ना**

सदस्य

3. श्री अनिल बोर्डिया
4. प्रो. सुरेश दलाल
5. प्रो. श्रीमती अर्चना शर्मा
6. प्रो. इंदरपाल सिंह
7. प्रो. एम. एम. शर्मा
8. प्रो. एस.पी. सिन्हा
9. डा. (सुश्री) पी. सेल्वी दास
10. प्रो. ज़फर निज़ाम
11. श्री के. पी. गीताकृष्णन
12. श्री एल. एन. सिन्हा***

सचिव

1. प्रो. एस. के. खन्ना (28 जून 1990 तक)
2. डा. एस. पी. गुप्ता (29 जून 1990 से 17 फरवरी 1991 तक)
3. श्री वाई. एन. चतुर्वेदी (18 फरवरी 1991 से)

* डा. मनमोहन सिंह ने 15-3-1991 से कार्यभार ग्रहण किया ।

** 29 जून, 1990 से

*** प्रो. रामलाल पारिख 19-7-1990 से

विषय सूची (परिशिष्ट)

क्रम सं.		पृष्ठ सं.
I	भारतीय विश्वविद्यालय तथा विश्वविद्यालय मानी जाने वाली संस्थाओं की सूची (31.3.1991)	I
II	छात्रों की नामांकन संख्या में वृद्धि (1971-72 से 1990-1991)	VIII
III	1986-87 से 1990-91 तक की अवधी में छात्रों के नामांकन में वृद्धि *(पी० यू० सी०/इंटर/प्री० यूनी० के अतिरिक्त)*	XIII
IV	विश्वविद्यालयों में छात्रों का नामांकनः स्तरवार (1986-87 से 1990-1991)	XIV
V	वर्ष 1990-1991 के दौरान विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में स्तरवार छात्र नामांकन	XV
VI	विश्वविद्यालयों में छात्रों का नामांकनः संकायवार (1986-87 से 1990-1991)	XVI
VII	संकाय के अनुसार कॉलिजों का विवरण (1986-87 से 1990-1991)	XVII
VIII	1986-87 से 1990-1991 तक की अवधि में महाविद्यालयों की वृद्धि (राज्यवार)	XIX
IX	1986-87 से 1990-1991तक की अवधि में महाविद्यालयों की वृद्धि (राज्यवार) (केवल कला, विज्ञान एवं वाणिज्य)	XX
X	अध्यापन कर्मचारियों की संख्या और उनका विवरण (विश्वविद्यालय विभागों/ विश्वधिालय महाविद्यालय में पदनामों के अनुसार 1986-87 से ·1990-1991)	XXI
XI	सम्बद्ध महाविद्यालयों में पदनामों के अनुसार अध्यापन कर्मचारियों की संख्या और उसका विवरण 1986-87 से 1990-1991)	XXII
XII	प्रदान की गई डॉक्टरेट की उपाधियाँः संकायवार (1985-86 से 1989-90)	XXIII
XIII	अप्रैल, 1990 से मार्च, 1991 के दौरान संचार केन्द्रों से प्राप्त कार्यक्रम (विषयवार विवरण)	XXIV
XIV	अप्रैल, 1990 से मार्च, 1991 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्व व्यापी कक्षा कार्यक्रम प्रसारण	XXV
XV	कॉसिस्ट के अंतर्गत सहायता प्राप्त विभागों का ब्यौरा	XXVI

XVI	विषयों की सूची: 20 जनवरी 1991 को आयोजित विश्वविद्यायल अनुदान आयोग कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति तथा प्रवक्ता पात्रता परीक्षा	XLIV
XVII	उन विज्ञान विषयों की सूची जिनके लिए कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति पात्रता हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा सी. एस. आई. आर. ने संयुक्त रूप से 30 जून 1990 को परीक्षा आयोजित की थी	XLIX
XVIII	उन विज्ञान विषयों की सूची जिनके लिए कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति व प्राध्यापक पात्रता हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा सी. एस. आई. आर. ने संयुक्त रूप से 30 दिसम्बर 1990 को परीक्षा आयोजित की थी	L
XIX	मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान विषयों में उच्च उध्ययन केन्द्रों की सूची 31-3-1991 तक	LI
XX	मानविकी तथा समाज विज्ञान विषयों में विशेष सहायता प्राप्त विभागों की सूची (31-3-1991)	LII
XXI	विभागीय अनुसंधान सहायता—मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान 31-3-91 तक	LXII
XXII	विज्ञान अभियांत्रिकी तथा तकनीकी विषयों में विश्वविद्यालयवार उच्च उध्ययन केन्द्रों की सूची 31-3-91 तक	LXIV
XXIII	विज्ञान अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी में विभागीय विशेष सहायता 31-3-91 तक	LXVII
XXIV	विज्ञान अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी में विभागीय शोध सहायता 31-3-1991 तक	LXXIV
XXV	(क) पाठ्यचर्या विकास केन्द्रों की सूची (विज्ञान विषय)	LXXVII
	(ख) पाठ्यचर्या विकास केन्द्रों की सूची (मानविकी तथा समाज विज्ञानों के विषयों में)	LXXVIII
XXVI	1990-1991 के दौरान विश्वविद्यालयों को योजनागत धारा-III के अंतर्गत तथा अभियांत्रिकी व प्रौद्योगिकी के अंतर्गत दिये गए अनुदान का विवरण (प्रमुख मदवार)	LXXIX
XXVII	आठवीं योजनावधि (1990-95) के दौरान महाविद्यालयों के विकास हेतु सहायता—प्रस्ताव	XCI
XXVIII	1990-1991 के दौरान योजनागत महाविद्यालयों को दिये गए अनुदान का विवरण	CXVI
XXIX	1988-89 के दौरान केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालयवत् संस्थान तथा राज्य विश्वविद्यालयों को(गैर—योजनागत) मिलने वाले अनुरक्षण अनुदान तथा गैर—योजनागत आवर्ती अनुदान का विवरण	CXXIII

XXX वर्ष 1990-91 में वि अ आ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा अन्य अधिकारियों के विदेशी दौरों का विवरण CXXVIII

XXXI 1990-91 के दौरान पत्राचार दूरगामी शिक्षा में पाठ्यक्रमानुसार, लिंगानुसार नामांकन CXXIX

XXXII कुल नामांकन संख्या में महिलाओं की नामांकन की प्रतिशतता: राज्यवार (1986-87 से 1990-91) CXLIV

XXXIII कुल नामांकन संख्या में महिलाओं की नामांकन की प्रतिशतता: स्तरवार (1981-82 से 1990-91) CXLIX

XXXIV कुल नामांकन संख्या में महिलाओं की नामांकन की प्रतिशतता: संकायवार (1981-82 से 1990-91) CLI

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

वार्षिक रिपोर्ट

अप्रैल 1990 - मार्च 1991

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 की संख्या 3)* की धारा 18 का अनुपालन करते हुए हम संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए, केन्द्रीय सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वर्ष 1990-91 की वार्षिक रिपोर्ट पेश करते हैं ।

प्रस्तावना

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना संसद के एक अधिनियम के अनुसार की गई थी । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12 के तहत आयोग को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि "वह विश्वविद्यालयों तथा अन्य संबन्धित संस्थाओं के परामर्श से ऐसे कदम उठाएगा जिन्हें वह विश्वविद्यालयी शिक्षा के संवर्धन तथा समन्वय और विश्वविद्यालयों में शिक्षण, परीक्षा तथा अनुसंधान के स्तर निर्धारित करने तथा उनके अनुरक्षण के लिए उपयुक्त समझता हो" । तद्नुसार, आयोग को विश्वविद्यालयों से शिक्षा-सुधार के लिए आवश्यक उपाय करने के संबंध में सिफारिश करने का सांविधिक प्राधिकार प्राप्त है । आयोग विश्वविद्यालयों को इस संबंध में कार्रवाई करने की सलाह भी देता है । उक्त अधिनियम में आयोग के लिए यह आदेश भी है कि वह विश्वविद्यालयों की वित्तीय जरूरतों की जांच करेगा और विश्वविद्यालय प्रणाली की आधार-संरचनात्मक सुविधाओं तथा अन्य घटकों के विकासार्थ निधियां आबंटित / वितरित करेगा ।

आयोग ने निम्नलिखित तत्वों का पता लगाया है जिनसे विश्वविद्यालय क्षेत्रक का शैक्षिक नेतृत्व विकसित करने में सहायता मिलती है :

* 31 अक्तूबर, 1984 तक संशोधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं० 3)

1. अध्ययन पाठ्यक्रम ।

2. छात्रों तथा स्कॉलरों की गुणवत्ता ।

3. विशेष सहायता कार्यक्रम ।

4. संकाय सुधार ।

5. पुस्तकालय और प्रयोगशाला तथा अन्य सुविधाओं सहित आधार-संरचनात्मक सुविधाएं ।

6. अनुसंधान क्षेत्रों का पता लगाना तथा उनके लिए धन की व्यवस्था करना ।

7. विस्तार कार्यकलाप ।

8. सामूहिक सेवाएं तथा सुविधाएं ।

9. राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं ।

10. महिलाओं तथा समाज के कमजोर वर्गों के लिए शैक्षिक अवसर ।

उपर्युक्त सभी विषय क्षेत्रों के संबंध में आयोग ने अत्यंत महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं जिन्हें विश्वविद्यालयों द्वारा व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है । ऐसा कार्य केवल एक बार ही नहीं किया जाता बल्कि यह एक सतत प्रक्रिया है और आयोग इन सिफारिशें में सुधार / संशोधन करता रहता है । सिफारिशें करने में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अपनी स्थिति विश्वविद्यालयों से उच्च नहीं समझता बल्कि वह प्रत्येक वर्ष बैठकें, राष्ट्रीय / क्षेत्रीय संगोष्ठियां तथा निरीक्षण समितियां आयोजित करके विश्वविद्यालयों के 7000 से भी अधिक शिक्षाविदों से परामर्श करता है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयों के शिक्षाविदों की सहयोगी प्रणाली के लिए एक समन्वयक तथा संवर्धक के रूप में भूमिका अदा करता है । इससे विश्वविद्यालयों को ज्ञान के अधुनातन क्षेत्रों में उत्कृष्टता का विकास करने तथा देश में अकादमिक नेतृत्व कायम रखने में सहायता मिली हैं । निम्नलिखित पैराओं में अनेक सिफारिशें दी गई हैं जिन्हें उपर्युक्त घटकों के संबंध में लागू कर दिया गया है :

(क) कनिष्ट अनुसंधान अध्येताओं/लेक्चरारों की राष्ट्रीय अर्हक परीक्षा विश्वविद्यालयों में काम करने वाले व्यक्तियों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करती है और शिक्षण तथा अनुसंधान के स्तर बनाए रखने में विश्वविद्यालयों की अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करती है ।

(ख) प्राय : सभी विषय क्षेत्रों में विश्वविद्यालयों के 1000 से भी अधिक शिक्षाविदों ने राष्ट्रीय संगोष्ठियों आदि से के माध्यम से मानक शिक्षण पाठ्यक्रम तैयार करने में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहायता की है । इनमें भविष्य विज्ञान के पाठ्क्रम भी शामिल हैं ताकि विशष्ट क्षेत्रों में उदीयमान प्रवृत्तियों पर ध्यान दिया जा सके । पाठ्यचर्या विकास केन्द्रों के जरिए विभिन्न विषयों की माडल पाठ्यचर्याएं तैयार कर दी गई हैं ।

(ग) ज्ञान के तेज विस्तार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए शिक्षण स्टाफ के अभिविन्यास के वास्ते वि. अ. आ. ने 48 अकादमिक स्टाफ कालेज शुरू किए हैं जिनका परिवीक्षण केन्द्रीय रूप से इस संबंध में निर्णय लेने के लिए किया जाता है कि इन अकादमिक स्टाफ कालेजों द्वारा कितने तथा किस सीमा तक पाठ्यक्रम आयोजित किए जाएंगे । इस योजना का मूल्यांकन एक विशेषज्ञ समिति ने किया है ।

(घ) विशेषज्ञ ग्रुपों की सलाह पर तथा विश्वविद्यालय संकाय के साथ आयोग की चर्चाओं के आधार पर विश्वविद्यालयों तथा "कासिस्ट" और विशेष सहायता कार्यक्रमों के तहत चुनींदा विभागों को अपनी प्रयोगशालाओं को उन्नत बनाने के लिए पर्याप्त धनराशि प्रदान की गई है ।

(ङ) आयोग ने जब यह महसूस किया है विश्वविद्यालय और वह भी एक विषय.क्षेत्र में एक से अधिक विश्वविद्यालयों में विज्ञान की कुछ प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की जरूरत होगी तब 1984 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम में यह संशोधन किया गया जिसका उद्देश्य खंड 12 (सीसीसी) के तहत सामूहिक सुविधाएं सथापित करने के लिए प्राधिकार प्राप्त करना था । इसके परिणामस्वरूप आयोग ने अनेक क्षेत्रों में अंतरविश्वविद्यालय केन्द्रों की स्थापना की है । उनमें से 'न्यूक्लीय केंद्र' एक अनुपम सुविधा है जो जेएनयू कैम्पस में स्थापित की गई है और अभी हाल में इस्तेमाल के लिए चालू की गई है । परमाणु ऊर्जा विभाग की सुविधाओं का उपयोग करने के लिए एक अंतर-विश्वविद्यालय संकाय की भी स्थापना कर दी गई है । अन्य संकायों की स्थापना की जाएगी ।

(च) 'इनूफिलबूनेट' कार्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दूवारा अदा की जाने वाली एक अन्य महत्वपूर्ण भूमिका है । इस कार्यक्रम के अधीन कम्प्यूटर संचार नेट वर्क तैयार किया जाएगा जिसका उद्‌देश्य विश्वविद्यालयों, मान लिए गए विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं, वि. अ. आ. सूचना केंद्रों, अनुसंधान तथा विकास संस्थाओं और कालेजों में पुस्तकालयों और सूचना केंद्रों में सम्पर्क स्थापित करना है ताकि वे समस्त अकादमिक समुदाय के व्यापक लाभ के अपने संसाधनों का इष्टतम उपयोग कर सकें । इसके माध्यम से दूर-दूर स्थानों के शिक्षाविद् आपस में तालमेल कर सकेंगे ।

(छ) आयोग सत्ता के विकेंद्रीकरण और विश्वविद्यालय विभागों तथा कालेजों को स्वायत्तता प्रदान करने की जरूरत पर जोर देता रहा है ताकि शिक्षण और अनुसंधान में नवप्रवर्तन को बढ़ावा देने के लिए एक नम्य तथा गतिशील प्राणाली सृजित की जा सके और शैक्षिक उत्कृष्टता के केंद्रों का कुशल कार्यकरण सुनिश्चित हो सके ।

(ज) आयोग के "देशव्यापी कक्षा कार्यक्रम" ने टीवी नेटवर्क का उपयोग कारगर ढंग से किया है ताकि विश्वविद्यालय स्तरीय उच्च कोटि की शिक्षा को देश के ग्रामीण, अर्धग्रामीण तथा दूरस्थ भागों में पहुँचाया जा सके । प्रसारित किए गए तीन चौथाई से भी अधिक कार्यक्रम भरतीय स्रोत के रहे हैं।

(झ) विश्वविद्यालयेां में महिला अध्ययन कार्यक्रम शामिल कर दिए गए हैं जिनका उद्देश्य राष्ट्रीय विकास तथा समाज में महिलाओं की भूमिका तथा अधिकारों के संबंध में समाज की वर्तमान प्रवृत्ति तथा मूल्यों को बदलने के लिए मानव संसाधन के रूप में महिलाओं की समपूर्ण क्षमता का उपयोग करना है ।

उपर्युक्त विषयों के अंतर्गत वर्ष 1990-91 के दौरान जिन महत्वपूर्ण क्षेत्रों के संबंध में कार्रवाई की गई, वे इस प्रकार हैं :-

1. अंतर-विश्वविद्यालय केंद्र तथा संकाय

2. दूरवर्ती शिक्षा

3. शिक्षकों के अभिविन्यास के लिए अकादमिक स्टाफ कालेज

4. विश्वविद्यालय स्वायत्तता, उत्तरदायित्व, योजना, निधियां तथा विश्वविद्यालय, राज्य सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बीच परस्पर संबंध जैसे पहलुओं पर ध्यान देते हुए प्रबंध वैकल्पिक मॉडल ।

5. विशेष सहायता कार्यक्रम ।

6. लेक्चरारों की भर्ती के लिए पात्रता परीक्षा ।

7. कुछ और सहायक विभाग सृजित करके विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की आधार-संरचना को सुदृढ़ करना ।

8. अतिचालकता तथा संधनित पदार्श विज्ञान ।

9. प्रौढ़ शिक्षा तथा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ।

10. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों अल्पसंख्यकों तथा महिलाओं के लिए संवर्धित सुविधाएं ।

11. अध्येतावृत्तियां/छात्रवृत्तियां

12. जन-संपर्क तथा शैक्षिक प्रौद्योगिकी नेटवर्क का विस्तार ।

आलोच्य वर्ष के दौरान आयोग ने आठवीं योजना अवधि में कालेजों के विकासार्थ दिशानिर्देश परिचालित किए और शिक्षक अध्येतावृत्ति, अनियत अनुदान, योजना फोरम तथा भारतीय लेखकों द्वारा विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकें तैयार करने से संबंधित जैसी योजनाओं के लिए नए दिशानिर्देश तैयार किए । आयोग ने विश्वविद्यालयों में "अभ्यागत संकाय" सृजित करके समाज के प्रति अपनी नई वचनबद्धता को पूरा किया ताकि कश्मीर विश्वविद्यालय तथा उसके संबद्ध कालेजों के शिक्षकों को शिक्षण/अनुसंधान कार्य सौपा जा सके ।

भावी परियोजनाएं

विश्वविद्यालयों को परिचालित आठवीं योजना की विकास योजनाओं के लिए दिशा-निर्देश में आयोग ने आगामी पांच वर्षो में विश्वविद्यालयों के लिए निम्नलिखित प्राथमिकताओं का पता लगाया है :-

(i) विश्वविद्यालयों के वर्तमान विभागों का अभिविन्यास किया जाए ताकि शिक्षण तथा अनुसंधान का वातावरण बेहतर बनाया जा सके और विस्तार को शिक्षा का अभिन्न अंग बनाया जा सके ।

(ii) विशिष्ट अभिविन्यास प्रदान करने वाले पाठ्यक्रमों को क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय विकास के संगत बनाए जाने के उद्देश्य से उन्हें आधुनिक बनाया जाना आवश्यक हैं ।

(iii) विशेषीकृत पाठ्यक्रम या वर्तमान विभागों में और अंतर-विभागीय आधार पर अध्ययन के क्षेत्र । इनमें भी पूर्वस्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तरों पर पाठ्यचर्या में नवप्रवर्तन तथा पाठ्यक्रमों का पुनर्गठन करना आवश्यक होगा ताकि उन्हें सामजिक जरूरतों और ग्रामीण तथा कृषि क्षेत्रक समेत विभिन्न विकास क्षेत्रकों से जोड़ा जा सके ।

(iv) प्रयोगशाला तथा पुस्तकालय सुविधाओं और सेवाओं एवं कार्यशाला सुविधाओं, केंद्रीय यंत्रीकरण और उपस्करों के अनुरक्षण को उन्नत बनाया जाए ।

(v) कर्मचारियों के वर्तमान पदों का पूरा उपयोग किए जाने की बात को ध्यान में रखते हुए केवल परमावश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त अकादमिक स्टाफ के संबंध में विचार किया जाए ।

(vi) विभिन्न अकादमिक गतिविधियों के सहायतार्थ कैम्पस में पानी तथा बिजली की पूर्ति जैसी सेवाओं सहित सुविधाओं को उचित महत्व दिया जाए ।

(vii) सभी विभागों को शिक्षण सहायता साधन प्रदान किए जाएं । पुस्तकालयों को सूचना केंद्रों में बदल दिया जाए और आधुनिक संचार टेक्नालाजी के माध्यम से पुस्तकालय को विभन्न विभागों से जोड़ने की कार्रवाई की जाए । पुस्तकालय सेवाओं में इस दृष्टि से वृद्धि की जाए ताकि पुस्तकालय को पूर्ण दिवसीय संस्था बनाया जा सके और वह कम्प्यूटर अनुसंधान तथा प्रलेखन सेवाओं सहित सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस हो ।

(viii) अकादमिक भवनों तथा प्रयोगशाला उपस्करों की आधार-संरचनात्क कमियों को इस बात को ध्यान में रखते हुए उचित रूप से पूरा किया जाए कि ऐसी सुविधाओं का इष्टतम उपयोग किया जाता हैं ।

(ix) उपबोधन सेवाओं सहित छात्रों के लिए सामूहिक सुविधाओं तथा उचित रोजगार एजेंसियों के साथ संपर्क में सुधार किया जाए ।

उसी प्रकार , आठवीं योजना के दौरान कालेजों के विकास से संबंधित आयोग की नीति के निम्नलिखित चार मुख्य आधार होंगें :- (क) शिक्षा के स्तरों तथा गुणवत्ता में सुधार (ख) उच्च शैक्षिक सुविधाओं में असमानताओं तथा क्षेत्रीय असंतुलनों को दूर करना (ग) पाठ्यक्रमों का पुनर्गठन तथा विविधीकरण तथा (घ) सुपात्र कालेजों को स्वायत्त दर्जा प्रदान करना ।

इन उद्देश्यों की प्राप्त के लिए, आयोग उन कोलजों को सहायता प्रदान करेगा जो पात्रता की न्यूनतम शर्तें पूरा करते हैं और जिनके पास आवश्यक सक्षमता एवं संभाव्यता है और जो बेहतर स्तर प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे है । ताकि वे बुक बैंकों के सुदृढ़ीकरण सहित पुस्तकों तथा पत्रिकाओं, पूर्व-स्नातक स्तर पर उचित शिक्षण के लिए आवश्यक बुनियादी वैज्ञानिक उपस्करों, भवन निर्माण, शिक्षण तथा तकनीकी स्टाफ, समाज के कमजोर वर्गों के छात्रों के लिए उपचारी पाठ्यक्रमों, विस्तार कार्यक्रम, परीक्षा सुधार तथा भारत में अकादमिक सम्मेलनों, कार्यशालाओं/संगोष्ठियों में शिक्षकों की सहभागिता से संबंधित अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सकें । असमानताओं तथा क्षेत्रीय असंतुलनों को समाप्त करने की दृष्टि से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों की जरूरतों को पूरा करते हुए तथा पिछड़े/ग्रामीण/सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित कालेजों के गहन विकास के लिए भी कालेजों को सहायता प्रदान की जाएगी ।

खंड - 1

संस्थाओं, नामांकनों तथा संकायों की संख्या में वृद्धि

1.01 गत दशक के दौरान भारत में उच्च शिक्षा प्राणाली पर पर्याप्त दबाव रहा हैं । इसका कारण दो चुनौतियां थी अर्थात् एक तरफ तो संस्थाओं, नामांकन आदि की संख्या में वृद्धि हो रही थी और दूसरी तरफ स्तर बनाए रखने की जरूरत थी । हाल के वर्षो में विशेषकर कमजोर वर्ग के लोग केवल उच्च शिक्षा को ही प्रत्यक्ष, सामाजिक एवं आर्थिक विकास का साधन मानते हैं । इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विपुल निवेश करने की आवश्यकता है कि उच्च शिक्षा संस्थाएं भौतिक आघार-संरचना, तकनीकी एवं अनुसंधान सहायता, साज-सामान, पुस्तकें आदि खरीदने के संसाधनों से संबधित न्यूनतम सुविधाओं से लैस हैं । संसाधनों की कमी के बावजूद, आयोग आवश्यक सुविधाएं जुटाने के लिए प्रयास करता रहा है ताकि उच्च शिक्षा प्रणाली में गुणात्मक एवं मात्रात्मक संबंधी परस्पर विरोधी आवश्यकताओं के बीच संतुलन बना रहे ।

रिपोर्ट के इस खंड में गत दशंक के दौरान देश की उच्च शिक्षा का संख्यात्मक विवरण प्रस्तुत किया गया है जिसमें नामांकन, स्टाफ तथा संस्थाओं की संख्या में हुई वृद्धि का उल्लेख किया गया है ।

1.02 नए विश्वविद्यालय

वर्ष 1990-91 के दौरान निम्नलिखित नए विश्वविद्यालय की स्थापना की गई :-

नार्थ महाराष्ट्र विश्वविद्यालय, जलगाँव

इस प्रकार, 31 मार्च 1991 को विश्वविद्यालयों की कुल संख्या 147 थीं ।

1.03 केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए योग्य घोषित किए गए विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12(ख) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार निम्नलिखित विश्वविद्यालय अर्थात् अमरावती विश्वविद्यालय,

अमरावती को केंद्रीय सहायता एवं संस्थागत विकास हेतु सहायता प्राप्त करने के लिए योग्य घोषित किया गया ।

1.04 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 3 के तहत "विश्वविद्यालय मानी गई नई संस्थाएं"

आलोच्य वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने वि. अ. आ. अधिनियम की धारा 3 के अधीन निम्नलिखित संस्थाओं को "विश्वविद्यालय मानी गई संस्थाएं" घोषित किया :-

जैन विश्वभारती संस्थान, लाडनूं (राजस्थान)

इस प्रकार 31 मार्च 1991 को उपर्युक्त संस्था को मिलाकर "विश्वविद्यालय मानी गई संस्थाओं" की कुल संख्या बढ़कर 29 हो गई । राज्य विधायिका अधिनियमों के अधीन स्थापित किए गए विश्वविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय मानी गई संस्थाओं तथा संस्थानों को काल क्रमानुसार सूची परिशिष्ट-I में दी गई हैं ।

1.05 धारा 2 (च) के अधीन कालेज

वर्ष 1990-91 के अंत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2 (च) के तहत रखी गई सूची में स्नातकोत्तर कालेजों सहित 4210 कालेज शामिल किए गए हैं ।

1.06 छात्र नामांकन

जहां तक केवल संख्या का संबंध हैं, गत वर्षो के दौरान नामांकनों एवं संस्थाओं की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रही है जैसा कि नीचे सारणी 1.1 में दिखाया गया है । सारणी से पता चलेगा कि वर्ष 1981-82 के दौरान 118 विश्वविद्यालय, 13 विश्वविद्यालय मानी गई संस्थाओं तथा 4886 कालेजों में नामांकित छात्रों की संख्या 29.52 लाख थी जबकि वर्ष 1990-91 के दौरान 147 विश्वविद्यालयों, 29 विश्वविद्यालय मानी गई संस्थाओं तथा 7121 कालेजों में नामंकित छात्रों की संख्या 44.25 लाख थी ।

सारणी 1.1

वर्ष	विश्वविद्यालय का नाम	कालेजों की संख्या*	छात्रों की संख्या
1	2	3	4
1981-82	118+13 विश्वविद्यालय मानी गई संस्थाएं	4,886	29,52,066
1982-83	120+13 विश्वविद्यालय मानी गई संस्थाएं	5,039	31,33,093
1983-84	124+15 विश्वविद्यालय मानी गई संस्थाएं	5,246	33,22,939
1984-85	125+15 विश्वविद्यालय मानी गई संस्थाएं	5,590	34,04,096
1985-86	132+17 विश्वविद्यालय मानी गई संस्थाएं	5,816	36,05,029
1986-87	136+19 विश्वविद्यालय मानी गई संस्थाएं	6,512	37,54,407
1987-88	142+22 विश्वविद्यालय मानी गई संस्थाएं	6,685	39,10,828***
1988-89	144+25 विश्वविद्यालय मानी गई संस्थाएं	6,779	40,74,676***
1989-90	146+28 विश्वविद्यालय मानी गई संस्थाएं	6,942**	42,46,878***
1990-91	147+29 विश्वविद्यालय मानी गई संस्थाएं	7,121**	44,25,247***

* उपर्युक्त कालेजों में कनिष्ठ कालेज तथा वे कालेज शामिल नहीं हैं । जिनमें डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम चलाए जाते है ।

** अंनतिम

*** अनुमान

1.07 नामांकन की वृद्धि दर

विश्वविद्यालय प्रणाली में गत बीस वर्षों के दौरान अर्थात् वर्ष 1971-72 से वर्ष 1990-91 तक छात्र नामांकन की वृद्धि का विवरण परिशिष्ट-II में दिया गया है । वर्ष 1981-82 से 1990-91 के दौरान नामांकन की दशाब्दिक औसत वृद्धि दर लगभग 4.9 प्रतिशत रही जबकि पिछले दशक अर्थात् 1971-72 से 1980-81 के दौरान नामांकन की दशाब्दिक औसत वृद्धि दर 3.5 प्रतिशत थी । दस वर्षों अर्थात् 1981-82 से 1990-91 के दौरान वर्षवार नामांकन वृद्धि दर को देखने से यह पता चलता है कि वर्ष 1981-82 में वृद्धि दर सर्वाधिक रही अर्थात् 7.3 प्रतिशत तक पहुँच गई । उसके बाद उसमें गिरावट आनी शुरू हुई और वर्ष 1984-85 मे घटकर 2.9 प्रतिशत रह गई । तत्पश्चात् उसमें पुनः वृद्धि हुई और 1985-86 में बढ़ कर 5.9 प्रतिशत हो गई तथा 1986-87 से 1990-91 तक लगभग 4 प्रतिशत स्थिर बनी रही । पांच वर्षों के दौरान अर्थात् 1986-87 से 1990-91 तक यह वृद्धि दर 4.2 प्रतिशत थी जैसाकि परिशिष्ट-III में दिखाया गया है । परिशिष्ट-III के देखने से यह पता चलेगा कि विभिन्न राज्यों में इस औसत वृद्धि दर में काफी अंतर था । उदाहरण के लिए, तमिलनाडु में उक्त अवधि के दौरान नामांकन की वार्षिक औसत मिश्रित दर 9 प्रतिशत थी जबकि उड़ीसा में यही वार्षिक मिश्रित वृद्धि दर 2.9 प्रतिशत थी । वर्ष 1986-87 से 1990-91 के दौरान 14 राज्यों में औसत वृद्धि दर अखिल भारतीय औसत दर से 4.2 प्रतिशत से कम थी ।

1.08 स्तरवार नामांकन

वर्ष 1986-87 से 1990-91 के दौरान स्नातक, स्नातकोत्तर, अनुसंधान तथा डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र स्तरों पर स्तरवार नामांकन का विवरण परिशिष्ट-IV में दिया गया है इससे पता चलता है कि विभिन्न स्तरों पर नामांकनों का प्रतिशत वर्ष 1990-91 में वही था जो 1989-90 में था ।

गत पांच वर्षों के दौरान भी स्नातक, स्नातकोत्तर/अनुसंधान तथा डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र स्तरों पर नामांकनों का प्रतिशत प्रत्येक वर्ष लगभग वही अर्थात् क्रमशः 88.1 प्रतिशत, 10.6 प्रतिशत तथा 1.3 प्रतिशत रहा ।

परिशिष्ट-V में 1987-88 से 1990-91 तक चार वर्ष का विश्वविद्यालय विभागों/विश्वविद्यालय कालेजों तथा संबद्ध कालेजों का अलग-अलग स्तरवार नामांकन दिया गया है । इस परिशिष्ट के देखने से यह मालूम होगा कि इनमें से प्रत्येक वर्ष के दौरान

संबद्ध कालेजों में कुल मिलाकर सभी स्तरों पर नामंकन का प्रतिशत लगभग 83 प्रतिशत रहा । वर्ष 1990-91 के दौरान संबद्ध कोलेजों में स्तरवार कुल नामांकन स्नातक स्तर पर 88 प्रतिशत, स्नातकोत्तर स्तर पर 57 प्रतिशत, अनुसंधान स्तर पर 15 प्रतिशत तथा डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र स्तर पर 44 प्रतिशत रहा । उक्त विभिन्न स्तरों पर शेष नामांकन विश्वविद्यालय विभागों/विश्वविद्यालय कालेजों में था । गत वर्षो के दौरान भी लगभग यही स्थिति थी ।

1.09 संकायवार नामांकन

वर्ष 1986-87 से 1990-91 तक पांच वर्षो के दौरान छात्र नामांकन का संकायवार वितरण परिशिष्ट-VI में दिया गया है । इसमें सभी संकायों के कुल नामांकन के प्रतिशत के रूप में प्रत्येक संकाय का नामांकन दिखाया गया है । इससे पता चलता है कि कला संकाय । (प्राच्य विद्या सहित) में प्रत्येक वर्ष कुल नामांकन के प्रतिशत के रूप में सबसे अधिक नामांकन रहा है । उसके बाद क्रमशः वाणिज्य, विज्ञान एवं विधि का स्थान है । सभी संकायों के कुल नामांकन की दृष्टि से प्रत्येक संकाय के नामांकन के प्रतिशत में हर वर्ष का अंतर मामूली रहा है । उदाहरण के लिए, वर्ष 1986-87 से 1990-91 तक पांच में से प्रत्येक वर्ष के दौरान कला संकाय का नामांकन 40.4 प्रतिशत रहा है । उसी प्रकार, वाणिज्य संकाय में 1986-87 से 1990-91 तक पांच वर्षो के दौरान नामांकन का प्रतिशत 21.9 रहा । पांच वर्षो के दौरान विज्ञान संकाय का प्रतिशत 19.6 रहा । अन्य संकायों में भी ऐसी ही प्रवृत्ति रही । लेकिन, इन संकायों में नामांकन का प्रतिशत कला, वाणिज्य तथा विज्ञान संकायों में नामांकन के प्रतिशत की तुलना में बहुत ही कम रहा ।

1.10 नए कालेजों की स्थापना

वर्ष 1990-91 के दौरान स्थापित किए गए नए कालेजों की संख्या 179 थी । इस प्रकार वर्ष 1989-90 में 6942 कालेजों की तुलना में 1990-91 में संबद्ध कालेजों की कुल संख्या बढ़कर 7121 हो गई (परिशिष्ट-VII) । नए स्थापित किए गए 179 कालेजों में से 99 कालेज कला/विज्ञान/वाणिज्य के थे । शेष कालेज विभिन्न संकायों से संबधित व्यावसायिक कालेज थे, जिनका ब्यौरा इस प्रकार है :-

शारीरिक शिक्षा तथा शिक्षा शास्त्र (37), आर्युविज्ञान/औषध निर्माण-विज्ञान / आयुर्वेद / नर्सिंग/दंत-विज्ञान / होमियोपैथिक (17), इंजीनियरी / प्रौद्योगिकी (9), कृषि (9), विधि (8).

1.11 कालेजों की संख्या में राज्यवार वृद्धि

वर्ष 1986-87 से 1990-91 के दौरान स्थापित किए गए नए कालेजों का राज्यवार वितरण परिशिष्ट-VIII में दिया गया है । इस अवधि के दौरान देश में कालेजों की संख्या में 609 की वृद्धि हुई । इस अवधि के दौरान सर्वाधिक वृद्धि (128) महाराष्ट्र में दर्ज की गई । अन्य राज्यों में भी कालेजों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई जिसका विवरण इस प्रकार हैं :- आंध्रप्रदेश (93), कर्नाटक (82), मध्य प्रदेश (62) ।

उक्त अवधि के दौरान उक्त चार राज्यों में कालेजों की कुल संख्या में लगभग 60 प्रतिशत की वृद्धि हुई । कुछ अन्य राज्यों में कालेजों की संख्या में न के बराबर वृद्धि हुई जबकि कुछ राज्यों में यह वृद्धि पर्याप्त नहीं थी । कालेजों की संख्या में केवल एक की वृद्धि हुई (परिशिष्ट-IX) से यह पता चलेगा कि वर्ष 1986-87 से 1990-91 के दौरान कलेजों की कुल संख्या में जो 609 कालेजों की वृद्धि हुई थी उनमें कला/विज्ञान/वाणिज्य के कालेजों की संख्या 387 थी जो कुल वृद्धि के लगभग 65 प्रतिशत थी ।

1.12 स्टाफ की संख्या

परिशिष्ट-X में वर्ष 1986-87 से 1990-91 के दौरान विश्वविद्यालय विभागों/विश्वविद्यालय कालेजों में शिक्षण स्टाफ की संख्यां तथा वित्तरण दिखाया गया है । वर्ष 1990-91 में विश्वविद्यालय विभागों/विश्वविद्यालय कालेजों में शिक्षकों की संख्या 58,661 थी । इनमें 7509 प्रोफेसर, 15,369 रीडर, 33,437 लेक्चरार तथा 2346 अनुशिक्षक एवं निर्देशक थे । कुल शिक्षण स्टाफ में वरिष्ठ शिक्षकों यथा प्रोफेसरों तथा रीडरों का प्रतिशत 1986-87 से 1990-91 के दौरान 39 रहा । पिछले वर्षो के दौरान विश्वविद्यालय विभागों/विश्वविद्यालय/कालेजो में शिक्षण स्टाफ की संख्या में 1989-90 में 1759 की तुलना में 1990-91 में 1929 की वृद्धि हुई । संबद्ध कालेजों के शिक्षण स्टाफ (परिशिष्ट-XI) की कुल संख्या 1990-91 में 2,04,464 थी । इसमें 28,421 वरिष्ठ शिक्षक, 1,67,047 लेक्चरार तथा 8996 अनुशिक्षक एवं निर्देशक शामिल थे । संबद्ध कालेज के स्टाफ की कुल संख्या में 1989-90 की तुलना में 1990-91 के दौरान 5129 की वृद्धि हुई जबकि 1988-89 की तुलना में 1989-90 के दौरान 5240 की वृद्धि हुई ।

1.13 डाक्टरेट की प्रदत्त उपाधियॉं

1985-86 से 1989-90 के दौरान प्रदान की गई डाक्टरेट की उपाधियों का संकायवार विवरण परिशिष्ट-XII में दिया गया है । इस परिशिष्ट के देखने से यह पता

चलता है कि इस अविध के दौरान प्रदत्त डाक्टरेट की डिग्रियों की संख्या में साल-दर-साल वृद्धि होती रही । लेकिन वर्ष 1986-87 के दौरान इनकी संख्या में कमी हो गई । वर्ष 1989-90 में सभी संकायों में कुल मिलाकर 8521 डाक्टरेट की डिग्रियाँ प्रदान की गई । जहां तक संकायवार उपाधियों का संबंध है, इस अवधि में सबसे अधिक डाक्टेरट की उपाधियाँ कला संकाय में प्रदान की गई । उसके बाद विज्ञान संकाय का स्थान है । कृषि संकाय का स्थान स्पष्ट रूप से तीसरा रहा और उसके बाद वाणिज्य का स्थान था । वर्ष 1989-90 के दौरान कला में 3375 और विज्ञान में 3110 उपाधियाँ प्रदान की गई । अन्य संकायों में डाक्टरेट की उपाधियाँ प्रदान करने का क्रम इस प्रकार रहा ।

कृषि (807), वाणिज्य (383), शिक्षा (249), इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी (233), पशुचिकित्सा विज्ञान (132) तथा आयुर्विज्ञान (90) । अन्य संकायों, जिनमें ललित कलाएं आदि शामिल है, की संख्या 88 थी । विधि में सबसे कम अर्थात् केवल 44 डिग्रियाँ प्रदान की गई ।

खंड - 2

अंतर-विश्वविद्यालय केन्द्र तथा सूचना केन्द्र

2.01 हाल के वर्षों में आयोग ने विभिन्न क्षेत्रों में अंतर-विश्वविद्यालय केंद्र स्थापित करने में पहल की है । इसका उद्‌देश्य विश्वविद्यालय प्रणाली में राष्ट्रीय अनुसंधान संबंधी सुविधाएं प्रदान करना है । जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में स्थित ऐसा पहला न्यूक्लीय विज्ञान केंद्र हैं जिसकी स्थापना 1984 में की गई थी । उसके बाद, सन् 1988 में पूना में खगोलविज्ञान तथा तारा-भौतिकी केंद्र और सन् 1989 में इंदौर में अंतर-विश्वविद्यालय संकाय की स्थापना की गई । आयोग इन केंद्रों के माध्यम से केवल स्थनगत प्रायोगिक सुविधाएं प्रदान करता रहा है । इस स्थिति में आयोग विभिन्न विश्वविद्यालयों को व्यक्तिगत रूप से या अलग-अलग सुविधाएं प्रदान नहीं कर सकता । ये केंद्र स्वायत्त संस्थाएं हैं जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12 (सी सी सी) के अधीन स्थापित किया गया है । वर्ष 1990-91 के दौरान विभिन्न केंद्रों की प्रगति तथा कार्यकलापों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा हैं:

2.02 न्यूक्लीय विज्ञान केंद्र, नई दिल्ली

न्यूक्लीय केंद्र की स्थापना सन् 1984 में की गई थी । इसका उद्‌देश्य मूल नाभिकीय भौतिकी के अतिरिक्त परमाणु भौतिकी, संघनित द्रव्य भौतिकी, न्यूक्लीय रसायन, जीव-विज्ञानों तथा अन्य अनेक सहबद्ध क्षेत्रों में त्वरणप्रधान अनुसंधान के लिए विश्वविद्यालय क्षेत्रक में अनुसंधान की सुविधाएं प्रदान करना हैं । यह केंद्र विश्वविद्यालयों तथा अन्य शिक्षण संस्थाओं से सहबद्ध किया जाएगा ताकि वैज्ञानिक तथा तकनीकी -- दोनों प्रकार के व्यक्तियों की संख्या की वृद्धि में संतुलन बना रहे । प्रथम चरण में इस केंद्र में एक 15 मिलियन वोल्ट अनुक्रमिक त्वरित्र की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी । तीन परिवर्तनीय आवेशीय आयन स्रोतों वाले एक 380 केवी अंतः श्रेपित्र और नेनो सेकंड लाइट तथा भारी आयन स्पंदनतंत्र से लैस 15 यूडी पेलेट्रान सर्वतोमुखी आयन त्वरित्र की व्यवस्था करता है जो प्रायः किसी भी आयन का त्वरण आवर्त सारणी में प्रोटीन से यूरेनियम और उससे 200 एम. ई. डब्लू. ऊर्जा तक कर सकता है । केंद्र का प्रथम चरण, जैसाकि परियोजना रिपोर्ट में प्रकल्पित किया गया था, पूरा हो गया हैं । बीम लाइन 18 दिसंबर, 1990 को उपलब्ध कराई गई थी । यह त्वरित्र 18 दिसंबर 1990 को मानव संसाधन विकास के तत्कालीन केंद्रीय मंत्री द्‌वारा चालू एवं राष्ट्र को समर्पित किया गया था ।

भिन्न-भिन्न ऊर्जाओं में विभिन्न आयनों के लिए पेलेट्रान के निष्पादन, निरूपण परीक्षण किए गए है । इन परीक्षणों में प्रोटोन, ऐल्फाकण निकेल तथा आयोडीन आयनों का त्वरण किया गया । संतत बीमों तथा स्पंदित बीमों -- दोनों के लिए त्वरित्र का परीक्षण किया गया ।

प्रोटोन के लिए । नैनो सैकंड से अधिक और भारी आयनों के साथ 3 नैनो सेकंड से भी कम स्पंद विस्तार उपलब्ध किया गया । इस अवधि के दौरान कुछ प्रयोक्ताओं ने प्रारंभिक प्रयोग किए ।

त्वरित्र उपयोक्ता समिति द्वारा बीम टाइम आबंटन के अनुसार प्रथम प्रायोगिक चक्र जुलाई 8, 1990 में शुरू हुआ । प्रयोगों के प्रथम चक्र में पुणे, चंडीगढ़, अमृतसर, दिल्ली, कुरूक्षेत्र, वाल्टेयर , जे एन यू, एन पी एल, वाराणसी तथा बंबई से आए उपयोक्ताओं ने पैलेट्रान का उपयोग किया ।

आयोग दृवारा संस्वीकृत विशेष परियोजनाओं अर्थात् भारी आयन अभिक्रिया विश्लेषक (हीरा) गामा संसूचक सरणी (जी डी ए) तथा प्रकीर्णन चैम्बर का प्रथम चरण लगभग पूरा होने को है । 'हीरा' के सभी घटक अर्थात् स्थिर वैद्‌युत विक्षेपक चुंबकीय द्विध्रुव, चतुर्ध्रुव आदि घूर्णन प्लेटफार्म पर लगा दिए गए है और उनका संरेक्षण कर दिया गया है । एक स्थिर वैद्‌युत विक्षेपक को 450 केवी तक पूर्णतः अनुकूलित कर दिया गया है । दूसरे का अनुकूलन किया जा रहा है । एक विशेष उच्च निर्वात सरकवां सील चैम्बर तैयार है और उसका परीक्षण किया जा रहा है । सम्पूर्ण प्रकीर्णन चैम्बर का परीक्षण ऐल्फा कणों के साथ शीघ्र ही किया जाएगा । संसूचक माउंट तथा सहबद्ध इैल्क्ट्रनिक्स के साथ जी डी ए बीम लाइन पूरी हो गई है । जी डी ए इैल्क्ट्रानिक्स ने अनुपूरक के रूप में अनेक देशी माड्यूलों का निर्माण कर दिया गया हैं । गामा संसूचक्रव्यूह (जी डी ए) का प्रथम आयन बीमा-परीक्षण किया गया । इस परीक्षण में दिल्ली, चंडीगढ़ वाराणसी, और बंबई विश्वविद्यालय के व्यक्तियों ने भाग लिया । बंगलौर विश्वविद्यालय के सहयोग से केंद्र द्‌वारा अभिकल्पित 1.6 मी. व्यास वाले एक विशाल प्रकीर्णन चैम्बर का देश में ही निर्माण किया गया । अब इसे संस्थापित तथा संरोखित कर दिया गया है और परीक्षण के लिए सामान्य उद्‌देशीय निर्वात चैम्बर के रूप में इसका प्रयोग किया जा रहा हैं ।

सामग्री विज्ञान बीम लाइन के लिए धन की व्यवस्था करने हेतू विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग को प्रस्तुत की गई परियोजना को अब अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है । जैसे ही निधियां जारी की जाती है, बीम लाइन विकास कार्यक्रम शुरू कर दिया जाएगा । इसी बीच केंद्र में एक लघु बहु-उद्‌देश्यीय चैम्बर का निर्माण किया गया और उसे

एक बीम लाइन पर संस्थापित किया गया । इसकी व्यवस्था निर्धारित बीम लाइन के चालू किए जाने से पहले प्रारंभिक माप हेतु समाग्री विज्ञान के उपयोक्ताओं के लिए की जा रही है ।

यीस्ट सेलों के भारी आयानों के प्रभाव का अध्ययन करने के संबंध में कुछ प्रयोगिक भाप करने के लिए एक लघु परियोजना शुरू की जा रही है । अतिचालन रेखिक माड्यूल को रखने तथा अन्य इमारतों के साथ-साथ भावी बीम ढाल के वास्ते चरण II के लिए भवन विन्यास का अनुमोदन शहरी आर्ट्स आयोग द्वारा पहले ही किया जा चुका है । निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है । एन पी एल, नई दिल्ली के सहयोग से अतिचालन परिनालिका चुम्बक तैयार किया जा रहा है । चरण II त्वरित्र संवर्धन के लिए उच्च आवृत्ति इैल्क्ट्रानिकी के क्षेत्र में कुछ कार्य शुरू किया गया है ।

विभिन्न विश्वविद्यालयों और स्नातकोत्तर कालेजों के छात्रों को केंद्र में दो सप्ताह के परियोजना कार्य के लिए आमंत्रित किया जाता है । इस सुविधा का उपयोग व्यापक रूप से किया जा रहा है ।

केंद्र ने विभिन्न विधाओं में उपयोक्ताओं के लिए विभिन्न कार्यशालाएं आयोजित की है ।

2.03 पूना विश्वविद्यालय के कैम्पस में खगोल-विज्ञान तथा तारा-भौतिकी का अंतर-विश्वविद्यालय केंद्र

यह केंद्र दिसंबर, 1988 से एक स्वायत्त संस्था के रूप में कार्य कर रहा है । इसका मुख्य उद्देश्य खगोल-विज्ञान तथा तारा-भौतिकी में शिक्षण, अनुसंधान तथा विकास के लिए विश्वविद्यालय-प्रणाली में एक उत्कृष्ट केंद्र की व्यवस्था करना तथा विश्वविद्यालयों में इस विषय में सक्रिय ग्रुपों का केंद्रक बनाना तथा उसके विकास को बढ़ावा देना है यह केंद्र अपने यहां एक जोरदार अनुसंधान कार्यक्रम चलाएगा । इसके अतिरिक्त, यह केंद्र विश्वविद्यालयों के शिक्षाविदों को अति आधुनिक खगोलीय उपकरणों, सैद्धांतिक जानकारी, उपस्करों से लैस इलैक्ट्रानिक्स प्रयोगशालाओं, उत्कृष्ट पुस्तकालय, आंकड़ा केंद्र तथा उच्च कोटि की कम्प्यूटर सुविधाएं प्रदान करेगा । यह केंद्र विश्वविद्यालयों में खगोल-विज्ञान तथा तारा-भैतिकी में शिक्षण एवं अनुसंधान को शुरू करने तथा उनको सुदृढ़ करने मे विश्वविद्यालयों का सक्रिय सहयोग करेगा ।

इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए खगोल-विज्ञान तथा तारा-भौतिकी का अंतर-विश्वविद्यालय केंद्र अनेक क्षेत्रों में निम्नलिखित कार्य कर रहा है :

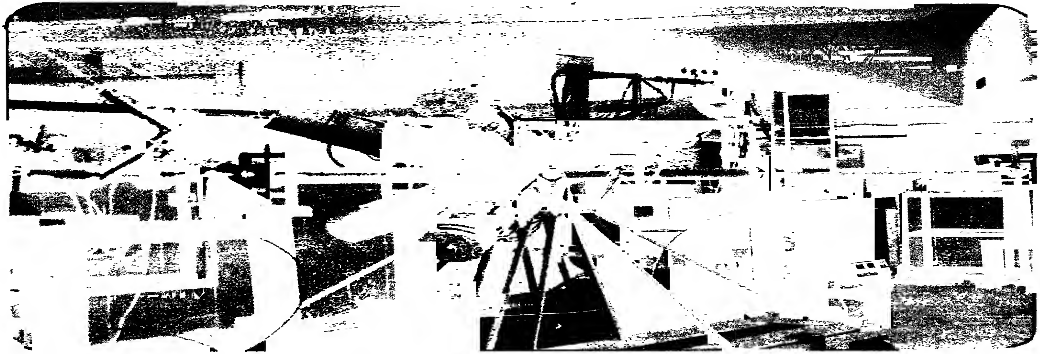

गामा संसूचक व्यूह (जीडीए) न्यूक्लीय विज्ञान केंद्र, जे एन यू कैम्पस, नई दिल्ली ।

सद्भाव ज्ञापन (एम ओ यू) - खगोल विज्ञान तथा तारा-भौतिकी में अंतर-विश्वविद्यालय केंद्र और पूना विश्वविद्यालय के बीच हस्ताक्षर ।

श्री पी.एन. हक्सर द्वारा पूना में द्वितीय आई.यू.सी.सी.ए. प्रतिष्ठान दिवस व्याख्यान ।

(I) खगोल-विज्ञान तथा तारा-भौतिकी का अंतर-विश्वविद्यालय केंद्र संकाय विभिन्न विश्वविद्यालयों के सहयोग से भैतिकी तथा तारा-भौतिकी में एम. एस.सी. स्तर पर शिक्षण में भाग लेता है तथा खगोल-विज्ञान और तारा-भौतिकी में पी.एच. डी. डिग्री के लिए छात्रों को अनुसंधान कार्य में मार्गदर्शन देता है ।

(II) शैक्षिक समुदाय इस क्षेत्र के मुख्य कार्यक्रमों में जो भाग लेगा, उसका समन्वय भी यक केंद्र करता है ।

(III) यह केंद्र सामयिक अनुसंधान के विषयों में पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, उच्च स्तरीय स्कूल एवं कार्यशालाओं का आयोजन करता है ।

(IV) यह केंद्र विज्ञान को लोकप्रिय बनाने का कार्य करता है और भारत तथा विदेश में विश्वविद्यालय ग्रुपों, भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थनों तथा इसी प्रकार के अन्य ग्रुपों के बीच सहयोगी अनुसंधान परियोजनाओं को प्रोत्साहन देता है ।

खगोल-विज्ञान तथा तारा-भौतिकी के अंतर-विश्वविद्यालय केंद्र की स्थापना को तीन वर्ष हो चुके है और इस अवधि के दौरान इसका सर्वतोमुखी विकास हुआ है । खगोल-विज्ञान तथा तारा-भौतिकी के अंतर-विश्वविघालय केंद्र का आकाश गंगा काम्प्लैक्स लगभग पूरा हो चुका है । यह काम्प्लैक्स इस केंद्र की एक आवासीय कालोनी है । अकादमिक तथा प्रशासनिक कार्यालयों और पुस्तकालय को कम्प्यूटरों से लैस किया गया है । श्री पी. एन. हक्सर ने 29 दिसंबर 1990 को “इंडिया एंड द वर्ल्ड सम रिफ्लेक्शंस” विषय पर द्वितीय प्रतिष्ठान दिवस का व्याख्यान दिया । आई सू सी ए ए के बुलेटिन “खगोल” का प्रकाशन प्रत्येक तिमाही में नियमित रूप से जारी रहा है । इस बुलेटिन के संबंध में अनुकूल टीका-टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं ।

खगोल-विज्ञान तथा तारा-भौतिकी के अंतर-विश्वविद्यालय केंद्र “इनूफिलबूनेट” के लिए एक संरक्षक का कार्य करता है । “इनूफ्लिबूनेट” विश्वविद्यालय अुनदान आयोग के अंतर-पुस्तकालय नेटवर्क की एक व्यापक नई योजना है जिसमें उपग्रही संचार टेक्नालाजी का प्रयोग किया जाता है ।

2.04 अंतर-विश्वविद्यालय संकाय, इंदौर

परमाणु ऊर्जा विभाग की सुविधाओं के लिए अंतर-विश्वविद्यालय संकाय की स्थापना 1989 में की गई थी । इसका उद्देश्य विश्वविद्यालय तथा परमाणु ऊर्जा विभाग के कार्मिकों के बीच अंतः क्रिया को बढ़ावा देना है । परमाणु ऊर्जा विभाग ने ट्रांबे में

ध्रुवरिऐक्टर तथा कलकत्ता में परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रान जैसी महत्वपूर्ण सुविधाएं स्थापित की है । उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र में सिंक्रोट्रान विकिरण स्रोत की स्थापना की जा रही है । अंतर-विश्वविद्यालय संकाय -- परमाणु ऊर्जा विभाग सुविधाओं का उद्देश्य विश्वविद्यालय के स्कालरों द्वारा इन सुविधाओं का प्रयोग किए जाने को बढ़ावा देना है । अंतर-विश्वधिालय संकाय-परमाणु ऊर्जा विभाग सुविधाओं से यह आशा भी की जाती है कि उनके द्वारा विभिन्न वैज्ञानिक संस्थाओं के कार्मिकों के हितलाभ के लिए वर्तमान उच्च विषयों पर कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा ।

अंतर-विश्वविद्यालय संकाय -- परमाणु ऊर्जा विभाग सुविधाओं का पंजीकरण एक स्वायत्त सोसायटी के रूप में 1973 के मध्यप्रदेश सोसायटी पंजीकरण अधिनियम संख्या 44 के अधीन किया गया था । इसने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से अधिगृहीत इमारत के एक हिस्से में काम करना शुरू कर दिया है ।

इस संकाय द्वारा निम्नलिखित प्रमुख मदें प्राप्त की गई :-

(1) दो विंडों सहित रिगाकू, जापान से एक घूर्णी ऐनोड एक्सरे जनित्र (12 कि. वा.) । इसकी एक विंडो पर एक "एकसाफ्स" उपस्कर लगाए जाएंगें ।

(2) यू पी एस, एक्स पी एस तथा आगर स्पैक्ट्रम-विज्ञान के लिए बी एस डब्लू, यू. के. से इ एस सी ए उपस्कर ।

इसके अतिरिक्त, फोटो ईलेक्ट्रान स्पेक्ट्रोमीटर के संविरचन के लिए बल्जेर्स से एक टर्बो-मालेक्यूलर पंप एसेंबली और वी एस डब्लू से यू एच वी निर्वात चैम्बर फ्लेंज और पारभरण प्राप्त किए गए है ।

द्रुतशीतित जल संयंत्र तथा सर्वो नियंत्रित वोल्टेज स्थायीकारियों जैसी आधार-संरचनात्मक सुविधाओं के तैयार होते ही इस उपस्कर को चालू कर दिया जाएगा ।

रैखिक प्रकार के एक पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत प्रयोगशाला ई एक्स ए एफ एस स्पेक्ट्रोमीटर का सफल विकास एवं निर्माण कर लिया गया है । इसमें बंकित भू-फोकसन का इस्तेमाल किया जाता है और जोहानसन प्रणाली में क्रिस्टलों का विश्लेषण किया जाता है । स्पेक्ट्रोमीटर में रैखिक प्रकाशीय एन्कोडरों का प्रयोग किया जाता है और इसे 5 माइक्रोन की संक्रमण शुद्धियों के लिए सौफ्टवेयर से चालित किया जाता है । कुक में

8 ev का वियोजन उपलब्ध कर लिया गया है । इसे आई यू सी प्रयोगशलाओं में संस्थापित किया जाएगा ।

आई यू सी के लिए डा. पिंपले (आई यू सी) डा. चौधरी, पुणे तथा डा. सप्रे नागपुर विश्वविद्यालय द्वारा एक फोटो इलेक्ट्रान स्पेक्ट्रोमीटर का विकास किया जा रहा है घूर्णी ऐनोड सोफ्ट एक्सरे का डिज़ान भी प्रो. वी. जी. भिड़े तथा उनके सहयोगियों द्वारा पूरा कर दिया गया है ।

वी ई सी सी, कलकत्ता में 24-26 जुलाई, 1990 तक परियोजना लीडरों की एक कार्यशाला आयोजित की गई । इस कार्यशाला में विभिन्न विश्वविद्यालयों, परमाणु ऊर्जा विभाग, टीआई एफ आर आदि के पचास व्यक्तियों ने भाग लिया । तीस परियोजना लीडरों ने अपनी अनुसंधान परियोजनाएं प्रस्तुत कीं जिन पर विस्तार से चर्चा की गई । संबधित क्षेत्रों में वर्तमान अध्ययनों की समीक्षा करने तथा ऐसे अनुसंधान कार्यक्रम तैयार करने के लिए निम्नलिखित छह ग्रुप गठित किए गए जिनमें एक सहयोगी ढंग से अनेक अनुसंधान कार्यकर्त्ता भाग ले सकें ।

1. पूर्व-साम्यावस्था परिघटना
2. आवेशित कण अभिक्रिया
3. उच्च प्रचक्रण न्यूक्लीय संरचना गामा किरण स्पेक्ट्रम विज्ञान
4. विखंडन भौतिकी
5. सामग्री विज्ञान
6. न्यूक्लीय रसायन

इनमें से कुछ ग्रुपों ने बैठकें की है और अपनी रिपोर्टे प्रस्तुत की है । लक्ष्य, संसूचक तथा इलैकट्रानिकी प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है ।

दो बीम लाइनों (एक एक्सरे तथा यूवी फोटो इलेक्ट्रान स्पेक्ट्रम विज्ञान के लिए और दूसरी अल्पवेधी एक्सरे अवशोषण अध्ययनों के लिए) पर चर्चा करने, उनका मूल्यांकन करने तथा उनको अंतिम रूप देने के लिए इंदौर में 26-27 जून, 1990 को

दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई । इस कार्यशाला का उद्‌घाटन प्रो. यशपाल ने किया और इसमें भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, उच्च प्रोद्योगिकी केंद्र तथा भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान तथा विभिन्न विश्वविद्यालयों के व्यक्तियों ने भाग लिया । आई यू सी के समाचार-पत्र "सहयोग" के दिसंबर, 1990 के अंक में दो बीम लाइनों का प्रकाशीय विन्यास दिया गया है और उसका निरूपण किया गया है ।

ध्रुव पर आई यू सी परियोजनाओं पर चर्चा करने के लिए तथा इन परियोजनाओं के लिए धन की व्यवस्था करने के संबंध में कार्यविधि तैयार करने के लिए 29 अक्तूबर 1990 को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में परियोजना लीडरों की एक बैठक आयोजित की गई । प्रत्येक परियोजना को प्रस्तुत किया गया और उस पर चर्चा की गई तथा 13 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया ।

एक 200 केवीए ट्रांसफार्मर लगा दिया गया है और उसे चालू कर दिया गया है ताकि उपकरणों के लिए उचित सप्लाई वोल्टेज तथा बिजली उपलब्ध हो सके । स्पाइक मुक्त सर्वोनियंत्रित तीन फेजी वोल्टता स्थायीकारी लगा दिए गए हैं ।

घूर्णी ऐनोड एक्सेर जनित्र तथा ई एस सी ए उपस्करों के लिए 5 टन की द्रुतशीतित जल यूनिट खरीद ली गई है ।

आंकड़ा विश्लेषण, आकंड़ा अर्जन तथा कार्यालय स्वचालन के लिए चार कम्प्यूटर खरीद लिए गए है और उन्हें चालू कर दिया गया है ।

2.05 क्रिस्टल वृद्धि केंद्र, अन्ना विश्वविद्यालय, मद्रास

क्रिस्टल वृद्धि केंद्र ने क्रिस्टल वृद्धि के विभिन्न विषयों में व्यापक अनुसंधान किया है और इन पर अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं 14 मूल शोध लेख प्रकाशित किए है तथा राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में 37 लेख पढ़े हैं । आलोच्य वर्ष के दौरान पी. एच. डी. के पांच शोध प्रबंध पूरे किए गए है । औद्योगिक तथा प्रौद्योगिकीय दृष्टि से महत्वपूर्ण क्रिस्टलों यथा - जी ए एस, आई एन पी की वृद्धि की गई है । III-V यौगिकों के 2" व्यास और 3" लम्बे एकल क्रिस्टलों की भी वृद्धि की गई । भारत आठवां देश है जिसने यह क्षमता प्राप्त कर ली है । आयातित अभिकर्षक के लिए देश में ही समस्त सहायक प्रणाली का डिज़ाइन तैयार और उसका निर्माण कर लिया गया है । सम्पूर्ण देश से आए 31 आगंतुकों ने इस केंद्र का दौरा किया और उन्होंने क्रिस्टल वृद्धि के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त किया ।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने "अर्धचालक सामग्री के अधिरोहण पर जोर देते हुए प्रकाशजनक युक्तियों के लिए सुविधा विकास" तथा प्रकाश इलेक्ट्रानिक तथा लेसर क्रिस्टल के विकास और उच्च प्रौद्योगिकी के लिए अभिलक्षण" पर दो परियोजनाओं को मंजूरी दी है आर उनके लिए क्रमशः रु. 17 लाख तथा 5 लाख की वित्तीय सहायता दी है ।

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार ने "प्रकाशीय गुणता वाले बृहदाकर यूरिया क्रिस्टलों की वृद्धि तथा अभिलक्षण" पर एक अनुसंधान परियोजना मंजूर की है और रू. 3.56 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की है ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने "क्रिस्टल वृद्धि केंद्र : यू जी सी -- अन्ना विश्वविद्यालय सुविधा" के कार्यकलापों के लिए रु. 150 लाख अनुमोदित किए है । मई 17-18, 1990 के दौरान क्रिस्टल वृद्धि केंद्र, अन्ना विश्वविद्यालय ने उच्च-प्रौद्योगिकी अतिचालकों की क्रिस्टल वृद्धि पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की । इस संगोष्ठी में सम्पूर्ण देश के लगभग 60 व्यक्तियों ने भाग लिया । 25 अनुसंधान लेख प्रस्तुत किए गए । इस संगोष्ठी में मुख्यत : अतिचालन सामग्री की वृद्धि तथा उच्च प्रौद्यो. एकल क्रिस्टलों के भौतिक गुणों के अन्वेषण पर विचार किया गया ।

क्रिस्टल वृद्धि केंद्र के एक अनुसंधान छात्र ने जून 18-20, 1990 कें दौरान लीध विश्वविद्यालय, यू. एस. ए. में आयोजित "64वीं कोलाइड तथा पृष्ठीय विज्ञान परिचर्चा" में भाग लिया और एक शोध लेख प्रस्तुत किया । उसने जुलाई 15-20, 1990 के दौरान वेल, यू. एस. ए. में आयोजित "क्रिस्टल वृद्धि पर VIII वे अमरीकी सम्मेलन" में भी भाग लिया ।

अर्ध-चालक भौतिकी संस्थान, यू० एस० एस० आर० के विज्ञान अकादमी में तनु फिल्म विकास संबंधी वैज्ञानिक परिषद के अध्यक्ष भौतिकी तथा गणित के डाक्टर प्रो. सी. एन. अलेक्जेड्रोव, नोवोसिविर्क्स (यू एस एस आर), डा० राजेंद्रन, मोबील सोलर , यू० एस० ए०, प्रो. उस्मान ए० शिर्नशिन एन एस एफ, यू एस ए तथा अन्य विशिष्ट विदेशी आगंतुकों ने इस केंद्र का दौरा किया ।

23-24 अगस्त, 1990 के दौरान इंडियन फिजीकल सोसायटी, कलकत्ता दूवारा आयोजित युवा भौतिक विज्ञानियों के लिए परिसंवाद अपना योगदान प्रस्तुत करने के लिए इस केंद्र के तीन अनुसंधानकर्ताओं को आमंत्रित किया गया । इस वार्षिक कार्यक्रम के शुरू किए जाने के वर्ष से लेकर साल-दर-साल इस वार्षिक राष्ट्रीय कार्यक्रम में सहभगिता के संबंध में इस केंद्र का विशिष्ट स्थान है ।

क्रिस्टल वृद्धि केंद्र के अनुसंधानकर्ताओं ने राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, नई दिल्ली घन अवस्था भौतिकी प्रयोगशाला, नई दिल्ली, टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान, बंबई, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, बंबई, साहा न्यूक्लीय भौतिकी संस्थान् कलकत्ता और सी ई सी आर आई, करैकुडी, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम जैसी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के क्रिस्टल वृद्धि केंद्र के अनुसंधानकर्ताओं ने क्रिस्टलों के विषय में क्षेत्रीय कार्य तथा अभिलक्षणन के संबंध में इस क्रिस्टल वृद्धि केंद्र का दौरा किया हैं ।

2.06 पश्चिमी क्षेत्रीय यंत्रीकरण केंद्र, बम्बई

वर्ष 1989 के दौरान आयोग ने यह निर्णय लिया कि बंबई विश्वविद्यालय स्थित विद्यामान पश्चिमी क्षेत्रीय यंत्रीकरण केंद्र का दर्जा बढ़ाकर "यंत्रीकरण में अंतर-विश्वविद्यालय केंद्र" कर दिया जाए ।

यह केंद्र विश्वविद्यालय विज्ञान यंत्रीकरण केंद्रों के स्टाफ के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करेगा तथा शिक्षण और अनुसंधान के लिए अपेक्षित यंत्रों का विकास करेगा । इस केंद्र की यह खास जिम्मेदारी होगी कि वह अनुसंधान तथा विकास शिक्षण के लिए यंत्रों का विकास करेगा और विश्वविद्यालयों के समुचित नेटवर्क के माध्यम से विश्वविद्यालय क्षेत्रक में सभी स्तरों पर जनशक्ति के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगा तथा अन्य राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और यंत्र-उद्‌योगों के साथ सहयोग करेगा । यह केंद्र विश्वविद्यालय क्षेत्रक में एक नोडल संस्था के रूप में कार्य करेगा जिसका उद्देश्य विश्वविद्यालयों और राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं तथा उद्योगों के बीच आवश्यक संपर्क स्थापित करना होगा ताकि विश्वविद्यालयों के यंत्रीकरण के स्तर को सुधारने के लिए यंत्रीकरण विशेषज्ञों का समागम किया जा सके यह केंद्र विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय प्रयोगशालोओं तथा उपयोगों के बीच सहयोग की एक उपयुक्त प्रक्रिया उपलब्ध कराएगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि केंद्र पर यंत्रों के अनुसंधान, डिज़ाइन तथा विकास के परिणामस्वरूप उनके उत्पादन में शीघ्रता लाई जा सके ।

प्रस्तावित केंद्र के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे :

I. यंत्रों के उचित प्रयोग तथा अनुरक्षण के लिए यू एस आई सी स्टाप तथा छात्रों का प्रशिक्षण ।

II. छात्रों तथा यू एस आई सी वरिष्ठ स्टाफ के लिए स्नातकोत्तर तथा डाक्टरेट के स्तर पर यंत्रों का प्रशिक्षण ।

III. विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं तथा उद्योगों के शिक्षकों, अनुसंधान कार्यकर्ताओं के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों, कार्यशालाओं, संगोष्ठियों आदि जैसे उच्च अध्ययन कार्यक्रमों को संचालित करना ।

IV. विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में शिक्षण और अनुसंधान से प्रत्यक्ष संबध रखने वाले वैज्ञानिक उपकरणों का विकास और उत्पादन के लिए उद्योग को उपलब्ध तकनीक का प्रसार ।

V. विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं तथा उपयोगों के बीच सहयोगी साधनों का प्रयोग करते हुए उच्च प्रौद्योगिकी पर आधारित वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए अधुनातन उत्पादन-योग्य यंत्रों का विकास ।

VI. विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकीय मिशनों की सहायता के लिए अपेक्षित यंत्रों का विकास ।

परियोजना रिपोर्ट तथा प्रस्तावित केंद्र के बहिर्नियमों को भारत सरकार ने अनुमोदन प्रदान कर दिया है । अभी बंबई विश्वविद्यालय के साथ प्रक्रियो को अंतिम रूप दिया जाना हैं ।

2.07 शैक्षिक संचार के लिए अंतर-विश्वविद्यालय संकाय

(न्यूक्लीय विज्ञान केंद्र का एक परियोजना प्रकार)

संचार एक अत्यंत महत्वपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया है । व्यापक क्षेत्रों तथा प्रदेशों में सचार प्रौद्योगिकी के विस्तार के साथ-साथ, जनसंपर्क का महत्व उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है । यदि संचार प्रक्रियाओं का कारगर ढंग से संभाला जाए तो अविकसित, अल्पविकसित तथा विकासशील क्षेत्रों एवं समुदायों में आधुनिकीकरण तथा विकास की चुनोतियों का सामना किया जा सकता है । अनौपचारिक तथा सामाजिक शिक्षा, मुक्त एवं दूरवर्ती शिक्षा समेत शिक्षा के सभी स्तरों पर जन-संपर्क की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है । जन-संपर्क माध्यम से कृषि, उपयोग तथा स्वास्थ्य आर उद्यमों का व्यापक क्षेत्र लाभन्वित होता है । यही बात महिलाओं तथा बच्चों पर लागू होती है जिन तक औपचारिक शैक्षिक संस्थाओं के माध्यम के अपेक्षाकृत रेडियों तथा टी वी के जरिए अपनी बात सरलता से पहुँचाई जा सकती है । आवश्यक साक्षरता के अभाव में टी वी जैसे दूरवर्ती माध्यम से आवश्यक अनौपचारिक आगतों के साथ दूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों से संपर्क किया जा सकता

है । शहरी तथा देहाती -- सभी दर्शकों के लिए शिक्षा की गुणवत्ता समान होगी । इस मीडिया का उपयोग जितने अधिक दर्शक करेंगे उतनी ही प्रति शिक्षार्थी लागत कम होगी ।

राष्ट्रीय ज़रूरतों के अनुक्रियास्वरूप विकासमान सूचना प्रणाली की दृष्टि से संचार प्रोद्यूोगिकी उत्तरोत्तर शक्तिशाली बनती जा रही है । संपर्क कार्यकलाप विविध तथा विभिन्न प्रकार के बन गए है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग शीघ्र ही इस बात को समझ गया कि छात्रों तथा भारत के नागरिकों को उच्च कोटि की शैक्षिक सामग्री उपलब्ध करने में राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली का शक्तिशाली प्रयोग किया जा सकता है । इसलिए, जैसे ही यह स्पष्ट हो गया कि देश में 'इन्सेट प्रणाली' चालू करने की योजना बनाई जा रही है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस बात को सुनिश्चित करने की पहल की कि इस प्रणाली में उच्च शिक्षा के लिए कुछ समय उपलब्ध कराया जाए और उसने इस 'स्लाट' की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए शैक्षिकी टीवी कार्यक्रम तैयार करे हेतु एक आधार-संरचना सृजित करने के लिए कदम उठाए ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दूवारा किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय नेट वर्क पर उच्च शिक्षा कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए एक सप्ताह में छह दिन के लिए एक-एक घंटे के दो 'स्लाट' निर्धारित किए गए । "देश व्यापी कक्षा कार्यक्रम" 15 अगस्त 1984 को शुरू हुआ था ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दूरदर्शन कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित आधार संरचना को निर्धारित करने के हेतु एक कृतिक बल का गठन किया । कृतिक बल ने विश्वविद्यालय में शैक्षिक माध्यम अनुसंधान केंद्र तथा दृश्य-श्रव्य अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जाने की सिफारिश की । कृतिक बल ने यह सिफ़ारिश भी की कि इस कार्य के समन्वय कार्य के लिए एक राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किया जाए शैक्षिक माध्यम अनुसंधान केन्द्रों के समन्वय तथा 'दूरदर्शन' के साथ संपर्क बनाए रखने के लिए वि. अ. आ. में एक 'इन्सेट सेल' स्थापित किया गया ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने चार शैक्षिक माध्यम अनुसंधान केंद्र तथा तीन दृश्य-श्रव्य अनुसंधान केंद्र स्थापित करने का कार्य शुरू किया । यह आधार-संरचना वस्तुतः सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी अतः कुछ कार्यक्रम आयात करने पड़े । बहरहाल, आधार-संरचना को शुरू में कम से कम इसलिए रखना पड़ा ताकि इस प्रणाली को अनुभव प्राप्त किया जा सके । यह आधार संरचना शंनैः शनैः अस्तित्व में आने लगी और चालू हो गई । इस प्रणाली में विशेषज्ञा और सुविधाओं में वृद्धि तथा

सुधरे हुए प्रबंध के परिणाम-स्वरूप प्रसारण संबंधी अपेक्षाओं के लिए अधिक से अधिक स्वदेशी योगदान किया गया । फलस्वरूप आयातित कार्यक्रमों में कमी हो गई ।

जैसे-जैसे अनुभव प्राप्त होता गया कुछ और दृश्य-श्रव्य अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए और आजकल "देशव्यापी कक्षा" प्रणाली में चार शैक्षिक माध्यम अनुसंधान केंद्र तथा दस दृश्य-श्रव्य अनुसंधान कार्य कर रहे है ।

"देशव्यापी कक्षा" का कार्यक्रम गत वर्षा के दौरान काफी कारगर सिद्ध हुआ है । इस कार्यक्रम ने न केवल प्रसारण संबधी आवश्यकताएं पूरी की हैं बल्कि गुणवत्ता सुधार की दिशा में भी निश्चित रचनात्मकता प्रदर्शित की है । प्रतिपुष्टि से संकेत मिलता है कि प्रसारण से समाज के सभी वर्गों को बहुविषयक शैक्षिक सूचना पहूँचाने का प्रयोजन सिद्ध हुआ है ।

शैक्षिक माध्यम अनुसंधान केंद्र तथा दृश्य-श्रव्य अनुसंधान केंद्र अन्य कुछ एजेंसियों के सहयोग से वर्तमान संचार आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए अपने ही ढंग से कार्य कर रहे है । 'इन्सेट सैल' दूरदर्शन के साथ शैक्षिक माध्यम अनुसंधान केंद्रों तथा दृश्य-श्रव्य अनुसंधान केंद्रों की गतिविधियों का समन्वय करने में एक प्रमुख भूमिका अदा कर रहा है । अनेक विश्वविद्यालयों में संचार विभाग पूर्वस्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर पर संचार में शिक्षा प्रदान कर रहे हैं । इन प्रयासों मे समन्वय और सुधार किए जाने की आवश्यकता है ताकि कार्य की पुनरावृत्ति न हो । यदि एक अंतर-विश्वविद्यालय संकाय सृजित किया जाता है तो संचार के विभिन्न विभागों, शैक्षिक माध्यम अनुसंधान केंद्रों तथा दश्य-श्रव्य अनुसंधान केंद्रों के कार्यकलापों को मजबूत बनाया जा सकता है ।

शैक्षिक संचार के अंतर-विश्वविद्यालय संकाय दृश्य-श्रव्य संवर्धन का विकास करते हुए तथा शिक्षा के प्रसार में संचार-प्रौद्योगिकी को नवीन रूप देते हुए देश में शिक्षा की मीडिया संबंधी जरूरतों को पूरा करेगा ।

2.08 एम एस टी रडार केंद्र – श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय

आयोग ने श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय के परिसर में एक केंद्र की स्थापना की है । इसका नाम 'एम एस टी रडार केंद्र है । मध्य मंडल, समताप मंडल तथा क्षोभ मंडल (एम एस टी) रडार प्रणाली तिरूपति के निकट लगाई जा रही हैं ।

यह एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुविधा है जो डी ओ एस, डी एस टी तथा दूसरों के द्वारा स्थापित की जा रही है । एस. वी. यूनिवर्सिटी एक ऐसा विश्वविद्यालय है जो एम

एस टी रडार सुविधा के सबसे निकट है और यह वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए सर्वथा उपयुक्त है । इसका लाभ उठाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह निर्णय लिया कि एस. वी. यूनिवर्सिटी में एक एम एस टी रडार केंद्र की स्थापना की जाए ताकि उसकी सुविधाओं का उपयोग किया जा सके । आयोग ने शुरू में इसका कार्यभार पांच वर्ष के लिए संभाला । एस. वी. विश्वविद्यालय के साथ एक 'एमओयू' पर हस्ताक्षर किए गए है । इस केंद्र के उद्देश्य इस प्रकार हैं :-

1. इस केंद्र की सेवाओं का लाभ विशेषतः एम एस टी रडार से संबद्ध विषय के संदर्भ में वायुमंडलीय विज्ञानों के क्षेत्र में काम करने वाले भारतीय विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिक तथा अनुसंधानकर्ता उठाएंगें ।

2. यह केंद्र अुनसंधान के लिए आवश्यक सुविधाएं तथा आधारभूत अभिकली सहायता उपलब्ध कराएगा ।

3. यह केंद्र वायुमंडलीय तथा भू-विज्ञानों के क्षेत्र में दौराओं के आदान-प्रदान के लिए एक मंच उपलब्ध कराएगा ताकि भारतीय वायुमंडलीय विज्ञान समुदाय ऐसे सहयोग से लाभ उठा सकें ।

4. यह केंद्र महत्वपूर्ण क्षेत्र के चुनौतीपूर्ण अनेक कार्या में स्नातकोत्तर अध्ययन तथा अनुसंधान अध्येताओं के प्रशिक्षण में सहायता प्रदान करेगा ।

5. यह केंद्र वायुमंडलीय गतिकी के क्षेत्र में एम एस टी रडार तथा अन्य यंत्रीकरण सुविधाओं का उपयोग करते हुए, प्रायोगिक कार्यक्रम का समन्वय करने में मदद करेगा ।

6. यह केंद्र, व्यापक राष्ट्रीय आंकड़े एकत्र करेगा । यह केंद्र भारतीय अक्षांशों पर मध्यवर्ती वायुमंडल के लिए माडल तैयार करने तथा उनकों अद्यतन करने में सहायता प्रदान करेगा ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आवर्ती व्यय के लिए आधार-संरचना हेतु तथा केंद्र के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अभ्यागत कार्यक्रमों के लिए धनराशि की व्यवस्था करेगा ।

2.09 विज्ञान सूचना केंद्र, भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर

यह केंद्र भौतिकी, जीव-विज्ञानों, रसायन, गणित, मृदा-विज्ञानों तथा इंजीनियरी

जैसी विधाओं में प्रामाणिक एवं अद्यतन सार सेवाएं प्रदान करता रहा है ।

यह केंद्र उपयोक्ताओं को उनके अनुरोध पर सामयिक लेखों की पूरी फोटो प्रतियों प्रदान करता है और सूचना सेवाओं के इष्टतम उपयोग के लिए आवश्यकतानुसार पृच्छाएं तैयार करने में उनको शिक्षित करता है । कम्प्यूटरीकृत प्रबंध प्रणाली जर्नल अधिप्राप्ति, अनुवर्ती कार्रवाई नवीकरण, केंद्र में प्राप्त जर्नलों के लिए पावती आदि की प्रक्रिया को सरल एवं कारगर बनाती है ।

यह केंद्र कम्प्यूटरों तथा सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों की पर्याप्त जानकारी प्रदान करने के लिए एक वर्ष का प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाता है ।

2.10 मानविकी तथा सामाजिकी विज्ञानों में सूचना केंद्र, एम. एस. विश्वविद्यालय, बड़ौदा तथा एस एन डी टी वीमेंस यूनिवर्सिटी, बंबई

आयोग ने मानविकी तथा सामजिक विषयों में दो सूचना केंद्रों की स्थापना की है -- एक एस एन डी टी वीमेंस यूनिवर्सिटी बंबई में तथा दूसरा एम. एस. यूनीवर्सिटी बड़ौदा में। एस एन डी टी केंद्र में समाज-शास्त्र, गुजराती, महिला अध्ययनों, गृह-विज्ञान, पुस्तकालय विज्ञान तथा विशेष शिक्षा जैसी विधाएं हैं और एम एस यूनिवर्सिटी, बड़ौदा स्थित केंद्र में अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, शिक्षा तथा मनोविज्ञान ।

ये केंद्र शिक्षकों तथा छात्रों को तत्परता के साथ सामयिक जानकारी/सूचना सेवाएं, संदर्भ सेवाएं तथा सूचना, प्रदान करते रहे हैं । साथ ही वे संबधित विधाओं में संदर्भ ग्रंथसूची संबधी सहायता तथा अद्यतन प्रलेखन उपलब्ध कराते रहे है ।

विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों में उपलब्ध संसाधनों का इष्टतम उपयोग किया जा रहा है और इन केंद्रों में भारत तथा विदेशी सैकड़ों पत्रिकाओं के विश्लेषण द्वारा तैयार अभिकलनी आंकड़ा बेस संबधी सेवाओं का विकास किया जा रहा है ।

2.11 सूचना तथा पुस्तकालय नेटवर्क (इनफ्लिबनेट)

जनसाधारण में सूचना का कारगर प्रसार किसी राष्ट्र के विकास में एक महत्वपूर्ण बात है । पुस्तकालय तथा सूचना केंद्र पारंपरिक है लेकिन वे ज्ञान के विशाल भंडार हैं । 'इनफ्लिबनेट' इस ज्ञान का उपयोग करने की प्रक्रिया उपलब्ध कराता है और उसके लिए वह देश में नेटवर्क पुस्तकालयों के लिए कम्प्यूटरों तथा संचार की उपयुक्त सूचना टेक्नालाजी का प्रयोग करता है ताकि साहित्य संसाधनों का इष्टतम उपयोग किया जा सके और यथासंभव पुनरावृत्ति से बचा जा सके ।

गत वर्ष यह सूचित किया गया था कि आयोग ने 'इनूफि़्लबनेट' का परिष्कृत ब्यौरा तैयार करने हेतु अपने द्वारा गठित छह कृतिक समूहों की रिपोर्ट प्राप्त कर ली है ताकि कार्यक्रम के कार्यान्वयन में राष्ट्रीय 'इनूफि़लबूनेट' केंद्र की सहायता की जा सके ।

समिति उपलब्ध संसाधनों पर विचार करते हुए 'इनूफि़लबूनेट' कार्यक्रम शुरू करने के लिए एक संशोशिधत योजना तैयार की गई है जिस पर आठवीं योजना के दौरान चार वर्षो के दौरान रू. 25 करोड़ का प्रारंभिक निवेश किया जाएगा । लागत में यह कमी नेटवर्क में नोडों की संख्या कम करके हासिल की गई है । 'इनूफि़लबूनेट' का मूल उद्देश्य एक कारगर सूचना अंतरण प्रणाली तैयार करना है । इस योजना में सूचनासमृद्ध संस्थाओं से सूचना शून्य संस्थाओं के लिय सूचना प्रवाह में सुधार करने पर जोर दिया गया है । इन संस्थाओं का सूचना शून्य होने का कारण उनकी प्रतिकूल भौगोलिक स्थिति और/ या संसाधनों का अभाव हैं ।

यह योजना तैयार की गई है कि 45 विश्वविद्यालय पुस्तकालयों का पता लगाया जाए और उनको आधुनिक बनाया जाए, 10 प्रलेख संसाधन केंद्रों तथा 5 अनुसंधान एवं विकास/क्षेत्रक सूचना केंद्रों को सहायता प्रदान की जाए । इन केंद्रों को सहयता प्रदान की जाए । इन नोडों तथा पहले से चालू यू० जी० सी० राष्ट्रीय सूचना केंद्रों को एक उपग्रह से जोड़ा जाएगा । दूरवर्ती क्षेत्रों के उन पुस्तकालयों पर जोर दिया जाएगा जिनके पास पुस्तकों एवं संसाधनों का अभाव है । इससे कुछ वंचित पुस्तकालयों को देश में विशाल पुस्तकालय बनने का अवसर प्राप्त होगा जिसके परिणामस्वरूप समानता आएगी ।

'इनूफि़लबूनेट' के उद्देश्य इस प्रकार हैं :-

I संचार सुविधाओं का संवर्धन करना तथा उनकी स्थापना करना ताकि सूचना अंतरण की क्षमता में सुधार हो सके जिससे संबधित ऐजेंसियों के सहयोग तथा सहभागिता से विद्धत्ता, अधिगम, अनुसंधान तथा शैक्षिक कार्यो में मदद मिलती है ।

II विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय मान ली गई संस्थाओं, राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं, वि० आ० आ० के सूचना केंद्रों, अनुसंधान तथा विकास संस्थाओं और कालेजों में पुस्तकालयों तथा सूचना केंद्रों का संपर्क जोड़ने के लिए सूचना तथा पुस्तकालय नेटवर्क 'इनफि़लबूनेट' -- एक कम्प्यूटर संचार नेटवर्क स्थापित करना ।

III इलैक्ट्रनिक मेल, फाइल हस्तांतरण, कम्प्यूटर/ओडियों/वीडियों सम्मेलन क्रिया के जरिए वैज्ञानिकों, इंजीनियरों , अनुसंधानकर्ताओं, सामाजिक वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों संकायों तथा छात्रों में वैज्ञानिक संचार को सुकर बनना ।

IV विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर के विश्वविद्यालयों को "देशव्यापी कक्षा" के कार्यान्वयन तथा विस्तार के लिए आवययक सलाह, परामर्श तथा सेवाएं प्रदान करना ।

V कुशल नेटवर्क स्थापित करने के लिए संचार, कम्प्यूटर नेट वर्किंग, सूचना व्यवस्था तथा आंकड़ा प्रबंध के क्षेत्र में प्रणाली डिज़ाइन तथा अध्ययन करना ताकि बढ़ती हुई आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उसका उन्नयन करना ।

VI 'नेट वर्क' के लिए उपयुक्त नेटवर्क नियंत्रण तथा परिवीक्षण प्रणाली स्थापित करना तथा अनुरक्षण की व्यवस्था करना ।

प्रारंभिक योजना में प्रस्तुत की गई 'इन्फ्लिबनेट' परियोजना के कार्यान्वयन देश मे सूचना अंतरण वातावरण को जीवंत बनाए रखने के लिए सफलता पूर्वक चलता रहेगा और उसमें सथासंभव कम से कम निवेश किया जाएगा । चार वर्ष की अवधि के अंत में, जैसाकि मूल योजना में प्रस्ताव किया गया है, उसके सभी मूल अवयवों के साथ-साथ 'हब अर्थ स्टेशन' सहति 60 नोडों एक नेटवर्क स्थापित किया जाएगा । चूँकि प्रकल्पित स्कीम का स्वरूप माडुलर है अतः यह संभव होगा कि 9वीं योजना अविध के दौरान इस नेटवर्क की क्षमता इतनी बढ़ जाए ताकि सम्पूर्ण देश लाभान्वित हो सके । प्रारंभिक चरणों में तैयार की गई परियोजना के केंद्र की देखभाल अंतर-विश्वविद्यालय खगोल विज्ञान एवं तारा-भोतिकी कंद्र कर रहा है और इस केंद्र के लिए एक निदेश की नियुक्ति कर दी गई है ।

खंड - 3

उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्र और अनुसंधान तथा विकास के प्रयास

3.01 अतिचालकता कार्यक्रम

1987 से उच्च तापमान (77 के) पर कुछ आक्साइडों में अतिचालकता का पता लगने के परिणामस्वरूप अनवेषण के क्षेत्र में अतिचालकों के अनेक अनुप्रयोग होने लगे हैं क्योकि पर्याप्त मात्रा में और साथ ही सस्ते में उपलब्ध प्रशीतलक द्रव नाइट्रोजन की सहायता से अतिचालन अवस्था आसानी से प्राप्त की जा सकती है । अभी तक खोजे गए सभी उच्च ताप अतिचालक (एच टी एस सी) सिरेमिक आक्साइड के उच्च ताप सिन्टरन से तैयार किए गए सिरेमिक पदार्थ है और इसलिए वे अनेक दृष्टि से पारंपरिक धातु/मिश्रातु निम्न-तापमान अतिचालकों (एल टी एस सी) से भिन्न होते है । इसके परिणामस्वरूप तारों, टेपों या रिबनों जैसे प्रौद्योगिकी की दृष्टि में उपयोगी आकार-प्रकारों मे एच टी एस सी के विरचन, क्रांतिक अतिचालन प्राचलों पर उनकी कण-प्रकृति के प्रभाव और उनके परिवेशी विकोटिकरण ने बड़े पैमाने पर किए जाने वाले अनुप्रयोग के लिए बिल्कुल ही नए क्षेत्र खोल दिए है ।

क्रांतिक तापमान (Tc) और क्रांतिक चुबकीय क्षेत्र (He) के अतिरिक्त, जोकि अतिचालकों के तेल अभिलक्षण है, अतिचालन अवस्था भी नर्ष्ट हो जाती है बशर्ते पदार्थ का वर्तमान घनत्व क्रांतिक मान से, जिसे क्रांतिक वर्तमान घनत्व (Jc) कहा जाता है, अधिक होता है । इस प्रकार क्षेत्र और वर्तमान घनत्व दोनों मिलकर यह निर्धारित करते है कि कोई पदार्थ अतिचालन बना रहेगा अथवा नहीं । अतिचालन असवस्था नीचे चली जाती है और त्रिविम क्रांतिक पृष्ठ पर, जोकि प्रत्येक अतिचालक के लिए एकल होती है, विलुप्त हो जाती है । क्रांतिक ताप और क्रांतिक चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत, आतिचालक के क्रांतिक वर्तमान घनत्व को धातुकर्मी संसाधन द्वारा तथा इसमे दोषों को लागू करके नियंतित्रत किया जा सकता है । नए उच्च ताप अतिचालक में उच्च क्रांतिक तापमान और क्रांतिक चुबकीय क्षेत्र होता है पर क्रंतिक वर्तमान घनत्व संसाधन और विरचन अवस्थाओं पर बहुत कुछ निर्भर करता है । इस तरह, किसी अतिचालक के गुणता का निर्धारण इस आधार पर किया जाता है कि क्रांतिक तापमान कितना अधिक है । तापमान जितना अधिक होगा, अतिचालकता की गुणता उतनी ही अधिक होती है ।

उपर्युक्त अधिसंख्या अनुप्रयोगों की अतिचालन युक्तियों का या तो इस्तेमाल किया जा रहा है, या वे नए सिरेमिक एच टी एस सी का अविष्कार होने से पहले की एल टी एस सी युक्तियों के रूप में विकास के उन्नत चरणों मे हैं । पर, उन विशेष क्षेत्रों को छोड़कर, जहां लागत कोई रूकावट नहीं पैदा करती, द्रव. हिलियम प्रशीतलक का प्रयोग सदा ही एक रूकावट का काम करता है । भविष्य में एच टी एस एस की मितव्ययिता और सुविधा की दृष्टि से एस सी युक्तियों का प्रयोग बड़े पैमाने पर होने लगेगा । अधिसंख्या प्रोद्योगिकीविद् इस बात से सहमत है कि यदि सिरेमिक लगभग कक्ष-तापमान पर हो तो इससे समाज को व्यापक लाभ होगा और साथ ही आधुनिक प्रौद्योगिकी में एक क्रांति आ जाएगी । व्यावहारिक एस सी युक्तियों में प्रयोगार्थ व्यापक रूप में स्वीकार किए जाने से पहले वर्तमान एच टी एस सी को कुछ तकनीकी रूकावटों का सामना करना पड़ रहा है ।

एच टी एस सी के तनु फिल्म विकास के संबंध में गहन अनुसंधान तथा विकास प्रयासों के परिणाम स्वरूप निम्न क्रांतिक वर्तमान घनत्व या अवस्तर अन्योन्यक्रिया जैसी तनुफिल्म संबंधी समस्याओं का सामधान या तो कर दिया है या किया जाने वाला हे । जैसे -जैसे उच्च-गुणवत्ता वाली एच टी एस सी तनु फिल्म के ताप-प्रक्रम विकसित होते जाएंगे, वैसे-वैसे उच्च क्रांतिक वर्तमान घनत्व और उच्च क्रांतिक तापमान के संदर्भ में इनका लाभ विश्वसनीय और किफायती युक्तियों के रूप में प्राप्त होने लगेगा । इस प्रंसग में T_1 पर आधंरित तनु फिल्म युक्तियों का भविष्य उज्जवल नज़र आता है । आप्टौमाइक्रों और अतिचालन इलेक्ट्रानिक प्रौद्योगिकीयों और एम ई टी (चुंबकीय क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर) के सर्वात्तिम लाभों वाले फ्यूचरिष्टिक हाइब्रिड चिप ऐस एच टी एस सी युक्तियों के उदाहरण है । आशा की जाती है कि निकट भविष्य में तनु फिल्म युक्तियां अतिचालन इलेक्ट्रानिकी के क्षेत्र में ही प्रभावित करने लगेंगी ।

हाल ही में इस अति नवीन क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण विकास हुए है । नए उच्च ताप उच्च चालक V-Sr-T_1-O का आविष्कार 1987-89 में किए गए एच टी एस सी के आविष्कार से बिलकुल भिन्न है । इस स्थिति में सक्रिय इलेक्ट्रानिक वारफेमर के ताबां नहीं होता, निम्नतम विपणन अनुप्रयोग निष्क्रिय माइक्रोवेव युक्तियों के एच टी एस सी में होता है और अतिचालन जोसेफ्सन एच टी एस सी स्विचित विलंव लाइनें हैं ।

इन सभी से हाल ही में एच टी एस सी मे हुए विकास के कुछ उदाहरण है । यह प्रायः निश्चित है कि यथासमय एच वाई एस सी का महत्व भी उतना हो जाएगा जितना कि आज अर्ध-चालकों का है । यदि अनुसंधान-प्रयास को जारी रखें गए तो आधुनिक प्रौद्योगिकी और समाज पर एच टी एस सी का व्यापक प्रभाव पड़ेगा ।

अति नवीन इस क्षेत्र के महत्व को ध्यान में रखकर आयोग 1987 से विश्वविद्यालयों को अतिचालकता में आधारभूत और अनुप्रयुक्त - दोनों ही प्रकार की शिक्षा तथा अनुसंधान योग्यताओं के विकास के लिए सहायता प्रदान करता रहा है । मार्च 1991 के अंत तक उपलब्ध परिणामों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है :

- राष्ट्रीय तथा अंतराष्ट्रीय ख्याति की पत्रिकाओ में लगभग 400 अनुसंधान रचानाएँ प्रकाशित हुई हैं ।

- जैसाकि विशेषज्ञों ने मूल्यांकन किया है - 40 प्रतिशत संस्थाओं के शैक्षिक परिणाम "बहुत अच्छा", 35 प्रतिशत के 'अच्छा' रहे और 20 प्रतिशत के "संतोषजनक" रहे ।

- देश और विदेश में 60 प्रतिशत संस्थाएं संस्था के अंदर ही सहयोग जारी रखे हुई है ।

- इन संस्थाओं की उपलब्धियों को राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय पुरस्कारों के जरिए मान्यता प्रदान की गई है ।

- 38 पी-एच. डी./एम. फिल डिग्रियां सृजित की गई हैं ।

- अनेक संस्थाओं ने स्नातकोत्तर स्तर पर विशेष पाठ्यक्रम शुरू कर दिए है ।

- अन्य राष्ट्रीय/अंतराष्ट्रीय एजेन्सियों के लिए उनकी उपलब्धियों के आधार पर 30 परियोजनाएं/ निधियां सृजित की गई है ।

- संबधित क्षेत्र का महत्व एवं बोध कराने के लिए विचार-विमर्श तथा पारस्परिक हितलाभों के लिए 20 सम्मेलनों/संगोष्ठियों का आयोजन किया गया ।

- कुछ ऐसे अदृश्य कारक भी है जिनके आधार पर विश्वविद्यालय क्षेत्रक में सक्रिय अभिरूचि पैदा हुई है और अनुसंधान तथा विकास और शैक्षिक कार्यकलापों में गहनता आई है ।

आयोग में एक स्थायी समिति है जो विश्वविद्यालय प्रणाली में कार्यक्रम को कारगर ढंग से लागू करने के लिए आयेाग की सहायता करती है । स्थायी समिति ने फरवरी, 1991 में आयोजित अपनी बैठक में कार्यकलापों की समीक्षा की । इस समिति ने कार्यक्रम

की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया और अतिचालकता से संबधित आधारभूत अनुसंधान और अनुप्रयोग की महत्वपूर्ण उपलब्धियों की प्रशंसा की । जहां तक मात्रात्मक शैक्षिक उपलब्धता का संबंध है, प्रभावी लागत काफी अधिक रही है कुछ संस्थाएं तो अपने विशेषता के क्षेत्रों में उत्कृष्टता केन्द्र बन गई है । उन्होने सक्रिय समूह विकसित किए है और मूल प्रस्तावों में प्रकल्पित आवश्यक कार्यकलापों का आयोजन किया है । इस कार्यक्रम से अनुसंधान तथा विकास ओर शैक्षिक कार्यकलापों में सहयोगी दृष्टिकोण के संबंध में विश्वविद्यालय प्रणाली में एक रचनात्मक प्रभाव उत्पन्न हुआ है ।

समिति का विचार था कि इस कार्यक्रम को कारगर ढंग से लागू करने और उसके कार्यकलापों का पर्यवेक्षण करने के लिए एक शून्य बजट अपंजीकृत-विश्वविद्यालय संकाय स्थापित किया जाए । इससे इस क्षेत्र में कार्य कर रही विभिन्न संस्थाओं की सुविधाओं और विशेषज्ञों की सेवाओं का पूरक उपयोग करने में सुविधा होगी । प्रस्तावित संकाय की देखभाल करने के लिए एक समन्वय समिति का गठन किया गया है ।

3.02 जैव-प्रौद्योगिकी (जैव-प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार वि० अ० आ० सहयोगी कार्यक्रम)

जैव-प्रौद्योगिकी विभाग (भारत सरकार) - विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बीच सन् 1985-86 से सहयोगी कार्यक्रम चल रहा है । इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन विश्वविद्यालयों में चयनात्मक आधार पर जैव-प्रौद्योगिकी में शिक्षण और प्रशिक्षण को सदृढ़ बनाना है जिनके पास सक्रिय क्षेत्रीय अनुसंधान ग्रुप है । इस क्षेत्र में अभिज्ञात छह विश्वविद्यालय यथा - बनारस हिंदू जादवपुर, जवाहरलाल नेहरू, मदुरै कामराज, एम. एस. बड़ौदा विश्वविद्यालय तथा पूना वि. वि. जैव-प्रौद्योगिकी में एम. एस. सी./एम. टेक. पाठ्यक्रम संचालित करते रहे है जिनके लिए जैव-प्रौद्योगिकी विभाग साज-सामान, पुस्तकें तथा पत्रिकाएं, आकस्मिक निधियां, अकादमिक स्टाफ का वेतन तथा विद्यार्थी वृत्तियां प्रदान करके वित्तीय सहायता दे रहा है और आयोग प्रशासनिक तथा तकनीकी सहायक स्टाफ के वेतन तथा भवन निर्माण लागत का आंशिक खर्च वहन कर रहा है । आयोग ने जैव-प्रौद्योगिकी में पी. एच. डी. करने के लिए प्रत्येक केंद्र में दो कनिष्ठ अनुसंधान फैलोशिपें भी प्रदान कीं आयोग विश्वविद्यालय को जैव-प्रौद्योगिकी में कार्यशालाएं/संगोष्ठियां आयेाजित करने के लिए भी सहायता प्रदान करता है ।

3.03 समुद्रविज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का विकास

आयोग विश्वविद्यालय क्षेत्रक में समुद-विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए समुद्र विकास विभाग, भारत सरकार के साथ सहयोग करता रहा है । इस सहयोग

तथा संयुक्त निधीयन ने विशेषतः उन विश्वविद्यालयों की सहायता की है जो तटीय क्षेत्रों में स्थित है और जिन्होंने उपयोक्ता एजेसियों के लिए आवश्यक जनशक्ति को प्रशिक्षण देने एवं समुद्र-विज्ञान-शिक्षा को उच्च बनाने के लिए सुविधाओं और विशेषज्ञा का विकास कर लिया है । उस कार्यक्रम के भाग के रूप में अन्य संस्थाओं के साथ शिक्षण, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान की परिप्रेक्ष्यी योजना भी शुरू की गई है ।

3.04 वायुमंडल-विज्ञान

यह कार्यक्रम 1987-88 में शुरू किया गया था । इसका उद्देश्य विश्वविद्यालय प्रणाली में मौसम तथा वायुमंडल-विज्ञानों को बढ़ावा देने के लिए मध्यम दूरी का पूर्वानुमान बताने के लिए मौसम तथा मृदा-विज्ञान परिषद द्वारा स्थापित कि जा रही कम्प्यूटर प्रणाली में प्रशिक्षित व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना था । इस प्रयोजन के लिए, आयोग ने सात विश्वविद्यालयों यथा आंध्र, कलकत्ता, कोचीन, गुजरात, पूना, रूड़की तथा भारतीय विज्ञान संस्थान (बंगलौर) में वायुमंडल विज्ञानों, पोस्ट एम. एस-सी./ एम. टेक. तथा अनुसंधान स्तर के पाठ्यक्रम शुरू किए है । इनमें भौतिक, मौसम-विज्ञान, तरल यांत्रिकी, गतिक मौसम-विज्ञान, वायु प्रदूषण तथा वायु मंडलीय रसायन, जल-मौसम-विज्ञान, संख्यात्मक मौसम पूर्वानुमान ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत तथा उपग्रह मौसम विज्ञान आदि के पाठ्यक्रम शामिल हैं ।

इन कार्यक्रमों की प्रगति का समय-समय पर मूल्यांकन करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक स्थायी समिति गठित की गई है ।

3.05 जनसंचार और शैक्षिक प्रौद्योगिकी

(क) देशव्यापी कक्षा कार्यक्रम .

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को उच्च शिक्षा से संबंधित देशव्यापी कक्षा कार्यक्रम के प्रसारण के लिए सप्ताह में छह दिन 1.00 बजे अपराह्न से 2.00 बजे अपराह्न तक और 4.00 बजे अपराह्न से 5.00 बजे अपराह्न तक 2 घंटे का प्रसारण-समय नियत किया गया है । यह कार्यक्रम मूलतः संवर्धन प्रकार का है जिसका उद्देश्य देश के दूरवर्ती, ग्रामीण पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार करना है ।

इन कार्यक्रमों की प्रस्तुति दो प्रकार के माध्यम केन्द्रों अर्थात शैक्षिक माध्यम अनुसंधान केन्द्र (ई एम आर सी) और दृश्य-श्रव्य अनुसंधान केन्द्र (ए वी आर सी) द्वारा

की जाती है । इस वर्ष जोधपुर विश्वविद्यालय, मदुरै कामराज विश्वविद्यालय और सेन्ट जेवियर कोलज, कलकत्ता दृश्य-श्रव्य अनुसंधान केन्द्र को शैक्षिक माध्यम अनुसंधान केन्द्र बना दिया गया है । इस प्रकार, मार्च 91 के अंत में देश के विभिन्न भागों के विभिन्न विश्वविद्यालयें में सात शैक्षिक माध्यम अनुसंधान केंद्र और सात दृश्य-श्रव्य अनुसंधान केंद्र थे । इनमें से सात माध्यम केन्द्रों के कार्यकलापों का समन्वयन जामिया मिलिया इस्लामिया में स्थित यू जी सी इन्सेट परियोजना द्वारा किया जाता है । 31.3.1991 तक माध्यम केन्द्रों द्वारा लगभग 2000 कार्यक्रम प्रस्तुत किए जा चुके है । ये कार्यक्रम अनुप्रयुक्त विज्ञान, शुद्ध विज्ञान, कला, समाज विज्ञान, भाषा और साहित्य, इतिहास और भूगोल, दर्शन और मनोविज्ञान, इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी और आयुर्विज्ञान आदि जैसे विविध क्षेत्रों से संबधित हैं ।

आयोग ने आठवीं योजना के दौरान अलग-अलग राज्यों में छह और माध्यम केन्द्र स्थापित करने का विचार किया है । यह भी प्रस्ताव हे कि हिन्दी में शीघ्र ही कार्यक्रम प्रसारित किए जाएं । वर्ष 1990-91 के दौरान विभिन्न माध्यम केन्द्रों द्वारा 9223 मिनट के 466 कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए । माध्यम केन्द्रों से प्राप्त विषयवार कार्यक्रमों का विवरण परिशिष्ट - XIII में दिया गया है । इस स्थिति को रिपोर्ट के अंत में दिए गए रेखाचित्र द्वारा भी दर्शाया गया है ।

परिशिष्ट - XIV में उन विभिन्न स्रोतों अर्थात मिडिया केन्द्रों द्वारा (चाहे वे देश के स्रोत हों या विदेशी स्रोत के) प्रसारित कार्यक्रमों को विवरण दिया गया है । इस स्थिति को दर्शाने वाला एक चार्ट रिपोर्ट के अंत में दिया गया है ।

(ख) रेस टु सेव प्लेनेट (पृथ्वी की रक्षा हेतु कार्य)

आयोग गत दो वर्षो से "रेस टु सेव प्लेनेट" नामक दस भाग वाले दूरदर्शन धारावाहिक तैयार करने के लिए एक प्रमुख सार्वजनिक प्रसारण निगम, डब्लू.जी.बी. एच., बोस्टन के साथ सहयोग कर रहा था । इस धारावाहिक का प्रसारण 14 अक्टूबर, 1990 से रविवार को दूरदर्शन नेटवर्क पर किया गया । इस धारावाहिक के कार्यक्रमों का शॉट अंटाटिका सहित संपूर्ण विश्व में लिया गया । यह धारावाहिक वर्तमान समय के अत्यंत महत्वपूर्ण इस धर्मसंकट का प्रस्तुतीकरण करता है और उनका विश्लेषण करता है कि "पर्यावरण के परिरक्षण और सुधार तथा मनुष्य के रहन-सहन की गुणवत्ता में वृद्धि करने की अवश्यकता का समाधान वृद्धि और विकास की तीव्र लालसा के साथ किस प्रकार किया जा सकता है । यह धारावाहिक उस समय प्रस्तुत किया जा रहा है जब देश और विदेश में इन समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ती जा रही है । इस धारावाहिक के अंतर्गत पृथ्वी

पर मानवीय कार्यकलापों की कहानी का परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया गया है और साथ ही विकास कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं चुनने का विवेक प्रदान किया गया है ।

आयोग ने पूर्व-स्नातक छात्रों के लिए प्रसारणेतर वीडियो लेक्चरों की परियोजना को भी अपने हाथ में लिया है । इस कार्यक्रम के लिए 15 विषयों का चयन किया गया है । इनमें से आठ विषयों में वीडियो पाठ्यक्रम की सामग्री तैयार कर ली गई है । शेष विषयों पर कार्य चल रहा है ।

अक्टूबर 29 से नवंबर 3, 1990 तक मदुरै कामराज विश्वविद्यालय के ए वी आर सी (जिसे बाद में ई एम आर सी बना दिया गया है) में अनुसंधानकर्त्ताओं के लिए एक कार्यशाला आयोजित की गई थी ।

3.06 फिल्म अध्ययन केन्द्र

आयोग ने कुछ विश्वविद्यालयों और कालेजों में फिल्म अध्ययन केन्द्र स्थापित किए है जिनका उद्देश्य इस प्रकार है :

(i) एक व्यवस्थित ढंग से विभिन्न रूपों के अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय फिल्म क्लासिकों को छात्रों को दिखाकर सामाजिक संपर्क और शिक्षा के 20वीं शताब्दी माध्यम के रूप में आधुनिक कला के रूप में फिल्म और सिनेमा के प्रति जागरूकता में वृद्धि करना ।

(ii) परिसरगत फिल्म कल्चर के संवर्धन के लिए फिल्म के किसी भी पहलु पर परिचर्चाओं, संगोष्ठियों, व्याख्यानों और प्रकाशनों का आयोजन करना ।

(iii) परिसर में अध्ययन किए जा रहे अन्य विषयों और ललित कलाओं के साथ एक विषय के रूप में फिल्म को संबंधित करना; और

(iv) वैयक्तिक वृद्धि और सामाजिक विकास की आवश्यकताओं के साथ सिनेमा के संबंध में जानकारी बढ़ाना ।

31 मार्च, 1991 को 22 विश्वविद्यालयों/कालेजों में फिल्म अध्ययन केन्द्र कार्य कर रहे थे । इन केन्द्रों द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा की जा रही है ।

3.07 प्राग्विद्यालय टी. वी.

विश्वविद्यालय अनुदान अयोग प्राग्विद्यालय बच्चों के लिए हिन्दी में 13 घटनाओं वाले शैक्षिक टी वी धारावाहिक की प्रस्तुति करने और परीक्षण करने पर विचार कर रहा है । धारावाहिक के प्रत्येक घटना की अवधि लगभग 30 मिन्ट की होगी और जिसका फार्मेट एक पत्रिका के रूप का होगा जिसमें माड्यूल कठपुतलियों, कंप्यूटर ग्राफिक्स, नकल और बच्चों के कार्यकलापों के साथ बच्चों की शैक्षिक अभिरुचि वाले अन्य विषयों के मुक्त माड्यूल स्लाट भी होंगे । इस परियोजना की मंजूरी लेडी इर्विन कालेज, दिल्ली विश्वविद्यालय को दी गई है जहां इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है । आशा की जाती है कि 1991 में यह परियोजना पूरी हो जाएगी ।

3.08 सहयोगी कार्यक्रम

(i) यू जी सी - सी एस आई आर सहयोग :

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों में अनुसंधान और विकास कार्यकलापों के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सी एस आई आर) के साथ एक सद्भाव ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जिससे परिणामस्वरूप एक दूसरी की विशेषता और आधार संरचना, मानव संसाधन विकास और विचार-विनिमय संकल्पनाओं और तकनीकों को बढ़ावा मिलेगा । यह पारस्परिक लाभ के लिए अत्यंत हितकर सिद्ध होगा । इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, एक संयुक्त समन्वय निकाय स्थापित किया गया है जिसका कार्य परस्पर - क्रिया के लिए नीति तैयार करना, बृहद संयुक्त अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों को अनुमोदित करना और एक दूसरे के संगठनों को आवश्यक वित्तीय प्रावधानों की सिफारिश करना है । इसके लिए, यू जी सी - सी एस आई आर कार्यक्रम के एक समन्वयकर्त्ता की नियुक्ति की गई है ।

(ii) यू. जी. सी. - आई. आई. ए. एस. सहयोग :

15 जनवरी 1991 को भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान के रजत जयंती समारोह के अवसर पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष तथा आई आई ए एस के शासी निकाय के अध्यक्ष ने वि. अ. आ. तथा भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान के बीच सम्पन्न एक सद्भाव ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए ।

मानविकी और समाज-विज्ञान में अंतर-विश्वविद्यालय केन्द्र की स्थापना का उद्देश्य उच्च शिक्षा और अनुसंधान के हित में विश्वविद्यालयों/कालेजों के शिक्षकों,

स्कालरों और छात्रों के बीच अन्योन्य-क्रिया को बढ़ावा देना है । यू.जी.सी. और भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान के बीच की सहयोगी व्यवस्था से न्यूनतम वित्तीय संसाधनों से ही एक महतवपूर्ण राष्ट्रीय हित की पूर्ति होगी । एक समन्वय समिति का गठन किया गया है जो मानविकी और समाज-विज्ञानों के लिए अंतर-विश्वविद्यालय केन्द्र के रूप में संस्थान की भूमिका से संबद्ध कार्यों के लिए विशेष रूप से आवश्यक कार्यकलापों की रूपरेखा संयुक्त रूप से तैयार करेगी और उनको बढ़ावा देगी ।

3.09 बृहत् अनुसंधान परियोजनाएं (मानविकी तथा समाज-विज्ञान)

आयोग विश्वविद्यालयों तथा. कालेजों के सेवारत तथा सेवा-निवृत्त शिक्षकों को उनके विशेषज्ञता क्षेत्रों में अनुसंधान या अकादमिक कार्य सम्पन्न करने के लिए सहायता प्रदान करता है । इस योजना के अधीन परियोजनाएं व्यक्तिगत शिक्षक या शिक्षक समूह द्वारा सहयोगी आधार पर शुरू की जा सकती है । अनुसंधान के उन विषयों को प्राथमिकता दी जाती है जो अंतर - विषयक प्रकार के होंगे । अनुसंधान परियोजनाएं आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञों तथा विशेषज्ञ समितियों की सिफारिशों के आधार पर अनुमोदित की जाती है । अनुसंधान परियोजनाओं के लिए दी जाने वाली आयोग की सहायता में कनिष्ठ अनुसंधान अध्येताओं, अनुसंधान एसोशिएटों, क्षेत्रीय कार्य के लिए दौरों, उपस्करों, परिकलन कार्य, पुस्तकों तथा पत्रिकाओं, आकस्मिकताओं तथा इस परियोजना के लिए आवश्यक अन्य मदों के लिए धन की व्यवस्था शामिल है ।

आलोच्य वर्ष के दौरान आयोग ने 59 बृहत् अनुसंधान परियोजनाओं का अनुमोदन किया । इनमें मानविकी तथा सामाजिक विज्ञानों के विभिन्न विषयों में सेवा-निवृत्त शिक्षकों की परियोजनाएं भी शामिल हैं। इस प्रयोजन के लिए रू. 28.65 लाख के अनुदान जारी किए गए ।

3.10 लघु अनुसंधान परियोजनाएं (मानविकी तथा समाज-विज्ञान)

इस कार्यक्रम के तहत आयोग किसी विश्वविद्यालय या कालेज के ऐसे शिक्षक को रु. 15,000/- तक की वित्तीय सहायता प्रदान करता है जो अल्पकालीन अनुसंधान परियोजना या किसी अनुमोदित पर्यवेक्षक के अधीन डाक्टरेट की डिग्री के संबंध में अन्वेषण कार्य करने का इच्छुक हो । इस कार्यक्रम के तहत विश्वविद्यालयों के विशेष रूप से उन कालेज शिक्षकों या कनिष्ठ शिक्षकों को सहायता प्रदान की जाती है जिनके पास डिग्री या व्यक्तिगत परियोजना के किसी भाग के लिए अनुसंधान कार्य से संबंधित खर्च को पूरा करने के वास्ते पर्याप्त संसाधन नहीं हैं । यह सहायता ऐसी पुस्तकों

तथा पत्रिकाओं की खरीद, क्षेत्रीय कार्य, प्रश्नावली तैयार करने, परिकलन कार्य, उपस्कर तथा आकस्मिकताओं के लिए मिल सकती है जो प्रस्तावित परियोजना के लिए विशेष रूप से जरूरी हो लेकिन जो सामान्यतः उस संस्था में उपलब्ध न हों, जिसमें शिक्षक काम कर रहा है ।

3.11 विज्ञान में बृहत् अनुसंधान परियोजनाएं

आयोग विश्वविद्यालयों/कालेजों के शिक्षकों द्वारा विज्ञान विषयों में शुरू की गई परियोजनाएं शुरू करने, मानविकी तथा सामाजिक विज्ञानों की परियोजनाओं के पैटर्न पर आयोग विज्ञान विषयों में किसी शिक्षक/शिक्षक समूह द्वारा शुरू की गई बृहत् अनुसंधान परियोजनाओं के लिए सहायता प्रदान करता है ताकि वे अपने विषय क्षत्रों के नवीनतम विकासों की अद्‌यतन जानकारी प्राप्त कर सकें । यह सहायता उसी आधार पर प्रदान की जाती है जैसे कि मानविकी तथा विज्ञान विषयों के लिए दी जाती है । प्रत्येक परियोजना के परिवीक्षक की सहायता से तथा विभिन्न विषयों की सभी परियोजनाओं के लिए सामूहिक परिवीक्षण आयोजित करके हर वर्ष परियोजनाओं का परिवीक्षण किया जाता है । वर्ष के दौरान आयोग ने विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में 268 परियोजनाएं अनुमोदित कीं । वर्ष 1990-91 के दौरान इस प्रयोजन के लिए रु. 329.77 लाख के अनुदान जारी किए गए ।

3.12 विज्ञान में लघु अनुसंधान परियोजनाएं

मानविकी विषयों की भांति विज्ञान विषयों में लघु अनुसंधान परियोजनाएं शुरू करने के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है । यह सहायता विशेषतः प्रस्तावित परियोजना के लिए पुस्तकें और पत्रिकाएं खरीदने, क्षेत्रीय कार्य, साज-सामान, आकस्मिताओं आदि के लिए दी जाती है । आलोच्य वर्ष के दौरान इन परियोजनाओं के लिए सहायता की अधिकतम राशि बढ़ाकर रु. 25,000/- कर दी गई ।

3.13 इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी में बृहत् अनुसंधान परियोजनाएं

आयोग विश्वविद्यालयों / कालेजों के संकाय सदस्यों तथा सेवा निवृत्त शिक्षकों को सहायता प्रदान कर रहा है ताकि वे राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं, नए क्षेत्रों में तथा अंतर-विषयक प्रकार के अनुसंधान तथा विकास पर विशेष जोर देते हुए इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी में सुनिश्चित तथा समयबद्ध अनुसंधान परियोजनाएं शुरू कर सकें । वर्ष के दौरान आयोग ने ऐसी 18 परियोजनाओं का अनुमोदन किया और इस प्रयोजन के लिए रू. 27.33 लाख

का अनुदान जारी किया गया ।

3.14 इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी में लघु अनुसंधान परियोजनाएं

आयोग इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी में लघु अनुसंधान परियोजनाएं शुरू करने के लिए भी सहायता प्रदान करता है । आलोच्य वर्ष के दौरान आयोग ने पांच लघु अनुसंधान परियोजनाओं का अनुमोदन किया ।

3.15 वृत्तिक पुरस्कार

आयोग द्वारा 1979-80 में शुरू की गई योजना का लक्ष्य उन मेधावी युवा शिक्षकों का पता लगाना है जिनके पास उनके विशेषज्ञता के क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए प्रमाणित योग्यता तथा क्षमता होगी । इसका उद्देश्य शिक्षण की कम जिम्मेदारियों के साथ अनुसंधान तथा अध्ययन के लिए उनसे प्रयास करा के और उनकी क्षमताओं का उपयोग कराके उनकी व्यावसायिक विकास को बढ़ावा देना है । साधारणतः वृत्तिक पुरस्कार विश्वविद्यालयों तथा कालेजों के उन लेक्चरारों तथा रीडरों को तीन वर्ष के लिए प्रदान किया जाता है जिनकी आयु सामान्यतः 40 वर्ष से अधिक नहीं है और जिन्होंने डाक्टरेट/पश्च-डाक्टरेट या अन्य समकक्ष व्यावसायिक प्रशिक्षण पूरा कर लिया है । आयोग पुरस्कार पाने वालों को उनका पूरा वेतन तथा भत्ते देता है । इसके अतिरिक्त, आयोग पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को वास्तविक अपेक्षाओं के आधार पर सामाजिक विज्ञानों तथा मानविकी के मामले में एक लाख रूपये और विज्ञान, इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी विषयों के मामले में रू. 1.5 लाख का अनुसंधान अनुदान और पुरस्कार अविध के दौरान दो या तीन अनुसंधान अध्येताओं की व्यवस्था करता है । पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति अपनी संस्था या देश की किसी अन्य अनुमोदित संस्था में अपनी पुरस्कार अवधि को व्यतीत कर सकते है । उनसे यह भी आशा की जाती है कि वे संबंधित विभाग के शिक्षण कार्यक्रमों में भाग लें । प्रत्येक वर्ष विज्ञान तथा इंजीनियरी में 20 तथा मानविकी तथा सामाजिक विज्ञानों में 15 पुरस्कार उपलब्ध हैं ।

खंड - 4

"कासिस्ट" कार्यक्रम

4.01 उद्देश्य तथा प्रगति

मंत्रिमंडल की भूतपूर्व विज्ञान सलाहकार समिकित तथा भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय) की सिफारिश के आधार पर आयेाग ने वर्ष 1983-84 में एक योजना शुरू की थी जिसका नाम "विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की आधार-संरचना को सुदृढ़ बनाना" था ।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे विभागों को केवल चुनींदा मामलों में आधार-संरचना संबंधी सहायता प्रदान करना है जिन्होंने अनुसंधान में उच्च कोटि की प्रगति दिखाने या उत्तम गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने या दोनों का वचन दिया है । इस योजना का अंतिम लक्ष्य यह है कि ये विभाग यथासमय विश्व में अन्यत्र अपने समकक्ष विभागों के समान बना जाएंगे और देश में पहले से उपलब्ध शिक्षाविदों से उत्कृष्ट कार्य करवाया जाएगा । सामान्यतः इस कार्यक्रम के तहत पांच वर्ष की अवधि के लिए सहायता प्रदान की जाती है और अगली सहायता देने के प्रश्न पर प्रत्येक विभाग के निष्पादन के आधार पर विचार किया जाता है ।

इस योजना के अंतर्गत जो विभाग सहायता प्रदान करने के योग्य पाए जाते है उनका चयन ऐसे अत्यंत कठोर मानकों के आधार पर किया जाता है जो विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की आधार-संरचना को सुदृढ़ बनाने के लिए आयोग द्वारा गठित स्थायी समिति (कासिस्ट) ने निर्धारित किए हों । इस समिति में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ तथा अन्य निधीयन एजेंसियों यथा डी एस टी, सी एस आई आर, ए आई सी टी ई आदि के प्रतिनिधि शामिल हैं । विभागों के अंतिम चयन के लिए संबधित क्षेत्रों के विशेषज्ञ ग्रुपों की सहायता लीं जाती है ।

इस योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसमें विषय विशेषज्ञों द्वारा सतत परिवीक्षण किये जाने की आंतिरक व्यवस्था विद्मान है । ये विषय-विशेषज्ञ योजना के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए समय-समय पर विभागों का दौरा करते रहते हैं । "कासिस्ट" द्वारा सहायता प्रदंत्त विभागों को कार्य के संबंध में यह स्वायत्तता प्रदान की गई है कि वे सतत रूप से अपनी पाठ्यचर्या को अद्यतन बना सकते हैं, उनके क्षेत्र तथा विषयों में वृद्धि कर सकते हैं ऐसी शिक्षण प्रणालियां लागू कर सकते हैं जो विद्यार्थियों के अधिगम के लिए अध्यापकों द्वारा दिए गए शिक्षण के अपेक्षाकृत अधिक लाभदायक हों । वे ऐस प्रयोग भी लागू कर सकते हैं जिनका चालू अनुसंधान कार्यक्रमों से सीधा

संबंध हो । परिवीक्षण रिर्पोटों से यह पता चलता है कि अनेक विभागों ने उपर्युक्त दिशा में रचनात्मक कदम उठाए हैं इस योजना के तहत सहायता प्रदत्त अधिसंख्य विभागों ने अनुसंधान के क्षेत्र में पर्याप्त योगदान किया है जैसाकि अनुसंधान प्रकाशनों तथा "प्रभावकारक" और पी एच डी की डिग्री प्राप्त करने वालों की संख्या से प्रकट होता है । 'कासिस्ट' द्वारा सहायता-प्रदत्त अनेक विभागों में सकाय सदस्यों को राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले हैं । इसके अतिरिक्त चूंकि पर्याप्त आधार-संरचनात्मक सहायता उपलब्ध है अतः इससे उन विभागों को अन्य निधीयन एजेसियों यथा डी एस टी, डी ए ई, डी आर डी ओ, सी एस आई आर, डी ओ ई आदि से भी परियोजना सहायता प्राप्त हुई है ।

आशा की जाती है कि 'कासिस्ट' द्वारा सहायता प्रदत्त विभाग यथासमय महत्वपूर्ण (नोडल) निकायों के रूप में काम करने लगेंगे और अनुसंधान तथा शिक्षण में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए अन्य विभागों को प्रोत्साहित करने में एक उत्प्रेरक की भूमिका निभाएंगें ।

चूंकि 'कासिस्ट' सहायता का अधिकांश भाग अति उन्नत उपस्करों को मुहैया करने के लिए आबंटित किया गया है अतः इस बात को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त उपाय किए गए हैं कि इन उपस्करों का रख-रखाव उचित रूप से किया जाता है और वे कार्यशील बने रहते है । इस प्रयोजन के लिए उपस्करों की लागत के 5 प्रतिशत के बराबर राशि इन विभागों को आबंटित की जा रही है ।

इस योजना के शुरू होने के समय से इसके तहत सहायता-प्रदत्त विभागों की वर्षवार सूची नीचे दी जा रही है :-

(रू० लाख में)

वर्ष	चुने गए विभागों की संख्या	किया गया कुल व्यय
1983-84	12	452.2
1984-85	26	699.8
1985-86	16	380.3
1986-87	8	799.9
1987-88	19	999.5
1988-89	17	899.1
1989-89	12	799.7
1990-91	1	849.2+
जोड़ :	111	

+ इसमें पहले तथा दूसरे चरण में सहायता के लिए अभिज्ञात विभागों के प्रदत्त अनुदान की राशि शामिल हैं ।

इस योजना के अधीन सहायता-प्रदत्त विभागों की विस्तृत सूची परिशिष्ट - XIV और XV में दी गई हैं ।

4.02 परिवीक्षण तथा मूल्यांकन

जैसाकि ऊपर कहा गया है, सहवर्ती परिवीक्षण और मूल्यांकन की प्रक्रिया इस योजना का एक अभिन्न अंग है । सामान्यतः अनुदान की प्रारंभिक किस्त देने की तारीख के लगभग एक वर्ष बाद विषय-विशेषज्ञ इन विभागों का दौरा करते हैं ।

अलोच्य वर्ष के दौरान इस योजना के अधीन 5 वर्ष से अधिक समय से सहायता प्राप्त कर रहे 35 विभागों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन उनकी अनुसंधान-मात्रा, प्रशिक्षित वैज्ञानिक जनशक्ति (पी० एच० डी० डिग्री प्राप्त करने वालों की संख्या); पाठ्यक्रमों के आधुनिकीकरण के संदर्भ में एक-एक विशेषज्ञ समिति द्वारा किया गया जिसमें संबंधित विषयों के विशेषज्ञ शामिल थे । इस समीक्षा के आधार पर, विशेषज्ञ समिति ने यह टिप्पणी दी कि 34 विभागों ने उन लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है जिनके लिए उन्हें 'कासिस्ट' सहायता दी गई थी । अतः 34 विभागों को दूसरे चरण अर्थात् 1991-91 से 1993-95 के लिए भी सहायता प्रदान की जाती रहेगी । एक विभाग को अर्थात जोधपुर विश्वविद्यालय के रसायन विभाग को दूसरे चरण में सहायता प्रदान नहीं की गई क्योंकि इसका कार्य-निष्पादन आशा के अनुरूप नहीं पाया गया । लेकिन इस बात पर सहमति थी कि उपर्युक्त विभाग को एक वर्ष तक केवल आवर्ती खर्चे की राशि उपलब्ध कराई जाए । उसके बाद, उसके कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करके यह निर्णय लिया जाएगा कि उसे योजना को जारी रखने के लिए कहा जाए या योजना समाप्त कर दी जाए ।

इस योजना के अधीन सहायता प्रदान करने के लिए उपर्युक्त विभागों के अतिरिक्त, एक और नए विभाग अर्थात् विश्वविद्यालय (दक्षिण दिल्ली परिसर) के पादप और कोशिका जैविकी विभाग का पता लगाया गया है और उसे आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई हैं । सहायता के दूसरे चरण का अनुमोदन करने के दौरान 'कासिस्ट' स्थायी समिति ने यह इच्छा व्यक्त की थी कि जब 'कासिस्ट' कार्यक्रम के अधीन भविष्य में सहायता प्रदान की जाए तो मंजूरी पत्रों मे उन मदों का स्पष्ट उल्लेख अवश्य दिया जाना चाहिए जिनके लिए अनुदान दिया जा रहा है, अर्थात् शिक्षण और अनुदान का अलग-अलग रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए ताकि उन घटको का स्पष्ट रूप से पता लग जाए जिनका अनुमोदन शिक्षण तथा अनुसंधान के लिए किया गया है । समिति ने यह भी इच्छा व्यक्त की थी कि 'कासिस्ट योजना के अंतर्गत सहायता प्रदत्त विभागों को एक संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें उन्हें उन लक्ष्यों का उल्लेख करना चाहिए जिन्हें उनको प्रदत्त सहायता के साथ वर्ष 1994-95 तक प्राप्त करना चाहते है ।

समिति ने यह भी इच्छा व्यक्त की है कि मूल्यांकन के लिए सहायता प्रदत्त विभागो को चाहिए कि वे निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करें

- प्रकाशित शोध लेखों का शीर्षक और साथ ही उन पत्रिकाओं का ब्यौरा जिनमें ये लेख प्रकाशित हुए हैं ।
- कार्यक्रम से लाभ प्राप्त करने वाले ग्रुप के प्रत्येक सदस्य का अनुसंधान कार्य ।
- इसका विवरण कि इस कार्यक्रम के अधीन प्रदत्त उपकरणों का उपयोग किस सीमा तक किया जा रहा है ।
- आस-पास के विश्वविद्यालय के गैर-कासिस्ट विभागों से किया गया संपर्क और उसका परिणाम ।

समिति द्वारा यह भी इच्छा व्यक्त की गई थी कि उपर्युक्त सूचना विशेषज्ञ-समिति को प्रस्तुत की जाए ताकि सहायता जारी रखने या कार्यक्रम का नवीकरण करने के प्रश्न पर विचार करते समय इन बातों को ध्यान में रखा जा सकें ।

4.03 उप-समूह की सिफारिशें

आठवीं योजना के लिए उच्च शिक्षा के उपसमूह ने कार्यक्रम पर विचार-विमर्श किया और कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं के बारे में सिफारिशें कीं । उपसमूह द्वारा की गई कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें निम्नलिखित हैं :

(I) वर्तमान कार्यक्रम :

'कासिस्ट' के वर्तमान कार्यक्रमों को यथावश्यक जारी रखा जाना चाहिए और जहां कहीं भी संभव हो, स्टाफ और भवन की व्यवस्था भी की जानी चाहिए । विशेष परिस्थितियों में ही योजना के अंतर्गत खरीदे गए उपस्करों को रखने के लिए भवन-अनुदान की व्यवस्था की जाती है । उपस्करों के रख-रखाव के लिए चयनात्मक आधार पर स्टाफ की व्यवस्था की जाती है ।

(II) संपर्क :

(क) 'कासिस्ट' के अंतर्गत सहायता प्रदत्त विभागों को अतिरिक्त अनुदान दिया जा सकता है, ताकि वे 'कासिस्ट' या 'साप' से सहायता प्राप्त न करने वाले विभागों

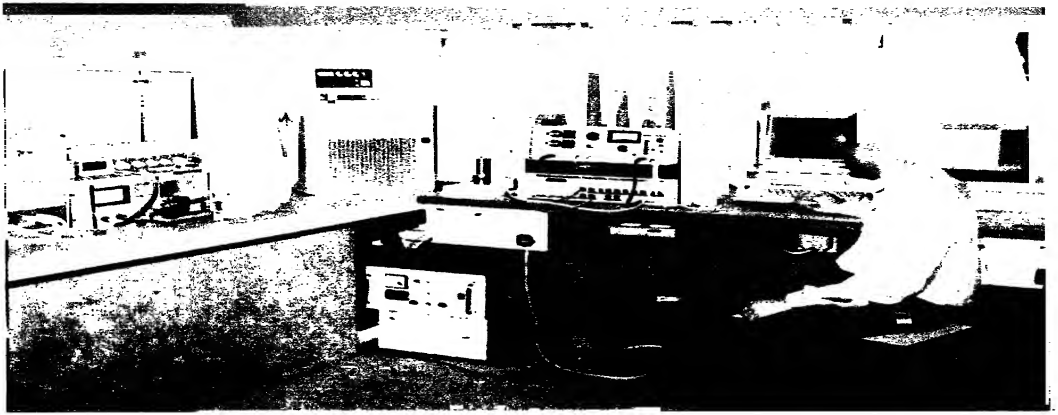

घन अवस्था भौतिकी (प्रायोगिक) अर्ध-चालक प्रयोगशाला, कासिस्ट ।

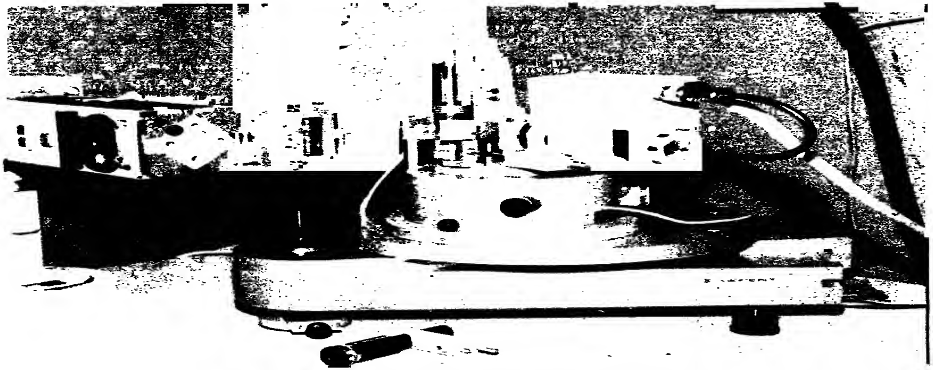

एक्स-रे कैमरा और संसूचक का पास का चित्र, मद्रास विश्वविद्यालय ।

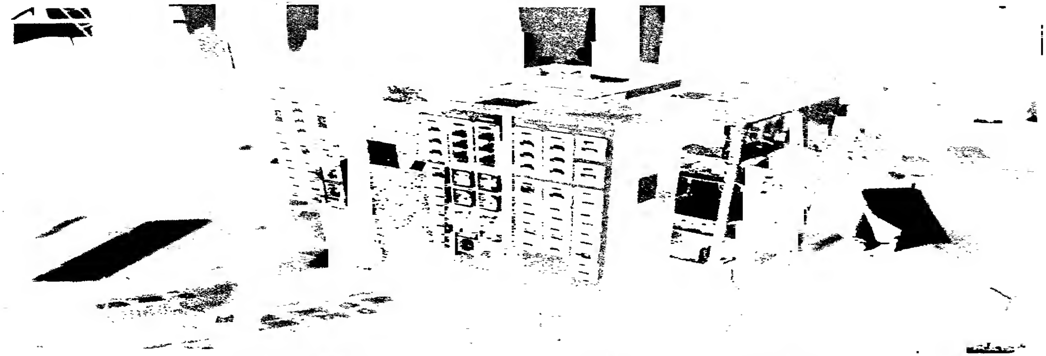

एसीबीज और रिले कन्ट्रोल पेनल सहित एलटी स्विच बोर्ड ।

भू-विज्ञान विभाग, जादवपुर विश्वविद्यालय

को आमंत्रित करके उपयुक्त संपर्क स्थापित कर सकें । ऐसा करने से विकासशील विभागों को शिक्षण और अनुसंधान की गुणवत्ता को बढ़ाने में सहायता मिल सकती है । इस कार्य के लिए प्रत्येक कासिस्ट विभाग को उन विभागों को चुनना है जिनके साथ उन्हें संपर्क स्थापित करना है ।

(ख) संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए अधिक निवेश वाले उपस्करों का प्रयोग राष्ट्रीय सुविधाओं के रूप में किया जा सकता है और इन उपस्करों को कासिस्ट योजना के जरिए प्राप्त किया जा सकता है । इस प्रयोजन के लिए सामान्य सुविधाओं के प्रभावशाली उपयोग के लिए यात्रा, रखरखाव या किराया प्रभार जैसे अनुदान दिए जा सकते हैं और उपभोज्य वस्तुओं की व्यवस्था की जा सकती है ।

(III) नए विभागों के लिए धन की व्यवस्था :

प्रमाणित मानकों के अनुसार नए विभागों को सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है ।

(IV) सक्षम अनुसंधान ग्रुपों के लिए सहायता का विस्तार :

देश में कुछ ऐसे विभाग हैं जिन्हें शिक्षण, अनुसंधान या दोनो ही में निष्पादन की दृष्टि से उत्कृष्ट नहीं माना जा सकता । लेकिन ऐसे विभागों में कुछ प्रतिभाशाली शिक्षक हैं जो अच्छे स्तर के अनुसंधान कार्य करने की क्षमता रखते हैं और इनमें से अधिसंख्य शिक्षक ऐसे है जिन्होंने वैयक्तिक/सामूहिक प्रयासों से अपने विशेषज्ञता-क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान किया है जिसे संबधित विषयों के विशेषज्ञों द्वारा स्वीकारा गया है । विज्ञान और प्रौद्योकिगी में आधारिक संरचना को सुदृढ़ करने से संबंधित स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया है कि ऐसे अनुसंधान समूहों या शिक्षकों की पहचान करके उनके निष्पादन का मूल्यांकान करना चाहिए और उसके आधार पर उन्हें आवश्यक आधार-संरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध करनी चाहिए । इस योजना के अधीन सहायता प्रदान करने के लिए उच्च कोटि के अंतर-विषयक अनुसंधान/शिक्षण संबंधी प्रस्तावों पर भी विचार किया जा सकता है ।

(V) राष्ट्रीय सुविधाओं के साथ संपर्क और आधार संरचनात्मक विकास :

शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत सभी क्षेत्रों मे उच्च गुणवत्ता वाली अनुसंधान आधरिक संरचना का निर्माण संभव नहीं है । अतः 'कासिस्ट' योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली उच्च शिक्षा के क्षेत्रों की प्रयोगशालाओं को, संयुक्त अनुसंधान कार्य और साथ ही विशिष्ट क्षेत्रों में प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं या उद्योगों जैसी अन्य अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशालाओं के साथ उपयुक्त संपर्क स्थापित करना चाहिए ।

खंड - 5

स्तरों का अनुरक्षण और समन्वय

5.01 आयोग का यह सांविधिक उत्तरदायित्व है कि वह विश्वविद्यालय शिक्षा का संवर्धन और समन्वय करे और शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के स्तरों का निर्धारण और अनुरक्षण करे । इस उत्तरदायित्व को निभाने के लिए आयोग विश्वविद्यालयों और बाहर के विशेषज्ञों से परामर्श लेता है । इस संबध में माडल शैक्षिक कैलेण्डर बनाने, शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शिक्षकों की योग्यता से संबधित विनियम बनाने, परीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा आयोजित करने और नियुक्ति के लिए लैक्चररों की पात्रता निर्धारित करने जैसे उनके उपाय किए गए हैं । आयोग विश्वविद्यालयों को इस बात के लिए जोर दे रहा है कि वे बदलते हुए समाज की आवश्यकताओं के अनुसार अपने पाठ्यक्रम की संरचना करें जिसमें छात्र की पहल और सृजनता के उपयोग से संबंधित परियोजना/क्षेत्र-कार्य पर अधिक ज़ोर दें । व्यावसायिक येाग्यता में सुधार लाने के लिए, विशेष रूप से शिक्षक-समुदाय के हित के लिए, अनेक पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू किया गया है । आठवीं पंचवर्षीय योजना में, आयोग ने विश्वविद्यालयों को यह सलाह दी है कि वे वर्तमान कार्यक्रमों को समेकन करें और विश्वविद्यालय प्रणाली से इतर एजेन्सियों और संस्थाओं से विशेष रूप से अनुसंधान और विकास कार्य में लगी संस्थाओं से संपर्क स्थापित करें जिससे कि विश्वविद्यालय शिक्षा को और अधिक सार्थक बनाया जा सके ।

5.02 प्रबंध के वैकल्पिक माडल

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 की कार्य योजना के अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ उच्च शिक्षा को और अधिक गतिशील बनाने पर जोर दिया गया है । इस संबध में, उपर्युक्त दस्तावेज में अनेक सुझाव दिए गए जिनमें से एक सुझाव यह था "विश्वविद्यालय प्रणाली के नए उत्तरादायित्वों को ध्याान में रखते हुए विभिन्न विश्वविद्यालयों/निकायों की संरचना, भूमिका और उत्तरदायित्वों सहित प्रंबध पैटर्न की समीक्षा करना ।

उपर्युक्त सिफारिशों का अनुसरण करते हुए आयोग ने निम्नलिखित विचारार्थ विषयों के लिए प्रो. ए. ज्ञानम की अध्यक्षता में जनवरी, 1987 में एक समिति गठित की :

I विश्वविद्यालय प्रणाली के नए उत्तरदायित्वों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विश्वविद्यालयों/निकायों की संरचना, भूमिका और उत्तरदायित्वों सहित प्रबंध पैटर्न की समीक्षा करना ताकि प्रभावी वैकल्पिक माडलों को विकसित किया जा सके और

II शिक्षा-संस्थाओं के निष्पादनों का मूल्यांकन करने की कसौटी निर्धारित करना ।

समिति की मुख्य सिफारिशें विशेष रूप से सहभागिता दृष्टिकोण और अधिक विकेन्द्रीकरण की दृष्टि से विश्वविद्यालय के प्रबंध पैटर्न की संकल्पना से संबधित है। । इसमें विश्वविद्यालय, राज्य सरकार और वि० अ० आ० के बीच पारस्परिक संबंध, विश्वविद्यालय स्वायत्ता, उत्तरदायित्व, योजना और निधि जैसे पहलुओं पर भी जोर दिया गया है । इसमें विश्वविद्यालय प्रणाली के निकायों और विभिन्न प्रबंधकों/प्राधिकारियों के अधिकारों और कार्य को भी परिभाषित किया गया है । 30-31 जुलाई, 1990 और 11 अक्तूबर, 1990 को आयोजित आयोग की विशेष बैठक में इस रिपोर्ट पर चर्चा की गई । आयोग ने अपनी सिफारिशों के साथ इस रिपोर्ट को आगे की कार्रवाई के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग को भेज दिया है । भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के साथ ज्ञानम समिति की रिपोर्ट को 8-9 मार्च, 1991 को आयोजित सी ए बी ई की बैठक में प्रस्तुत किया । इस रिपोर्ट के दूरगामी प्रभावों को ध्यान में रखकर सी ए बी ई ने यह इच्छा व्यक्त की कि इस रिपोर्ट की जाँच के लिए एक उप-समिति का गठन किया जाए ।

5.03 राष्ट्रीय शिक्षा परीक्षा

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भाषाओं सहित मानविकी और समाज विज्ञान के विषयों के लेक्चरर के पदों और कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति के लिए साल मे दो बार परीक्षाएं आयोजित करता है । विज्ञान के विषयों के लिए भी इस प्रकार की परीक्षाएं साल में दो बार वि० अ० आ० और वै० औ० अनु० परि० संयुक्त रूप से आयोजित करते हैं । उन उम्मीदवारों ने जिन्हें मास्टर डिग्री की परीक्षा में 55 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त किए हों और 31 मार्च 1991 तक एम० फिल० पूरा कर लिया हो और साथ ही उन उम्मीदवारों को जिन्हें दिसंबर, 1992 तक पीएच. डी. की डिग्री मिल जाएगी, उन्हें केवल लेक्चररशिप के पद के लिए यू. जी. सी. - सी. एस. आई. आर. की परीक्षा में बैठने से छूट दे दी जाएगी ।

1990-91 के वर्ष में आयोग ने केवल एक बार भाषा सहित मानविकी और समाज विज्ञान के 85 विषय समूह में कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति देने और लेक्चरर के पद की पात्रता के लिए 83 केन्द्रों में 20 जनवरी, 1991 को परीक्षा आयोजित की । इन विषयों की एक सूची परिशिष्ट - XVI में दी गई है । इस परीक्षा में पंजीकृत किए गए 34981 उम्मीदवारों मे से 25596 उम्मीदवार परीक्षा में बैठे जिनमें 906 को कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति देने के लिए एंव लेक्चरर पद के योग्य और केवल लेक्चरर पद के लिए 1346 को योग्य घोषित किया गया । वि. अ० आ. और वै. औ. अनु. परि. द्वारा संयुक्त रूप से विज्ञान के विषयों में साल में दो बार अर्थात् 30 जनू, 1990 और 30 दिसंबर 1990 को परीक्षाएं आयेाजित की गई इनमें जिन-जिन विषयों मे प़रीक्षाएं ली गई उनकी सूचियाँ क्रमशः परिशिष्ट-XVII और XVIII में दी गई है । जून, 1990 की परीक्षा में 13555 उम्मीदवार पंजीकृत किए गए जिनमें से 8955 उम्मीदवार परीक्षा में बैठे और 392 को कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति के लिय योग्य घोषित किया गया । दिसंबर, 1990 की परीक्षा में 13895 उम्मीदवार पंजीकृत किए गए, जिनमें से 8489 उम्मीदवार परीक्षा में बैठे । इनमें से 411 को कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृति देने के लिए और लेक्चरर के पद के लिए और 503 को केवल लेक्चर के पद के लिए योग्य घोषित किया गया ।

5.04 पाठ्यक्रमों का पुनर्गठन

प्रथम डिग्री पाठ्यक्रम को परिवेश तथा समुदाय की विकासात्मक आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने और शिक्षा को कार्य/क्षेत्र/व्यावहारिक अनुभव और उत्पादकता के साथ जोड़ने की दृष्टि से आयोग ने पांचवीं योजना में पाठ्यक्रमों के पुनर्गठन की योजना को शुरू किया था ।

इस योजना को पूर्व-स्नातक स्तर पर उच्च शिक्षा में किए जाने वाले सुधार का एक प्रमुख कार्यक्रम माना गया है । इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रत्येक पूर्व-स्नातक छात्र को निम्नलिखत क्षेत्रों से परिचित कराना है :

> भारत का इतिहास और संस्कृति, भारत और विश्व के अन्य देशों मे स्वतंत्रता-संग्राम का इतिहास, विकास की संकल्पनाओं और प्रक्रियाओं सहित भारत में सामाजिक और आर्थिक जीवन, विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका सहित वैज्ञानिक प्रणाली, वैकल्पिक मूल्य व्यवस्थाएं और उन पर आधारित समाज, एशिया और अफ्रीका (कुछ खास देशों) की संस्कृति और गांधी की विचारधारा जैसे विषयों के प्रति जागरूकता लाने की दृष्टि से बनाए गए आधार पाठ्यक्रम ।

II कुछ विषयों से, जिनमें एक या अधिक विषयों का गहन अध्ययन शामिल है, मोटे तौर पर परिचित होने के लिए छात्रों को सुअवसर प्रदान करने से संबद्ध मूल पाठ्यक्रम ।

III कुछ अनुप्रयुक्त अध्ययन/परियोजनाएं/क्षेत्र कार्यकलाप, ताकि पाठ्यक्रमों का समाकलित कार्यकलाप तैयार किया जा सके और उन्हे अंतिम वर्ष में लागू किया जा सके ।

IV प्रथम दो वर्ष में राष्ट्रीय अथवा सामाजिक सेवा के कार्यक्रम में भाग लेना ।

इस योजना के अंतर्गत अधिक संख्या में कालेजों को शामिल किए जाने के लिए अयोग ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए बनाई गई योजना में भाग लेने वाले कालेज को दी जाने वाली (पांच वर्ष तक की अवधि के लिए) सहायता रू 5.00 लाख से बढ़ाकर रू 7.5 लाख कर दी है ।

31/2/1991तक इस योजना के अधीन 9 विश्वविद्यालय और 208 कालेजों ने पुर्नगठित पाठ्यक्रम लागू किए हैं । आयोग ने भी यह इच्छा व्यक्त की है कि पाठ्यक्रमों का पुर्नगठन करने का कार्य पाठ्यचर्या विकास केन्द्र के पैटर्न पर किया जा सकता है ।

5.05 कालेज मानविकी और समाज-विज्ञान सुधार कार्यक्रम (कोहसिस्प)

यह कार्यक्रम 1974-75 में शुरू किया गया था । इसका उद्देश्य इस प्रकार था: (क) नई शिक्षण विधियों को अपनाना, (ख) पुस्तकालय सेवाओं का विस्तार करना, (ग) विशेष पाठ्यक्रमों को लागू करना, (घ) अंतर-विषयक कार्यक्रम चालू करना, (ड़) परीक्षा-सुधार के विभिन्न उपायों को लागू करना, च) उपचारी शिक्षण लागू करना और (छ) क्षेत्र/परियोजना कार्य आदि करके संबद्ध कालेजों में पूर्वस्नातक स्तर पर मानविकी और समाज-विज्ञान के विषयों के शिक्षण में गुणतात्मक सुधार करना । इस कार्यक्रम से कालेजों को शिक्षण, अधिगम, पाठ्यचर्या ओर परीक्षा-पैटर्न में सुधार लाने की दृष्टि से प्रयोग करने के अवसर प्राप्त होते है । 31/3/1991 तक कार्यक्रम के प्रथम चरण में 685 कालेजों को (जिनमें 50 शिक्षक प्रशिक्षण कालेज शामिल हैं) और दूसरे चरण में 99 कालेजों को सहायता प्रदान की गई है । इस कार्यक्रम की समीक्षा की जा रही है ।

5.06 कालेज विज्ञान कार्यक्रम (कोसिप)

1971 से चलाए जा रहे इस कार्यक्रम का उद्देश्य संबद्ध कालेजों में पूर्व-स्नातक

स्तर पर विज्ञान के विषयों के शिक्षण में गुणतात्मक सुधार लाना है । यह विषय-वस्तु शिक्षण विधियों, पाठ्यविवरणों, पाठ्यचर्यायों, प्रयोगशाला अभ्यासों, कार्यशालाओं, पुस्तकालय और शिक्षण सामग्री में सुधार करके किया जाएगा । इस कार्यक्रम से कालेज/विश्वविद्यालय स्तर पर विज्ञान के महत्व के प्रति जागरूकता आयी है । 31 मार्च, 1991 को 314 कालेजों में यह कार्यक्रम लागू किया गया । इस कार्यक्रम की समीक्षा की जा रही है ।

5.07 विश्वविद्यालय नेतृत्व कार्यक्रम

विश्वविद्यालय नेतृत्व कार्यक्रम का उद्देश्य विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी कालेजों में कुछ खास विषयों की पढ़ाई में सुधार लाना है । चुनिंदा विश्वविद्यालय का संबंधित विभाग कालेज के विभागों को पाठ्यचर्या-सुधार, शिक्षण-विधि, पाठ्यविवरण और पाठ्यक्रमों के संबध में आवश्यक सहायता, परामर्श और मार्गदर्शन प्रदान करता है । निर्धारित पाठ्य विवरण और परीक्षा-प्रक्रिया के वर्तमान ढाँचे के अंदर ही संबधित विषय के शिक्षण में सुधार करना है । 31 मार्च, 1991 को इस कार्यक्रम में मानविकी और समाज-विज्ञान के विषयों मे 24 विश्वविद्यालय-विभागों और विज्ञान के विषयों में 41 विश्वविद्यालय-विभागों ने भाग लिया । इस कार्यक्रम की समीक्षा की जा रही है ।

5.08 विषय नामिकाएं

आयोग के पास विश्वविद्यालयों से लिए गए विशेषज्ञों की नामिकाएं हैं जो आयोग को विभिन्न विषयों के शिक्षण और अनुसंधान की गुणवत्ता के अनुरक्षण और सुधार से संबंधित मामलों पर सलाह देती है । विषय-पाठ्यक्रम के अद्यतन और आधुनिकीकरण में और शिक्षण तथा अनुसंधान को एक नया आयाम देने में इन विशेषज्ञों की सिफारिशों एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं इलेक्ट्रानिकी और यंत्रीकरण तथा इंजीनियरी के संबंध में विशेषज्ञों द्वारा वर्ष 1990-91 के दौरान की गई सिफारिशें नीचे दी गई है विज्ञान और समाज-विज्ञान सहित मानविकी के अन्य विषयों के विशेषज्ञ-नामिकाओं की बैठक नहीं हो सकी क्योंकि आलोच्य वर्ष के दौरान इनका गठन फिर से किया जा रहा था ।

5.09 इलेक्ट्रानिकी और यंत्रीकरण की नामिका

आयोग एम. एस-सी. के इलेक्ट्रॅनिकी-विज्ञान पाठ्यक्रम के लिए सहायता दिल्ली विश्वविद्यालय, पूना विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कोचीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, बरहामपुर

विश्वविद्यालय, बिहार विश्वविद्यालय, बंगलौर विश्वविद्यालय, सरदार पटेल विश्वविद्यालय और गुवाहाटी विश्वविद्यालय को प्रदान कर रहा है ।

1990-91 में आयोजित नामिका की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार एम. एस-सी. इलेक्ट्रानिकी के स्थानपर एम. एस-सी. इलेक्ट्रानिक विज्ञान पाठ्यक्रम रख दिया गया है । नामिका ने यह भी निर्णय लिया है कि इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए विश्वविद्यालय के कुलपति की अध्यक्षता मे सलाहकार समितियों का गठन किए जाए, जिनमे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा इलेक्ट्रानिकी विभाग का एक-एक प्रतिनिधि हो और पाठ्यक्रम के कुछ प्रोफेसर हों पुराने विभागों, जैसे दिल्ली, पूना और कलकत्ता के विभागों के निष्पादन की समीक्षा की जा सकती है ।

5.10 इंजीनियरी की नामिका

नामिका ने यह सुझाव दिया हे कि आयोग अन्ना विश्वविद्यालय द्वारा वि. अ. आ. को इंजीनियरी में एक पुरस्कार देने के लिए दी गई रू. 2 लाख में से प्रतिवर्ष रू. 20,000/ का एक पुरस्कार देने की व्यवस्था करे ।

5.11 विशेष सहायता कार्यक्रम (सैप)

आयोग इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्नातकोत्तर और अनुसंधान स्तर पर अध्ययन की गुणवत्ता और विषय-वस्तु में सुधार लाने के लिए कार्य और उपलब्धियों के आधार पर सावधानीपूर्वक चुने गए अनेक विश्वविद्यालय विभागों को आवश्यक जनशक्ति, शिक्षण-सामग्री और उपस्करों के रूप में पर्याप्त सहायता प्रदान करता है । अतः इस योजना का मुख्य लक्ष्य 'उत्कृष्टता की खोज' को प्रोत्साहित करना है ।

आयोग तीन स्तरों अर्थात् उच्च अध्ययन केन्द्र (सी ए एस), विशेष सहायता विभाग (डी एस ए) और विभागीय अनुसंधान सहायता पर सहायता प्रदान करके इस कार्यक्रम को चला रहा है । कुछ विभागों को उच्च अध्ययन केन्द्र (सी ए एस) के रूप में चयन करने की योजना आयोग ने 1963-64 में शुरू की थी, जबकि विशेष सहायता विभाग (डी एस ए) की योजना उच्च अध्ययन केन्द्र (सी ए ए) के एक सहायता कार्यक्रम के रूप में 1972 में शुरू की गई थी । इसका मुख्य उद्देश्य उच्च अध्ययन और सामूहिक अनुसंधान प्रयास को बढ़ावा देना रहा है जिससे कि अभिज्ञात विभाग अपने विषय-क्षेत्रों के अनुसंधान कार्य में तेजी ला सके । डी एस ए को उच्च अध्ययन केन्द्र के रूप में यथासमय मान्यता दी जा सकती है । सामूहिक अनुसंधान प्रयास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विशेष सहायता विभाग कार्यक्रम के एक समर्थक कार्यक्रम के रूप में 1977 में विभागीय

बीज गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला में प्रयुक्त युक्तियां, अनुप्रयुक्त वनस्पति विज्ञान, मैसूर विश्वविद्यालय ।

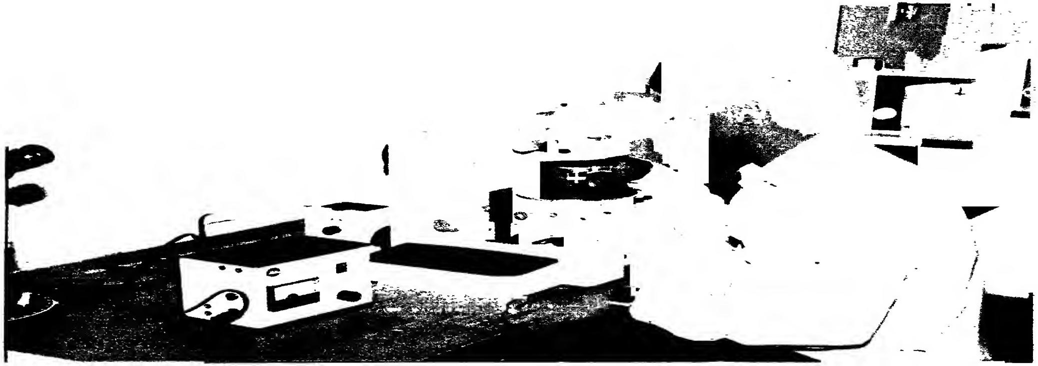

पोल राइजिंग माइक्रोस्कोप, भूविज्ञान विभाग, बगलौर विश्वविद्यालय ।

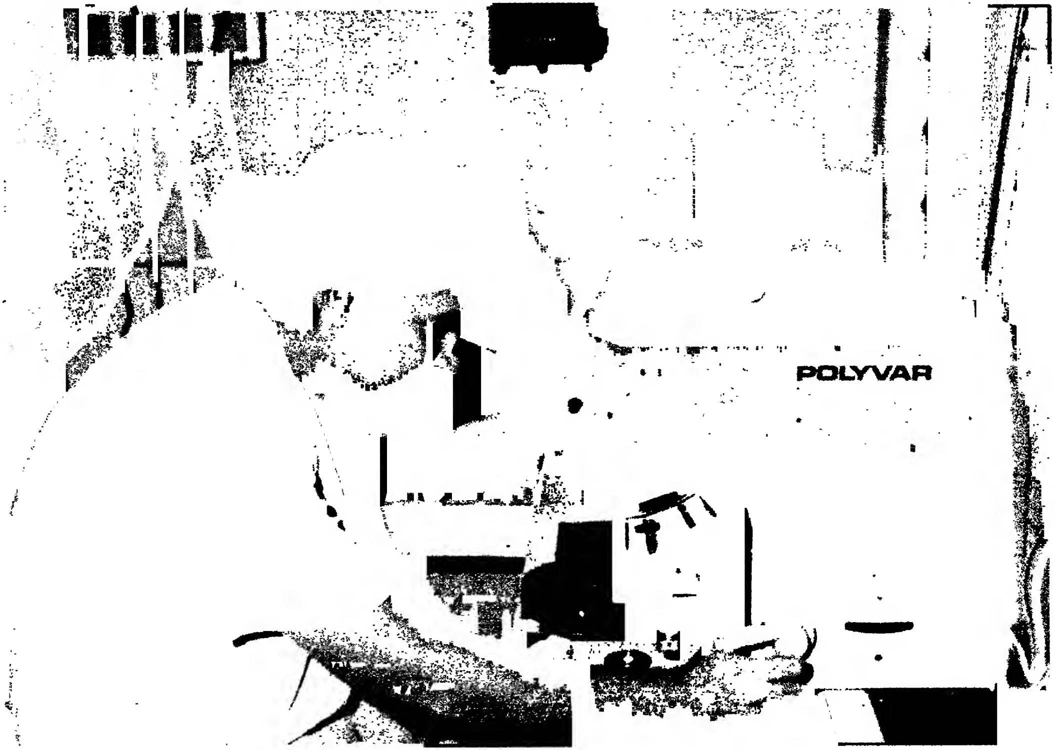

पालिवार माइक्रोस्कोप, सूक्ष्म जैविकी विभाग, एम.एस. विश्वविद्यालय बड़ौदा ।

अनुसंधान सहायता योजना शुरू की गई जिससे कि मूल्यांकन के बाद पहचाने गए विभाग को विशेष सहायता विभाग के रूप में मान्यता दी जा सके । विशेषज्ञ समितियों की सिफारिशों पर आयोग स्टाफ, (अकादमिक और तकनीकी) भवन, उपस्कर, पुस्तकों और पत्रिकाओं, कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति/अनुसंधान एसोशिएट, आकस्मिक व्यय, रासायनिक पदार्थो और कांच के सामानों यात्रा, संगोष्ठी/परिचर्चा, अभ्यागत संकाय, परिवहन, अनुरक्षण आदि की व्यवस्था करके विशेष सहायता कार्यक्रम में शत प्रतिशत सहायता प्रदान कर रहा है । विशेष सहायता योजना में भाग ले रहे विभागों के निष्पादन का सतत परिवीक्षण किया जाता है । यहा तक कि इस योजना के अंतर्गत भाग लेने वाले विभाग चयन करने से पहले भी संबंधित विषय नामिका द्वारा उसकी उपलब्धियों की जाँच की जाती है । नामिका की सिफारिशों पर अंतिम विचार आयोग करता है । आयोग का अनुमोदन मिल जाने के बाद विशेषज्ञ-समितियां इन विभागों का दौरा करती है और संकाय तथा छात्रों के साथ विस्तृत चर्चा करके उनकी आवश्यकताओं का निर्धारण करती हैं । आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार सी ए एस/डी एस ए/डी आर एस के स्तर पर एस ए पी के अंतर्गत विभागों के लिए यह आवश्यक है कि वे कार्यक्रम के कार्यान्वयन का परिवीक्षण करने के लिए एक सलाहकार समिति का गठन करे । इस समिति की बैठक साल में एक बार अवश्य होनी चाहिए और बैठक में उन्हें विभाग की वार्षिक रिपोर्ट और भावी कार्यक्रमों की जांच करनी चाहिए । दौरा करने वाली विशेषज्ञ समितियों की सहायता से 3/5 वर्षो की अवधि पर विभागों की आगे समीक्षा की जाती है । समान्यतः ये समितियां विभागों का दौरा करके विशेष अवधि के दौरान उनकी उपलब्धियों पर विस्तृत चर्चा करती हैं और यदि योजना के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई हो तो तदनुसार उसके लिए सिफारिश करती हैं । अंत में विशेषज्ञ समितियों की रिपोर्टो को अनुमोदन के लिए आयोग को प्रस्तुत किया जाता है ।

विश्वविद्यालय प्रणाली में शिक्षण /अनुसंधान कार्य का उच्चतम स्तर बनाए रखने के लिए योजना का परिवीक्षण सख्ती से किया गया है । योजना की समीक्षा करने से यह पता चला है कि इसने एस ए पी विभागों को राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोगी कार्यक्रम चलाने के लिए प्रेरित किया है और साथ ही देश के अति प्रतिभाशाली व्यक्तियों को इस कार्यक्रम की ओर आकर्षित करने में सहायक रहा हैं । विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर विभाग की उपलब्धियों की दृष्टि से उसे समान स्तर या उससे उच्च स्तार पर बनाए रखा जाता है या उनकी मान्यता समाप्त कर दी जाती है । आयोग ने अनेक विभागों की मान्यता समाप्त कर दी है क्योंकि विशेषज्ञ समितियों द्वारा उनके निष्पादन को अपेक्षित स्तर का नहीं पाया गया । 31/3/1991 को मानविकी और समाज-विज्ञान में 16 सी ए एस, 93 डी एस ए और 18 डी आर एस थे (परिशिष्ट XIX, XX और XXI) और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विषयों में 41 सी ए एस, 106 डी एस एस और 43 डी आर एस थे । (परिशिष्ट XXII, XXIII और XXIV) ।

5.12 पाठ्यचर्या विकास केन्द्र

1986 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य इस प्रकार है :- (I) उच्च शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर अलग-अलग विश्वविद्यालयों के वर्तमान पाठ्यविवरणों और पाठ्यक्रमों की समीक्षा करके: ओर (II) इन पाठ्यक्रमों का आधुनिकीकरण और पुनर्गठन करके इकाई पाठ्यक्रमों में बदलने के उपायों को सुझा करके: और (III) संबद्ध विषय के अध्ययन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करने वाले वैकल्पिक माडलों को विकसित करके विभिन्न विषयों पाठ्यचर्या विकास केन्द्र स्थापित करना है ।

31 मार्च 1991 को विभिन्न विषयों में 27 पाठ्यचर्या विकास केंद्र स्थापित किए गए थे (विज्ञान के विषयों में 10 और मानविकी तथा समाज-विज्ञान के विषयों में 17) । इन केन्द्रों की एक सूची परिशिष्ट - XXV (क) और (ख) में दी गई हैं । आयोग ने इन केन्द्रों से माडल पाठ्यविवरण प्राप्त किए हैं, जिन्हे विश्वविद्यालयों में परिचालित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर की कार्यशालाओं में चर्चा की गई थी आलोच्य वर्ष में आयोग ने पाठ्यचर्चा विकास केंद्र की रिपोर्ट को व्यापक रूप से परिचालित करने और उसे प्रकाशित करने और दिल्ली विश्वविद्यालय के ग्राफिक कला केन्द्र के जरिए बेचने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है । इस कार्य के लिए आयोग प्रकाशन पर होने वाले खर्चो में 50 प्रतिशत की आर्थिक सहायता प्रदान करेगा जिससे कि इसका विक्रय मूल्य इतना रखा जाए कि लोग इसे खरीद सकें ।

पाठ्यचर्याएं इस तरह बनाई गई है कि इनमें मानव संसाधन विकास के मूल तत्व के रूप में शिक्षण की तुलना में अधिगम पर अधिक बल दिया गया है शिक्षक व्याख्यान की ओर ध्यान देने की अपेक्षा अधिगम की ओर छात्र को प्रेरित करने पर अधिक बल देने वाले माड्यूलर-रूप में पाठ्यचर्या-कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया हो । इसके अंतर्गत छात्रों के लिए घर के लिए दत्त कार्य, ट्यूँटोरियल, प्रश्न-हल करने के सत्रों, टर्म पेपरों आदि की व्यवसायी की जाती है । परियोजना/क्षेत्र कार्य पाठ्यचर्या के अभिन्न अंग होने चाहिए जिससे कि छात्र पुस्तकालय और प्रयोगशाला सुविधाओं का नियमित रूप से प्रयोग करते रहें । पाठ्यचर्याओं को विभिन्न विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं और अन्य निकायों के संबद्ध विषयों के विशेषज्ञों ने विकसित किया है । पूर्व-स्नातक पाठ्यचर्या के संबंध में कालेजों से भी विशेषज्ञ लिए गए है ।

5.13 परीक्षा-सुधार

आयोग सतत आंतरिक मूल्यांकन, प्रश्न-बैंक का विकास, ग्रेडिंग पद्धति, सेमेस्टर

प्रद्धति जैसे परीक्षा-सुधारों और पाठ्य-विवरण, प्रश्न-पत्र और परीक्षा-आयोजन जैसे कुछ निम्नतम सुधारों से संबंधित विभिन्न उपायों को लागू करने पर जोर देता रहा है । 31/3/1991 को परीक्षा-सुधार से संबधित विभिन्न उपायों को लागू करने की स्थिति इस प्रकार थी :

I. 52 विश्वविद्यालयों, 18 विश्वविद्यालय मान ली गई संस्थाओं और 23 कृषि/प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालयों ने विभिन्न स्तरों पर सतत आंतरिक मूल्यांकन करने की विधि लागू की है ।

II. 18 विश्वविद्यालयों, 8 विश्वविद्याालय मान ली गई संस्थाओं और 5 कृषि-विश्वविद्यालयों में प्रश्न-बैंक विकसित किए है या विकसित किये जा रहे है ।

III. 23 विश्वविद्यालयों, 12 विश्वविद्यालय मान ली गई संस्थाओं और 22 कृषि/प्रौद्योगिक विश्वविद्यालयों में ग्रेडिंग पद्धति लागू हैं ।

IV. 51 विश्वविद्यालय, 13 विश्वविद्यालयों विश्वविद्यालय मान ली गई संस्थाओं और 19 कृषि/प्रौद्योगिक विश्वविद्यालयों में सेमेस्टर पद्धति लागू है ।

V. 89 विश्वविद्यालयों/संस्थाओं ने प्रत्येक प्रश्न-पत्र के पाठ्यविवरण को विषयवार घटको के साथ विषय-वस्तु को सुपरिभाषित इकाइयों/क्षेत्रों में बाँटने के लिए कदम उठाए हैं या उठा रहे हैं ।

VI. 85 विश्वविद्यालयों/संस्थाओं ने यह निर्णय लिया है कि परीक्षकों को पिछली परीक्षा में दिए गए प्रश्नों को फिर से देने की छूट होनी चाहिए ।

VII. 84 विश्वविद्यालयों/संस्थाओं ने यह निर्णय लिया है कि प्रश्नों का उत्तर देने के लिए छात्रों को व्यापक विकल्प देने के स्थान पर यह पाठ्यविवरण की प्रत्येक इकाई तक ही सीमित होना चाहिए ।

VIII. 81 विश्वविद्यालयों ने इस विचार पर समर्थन किया है कि न्यूनमत संख्या में व्याख्यान/अनुशिक्षण प्रयोगशाला सत्र पूरा किए बिना कोई भी परीक्षा आयोजित नहीं की जानी चाहिए, और

IX. 86 विश्वविद्यालयों/संस्थाओं ने यह सूचित किया हे कि वे परीक्षा को ठीक

ढंग से आयोजित करने के लिए कारगर सुरक्षा उपाय, उचित पर्यवेक्षण और नकल करने तथा अनुचित सांधनों के प्रयोग से संबंधित सभी मामलों मे कठोर कार्रवाई करने जैसे कदम उठा रहे है ।

5.14 भारतीय लेखको द्वारा विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों का निर्माण

1970-71 से आयोग एक ऐसी योजना चला रहा है जिसके अंतर्गत विश्वविद्यालयों और कालेजों में उपयोग के लिए उच्च कोटि की पस्तकें, मानोग्राफ और अन्य संदर्भ सामग्री के निर्माण के लिए, विश्वविद्यालयों, कालेजों और उच्च अधिगम ओर अनुसंधान वाली अन्य संस्थाओं के उत्कृष्ट शिक्षा-विदों और स्कालरों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है । इस योजना को बीच ही में रोक दिया गया है और इसकी समीक्षा की जा रही है और इस संबंध में नए दिशा-निर्देश जारी किए गए है ।

5.15 डाक्टरेट के लिए शोध-प्रबंधों सहित विद्धतापूर्ण/अनुसंधान कृतियों का प्रकाशन

डाक्टरेट के लिए शोध प्रबंधों सहित विद्धतापूर्ण अनुसंधान कार्या के प्रकाशन की योजना के अंतर्गत आयोग विश्वविद्यालयों को सहायता प्रदान कर रहा है । आयोग दिशा-निर्देशों के अनुसार अधिक से अधिक दो विशेषज्ञों में से प्रत्येक विशेषज्ञ को पी. एच. डी. शोध-प्रबंध/विद्धतापूर्ण अनुसंधान कार्य का मूल्यांकन करने के लिए मानदेय के रूप में प्रति विद्धतापूर्ण कार्य/शोध-प्रबंध के लिए रू. 200 देने की व्यवस्था हैं ।

5.16 हरिओम आश्रम न्यास पुरस्कार

विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले उत्कृष्ट छात्रों को ये पुरस्कार दिए जाते हैं । इस पुरस्कार के अंतर्गत एक प्रशस्ति-पत्र और रू० 10,000 का नकद पुरस्कार दिया जाता है । इन पुरस्कारों में भैतिक विज्ञान में प्रयौगिक अनुसंधान के लिए सर सी० बी० रमण पुरस्कार, अनुप्रयक्त विज्ञान में अनुसंधान कार्य के लिए होमी जे. भाभा पुरस्कार सैद्धान्तिक विज्ञान में अनुसंधान कार्य के लिए मेघनाथ साहा पुरस्कार, जीव-विज्ञान में अनुसंधान कार्य के लिए जगदीश चन्द्र बसु पुरस्कार और विज्ञान और समाज के बीच परस्पर-क्रिया के लिए हरिओम आश्रम न्यास पुरस्कार शामिल हैं आलोच्य वर्ष में इन पुरस्कारों के लिए नामन आमंत्रित किए गए है ।

5.17 स्वामी प्रणवनंद पुरस्कार

ये पुरस्कार मानव-ज्ञान में उत्कृष्ट योगदान देन वाले सुप्रसिद्ध विद्धानों को दिया

जाता है । इस पुरस्कार में एक प्रशस्ति-पत्र और रू० 10,000 का नकद पुरस्कार दिया जाता है । ये पुरस्कार सामजिक विज्ञान और परिस्थिति विज्ञान सहित शिक्षा, समाज-विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति-शास्त्र ओर पर्यावरण विज्ञान के लिए दिए जाते है । आलोच्य वर्ष में इन पुरस्कारों के लिए नामन आमंत्रित किए गए है ।

5.18 गांधी अध्ययन

आयोग ने गांधी पर अध्ययनों और मूल्यों के विभिन्न कार्यक्रमों और गांधी भवनों को सुदृढ़ करने के लिए विश्वविद्यालयों को सहायता देना जारी रखा आयोग ने गांधी अध्ययन के अनुसंधान एसोशिएटों के पदों का अनुमोदन करना जारी रखा ।

गांधी अध्ययन कार्यक्रम के अधीन (I) "राष्ट्रीय हिंसा के जरिए संघर्ष संकल्पः विश्वविद्यालयों की भूमिका" और (2) ग्रामीण एवं जन-जातीय विकास के प्रति गांधी-दृष्टिकोण "नामक दो राष्ट्रीय संगोष्ठियां अक्टूबर 1990 और दिसंबर 1990 को क्रमशः दिल्ली विश्वविद्यालय और गुरू घासीदास विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की गई ।

5.19 बौद्ध अध्ययन

आयोग बौद्ध-अध्ययनों को बढ़ावा देन के लिए कुछ चुने गए विश्वविद्यालय को योजना-आबंटन के अतिरिक्त शत-प्रतिशत सहायता प्रदान करता रहा है । बौद्ध-अध्ययनों से संबधित शिक्षण और अनुसंधान को सुदृढ़ करने की दृष्टि से मुख्यतः स्टाफ और पुस्तकों को खरीदने के लिए सहायता प्रदान की जाती है ।

5.20 नेहरू अध्ययन :

अगस्त, 1988 में आयोजित अपनी बैठक में नेहरू अध्ययन समिति ने यह सुझाव दिया है कि कुछ केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में नेहरू अध्ययन केन्द्र खोले जाएं । इस सुझाव को स्वीकार नहीं किया गया । इसके स्थान पर आयोग ने यह उपयुक्त समझा कि आपने कार्यकलाप-कार्यक्रमों में गांधी अध्ययन केन्द्र नेहरू की विचारधारा को भी शामिल कर सकते है जिसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सहायता प्रदान कर सकता है । इस संबंध में गांधी अध्ययन केन्द्रों वाले विश्वविद्यालयों से परामर्श किया जा रहा है ।

खंड - 6
विश्वविद्यालयों का विकास

6.01 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12(8) के अधीन उपयुक्त माने गए विश्वविद्यालयों को आयोग ऐसी आंतरिक संरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए, जो सामान्यतः सहायता प्रदान करने वाली राज्य सरकारों/अन्य निकायों से उपलब्ध नहीं होती, विकास-अनुदान देता हैं । शिक्षण और अनुसंधान की गुणवत्ता और स्तर बढ़ाने तथा विश्वविद्यालय परिसर में संगठित जीवन में सुधार लाने की दृष्टि से आयोग सामान्यतः शिक्षा-भवनों, छात्रावासों, उपस्करों, पुस्तकों और पत्रिकाओं, स्टाफ-क्वार्टरों और अन्य सुविधाओं के लिए सहायता प्रदान करता है ।

6.02 विश्वविद्यालयों की विकास योजनाओं का प्रस्ताव बनाने के लिए आठवीं योजना के दिशा निर्देश

आयोग का आठवीं योजना के दौरान शिक्षग और अनुसंधान के क्षेत्र में विश्वविद्यालयों की क्षमता को बढ़ाने का विचार है । आयोग ने विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय से परे ऐजन्सियों और संस्थाओं से, विशेष रूप से अनुसंधान और विकास में लगी एजेन्सियों और संस्थाओं के साथ संबध बनाए रखने की सलाह दी है ताकि विश्वविद्यालय-शिक्षा को और अधिक सार्थक बनाया जा सके । विश्वविद्यालयों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उभर रहे उन क्षेत्रों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा जिनका इलेक्ट्रनिक विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, समुद्र-विज्ञान और पर्यावरण और ऊर्जा अध्ययन जैसे सामाजिक एंव आर्थिक विकास में काफी योगदान है ।

गत वर्ष आयोग द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालयों को परिचालित 'विश्वविद्यालय की विकास योजनाओं का प्रस्ताव बनाने की आठवीं योजना के दिशा-निर्देश वर्तमान कार्यक्रमों का समेकित रूप हैं ।

प्रयोगशालाओं, कार्यशालाओं और पुस्तकालय सेवाओं को उपलब्ध कराकर वर्तमान स्नातकोत्तर विभागों को सुदृढ़ करने के काम को प्राथमिकता दी जाएगी ।

नए विशिष्ट कार्यक्रमों को चलाने या नए विभाग खोलने को अंतर-विषयक दिशा माना जा सकता है जिसे विकसित विश्वविद्यालयों में उपलब्ध सुविधाओं के साथ

कायम रखा जा सकता है । विकासशील विश्वविद्यालयों के संबंध में, समूचे राज्य या क्षेत्र में उपलब्ध सेवाओं और सुविधाओं को ध्यान में रखने और जनशक्ति की आवश्यकताओं का अध्ययन करने के बाद राज्य या क्षेत्र में विभागों की आवश्यकताओं पर विचार करके नए विभाग खोलने के बारे में निर्णय लिया जाएगा । विश्वविद्यालयों को चाहिए कि वे आगतों के कम व्यवहार्य स्तरों और अपर्याप्त तैयारी वाले नए अध्ययन-विभाग खोलने को प्रोत्साहित न करें । अप्रासंगिक या जो पुराने पड़ गए है उन पाठ्यक्रमों को समाप्त कर देना चाहिए और इन विषयों के शिक्षकों को पुनः प्रशिक्षित करना चाहिए ।

दिशा-निर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालयों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे सभी विभागों में शिक्षण सहायता साधन उपलब्ध कराएं और शिक्षकों तथा छात्रों के लिए वीडियो टेपों पर मुख्य-मुख्य विषयों मे पाठ्यक्रम कार्यक्रम तैयार करें ताकि शिक्षक और छात्र अपनी विशेषता वाले क्षेत्रों में हो रही प्रगतियों और साथ ही शिक्षण-विधि से अवगत होते रहें । विश्वविद्यालयों को यह भी सलाह दी गई है कि वे छात्रों को उपयुक्त रोज़गार एजेन्सियों के साथ संबंध बनाए रखने ओर सेवाओं के बारे में परामर्श देने जैसी समान्य सुविधाओं में सुधार लाएँ ।

आठवीं योजना के दौरान संस्थागत विकास योजनाओं के अधीन पूर्व-स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षण और अनुसंधान सुविधाओं के लिए वि. अ. आ. द्वारा विश्वविद्यालयों को दी जाने वाली सहायता के पैटर्न में तरमीम की गई है । विश्वविद्यालयों को पुस्तकालय-भवनों और महिला-छात्रावासों के लिए शत प्रतिशत सहायता प्रदान की जाएगी और प्रयोगशालाओं,, कक्षाओं, केन्द्रीय कार्यशाला, ग्रीन हाउस, ग्लास हाउस, पशु हाउस, अतिथि गृह, लड़कों के छात्रावास, शिक्षकों के होस्टल, स्टाफ क्वार्टर, कैण्टीन की बिल्डिंग, अभ्यागत संकाय कार्यक्रम आदि, विश्वविद्यालय मुद्रणालयों की स्थापना/सुधार, स्वास्थ्य केन्द्र और वर्तमान छात्रावासों की सुविधाओं में सुधार लाने के लिए आयोग 75 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान करेगा । पहले यह सहायता क्रमशः 75 प्रतिशत और 50 प्रतिशत थी । अब विश्वविद्यालय और बिजली सहित परिसर विकास के लिए भी 75 प्रतिशत सहायता प्रदान की जाएगी । अतिरिक्त शिक्षण, तकनीकी, पुस्तकालय और प्रशासनिक सहायता स्टाफ, उपकरण, पुस्तक और नई पत्रिकाओं, संकाय सुधार कार्यक्रम, विस्तार कार्यक्रम और प्रशिक्षण, सतत शिक्षा तथा सांस्कृतिक कार्यकलापों सहित सेवाओं के संबध में पहले की ही तरह वि. अ. आ. अब भी शत-प्रतिशत सहायता प्रदान करता रहेगा ।

6.03 आठवीं योजना में विश्वविद्यालयों के विकास प्रस्तावों की विशेषज्ञ समितियों की सिफारिशें

अयोग ने राज्य विश्वविद्यालयों के संबंध में आठवीं योजना के विकास-प्रस्तावों के संबंध में विशेषज्ञ समितियों द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकर कर लिया और इस बात से सहमत हो गया है कि फिलहाल रू. 2537.00 लाख की 1990-91 की वार्षिक योजनाओं को लागू किया जा सकता है । भाग-I और भाग-II में दिखाए गए आबंटनों को अन्तिम माना जाए क्योंकि इस योजना पर वि. अ. आ. के कुल योजना परिव्यय के आधार पर इनकी समीक्षा की जानी है । विश्वविद्यालयों को इस निर्णय को सूचित करते समय आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया था कि यह केवल वर्ष 1990-91 की योजनाओं के लिए है और विश्वविद्यालय को भाग-I और भाग-II से संबधित निर्णयों को उन्हें अंतिम रूप दे देने के बाद सूचित किया जाएगा ।

6.04 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और विश्वविद्यालय मानी गई संस्थाओं का परिसर-विकास

आयोग ने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और विश्वविद्यालय मानी गई संस्थाओं के परिसर विकास के लिए दी जाने वाली सहायता को जारी रखा । वर्ष 1990-91 के दौरान इस कार्य के लिए आयोग ने रू० 121.96 लाख का अनुदान दिया ।

6.05 केन्द्रीय विश्वविधालयों के आर्युविज्ञान कालेजों और अस्पतालों को योजनागत विकास स्कीमों के अधीन अनुदान

आयोग ने योजनागत विकास स्कीमों के अधीन आयोग आर्युविज्ञान शिक्षा के लिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय आर्युविज्ञान कालेज (दिल्ली विश्वविद्यालय) को दिए जाने वाले अनुदान को जारी रखा ।

आर्युर्विज्ञान शिक्षा के संबंध में इन संस्थाओं से उपने आठवीं योजना के विकास प्रस्ताव तैयार करने का अनुरोध किया गया था । जब तक उनके प्रस्ताव प्राप्त नहीं हो जाते तब तक के लिए आयोग ने पुस्तकों, पत्रिकाओं और उपकरणों से संबंध में आठवीं योजना आवंटन के प्रथम प्रभार के रूप में वर्ष 1990-91 के लिए उप-योजनागत आबंटन करने का निर्णय लिया है ।

वर्ष 1989-90 के दौरान आयुर्विज्ञान शिक्षा के लिए इन संस्थाओं द्वारा किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए आठवीं योजना के प्रथम प्रभार के रूप में वर्ष 1990-91 के दौरान निम्नलिखित अनुदान दिए गए ।

सारणी 6.1

(रूपए लाख में)

विश्वविद्यालय	सातवीं योजना का आवंटन	(8वीं योजना के प्रथम प्रभार के रूप में) वर्ष 1990-91 में दिए गए अनुदान		
		आयुर्विज्ञान कालेज	अस्पताल	जोड़
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	263.00	2.00	32.00	34.00
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	282.70	31.75	25.00	56.75
विश्वविद्यालय आयुर्विज्ञान कालेज (दिल्ली विश्वविद्यालय)	200.00	15.00	-	15.00
	745.70	48.75	57.00	105.75

6.06 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की विकास योजना के लिए उपयोजना

आयोग के वार्षिक बजट के अंतर्गत केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के आयुर्विज्ञान कालेजों और इन कालेजों से जुड़े अस्पतालों और दिल्ली कालेज के भवनों के विकास के लिए उप-योजना के अधीन अलग आबंटन कर रहा है । वर्ष 1990-91 के दौरान आयोग ने यह निर्णय लिया कि सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को निम्नलिखित घटकों के लिए 1990-91 में उप-योजना आबंटन की व्यवस्था की जाएगी :

I. आयोग द्वारा अनुमोदित वर्तमान भवन-निर्माण परि-योजनाओं को पूरा करने के लिए वर्ष 1990-91 में अपेक्षित राशि ।

II. पुस्तकों/पत्रिकाओं और उपस्करों के लिए सातवीं योजना मे आबिटत राशि के 1/5 भाग के बराबर राशि ।

III. सातवीं योजना में अनुमोदित पदों, (जिन्हें 31-3-1990 के बाद भरा गया है) के वेतन और आठवीं योजना पर प्रथम प्रभार के रूप में आयोग द्वारा अनुमोदित पदों के वेतन पर होने वाला खर्च ।

IV. आठवीं योजना आबंटन के प्रथम प्रभार के रूप में पहले से ही आयोग द्वारा अनुमोदित अन्य मदों पर होने वाला खर्च ।

वर्ष 1990-91 के दौरान उप-योजना के अधीन विभिन्न योजनाओं के लिए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को दिए गए रू. 1385.13 लाख के अनुदान का ब्यौरा सारणी 6.2 में दिया गया है :

सारणी 6.2

योजना	1990-91 में दिया गया/ मंजूर किया गया अनुदान (रुपये लाख में)
मानविकी और समाज विज्ञान में सामान्य विकास	297.97
विज्ञान में सामान्य विकास	261.28
आयुर्विज्ञान कालेज	48.75
अस्पताल	57.00
केन्द्रीय विश्वविद्यालयों से जुड़े स्कूल	15.00
परिसर विकास	111.63
दिल्ली के कालेजों के भवन	182.85
केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को गृह निर्माण पेशगी	150.15
छात्रावास	68.06
विविध	192.44
जोड़:	1385.13

वर्ष 1990-91 के दौरान योजना और खंड-III के अधीन (मुख्य शीर्षकों के अनुसार) प्रत्येक विश्वविद्यालय को दिये गए अनुदानों का विवरण परिशिष्ट-XXVI में दिया गया है ।

6.07 इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी की विकास

आयोग उन विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करता रहा है जिनमें इंजीनियरी प्रौद्योगिकी में उच्च शिक्षा और प्रौद्योगिकी के विषयों के अपने विभाग हैं । वर्ष 1990-91 के दौरान इस कार्य के लिए 35 विश्वविद्यालयों को सहायता प्रदान की गई है । विश्वविद्यालय के विभागों में इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी के छात्रों को स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति/वरिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति देने के लिए भी आयोग सहायता प्रदान कर रहा है ।

1990-91 के दौरान इस कार्य के लिए आयोग ने विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थाओं को रू. 1774.63 लाख का अनुदान दिया ।

6.08 प्रबंध पाठ्यक्रम

प्रबंध-अध्ययन में कार्यक्रम चलाने के लिए भी आयोग विश्वविद्यालयों/संस्थाओं को सहायता प्रदान करता रहा है । 31-3-1991 तक इन कार्यक्रमों को चलाने के लिए आयोग के 40 विश्व-विद्यालयों / संस्थाओं को सहायता प्रदान कर रहा था । 1990-91 के दौरान इस कार्य के लिए रू. 106.13 लाख की सहायता दी गई । यह राशि ऊपर के पैरा 6.07 में बताए गए इंजीनियरी/ प्रौद्योगिकी के विकास के लिए दिए गए कुल अनुदान का एक भाग है ।

6.09 जनशक्ति प्रशिक्षण के लिए कंप्यूटर सुविधाओं और कंप्यूटर शिक्षा का विकास

आयोग कंप्यूटर सुविधाएं प्रदान करने और कंप्यूटर केन्द्र खोलने के लिए विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है । वर्ष 1990 तक कंप्यूटर प्रणाली लगाने की योजना के अंत-र्गत 105 विश्वविद्यालयों को सहायता प्रदान की गई है ।

आयोग PC/XT कंप्यूटर प्रणाली खरीदने के लिए कालेजों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है । वर्ष 1990-91 के अंत तक 948 कालेजों को PC/XT कम्प्यूटर प्रणाली उपलब्ध करा दी गई थी ।

इस क्षेत्र में प्रशिक्षित जनशक्ति की कमी को पूरा करने के लिए आयोग निम्नलिखित विभिन्न जन-शक्ति विकास पाठ्यक्रम चलाने के लिए भी यू.जी.सी.डी.ओ. ई. के संयुक्त कार्यक्रम के अधीन विश्वविद्यालयों को सहायता प्रदान करता रहा है ।

(क) कंप्यूटर अनुप्रयोग में एकवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम (डी सी ए)

(ख) कंप्यूटर अनुप्रयोग का तीनवर्षीय मास्टर पाठ्यक्रम (एम सी ए)

(ग) कंप्यूटर विज्ञान में बी.टेक./बी.ई.

(घ) कंप्यूटर विज्ञान में एम.टेक./एम.ई.

(ड.) कंप्यूटर विज्ञान में एम. एस-सी.

इन विश्वविद्यालयों की संख्या जिनमें वर्ष 1990-91 तक विभिन्न पाठ्यक्रम अनुमोदित किए गए हैं, इस प्रकार है :

1. पोस्ट बी. एस-सी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम	-	61
2. एम. एस-सी.	-	44
3. कंप्यूटर विज्ञान में बी.टेक./ बी.ई	-	13
4. कंप्यूटर विज्ञान में एम.टेक./ एम.ई.		
5. कंप्यूटर विज्ञान में एम.एस-सी.	-	1

6.10 अनियत अनुदान

वर्ष 1990-91 के दौरान आयोग ने विश्वविद्यालयों के लिए अनियत अनुदान योजना के दिशा-निर्देशों की समीक्षा की है । वर्ष 1990-91 के लिए अनियत अनुदान की संशोधित योजना के मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों की योजनाओं अर्थात (i) डाक्टरेट के शोध प्रबधं सहित लेखों/ शोध-कार्यो का प्रकाशन और (ii) विज्ञान, मानविकी और समाज-विज्ञान के विषयों में लघु, अनुसंधान परियोजनाओं को, जिनके लिए विश्वविद्यालय को सहायता प्राप्त होती है, अनियमित अनुदान योजना मे शामिल किया गया है ।

संशोधित स्कीम में चार ग्रुप हैं और प्रत्येक ग्रुप में विभिन्न घटक हैं जो इस प्रकार हैं:-

वर्ग क - यात्रा अनुदान

1. विदेशों में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों/ संगोष्ठियों/परिचर्चाओं में भाग लेने के लिए शिक्षकों/वैज्ञानिकों/तकनीकी अधिकारियों/ प्रशासनिक स्टाफ जैसे रजिस्ट्रारों, पुस्तकालयाध्यक्षों और शारीरिक शिक्षा निदेशकों को सहायता प्रदान करना ।
2. राष्ट्रमंडल कुलपति-सम्मेलन में भाग लेने के लिए कुलपतियों को सहायता ।
3. सी एस आई आर/आई एन एस ए और अन्य एजेन्सियों के अंतर्राराष्ट्रीय सहयोग विनियम कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षकों को अंतर्राष्ट्रीय यात्रा-किराया और अनुरक्षण ।
4. अनुसंधान-केन्द्रों का दौरा करने या भारत में आयोजित शैक्षिक सम्मेलनों/संगौष्ठियों में भाग लेने के लिए शिक्षकों/अनुसंधान छात्रों/वैज्ञानिक/तकनीकी अधिकारियों और प्रशासनिक स्टाफ अर्थात रजिस्ट्रारों/पुस्तकालयाध्यक्षों/ शारीरिक शिक्षा निदेशकों को सहायता ।
5. शिक्षकों का आदान-प्रदान ।
6. आई सी टी पी के कार्यक्रमों और समकक्ष स्तर के कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए शिक्षकों को अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा-अनुदान ।

7. विदेशों में अभ्यागत प्रोफेसर के रूप में जाने के लिए भारतीय प्रोफेसरों/शिक्षकों को अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा-किराया ।

8. विदेशों में अध्येतावृत्ति/वजीफा प्राप्त करने के लिए चुने गए शिक्षकों को अंतराष्ट्रीय यात्रा-किराया ।

वर्ग ख - संगोष्ठियां, परिचर्चाएं आदि

1. विश्वविद्यालयों में मॉडल पार्लियामेंट, प्लानिंग फोरम तथा राष्ट्रीय एकता कार्यकलाप आयोजित करना ।

2. अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/राज्य/क्षेत्रीय स्तरों पर संगोष्ठियां/परिचर्चाएं तथा सम्मेलन आयोजित करना ।

वर्ग ग - विश्वविद्यालयों को प्रकाशन अनुदान

डाक्टरेट के शोध प्रबंध सहित विद्वतापूर्ण कार्य/अनुसंधान कार्य के प्रकाशन के लिए विश्वविद्यालयों को अनुदान ।

वर्ग घ - यू. जी. सी. की मार्गदर्शिका के अनुसार विज्ञान, मानविकी और समाज विज्ञान में लघु अनुसंधान परियोजनाओं को हाथ में लेने के लिए सहायता ।

वर्ष 1990-91 के दौरान अनियत अनुदान के रूप में विश्वविद्यालयों को रू. 78-49 लाख दिया गया ।

6.11 प्रदर्शनकलाओं, संग्रहालयों और पुरा लेख सेलों का विकास

आयोग ललित कलाओं के विकास और प्रदर्शन कलाओं, संग्रहालयों, पुरालेख सेलों/वास्तुकला अध्ययनों और वास्तुकला तथा संग्रहालय/विज्ञान पाठ्यक्रमों जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा देने में काफी रूचि ले रहा है ।

वर्ष 1990-91 के दौरान इन कार्यक्रमों के लिए रू. 7.72 लाख का अनुदान दिया गया ।

6.12 विकासशील देशों का अध्ययन केन्द्र

वर्ष 1987-88 में स्थापित विकासशील देशों के सामाजिक-आर्थिक अध्ययन केन्द्र के लिए आयोग जामिया मिलिया इस्लामिया को सहायता प्रदान कर रहा है । पहले

चरण में यह सहायता पांच वर्ष के लिए है और इसमें स्टाफ, स्थान, संगोष्ठियों, आकस्मिक खर्च, पुस्तकों और पत्रिकाओं का अनुमोदन शामिल है ।

यह केन्द्र विकासशील देशों में योजना और सामाजिक-आर्थिक विकास की नीतियों के अनुसंधान-अध्ययन का संवर्धन करने में लगा हुआ है । यह आर्थिक और सामाजिक विकास के केस-अध्ययनों का पता लगाता है और उन्हें प्रलेखित करता है और नियोजन तथा विकास-प्रक्रिया के लिए स्थापित संस्थागत आंतरिक संरचना की जांच करता है । यह विभिन्न देशों में पर्यावरण के अनुकूल उचित विकास के वैकल्पिक माडल विकसित करने में सहायता प्रदान करता है और विकासशील देशों में सामाजिक-आर्थिक विकास का अध्ययन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियां, कार्यशालाएं आदि आयोजित करता है ।

6.13 वैज्ञानिक समाजवाद केन्द्र

आयोग ने नागार्जुन विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित वैज्ञानिक समाजवाद केन्द्र को शिक्षण स्टाफ, अनुसंधान स्टाफ पुस्तकों और पत्रिकाओं, संगोष्ठियों, सम्मेलनों, प्रकाशन, अतिरिक्त स्थान, आकस्मिक खर्च आदि के संबंध में सहायता देना जारी रखा ।

6.14 क्षेत्रीय अध्ययन केन्द्र (भंजा साहित्य)

आयोग बरहामपुर विश्वविद्यालय के उड़िया विभाग में स्थापित क्षेत्रीय अध्ययन केन्द्र - भंजा साहित्य को सहायता प्रदान करता रहा है । संकाय में नियुक्ति के लिए और पुस्तकों, पत्रिकाओं और उपस्करों को खरीदने के लिए इस केन्द्र को पांच वर्ष तक सहायता प्रदान करने के लिए आयोग सहमत हो गया है । यह केन्द्र क्षेत्रीय साहित्य विशेष रूप से उपेन्द्र भंजा साहित्य से संबंधित शोध सामग्री को जुटाने और भंजा साहित्य पर शोध कार्य करने में लगा हुआ है ।

6.15 मणिपुरी अध्ययन और अनुसंधान तथा जनजातीय अनुसंधान केन्द्र

आयोग मणिपुर विश्वविद्यालय, इम्फाल में पिछले वर्ष [illegible]ापित दो केन्द्रों, अर्थात मणिपुरी अध्ययन और अनुसंधान केन्द्र और जनजातीय अध्ययन केन्द्र को भी सहायता प्रदान करता रहा है । मणिपुरी अध्ययन तथा अनुसंधान केन्द्र में मणिपुरी भाषा और साहित्य, भाषाविज्ञान, मणिपुरी संस्कृति, मणिपुरी लोककथा, पांडुलिपि-विज्ञान और कोष विज्ञान पर शोधकार्य हो रहा है जबकि जनजातीय अनुसंधान केन्द्र में मणिपुर की जनजातियों के सामाजिक-राजनैतिक पहलू, मणिपुर का नृजाति इतिहास,(जनजातीय जनांकिकीय और जनजातीय भूमि-व्यवस्था पर विशेष ध्यान देते हुए) जन्-जातियों का आर्थिक विकास और जनजातियों में परस्पर संपर्क जैसी अंतर-विषयक अनुसंधान परियोजनाओं पर काम हो रहा है ।

6.16 विकलांग बच्चों के शिक्षण के लिए शिक्षकों को विशेष शिक्षा

आयोग विकलांग बच्चों के शिक्षण के लिए शिक्षकों के हेतु विशेष शिक्षा पाठ्यक्रम चलाने के लिए विश्वविद्यालयों/संस्थाओं को सहायता प्रदान करता रहा है । 31-3-1991 को स्थिति के अनुसार इस कार्यक्रम के अधीन उपस्करों, स्टाफ, पुस्तकों और पत्रिकाओं की व्यवस्था करने के लिए सात विश्वविद्यालयों और दो कालेजों को सहायता प्रदान की जा रही थी ।

6.17 पत्रिकाओं के प्रकाशन के लिए सहायता

(क) विज्ञान शिक्षा में पत्रिकाएं

सन् 1984 से आयोग मैकमिलन इंडिया लि., मद्रास के जरिए जैव शिक्षा, रसायन शिक्षा, भौतिकी शिक्षा और गणितीय शिक्षा में त्रैमासिक पत्रिकाओं के प्रकाशन में सहायता देता रहा है । प्रत्येक पत्रिका के संपादक-मंडल की सलाह पर पत्रिकाएं प्रकाशित की जा रही है । इन पत्रिकाओं में ऐसे लेख छापे जाते हैं जो ऐसे क्षेत्रों में शिक्षा और अनुसंधान की वर्तमान प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालते हैं जो पूर्व-स्नातक और स्नातकोत्तर स्तरों पर विभिन्न विषयों के शिक्षण में नया उत्साह जगाते हो । ये पत्रिकाएं शिक्षण, नई पाठ्यचर्या और शैक्षिक प्रौद्योगिकी में नए विचारों के आदान-प्रदान के लिए एक मंच भी तैयार करती है । आयोग द्वारा गठित समितियों द्वारा समय-समय पर इसकी प्रगति की समीक्षा की जाती है

(ख) मानविकी और समाज-विज्ञान में पत्रिकाएं

आयोग मानविकी और समाज विज्ञान में भी पत्रिकाओं के प्रकाशन में सहायता प्रदान करता रहा है । यह अनुदान एक विशेष विषय या अंतर-विषयक आधार पर विभाग/संस्था द्वारा निकाली गई अंग्रेजी या क्षेत्रीय भाषाओं की अनुसधान पत्रिकाओं के प्रकाशन के लिए दिया जाता है । इस योजना का उद्देश्य पत्रिकाओं के स्तर में सुधार लाने और इनके नियमित रूप से प्रकाशित करने के लिए विश्वविद्यालय/विभाग को सहायता प्रदान करता है ।

इस योजना के अधीन वार्षिक खर्च को पूरा करने के लिए पांच वर्षो तक प्रति वर्ष अधिक से अधिक रू. 5000/- का अनुदान दिया जाता है ।

6.18 विज्ञान शिक्षा केन्द्र

विज्ञान शिक्षा केन्द्र का मुख्य उद्देश्य जनसाधारण में विज्ञान को लोकप्रिय बनाना है । विज्ञान शिक्षा केन्द्र का उद्देश्य सभी संचार-साधनों के जरिए विश्वविद्यालय और स्कूल स्तर पर विज्ञान शिक्षा के सुधार के लिए और विज्ञान एवं वैज्ञानिक मामलों में व्यापक रूचि पैदा करने के लिए विचारों और सामग्रियों को तैयार करना है । इन केन्द्रों द्वारा हाथ में लिए गए प्रमुख कार्यकलापों का उल्लेख वर्ष 1989-90 की रिपोर्ट में किया गया है ।

आजकल आयोग निम्नलिखित विश्वविद्यालयों को अनुदान प्रदान कर रहा है जिन्होंने इस प्रकार के केन्द्र खोल रखे हैं :-

1. मदुरै कामराज विश्वविद्यालय
2. दिल्ली विश्वविद्यालय
3. गुजरात विद्यापीठ
4. राजस्थान विश्वविद्यालय

आयोग शिक्षण और शिक्षणेतर स्टाफ, पुस्तकों और पत्रिकाओं, उपस्करों की अभिकल्पना और निर्माण, रासायनिक पदार्थ और कांच के पात्र, आकस्मिक खर्च, यात्रा और दृश्य-श्रव्य सहायक साधनों के लिए अनुदान उपलब्ध कराता है ।

6.19 विश्वविद्यालय विज्ञान यंत्रीकरण केन्द्र (यू एस आई सी)

आधुनिक उपकरण अधिक से अधिक परिष्कृत होने के कारण मँहगे होते जा रहे हैं अतः उच्च शिक्षा प्रणाली के लिए उपलब्ध सीमित साधनों से मुक्त रूप से उपकरणें को खरीदना संभव नहीं है । अतः यह आवश्यक है कि इन्हें विश्वविद्यालय के एक सामान्य पूल में लाया जाए जिससे कि शिक्षण और उच्च अनुसंधान में इनका प्रयोग बेहतर ढंग से किया जा सके । इसके लिए उपयुक्त सुविधाओं और तकनिशियनों की एक सुनियोजित व्यवस्था होनी चाहिए और सभी शैक्षिक स्टाफ में परस्पर सहयोग होना चाहिए जिससे कि यंत्रीकरण के सभी पहलुओं में विश्वविद्यालय के शैक्षिक स्टाफ की सहायता की जा सके । इस प्रयोजन के लिए आयोग ने अलग-अलग विश्वविद्यालयों में यू एस आई सी की योजना लागू की थी । इस योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयों

को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सहायता प्रदान करता है जहां विश्वविद्यालय के सभी प्रमुख उपकरणों को उनके अधिकतम उपयोग के लिए केन्द्रीकृत किया जा सकता है, जिनमें विभिन्न प्रकार के यंत्रों के निर्माण , मरम्मत और अनुरक्षण के लिए कार्यशालाएं हों जिनमें योग्य कार्मिक हों । इस कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न स्तरों पर जनशक्ति को प्रशिक्षित करना और उच्च शिक्षा प्रणाली में यंत्रीकरण के संवर्धन का प्रचार-प्रसार करना है ।

आयोग ने यू एस आई सी को सहायता प्रदान करने के लिए बंगलौर और बंबई में क्षेत्रीय यंत्रीकरण केन्द्र भी स्थापित किए हैं । आयोग्य स्टाफ के वेतन, उपस्करों, आकस्मिक खर्च और भवनों के लिए शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान करता है । इस योजना के परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय में उपस्करों का उपयोग अब अधिक किया जा रहा है । यू एस आई सी के निष्पादन के आधार पर इनमें से कुछ को यू एक आई सी के स्तर-I से बढ़ाकर स्तर-II कर दिया गया है और स्तर-II से बढ़ाकर स्तर-III कर दिया गया है ।

31-3-1991 को आयोग ने यू एस आई केंन्द्रों की स्थापना के लिए 65 विश्वविद्यालयों को सहायता प्रदान कर रहा था ।

6.20 मूल्यपरक शिक्षा

समाज में आवश्यक मूल्यों के ह्रास पर और बढ़ती हुई कटुता पर चिन्ता व्यक्त करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में पाठ्यचर्याओं के पुनः समायोजन पर ध्यान केंन्द्रित किया गया है ताकि शिक्षा को मूल्यपरक और सामाजिक तथा नैतिक मूल्यों के संवर्धन के लिए एक शक्तिशाली साधन बनाया जा सके । मूल्यपरक शिक्षा हमारी परंपराओं, राष्ट्रीय लक्ष्यों और सार्वभौमिक ज्ञानपर आधारित है । इस नीत में, पाठ्यचर्याओं, पाठ्यपुस्तकों, शिक्षकों के प्रशिक्षण और अभिविन्यास का पुनर्गठन करके और महिलाओं की सामाजिक स्थिति को ऊपर उठाकर नए मूल्यों के विकास में शिक्षा की सकारात्मक भूमिका की ओर भी ध्यान दिया गया है ।

तदनुसार, आयोग ने मूल्यपरक शिक्षा को उच्च प्राथमिकता दी है और यह इच्छा व्यक्त की है कि छात्रों में मूल्यों का विकास करने के लिए शिक्षकों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए जिससे कि छात्रों के व्यक्तित्व का समन्वित विकास हो सके । विशिष्ट मूल्य अलग-अलग क्षमताओं के अनुरूप होते हैं : शारीरिक शिक्षा, सौन्दर्य शिक्षा, मानसिक शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा, आदि के अपने मूल्य हैं । आयोग का यह प्रयास रहा है कि इन मूल्यों का लागू करना शिक्षण-अधिनियम प्रकिया का एक अभिन्न अंग होना चाहिए । इसके

लिए पहले चरण में आयोग ने गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद में लागू करने के लिए मूल्यपरक शिक्षा से संबधित अध्ययन को हाथ में लेने के लिए एक परियोजना की मंजूरी दी है । इस मद में रखी गई रू. 5.04 लाख की राशि में से आयोग ने 1990-91 के अंत तक परियोजना के लिए गुजरात विद्यापीठ को रू. 2.5 लाख की राशि का भुगतान किया है ।

6.21 विश्वविद्यालयों और कालेजों में खेल-कूद आधारिक संरचना का विकास

वर्ष 1990-91 के दौरान आयोग ने विश्वविद्यालयों और कालेजों में खेलकूद आधारिक संरचना के सृजन और विकास के लिए रू. 371 लाख का अनुदान दिया ।

6.22 विश्वविद्यालयों और बहुसंकाय कालेजों में शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा और खेलकूद में तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम

जैसाकि वर्ष 1989-90 की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है: शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा और खेल कूद में तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम चलाने के लिए 20 विश्वविद्यालयों और 36 कालेजों को अनुमोदित किया गया है । फिर भी, वर्ष 1990-91 तक केवल 6 विश्वविद्यालय और 21 कालेज ही इस पाठ्यक्रम को शुरू कर सके जिन्हें आयोग वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है ।

6.23 भावी अध्ययन

आयोग वर्ष 1989 से पश्च-एम.टेक./एम.एस.सी. स्तर पर भावी अध्ययन के पाठ्यक्रमों के लिए सहायता प्रदान करता रहा है । 31 मार्च, 1991 के भावी अध्ययन का पाठ्यक्रम निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में चलाया जा रहा था :

1. आंध्र विश्वविद्यालय
2. उस्मानिया विश्वविद्यालय
3. श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय
4. मदुरै कामराज विश्वविद्यालय

5. अन्नामलाई विश्वविद्यालय

6. पॉण्डिचेरी विश्वविद्यालय

7. केरल विश्वविद्यालय

8 भारतीदासन विश्वविद्यालय

9. देवी अहिल्या विश्वविद्यालय

10. गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान

आयोग शिक्षण स्टाफ, .भवन, उपस्करों, पुस्तकों और पत्रिकाओं, अभ्यागत संकाय और प्रासंगिक व्यय के लिए सहायता प्रदान करता है ।

6.24 क्षेत्र अध्ययन कार्यक्रम

इस कार्यक्रम के अंतर्गत आयोग भिन्न-भिन्न देशों और विश्व के क्षेत्रों विशेष रूप से उन देशों, जिनके साथ भारत के अच्छे संबंध हैं, के विभिन्न पहलुओं से संबंधित गहन अध्ययन करने के लिए चुनिंदा विश्वविद्यालयों को सहायता प्रदान करता है । इस कार्यक्रम का तिहरा उद्देश्य है जो इस प्रकार है :

i. दिए हुए क्षेत्र की समस्याओं और संस्कृति पर विशेष अध्ययन के छात्र-निकाय को प्रशिक्षित करना ।

ii. अंतर-विषयक अनुसंधान को विकसित करना ।

iii. एक तुलनात्मक और अंतर-विषयक आयाम लागू करके समाज विज्ञान के विषयों में शिक्षण और अनुसंधान विकसित करना ।

वर्ष 1990-91 के अंत तक 15 क्षेत्र अध्ययन केन्द्रों के विकास के लिए आयोग निम्नलिखित 14 विश्वविद्यालयों को सहायता प्रदान कर रहा था :

1.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	-	पश्चिम एशिया अध्ययन केन्द्र
2.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	-	नेपाल पर अध्ययन केन्द्र
3.	दिल्ली विश्वविद्यालय	-	चीनी और जापानी अध्ययन
4.	कलकत्ता विश्वविद्यालय	-	दक्षिण-पूर्व एशिया अध्ययन केन्द्र
5.	बंबई विश्वविद्यालय	-	(1) अफ्रीकी अध्ययन केन्द्र (2) रूसी अध्ययन केन्द्र
6.	मद्रास विश्वविद्यालय	-	दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया अध्ययन
7.	उस्मानिया विश्वविद्यालय	-	नगर विकास और प्रादेशिक नियोजन केन्द्र
8.	गोखले राजनीति-विज्ञान और अर्थशास्त्र संस्थान, पूना	-	यूरोपीय अध्ययन अर्थ शास्त्र केन्द्र
9.	राजस्थान विश्वविद्यालय	-	दक्षिण एशिया अध्ययन केन्द्र
10.	श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय	-	भारत-चीन अध्ययन केन्द्र
11.	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	- -	(1) खाड़ी अध्ययन केन्द्र (2) रूसी अध्ययन केन्द्र
12.	गोवा विश्वविद्यालय	-	लैटिन अमरीकी अध्ययन
13.	आंध्र विश्वविद्यालय	-	'सार्क' अध्ययन
14.	कश्मीर विश्वविद्यालय	-	मध्य एशिया अध्ययन केन्द्र

इन केन्द्रों को आयोग द्वारा 31-3-1993 को समाप्त होने वाली पांच वर्ष की अवधि के लिए अनुमोदित आवंटन में से शत-प्रतिशत सहायता दी जाती है । यह सहायता अतिरिक्त शैक्षिक स्टाफ, अध्येतावृतियों/छात्रवृतियों, पुस्तकालय-सुविधाओं में वृद्धि करने और शोध छात्रों को क्षेत्रीय अनुदान जिससे कि वे अपनी रूचि के क्षेत्रों का दौरा कर सकें और स्त्रोत साम्रगी का संग्रह करने तथा केन्द्रों पर छात्रों को आमंत्रित करने के लिए दी जाती है । समय-समय पर आयोग द्वारा इन केन्द्रों की कार्य-प्रणाली की समीक्षा की जाती है

6.25 जयंती/शताब्दी अनुदान

आयोग विश्वविद्यालयों को अपनी स्थापना का जयंती वर्ष और शताब्दी वर्ष मनाने के लिए सहायता प्रदान करता है । इस कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता की राशि इस प्रकार है :-

(लाख रूपयों में)

क्रम संख्या	समारोह	सहायता-स्तर
1.	स्थापना के 100 वर्ष पूरा होने पर शताब्दी वर्ष के अवसर पर	100
2.	स्थापना के 75 वर्ष पूरा होने पर प्लेटिनम जयंती के अवसर पर	25
3.	स्थापना के 60 वर्ष पूरा होने पर हीरक जंयती के अवसर पर	20
4.	स्थापना के 50 वर्ष पूरा होने पर स्वर्ण जयंती के अवसर पर	10

इन कार्यों के लिए आयोग शत-प्रतिशत सहायता प्रदान करता है और यह सहायता उत्कृष्ट और या स्मारक प्रकार के सार्थक कार्यद्रमों के लिए उपलब्ध कराई जाती है ।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक प्रस्ताव का मूल्यांकन आयोग द्वारा गुणावगुण के आधार पर किया जाता है ।

वर्ष 1990-91 के दौरान इस कार्य के लिए रू. 30 लाख के अनुदान जारी किए गए ।

6.26 कुलपति सम्मेलन (1990)

ए आई यू कुलपति सम्मेलन के बाद जोकि 8-9 अक्टूबर, 1990 का अहमदाबाद में आयोजित हुआ था, 10 अक्टूबर, 1990 को गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद में कुलपतियों का वार्षिक वि. अ. आ. सम्मेलन आयोजित किया गया । इस सम्मेलन का मुख्य विषय था - 'दूरवर्ती शिक्षा का संवर्धन' । इस सम्मेलन में चार बड़े-बड़े मामलों, जैसे दूरवर्ती शिक्षा की स्थिति, दूरवर्ती शिक्षा का संवर्धन, दूरवर्ती शिक्षा का समन्वय और नेट कार्य-प्रणाली और दूरवर्ती शिक्षा के स्तर का अनुरक्षण, पर चर्चा की गई । उपर्युक्त सभी विषयों पर विश्वविद्यालयों के कुलपतियों द्वारा गठित उप-ग्रुपों द्वारा चर्चा की गई और समापन-सत्र में ग्रुप रिपोर्टों पर चर्चा की गई ।

सम्मेलन की मुख्य सिफारिशें ये थीं :

1. विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा प्रस्तावित दूरवर्ती शिक्षा की गुणवत्ता और इन विश्वविद्यालयों द्वारा अपने विद्यार्थियों को उपलब्ध पाठ्य-सामग्री की समीक्षा करने की आवश्यकता है ।

2. देश में दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम का समन्वय करने के लिए दूरवर्ती शिक्षा परिषद् स्थापित करना वांछनीय है ।

3. यह महसूस किया गया कि उच्च शिक्षा बजट की कम से कम 6 प्रतिशत राशि दूरवर्ती शिक्षा को उपलब्ध कराई जानी चाहिए और पठन-सामग्री की पूर्ति दृश्य-श्रव्य सामग्री से की जानी चाहिए ।

4. औपचारिक प्रणाली पर दबाव कम करने के लिए दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम का विस्तार करना होगा तथा उसका पर्याप्त संवर्धन करना होगा ।

5. विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहायता प्रदान करने वाले मुक्त विश्वविद्यालयों द्वारा राज्य-स्तर पर दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ।

6. पाठ्यक्रम विविध प्रकार के हो सकते हैं और साथ ही वे इतने लचीले होने चाहिए ताकि रोजगार की दृष्टि से यह काफी संगत बन सकें ।

7. औपचारिक शिक्षा प्रणाली और दूरवर्ती शिक्षा प्रणाली के बीच योग्यता-अंतरण की एक प्रक्रिया होनी चाहिए और इस उद्देश्य के लिए क्रेडिट प्रणाली के अंतरण को शामिल किया जा सकता है । उपलब्ध साधनों का इष्टतम उपयोग करने के संबंध में पाठ्य सामग्री के निर्माण और दृश्य-श्रव्य टेपों आदि जैसी अन्य सहायता- सुविधाओं के लिए संसाधन केन्द्र का होना आवश्यक हो सकता है ।

8. मुक्त विश्वविद्यालय प्रणाली/दूरवर्ती शिक्षा केन्द्रों में काम करने वालों, जैसे शिक्षकों, प्रशासकों को दूरवर्ती शिक्षा की नई प्रणालियों में प्रशिक्षित किया जा सकता है ।

दूरवर्ती शिक्षा प्रदान करने वाली विभिन्न संस्थाओं के बीच समन्वय प्रणाली की वर्तमान स्थिति के बारे में गहन चर्चा हुई । इसमें शीर्षस्थ निकाय के रूप में इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की, जिसे दूरवर्ती शिक्षा के स्तर को बनाए रखने और समन्वय करने का अधिकार प्राप्त है, भूमिका पर भी चर्चा की गई । यह सुझाव दिया गया कि चूँकि उच्च शिक्षा के स्तर को बनाए रखने और उसे निर्धारित करने के संबंध में वि. अ. आ. का कार्यकरण इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के अधिनियम के साथ परस्परव्यापी है, इसलिए यह उपयुक्त होगा कि दूरवर्ती शिक्षा के स्तर को बनाए रखने और समन्वय करने की प्रणाली का निरीक्षण करने के लिए इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में काम करने वाले व्यक्तियों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिनिधियों की एक समिति गठित की जाए ।

खंड - 7

कालेजों को विकास सहायता

7.01 चूँकि कालेज क्षेत्रक में छात्रों का नामांकन पूर्व-स्नातक स्तर पर 85 प्रतिशत तथा स्नातकोत्तर स्तर पर 55 प्रतिशत से भी अधिक है, अतः आयोग ने उनके विकास पर सबसे अधिक ध्यान दिया है । कालेज क्षेत्रक वांछित स्तर बनाए रखने, सुविधाओं के इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करने, नवाचार तथा परिवर्तन को बढ़ावा देने, शिक्षा को उभरते हुए व्यावसयिक पैटर्न के साथ जोड़ने तथा समाज के कमजोर वर्गों, विशेषतः अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों और देश के शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्रों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ।

7.02 आठवीं योजना में कालेजों के विकास कार्यक्रम-संबंधी प्रस्ताव तैयार करने के लिए दिशा-निर्देश

आठवीं योजना की अवधि के दौरान कालेजों में पूर्व-स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा के विकास के लिए तैयार की गई आयोग की नीति का आधार इस प्रकार है :

(i) आठवीं योजना में उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय संसाधन सीमित हैं अतः कालेजों की विकास संबंधी आवश्यकताओं को सावधानी से पहचानना-समझना होगा । संसाधनों का प्रयोग मुख्यतः ऐसे कार्यक्रमों के लिए करना होगा जो कालेजों में मानविकी और सामाजिक विज्ञानों, विज्ञानों, वाणिज्य आदि के पूर्व-स्नातक पाठ्क्रमों के आधुनिकीकरण और विविधता के माध्यम से शिक्षा के स्तर में सुधार पर उल्लेखनीय प्रभाव डाल सकें ।

(ii) उच्च शिक्षा के इच्छुक अधिकांश छात्रों के लिए प्रथम डिग्री स्तर संभवतः अंतिम होगा । अतः न केवल छात्रों के लिए, बल्कि स्थानीय, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय आवश्यकताओं के लिए और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए भी डिग्री पाठ्यक्रमों को सुदृढ़ करना, पुनर्गठित करना तथा विविधतापूर्ण बनाना जरूरी है । छात्रों को अपनी रूचि और सामर्थ्य के अनुसार पाठ्यक्रम चुनने की पर्याप्त स्वतंत्रता देना चाहिए ।

(iii) छात्रों के कम नामांकन और अपर्याप्त सुविधाओं वाले जो बहुत-से अव्यवहार्य कालेज पिछले दिनों खुले हैं, उसे हतोत्साहित करना चाहिए । नये कालेज, अपवादस्वरूप, शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए ऐसे क्षेत्रों में खोलने चाहिए जहां उच्च शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं ।

आठवीं योजना में कालेजों के विकास की आयोग की नीति के चार मुख्य आधार थे (क) शिक्षा के स्तर और कोटि में सुधार (ख) उच्च शिक्षा सुविधाओं में असमानताएं और क्षेत्रीय असंतुलन दूर करना, (ग) पाठ्यक्रमों का पुनर्गठन और विविधता: तथा (घ) योग्य कालेजों को स्वायत्तता प्रदान करना ।

इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आयोग ऐसे कालेजों की सहायता करेगा जो न्यूनतम योग्यता की शर्तों को पूरा करते हों और जिनके पास आवश्यक व्यवहार्यता तथा क्षमता हो । ये कालेज ऐसे होने चाहिए जो अपनी पुस्तकों, पत्रिकाओं, पुस्तक बैंकों आदि की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के प्रयासों में जुटे हों । साथ ही, इन कालेजों को समाज के कमजोर वर्गों के छात्रों के लिए उपचारी पाठ्यक्रम, विस्तार कार्यक्रम, परीक्षा सुधार तथा भारत में होने वाली शैक्षिक कान्फ्रेन्सों, कार्यशालाओं / सेमिनारों में शिक्षकों की भागीदारी में प्रयत्नशील होना चाहिए । असमानता और क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले तथा पिछड़े हुए/ग्रामीण/सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित कालेजों के गहन विकास के लिए सहायता प्रदान की जाएगी । तत्संबंधी विस्तृत निर्देश तथा सहायता का पैटर्न परिशिष्ट -XXVII में दिए गए हैं ।

7.03 कालेज विकास परिषदें

कालेज विकास परिषद संबद्ध विश्वविद्यालय तथा आयोग के बीच इस बात को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करती है कि कालेज क्षेत्रक के लिए शुरू की गई आयोग की योजनाओं का कार्यान्वयन उचित रूप से किया जा रहा है और संबद्ध कालेजों की समुचित योजना तैयार की जा रही है तथा उनका समुचित विकास किया जा रहा है । परिषद में ये लोग शामिल हो सकते हैं : संबंधित विश्वविद्यालय का कुलपति, समन्वयक / निदेशक / परिषद का डीन, विश्वविद्यालय शिक्षण विभागों के, विशेषत:, कुछ वे शिक्षक जिन्होंने कासिफ/कोहसिप आदि ग्रहण किए हैं, संबद्ध कालेजों के कुछ प्रिंसिपल तथा राज्य सरकार का प्रतिनिधि । परिषद में सदस्यों की संख्या 30 से अधिक नहीं होनी चाहिए । सातवीं योजना के शुरू होने के समय से लागू संशोधित मार्ग-निर्देशों के अनुसार इन परिषदों के लिए आयोग की सहायता 31 मार्च, 1990 तक

थीं । वर्ष 1989-90 के दौरान आयोग ने 31 मार्च, 1990 के बाद भी इन परिषदों की सहायता जारी रखने के प्रश्न पर विचार किया । आयोग ने यह भी इच्छा व्यक्त की कि विश्वविद्यालयों को संबंधित राज्य सरकारों से 31 मार्च, 1995 के बाद दायित्व ग्रहण करने के बारे में आश्वासन ले लेना चाहिए । आश्वासन प्राप्त होने पर, आयोग सहायता की अवधि 31 मार्च, 1995 तक बढ़ा सकता है ।

वर्ष 1990-91 के दौरान इस योजना के अधीन रू. 18.39 लाख के अनुदान जारी किए गए ।

7.04 सामान्य विकास के लिए अनुदान

वर्ष 1986-87 से 1990-91 तक की अवधि के दौरान कालेजों को सामान्य विकास और अन्य योजनाओं के लिए दिए गए अनुदानों का ब्यौरा सारणी 7.1 में दिया गया है :

सारणी 7.1

सामान्य विकास तथा अन्य योजनाओं के लिए कालेजों को दिए गए अनुदान+

(लाख रूपयों में)

क्र. सं.	योजना का नाम	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91
1.	संबद्ध कालेजों का विकास	2670.39#	2808.58#	3334.10	2386.59	2096.52#
2.	कालेज विज्ञान सुधार कार्यक्रम	40.00++	56.00++	38.60++	27.99	36.05++
3.	कालेज मानविकी तथा समाज विज्ञान सुधार कार्यक्रम	189.97++	161.15++	116.25++	173.52++	144.12++
4.	शताब्दी समारोह अनुदान	20.57	50.00	--	12.00	--

\+ वर्ष 1990-91 के दौरान कालेजों को प्रदत्त विकास अनुदानों को राज्यवार विविरण परिशिष्ट- XXVIII में दिया गया है ।

\# इसमें पूर्व-स्नातक/स्नातकोत्तर कालेजों, एकल शिक्षक वर्ग कालेजों की और बेसिक सहायता शामिल है ।

++ इसमें यू एल पी भी शामिल है ।

टिप्पणी: ऊपर क्रम सं. 1 में संबद्ध कालेजों के विकास के लिए दिखाए गए अनुदान में पुस्तकालयों के विकास के लिए विशेष सहायता के रूप में 1989-90 (18.75 लाख रू.) और 1990-91 (5.75 लाख रू.) में दिया गया एकमुश्त अनुदान शामिल नहीं है ।

7.05 स्वायत्त कालेज

आयोग ने अपनी स्वायत्त कालेजों की योजना के माध्यम से स्वायत्ता की संकल्पना को बढ़ावा और प्रोत्साहन देना जारी रखा । सतत अनुवर्ती कार्रवाई के परिणामस्वरूप आलोच्य वर्ष के दौरान तीन और कालेजों को स्वायत्ता का दर्जा प्रदान किया गया । इस प्रकार 31 मार्च 1991 तक ऐसे कालेजों की कुल संख्या बढ़ कर 106 हो गई । आलोच्य वर्ष के दौरान स्वायत्त कालेजों का दायरा बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए :

(i) जागरूकता पैदा करने के लिए विश्वविद्यालयों और नीपा में हुए अनेक सेमिनारों के लिए सहायता प्रदान की गई ।

(ii) विश्वविद्यालयों द्वारा कालेजों को स्वायत्तता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालयों अधिनियमों में सुधार करने तथा विश्वविद्यालयों द्वारा तैयार की गई संविधि को शीघ्र अनुमोदन करने के लिए राज्य सरकारों से बातचीत जारी रही ।

(iii) कालेजों को स्वायत्त दर्जा प्रदान करने के लिए संविधि तैयार करने में शीघ्रता करने तथा स्थायी समिति द्वारा प्रस्तावों की शीघ्र परीक्षा कराने के लिए विश्वविद्यालयों पर जोर डाला गया ।

स्वायत्त कालेजों की योजना के कार्यान्वयन के संबंध में सलाह देने तथा परिवीक्षण करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है । आयोग ने स्वायत्त कालेजों का सुचारू कार्य-संचालन सुनिश्चित करने के लिए तथा उनकी साख बनाए रखने के लिए, आलोच्य वर्ष में निम्नलिखित कार्यवाई की :

(i) स्वायत्त कालेजों से अनुरोध किया गया कि वे अपनी उपलब्धियों, शैक्षिक नवाचार आदि की परिचायक वार्षिक रिपोर्टें प्रकाशित करें ताकि उनके कार्य और उत्तरदायित्व का मूल्यांकन हो सके ।

(ii) विश्वविद्यालयों को सलाह दी गई कि वे स्वायत्त कालेजों के प्रिंसिपलों के साथ छमाही बैठकें करके समन्वय संबंधी मामलों को हल करें ।

(iii) राज्य सरकारों से कुलपतियों और कुछ स्वायत्त कालेजों के प्रिंसिपलों की समन्वय समिति गठित करने का अनुरोध किया गया ताकि स्वायत्त कालेज उचित रूप से विकास कर सकें ।

7.06 दिल्ली के कालेजों को योजनागत सहायता

वर्ष 1990-91 के दौरान दिल्ली के कालेजों को प्रदत्त योजनागत सहायता इस प्रकार थी :

(क) 'पूर्वस्नातक पाठ्यक्रमों के पुनर्गठन' की योजना के कार्यान्वयन के लिए 8 कालेजों को रू. 23.18 लाख की राशि प्रदान की गई ।

(ख) 'बेसिक सहायता' योजना के अंतर्गत दिल्ली के चार कालेजों को रू. 4.18 लाख की राशि दी गई जिसका ब्यौरा इस प्रकार है :

(1)	पुस्तकें और पत्रिकाएं	रू. 1.45	लाख
(2)	उपस्कर	रू. 2.73	लाख

(ग) 'पूर्वस्नातक शिक्षा-विकास' योजना के अंतर्गत पुस्तकों और पत्रिकाओं, उपस्कर और भवनों के लिए रू. 50.55 लाख की राशि दी गई जिसका ब्यौरा इस प्रकार है :

(1)	पुस्तकें और पत्रिकाएं	रू. 16.56	लाख
(2)	उपस्कर	रू. 18.36	लाख
(3)	भवन	रू. 15.63	लाख

(घ) शैक्षिक भवनों के निर्माण/विस्तार के लिए 17 कालेजों को रू. 155.79 लाख की राशि दी गई ।

(ड.) विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों/संगोष्ठियों /विचार गोष्ठियों में भाग लेने के लिए शिक्षकों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता आदि पर किए गए व्यय का 50 प्रतिशत भाग पूरा करने के लिए 33 कालेजों को रू. 9.86 लाख की राशि दी गई ।

7.07 शताब्दी समारोह अनुदान

आयोग कालेजों को उनकी स्थापना के 100 वर्ष और 150 वर्ष पूरा होने पर किए जाने वाले समारोहों के लिए क्रमशः रू. 25 लाख और रू. 30 लाख की सहायता देता है ।

इस प्रयोजन के लिए आयोग संस्मारक प्रकृति के सार्थक कार्यक्रमों के लिए शत प्रतिशत आधार पर सहायता देता है । आयोग द्वारा प्रत्येक प्रस्ताव का मूल्यांकन उसके गुणों के आधार पर किया जाता है ।

खंड - 8
विश्वविद्यालय मानी गई संस्थाओं का विकास

8.01 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 3 में यह व्यवस्था है कि विश्वविद्यालय के अतिरिक्त उच्च शिक्षा की किसी ऐसी संस्था को 'विश्वविद्यालय मानी गई संस्था' घोषित किया जा सकता है जो अधिक विशिष्ट एवं सीमित कार्य कर रही हो, जिसका कार्यक्षेत्र सीमित हो और शैक्षिक क्षेत्र में उच्च स्तरीय कार्य कर रही हो । विश्वविद्यालय मानी गई संस्था का स्तर तथा उसके विशेषाधिकार विश्वविद्यालय के समान ही होते हैं और सामान्यतः उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह सामान्य प्रकार के बहु-संकाय विश्वविद्यालय बनने के बदले विशेषज्ञता के क्षेत्र में अपनी गतिविधियों को सुदृढ़ करेगी ।

8.02 वर्ष 1990-91 के दौरान जैन विश्व भारतीय संस्थान, लाडनूं (राज.) को 'विश्वविद्यालय मानी गई संस्था' का दर्जा प्रदान किया गया । इस प्रकार 31 मार्च, 1991 को विश्वविद्यालय मानी गई संस्थाओं की कुल संख्या 29 थी । इन संस्थाओं की सूची सारणी 8.1 में दी गई है जिसमें उनके नामांकन, स्थापना वर्ष और विश्वविद्यालय मानी गई संस्था के रूप में उनके मान्यता वर्ष से संबंधित विवरण दिया गया है :

सारणी 8.1

क्र. सं.	संस्था का नाम	स्थापना वर्ष	मान्यता प्राप्ति का वर्ष	1990-91 में नामांकन
1	2	3	4	5
1.	भारतीय विज्ञान संस्थान (बंगलौर)	1909	1958	1457
2.	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (नई दिल्ली)	1905	1958	698
3.	गुरुकुल कांगड़ी विश्व-विद्यालय (हरिद्वार)	1900	1962	850+

सारणी 8.1 (क्रमशः)

1	2	3	4	5
4.	गुजरात विद्यापीठ (अहमदाबाद)	1920	1963	920
5.	टाटा समाज-विज्ञान संस्थान (बंबई)	1936	1964	252
6.	बिरला प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान संस्थान (पिलानी)	1964	1964	3096
7.	केन्द्रीय अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा संस्थान (हैदराबाद)	1958	1973	1671
8.	भारतीय खान स्कूल (धनबाद)	1926	1967	315
9.	गांधीग्राम ग्राम्य संस्थान (गांधीग्राम)	1956	1976	1268
10.	आयोजना और वास्तुकला विद्यालय (नई दिल्ली)	1959	1979	653
11.	दयालबाग शिक्षण संस्थान (आगरा)	1973	1981	1991
12.	श्री सत्य साई उच्च शिक्षा संस्थान (प्रशांति निलयम)	1981	1981	867

सारणी 8.1 (क्रमशः)

1	2	3	4	5
13.	वनस्थली विद्यापीठ (वनस्थली)	1935	1983	1491
14.	भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान (इज्जत नगर)	1913	1983	147
15.	अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान (बंबई)	1956	1985	76
16.	थापर इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संस्थान (पटियाला)	1956	1985	996
17.	बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान मेसरा (रांची)	1955	1985	1467
18.	राजस्थान विद्यापीठ (उदयपुर)	1937	1987	लागू नहीं
19.	तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ (पुणे)	1921	1987	4947
20.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ (तिरुपति)	लागू नहीं	1987	लागू नहीं

सारणी 8.1 (क्रमशः)

1	2	3	4	5
21.	श्री लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय विद्यापीठ (नई दिल्ली)	1962	1987	695
22.	अविनाशीलिंगम महिला गृहविज्ञान तथा उच्च शिक्षा संस्थान (कोयम्बतूर)	1957	1988	2299
23.	राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान करनाल (हरयाणा)	1957	1989	318
24.	केन्द्रीय तिब्बती उच्च अध्ययन संस्थान, सारनाथ, वाराणासी (उ. प्र.)	1967	1989	48
25.	केन्द्रीय मीन उद्योग शिक्षा संस्थान, बरसोवा, बंबई	1961	1989	90
26.	कला इतिहास, संरक्षण तथा संग्रहालय विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान, नई दिल्ली	1989	1989	205
27.	डक्कन कालेज पोस्ट-ग्रेजुएट एंड अनुसंधान संस्थान, पुणे	1939	1990	118

सारणी 8.1 (क्रमशः)

1	2	3	4	5
28.	जामिया हमदर्द, नई दिल्ली	1962	1989	लागू नहीं
29.	जैन विश्वभारती संस्थान, लाडनूं	1991	1991	37

+ इसमें एम. ए. / एम. एससी के 160 प्राईवेट छात्र भी शामिल हैं ।

8.03 अनुरक्षण अनुदान

वर्ष 1986-87 से 1990-91 तक के दौरान विश्वविद्यालय मानी गई संस्थानों को दिया गया अनुदान सारणी 8.2 में दिया जा रहा है ।

सारणी 8.2

(दिया गया अनुदान - लाख रुपयों में)

	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91
विश्वविद्यालय मानी गई संस्थाएं	1954.03	2490.00	2568.72 6.53+	2475.75	2983.01

+समायोजन द्वारा

8.04 मुख्य उपलब्धियां

वर्ष 1990-91 के दौरान विश्वविद्यालय मानी गई 18 संस्थाओं की मुख्य उपलब्धियाँ और कार्यक्रम इस प्रकार हैं :

(i) भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर :

यह संस्थान कम्प्यूटर विज्ञान तथा स्वचालन, विदूयुत संचार इंजीनियरी, विदूयुत इंजीनियरी, उच्च वोल्टता इंजीनियरी, वायु आकाश इंजीनियरी, रासायनिक इंजीनियरी, सिविल इंजीनियरी, यांत्रिक इंजीनियरी, धातु विज्ञान विभागों में 1½ वर्ष का मास्टर आफ इंजीनियरी डिग्री कार्यक्रम तथा प्रबंध अध्ययन, उपकरण प्रौदूयोगिकी विभाग और इलेक्ट्रोनिक डिजाइन तथा प्रौदूयोगिकी केन्द्र में मास्टर आफ टैक्नालाजी प्रोग्राम का कार्यक्रम संचालित करता है ।

विदूयुत संचार इंजीनियरी, विदूयुत इंजीनियरी, यांत्रिक इंजीनियरी, धातु विज्ञान और कम्प्यूटर विज्ञान तथा स्वचालन विभागों में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण विज्ञान स्नातकों के लिए चार वर्ष का मास्टर आफ इंजीनियरी (समेकित) कार्यक्रम संचालित किया जाता है ।

संस्थान ने वर्ष 1990-91 में रसायन विज्ञान में समेक्ति पी-एच.डी. कार्य भी शुरू किया ।

संस्थान में चल रहे कई अनुसंधान कार्य, सामान्यतः परस्पर संबद्ध हैं ।

शैक्षिक वर्ष 1990-91 में विशेष अनुसंधान कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों में दाखिले किए गए :

विभाग	क्षेत्र
ईसी	समाकलित प्रकाशिकी के लिए प्रकाशिक तरंग पथ निर्धारित ।
एम टी	नैनोफेज़ द्रव्यों की उत्पत्ति और उनमें पृष्ठ तथा अंतरापृष्ठ प्रभावों पर अध्ययन ।
एम टी	ठोस अवस्था सेन्सर ।
एम टी	अधिवोल्टता विरोध के लिए जिंक आक्साइड मिश्रों के लक्षण ।
एम टी टी	पुनः क्रिस्टलन तथा क्रिस्टलन के दौरान सूक्ष्म संरचनात्मक विकास : अनुरूपण

तथा वैद्यूीकरण ।

संस्थान ने सामयिक रूचि के विषयों पर वीडियो लेक्चरो के टेप बनाने का काम शुरू किया । अब तक शामिल किए गए विषय हैं : फिफ्थ जेनरेशन कम्प्यूटर प्रणाली, फिफ्थ जेनरेशन कम्प्यूटर प्रणाली के लिए टेक्नालाजी, अतिचालकता पदार्थ और उपयोग, सुपर कंम्प्यूटर्स, रामानुजन गणित, थाइरिस्टर, परेलल कम्प्यूटिग डिजिटल सिगनल प्रोसेसिंग, पर्सनल कम्प्यूटर, औद्योगिक शोर नियंत्रण, आटोमेटिव शोर नियंत्रण, डिजाइन आफ हीट एक्सचेंजर्स आदि । इन विषयों में रूचि रखने वाले व्यक्तियों तथा संस्थाओं को टेप उपलब्ध कराने के लिए कार्रवाई शुरू की जा चुकी है । छह लैक्चर टेप भुगतान के आधार पर वितरण के लिए तैयार हैं । ग्रामीण समुदाय को गरम पानी की पूर्ति करने के लिए मसूर (उत्तर कन्नड़ जिला में कुमटा के पास) में एक 400 एम² के सौर जलाशय का निमार्ण किया गया है । इस जलाशय का तापमान 80°सें तक पहुंच चुका है । इससे समय-समय पर सौर जलाशय के संचालन की व्यवहार्यता स्पष्ट हुई है ।

(ii) बिरला प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान संस्थान, पिलानी (राजस्थान) :

संस्थान ने वर्ष भर चलने वाले अपने रजत जयन्ती समारोह का समापन 9 सितंबर, 1990 को किया । इस अवसर पर भारत के राष्ट्रपति श्री आर. वेंकटरमण मुख्य अतिथि थे । राष्ट्रपति ने इस अवसर पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सहायता प्राप्त "शैक्षिक नवाचार तथा संस्थागत विकास अनुसंधान केंन्द्र" का उद्घाटन किया और "एन इम्प्रोबेबल एचीवमेंट : बिट्स - ए प्रोफाइल आफ चेंज" नामक पुस्तक का विमोचन किया । वर्ष के दौरान व्यवसाय विद्यालय (पी.एस.) टेक्नालाजी नवाचार केंद्र (टी.आई. सी.), परिसर-बाहय पी-एच.डी. और दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से संस्थान के विश्वविद्यालय-उद्योग संबंध और भी सुदृढ़ हुए । छात्रों को अच्छी परियोजनाएं मुहैया कराने के विचार से व्यवसाय विद्यालय कार्यक्रम का विस्तार राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय योजनाओं तक किया गया । जीव विज्ञानों और फार्मेसी के छात्रों के लिए यूनिफार्म सर्विसेज़ यूनिवर्सिटी आफ हैल्थ साइन्सिज (यू एस यू एच एस) , बेहेसूडा, मेरीलेंड, यू. एस.ए. में एक नया व्यवसाय-विद्यालय खोला गया था । शिक्षकों के आदान-प्रदान और अनुसंधान परियोजनाओं तथा शैक्षिक विकास में सहयोग के लिए कुछ अमरीकी विश्व विद्यालयों से बातचीत शुरू की जा चुकी है । यू. एस. यू. एच. एस. के अतिरिक्त रूटगर्स यूनिवर्सिटी, एरिजोना स्टेअ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी आफ मेरीलैंड, यूनिवर्सिटी आफ मिसूरी, विश्वद्यालय हैं जिनके साथ प्रारंभिक चर्चा हो चुकी है । संस्थान ने अनुसंधान और विकास के प्रयासों के तहत विभिन्न एजेंसियों की प्रायोजित परियोजनाओं पर कार्य

किया । इनमें से दो परियोजनाएं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा और एक वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा प्रायोजित थी । इसके अतिरिक्त आलोच्य वर्ष के दौरान, विश्वविद्यालय को मानव संसाधन विकास मंत्रालय से भी नौ परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त हुई । संकाय सदस्यों ने विभिन्न सम्मेलनों में 45 से भी अधिक लेख प्रस्तुत किए और विभिन्न पत्रिकाओं में 30 से भी अधिक शोध पत्र प्रकाशित कराए ।

संस्थान में, आलोच्य वर्ष में, निम्नलिखित नये केंद्र शुरू किए गए :

(क) शैक्षिक नवाचार तथा संस्थागत विकास अनुसंधान केंद्र ।

(ख) सोफ्टवेयर विकास केन्द्र ।

(ग) उपभोक्ता इलेक्ट्रोंनिक्स केंद्र ।

(iii) टाटा समाज विज्ञान संस्थान :

1990-91 के दौरान संस्थान में निम्नलिखित नये पाठ्यक्रम शुरू किए गए :

(1) भारत में दण्ड-न्याय पद्धति

(2) आय/रोजगार उत्पादन कार्यक्रम और उनका प्रंबध

(3) व्यक्तियों, परिवारों और वर्गों के साथ चिकित्सीय कार्य

(4) मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में समाज कार्य

(5) चिकित्साविज्ञान और स्वास्थ्य लाभ में वर्ग-प्रक्रिया

(6) समाजिक केस कार्य

(7) व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंध ।

संस्थान में समाकलित समाज कार्य व्यवसाय के अध्यापन और अनुसंधान संबंधी सात अंतः शिक्षण कार्यक्रमों और समाजकार्य विभाग में छह वैकल्पिक पाठ्यक्रमों की व्यवस्था है ।

आलोच्य वर्ष में टाटा समाज विज्ञान संस्थान के समाज सेवा केंद्र ने कई प्रकार के कार्यक्रम आयेाजित किए जैसे दांतों की जांच केन्सर पहचान शिविर, बाल दिवस, सेवी कर्मचारियों की स्त्रियों की आय बढ़ाने के लिए सहकारी कार्यकलाप आदि ।

ग्रामीण परिसर के कार्यकलाप जुलाई 1988 में तुलजापुर और उसके आसपास के गांवों में शुरू किए गए । आलोच्य वर्ष में स्टाफ की संख्या बढ़ कर छह सामाजिक कार्यकर्त्ता, एक रीडर, एक उद्यान-विज्ञानी और एक ग्रामीण इंजीनियर हो गई । ये सब तालुका के सात गांवों में कार्यरत थे । जून 1989 में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें विशेष रूप से महिलाओं की समस्याओं पर विचार किया गया । इसमें लगभग 500 स्त्रियों ने भाग लिया । भूमि और जल से संबंधित समस्याओं के कार्यक्रम भी चालू किए गए । भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय के वित्तीय सहयोग से संस्थान ने एक छात्र सेवा सेल की स्थापना की है । इस सेल का उद्देश्य शिक्षण माध्यम और अन्य शैक्षिक जरूरतों की दृष्टि से संस्थान के अनुसूचित जाति/जनजाति के कमजोर छात्रों के विशेष हितों को बढ़ावा देना है । छात्रों की आवश्यकताओं और समस्याओं के आधार पर सेल ने विभिन्न कार्य योजनाएं शुरू कीं । इनमें से कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं: शैक्षिक दिशा निर्देश, व्यक्तिगत तथा सामजिक सामंजस्य में सहायता, संस्थान में समवर्ती, अंशकालिक वैतनिक कार्य और प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए विभिन्न संगठनों में छुट्टी के दौरान कार्य । सेल ने संस्थान से जाने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को नियोजन संबंधी सूचना देने और उचित नौकरियों के लिए आवेदन-पत्र देने में सहायता करके कुछ सफलता प्राप्त की है । 1989-90 में एम. ए. पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद सब 20 छात्रों (14 अनुसूचित जाति तथा छह अनुसूचित जनजाति) का उपयोग या कल्याण संगठनों में रोजगार मिल गया है । 1990-91 बैच के छात्रों के नियोजन की प्रक्रिया जारी है ।

संस्थान में महिला अध्ययन यूनिट द्वारा तीन पाठ्यक्रम अर्थात् (I) महिलाएं और कार्य, (II) महिलाएं और कानून तथा (III) महिलाओं की स्थिति और स्वास्थय, चलाए जा रहे है । यह यूनिट अनुसंधान और प्रकाशन जैसे अन्य कार्य भी करता है ।

(iv) गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार : समाज और पास-पड़ौस से संपर्क

विश्वविद्यालय के प्रौढ़ और अनवतर शिक्षा विभाग द्वारा निकटवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों के पिछड़े वर्ग के लोगों और निम्न आय वर्ग के लोगों के की दशा सुधारने के लिए कार्यक्रम शुरू किए गए हैं । इसके अतिरिक्त सुलभ शौचालय, जनसंख्या शिक्षा, परिवार नियोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता आदि से संबंधित जानकारी देने के कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं ।

इस विभाग ने अपने निरक्षरता उन्मूलन कार्यक्रम के माध्यम से महिला साक्षरता की ओर विशेष ध्यान दिया है ।

(v) गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद :

वर्ष 1990-91 के दौरान विद्यापीठ द्वारा निम्नलिखित नये पाठ्यक्रम शुरू किए गए :

(i) गांधी पर अध्ययन में एम. फिल.

(ii) तमिल और तेलुगु में स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

(iii) गांधी पर अध्ययन और बौद्ध अध्ययन में डाक्टरेट उपाधि के उपरांत डी. लिट्. कार्यक्रम ।

आलोच्य वर्ष के दौरान मूल्य शिक्षा (वेल्यू एजूकेशन) संबंधी अंतर-विषयक अनुसंधान परियोजना का काम आगे बढ़ रहा है । यह भी निर्णय लिया गया कि 'सेतु' नामक शांति अध्ययन की अंतर-विषयक पत्रिका का प्रकाशन पुनः शुरू किया जाए तथा गांधी अध्ययन और बौद्ध अध्ययनों में डी. लिट्. का पोस्ट-डाक्टोरल कार्यक्रम शुरू किया जाए ।

एम. एस डब्ल्यू. के छात्रों द्वारा गोटा गांव में दो घंटे क्षेत्र कार्य करके समाज और पास-पड़ोस से संपर्क किया जाता है । क्षेत्र कार्य केंद्र में एक समुदाय भवन है । थलतेज गांव में भी एक अतिरिक्त क्षेत्र कार्य केंद्र शुरू किया गया है । ग्रामीण परिसर के आसपास पांच गांव गहन मानव संसाधन विकास के लिए चुने गए हैं । इनमें छात्रों के शिविरों के माध्यम से काम किया जाएगा । इन क्षेत्र कार्य केंद्रों के साथ प्रौढ़ साक्षरता कक्षाएं तथा सामूहिक साक्षरता कार्यक्रम (साक्षरता अभियान) और जनशिक्षण निलयम तथा जनसंख्या शिक्षा क्लब जुड़े हुए है ।

गुजरात विद्यापीठ के प्रौढ़ तथा अनवरत शिक्षा विभाग ने गांधीनगर के 75 गांवों में प्रौढ़ शिक्षा तथा जनसंख्या शिक्षा का एक व्यापक कार्यक्रम विकसित किया था । आलोच्य वर्ष में गांधीनगर के सब गांवों में 15-35 आयु-वर्ग के लिए बेसिक साक्षरता का काम पूरा हो चुका है । गुजरात के मुख्य मंत्री ने जिले को पूर्णतः साक्षर घोषित किया है और इस कार्य में गुजरात विद्यापीठ की सक्रिय भूमिका को सार्वजानिक रूप से स्वीकार किया है । विद्यापीठ का प्रौढ़ शिक्षा विभाग 32 तालुकों में पूर्ण साक्षरता अभियान को बढ़ावा दे रहा है, जिसमें लगभग 3500 गांव शामिल होगें ।

(vi) गांधीग्राम ग्राम्य संस्थान, गांधीग्राम :

वर्ष 1990-91 में संस्थान द्वारा निम्नलिखित नए पाठ्यक्रम शुरू किया गए :

(i) एम. एस. सी. गणित तथा कम्प्यूटर अनुप्रयोग

(ii) कम्प्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा

(iii) अभिलेखागार और प्रलेखन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा

(iv) बहुउद्देशीय (पुरूष) स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम ।

पूर्वस्नातक, स्नातकोत्तर और एम. फिल. स्तर के पाठ्यक्रम बुहविषयक प्रकार के हैं । अंतः और अंतरा-विभागीय विचार-विमर्श तथा चर्चा के माध्यम से उनमें विस्तार कार्यकलापों तथा महिलाओं के विकास का व्यापक क्षेत्र है ।

संस्थान का विस्तार विभाग भागीदारी ग्राम्य-मूल्यांकन विधि को अपनाकर ग्रामीण सामजिक कायापलट के लिए वचनबद्ध है । इस विधि में गांवों की समस्याओं को जानकर ग्रामीण लोग खुद ही बताते हैं और खुद ही उनका हल भी सुझाते हैं ।

विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी ऐजेंसियों की सहायता से लगभग 60 महिला मंडल कार्यरत हैं । मातृ और शिशु कक्षा, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, पेय जल सप्लाई, केवल महिलाओं के आय उत्पादक कार्यकलाप आदि कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी के अच्छे परिणाम निकले हैं ।

तमिलनाडु सरकार ने पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को आई ए. एस./ए. पी. एस. परीक्षाओं की तैयारी के लिए शिक्षा देने के उद्देश्य से एक केंद्र की स्थापना का अनुमोदन किया है और इस कार्य के लिए रू 60,000/- की राशि स्वीकार की है । वर्ष 1990-91 के लिए कोचिंग कक्षाएं 2.1.1991 से 31.5.1991 तक चली और इनमे 23 (13 बी. सी. तथा 10 एम. बी. सी.) उम्मीदवारों ने भाग लिया ।

गांधीग्राम ग्राम्य संस्थान के सेवा गांवों मे महिलाओं को सिलाई, चटाई, बुनाई और बुनाई का नियमित प्रशिक्षण दिया जा रहा है । यह प्रशिक्षण विस्तार/प्रौढ़ शिक्षा और कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से दिया जाता है और इसका उद्देश्य महिलाओं को स्व-रोजगार के अवसर प्रदान करना है ।

(vii) केंद्रीय अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा संस्थान, हैदराबाद :

यह संस्थान देश में अंग्रेजी तथा विदेशी भाषाओं के शिक्षण का स्तर सुधारने के लिए उत्तरदायी है ।

वर्ष 1990-91 में संस्थान के नियमित शैक्षिक कार्यक्रम के रूप में निम्नलिखित नये पाठ्यक्रम चालू किए गए थे :

(1) एम. ए. (जर्मन) - पूर्णकालिक

(2) "इन्ट्रोडक्टरी सोशियों लिंग्विस्टिक्स" पीजीडीटीई/ डीईएस (दूसरा सेमेस्टर वैकल्पिक)

(3) फ्रेंच में प्रोफिशिएन्सी प्रमाणपत्र (गहन)

(4) फ्रेंच में डिप्लोमा (गहन)

संस्थान ने विविध प्रकार की शिक्षण सामग्री भी तैयार की यथा :

(i) नवोदय विद्यालय समिति परियोजना के लिए दो पाठ्य-पुस्तकें --'लर्निंग इंगलिश थ्रू मैथेमेटिक्स' और 'लर्निंग इंगलिश थ्रू साइन्स'

(ii) संस्थान का ई एम आर सी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की देशव्यापी कक्षा परियोजना में महत्वपूर्ण सहयोग देता रहा । आलोच्य वर्ष में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को टेलीविजन पर प्रदर्शन के लिए 76 कार्यक्रम भेजे गए ।

केन्द्र को भाषा, साहित्य एवं संचार अनुभाग में एक पुरस्कार तथा संपादन में योग्यता प्रमाणपत्र मिला ।

(iii) संस्थान के रेडियों, टीवी और चलचित्र कला विभाग ने आकाशवाणी द्वारा प्रसारण के लिए स्कूलों के रेडियों कार्यक्रम तैयार किए । संस्थान विदेशी भाषा शिक्षण के क्षेत्र में स्रोत एर्जेसी के रूप में कार्य कर रहा है । स्रोत एर्जेसी के रूप में संस्थान के निम्नलिखित कार्य हैं :

(क) शैक्षिक और संदर्भ सामग्री तैयार करना ।

(ख) दूरवर्ती शिक्षा पाठ्यक्रम और लघुः आवश्यकता-आधारित पाठ्यक्रम तैयार करना ।

(ग) देश में विदेशी भाषा शिक्षण के लिए फिलहाल उपलब्ध संसाधनों के आंकड़े जमा करना ।

(viii) दयालबाग शैक्षिक संस्थान, दयालबाग, आगराः

संस्थान ने तीन-वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम (ऑनर्स) शुरू किया था और पहल बैच 1990-91 से सत्र में आया । संस्थान ने व्यापक सामजिक कार्यकलापों मे भाग लेने के लिए सदा ही महिलाओं और ग्रामीण समुदाय को सहयोग तथा प्रोत्साहन दिया है । प्रौढ़ एवं अनुवर्ती शिक्षा केंद्र ने आपास के गांवों में प्रौढ़ साक्षरता, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता तथा शिशु देखभाल, कुटीर एवं हस्तशिल्प उत्पादन आदि विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए ।

(ix) श्री सत्य साईं उच्च शिक्षा संस्थान :

वर्ष के दौरान संस्थान ने शिक्षण तथा अनुसंधान के अपने अंतर-विषयक कार्यक्रम को जोरदार ढंग से जारी रखा । इसमें भैषजिसक रसायन, उपभोक्ताओं की पसंद के अध्ययन के लिए स्थान विज्ञान संबंधी विधियां, बायो-माडलिंग आदि शामिल थीं ।

सब छात्र और स्टाफ, नियमित रूप से, समाज सेवी यथा सामुदायिक स्वास्थ्य विज्ञान, परिसर की सफाई आदि में भाग लेते है संस्थान का अनुसंधान स्टाफ प्रशांति निलयम के पानी और मिट्टी के सुधार कार्य में जुटा हुआ था ।

संस्थान में एक प्रचालनात्मक माडल भी हैं जिसमें पाठ्यचर्या एवं सह-पाठ्यचर्या संबधी सभी कार्यकलाप पूरे वर्ष संचालित किए जाते हैं । यह कार्यकलाप शैक्षिक श्रेष्ठता की उपलब्धि और सहजानुभूत विकास को प्रदर्शित करते हैं । संस्थान ने सामाजिक और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा को सशक्त उपकरण के रूप में बनाए रखा ।

(x) वनस्थली विद्यापीठ, राजस्थानः

शिक्षण तथा अनुसंधान के अंतर-विषयक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए विद्यापीठ ने समाज विज्ञानों (इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान तथा समाजशास्त्र) और अंग्रेजी (भाषा शिक्षण) में एम. फिल. कार्यक्रम शुरू किए हैं ।

प्रौढ़ तथा अनुवर्ती शिक्षा विभाग 63 प्रौढ़ शिक्षा केंद्र चला रहा है जिनकी नामांकन संख्या 1681 हैं । इनमें से 673 महिलाएं है । 573 प्रौढ़ (343 पुरूष और

230 महिलाएं) अनुसूचित जाति तथा जनजाति के हैं । इनके अतिरिक्त, चार जनशिक्षण निलयम भी चलाए जा रहे है । विद्यापीठ की टीमों ने टेबिल टेनिस और बास्केट बाल के अंतर-विश्वविद्यालय टूर्नामेंटों मे भाग लिया 370 छात्र गाइड और 125 छात्र रेंजर के रूप में भर्ती किए गए हैं ।

(xi) थापर इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संस्थान, पटियाला

वर्ष 1990-91 के दौरान संस्थान ने निम्नलिखित नए पाठ्यक्रम शुरू किए :

(i) एम. ई. सिविल (भू-टेक्निकल इंजी.)
(ii) एम. ई. औद्योगिक इंजीनियरी
(iii) एम. एस. सी सामग्री विज्ञान ।

पूर्वस्नातक पाठ्यचर्या मूल कार्यक्रम के माध्यम से, जिसमें मानविकी, विज्ञान, इंजीनियरी तथा तकनीकी कलाएं शामिल हैं, मजबूत आधार प्रदान करती है ।

संस्थान का सिविल इंजीनियरी विभाग परामर्शदाता का काम भी करता है । यह लोगों वाल संस्थान के लिए तथा भू-तकनीकी अध्ययन, के पी. स्थलाकृतिक एम ट्रस्ट भवन, मालेरकोटला का संरचनात्मक डिज़ाइनः स्टार्च मिल का कार्य-निष्पादन अध्ययन, आंध्रप्रेदश में बहिःस्राव उपचार योजना और उपरली पानी की टंकियों से संबधित अध्ययन कार्य कर रहा है ।

क्षेत्र के उपयोगों/संस्थाओं/विभागों से संस्थान का सहयोग और भी बढ़ा है । परिसर के पर्यावरण के सुधार और सुंदरता के लिए तथा सुरक्षा प्रंबधों के लिए - एक-एक समिति बनाई गई है ।

(xii) बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान, मेसरा, रांचीः

वर्ष 1990-91 के दौरान संस्थान ने अनुसंधान तथा विकास के अंतर-विषयक विभिन्न क्षेत्रों में आधार-संरचना को सुदृढ़ बनाया ।

संस्थान में 'विज्ञान का इतिहास' विषयक अध्ययन के लिए एक अनुसंधान सेल स्थापित किया गया है । अनुसंधान कार्य के लिए पुस्तकों, पत्रिकाओं ओर अन्य सामग्री के बहुमूल्य संग्रह से सेल की निरंतर श्रीवृद्धि हो रही है । यह सेल अनुसंधान कार्य के निरीक्षण और मार्गदशर्न के लिए भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी द्वारा मानयता प्राप्त है ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा भारत सरकार की विकास योजनाओं के अनुसार संस्थान अभरती हुई टैक्नॉलाजी के जाने-पहचाने क्षेत्रों में नवीनतम प्रौद्योगिकी उन्नति के साथ-साथ आगे बढ़ रहा है और शिक्षा, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के लिए आवश्यक आधार-संरचना बना रहा है तथा उसे सुदृढ़ कर रहा है। माइक्रो प्रोसेसर विकास केंद्र ने रियल टाइम कम्प्यूटर कंट्रोल्स के लिए साधन और नियंत्रण पद्धति के डिज़ाइन और विकास के लिए अनेक सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उपक्रमों के साथ घनिष्ठ संपर्क स्थापित कर लिया है । आलोच्य वर्ष में संस्थान ने कृत्रिम बुद्धि और रोबोट टैक्नालाजी के क्षेत्र में उच्च स्तरीय अध्ययन किया है और अब इन्हें अनुसंधान के क्षेत्र से निकाल कर व्यावहारिक औद्योगिक समस्याओं के हल के लिए प्रयोग किया जा रहा है ।

बी. टेक. (वास्तुकला), बी. टेक. रासायनिक इंजीनियरी (बहुलक विशेषज्ञता), एम. एस. सी. (इलेक्ट्रोनिक्स) - विशेषतः छात्राओं के लिए, अनुप्रयुक्त विज्ञानों तथा सूचना विज्ञानों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं ।

तंतु प्रबलित सीमेंट शीट, कम लागत के मकानों का डिज़ाइन और निर्माण, जल प्रबंधन, पवन चक्की, बायोगैस ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जासंबधी अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में काफी प्रगति हुई है ।

नेत्रहीन व्यक्तियों की सहायता के लिए कम्प्यूटर दृष्टि और स्पर्श संवेदन पद्धति संबधी एक विशष्ट परियोजना संस्थान द्वारा शुरू की गई है । तंतु प्रकाशिकी और प्रकाशिक संचार का अनुसंधान कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है । श्रम दक्षता विज्ञान (अगोनामिक्स) और कम्प्यूटर सहायता प्राप्त डिज़ाइन तथा विनिर्माण नए उभरते हुए क्षेत्र हैं और संस्थान में भली प्रकार स्थापित हैं ।

(xiii) केन्द्रीय मीन उपयोग शिक्षा संस्थान, वरसोवा बंबई:

केंद्रीय मीन उपयोग शिक्षा संस्थान अपने विभिन्न केंद्रों पर निम्नलिखित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चला रहा हैं :

(i) बंबई में मीन उद्योग विज्ञान में दो वर्ष का स्नातकोत्तर डिप्लोमा ।

(ii) बैरकपुर (पश्चिम बंगाल) में अंतः स्थलीय मीन उपयोग प्रशासन एवं प्रबंध में एक वर्ष का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम ।

(iii) कानीनाडा में मीन उद्योग विस्तार तकनीक में एक वर्ष का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम ।

(iv) चिन्हट, लखनऊ में अंतः स्थलीय मीन उपयोग कर्मियों के लिए एक वर्ष का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम ।

(v) बैरकपुर (पश्चिम बंगाल) में एम. एस. सी. (अंतः स्थलीय मीन उद्योग प्रशासन एवं प्रबंध) ।

वर्ष 1990-91 के दौरान मीन उद्योग विज्ञान में एम. एस. सी. डिग्री के लिए निम्नलिखित नया पाठ्यक्रम शुरू किया गया है : एम. एस. सी. (मीन उद्योग प्रंबध), केंद्रीय मीन उद्योग शिक्षा संस्थान, बंबई में ।

वर्ष 1990-91 के दौरान केंद्रीय मीन उद्योग शिक्षा संस्थान, बंबई में मीन उद्योग विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में शुरू किए गए पी. एच. डी. कार्यक्रम इस प्रकार है :

(i) अंतः स्थलीय मीन उद्योग में पी. एच. डी.

(ii) समुद्री मीन उद्योग में पी. एच. डी.

(iii) मीन संसाधन में पी. एच. डी.

(iv) मीन उद्योग सांख्यिकी में पी. एच. डी.

(v) मीन उद्योग अर्थशास्त्र में पी. एच. डी.

(vi) मीन उद्योग विस्तार में पी . एच. डी.

संस्थान ने मीन उद्योग टैक्नालाजी से संबंधित 13 अल्पकालीन आवश्यकता-आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जिनमें 225 प्रशिक्षार्थियों ने भाग लिया । मीन उद्योग के विभिन्न विषयों मे सोलह अनुसंधान परियोजनाएं शुरू की गई हैं । इनमें समुद्र विकास विभाग, नई दिल्ली और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, बंबई द्वारा प्रायोजित दो अनुसंधान परियोजनाएं भी शमिल हैं ।

(xiv) तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पुणे :

वर्ष 1990-91 में निम्नलिखित पाठ्यक्रम शुरू किए गए :

(i) मराठी भाषा में प्रमाणपत्र पाठ्यकम ।

(ii) विद्या निष्णात (एम.फिल.) भारत विद्या ।

(iii) विशारद (बी. ए) संस्कृत ।

वर्ष 1990-91 के दौरान एसोशिएटिड कालेजिज आफ मिडवेस्ट, यू.एस. ए. के सहयोग से बालमुकन्द संस्कृत महाविद्यालय में गैर-मराठी भाषी तथा विदेशी छात्रों के लिए मराठी भाषा में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया था । इस पाठ्यक्रम में 17 अमरीकी छात्र दाखिल किए गए थे ।"प्राचीन भारतीय राजनैतिक विचारधारा" विषय पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठि का आयोजन जनवरी, 1991 में किया गया था । अनेक विद्वानों ने संगोष्ठी में अपने लेख पढ़े और चर्चा में भाग लिया । 'आधुनिक महाराष्ट्र में सामाजिक सुधार आंदोलन' विषय पर एक संगोष्ठी भी नेहरू सामाजिक अध्ययन संस्थान में आयोजित की गई थी ।

डा.. बी. आर. अम्बेडकर जन्म शताब्दी वर्ष के दौरान जनवरी-फरवरी, 1991 में चार भाषणों की एक माला का आयोजन भी किया गया था । यह भाषण विख्यात प्रोफेसरों द्वारा दिए गए थे ।

(xv) महिलाओं के गृह-विज्ञान तथा उच्च शिक्षा का अविनाशीलिंगम संस्थान, कोयम्बतूर :

वर्ष 1990-91 के दौरान संस्थान ने निम्नलिखित नए पाठ्यक्रम शुरू किए :

(i) प्राणिविज्ञान और वनस्पति विज्ञान विभाग द्वारा अंतर-विषयक एम. एस-सी. जीवन विज्ञान डिग्री पाठ्यक्रम ।

(ii) तमिल और अंग्रेजी विभाग द्वारा अंतर-विषयक एम.ए. भाषा विकास एवं साहित्य पाठ्यक्रम ।

(iii) जीव रसायन विभाग द्वारा भेषज प्रयोगशाला टैक्नॉलाजी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम ।

तमिलनाडू सरकार के सहकारिता विभाग के आमंत्रण पर संस्थान के खाद्य विज्ञान एवं पोषण विभाग ने तमिलनाडू के पांच जिलों - कोयम्बतूर, नीलगिरी, पेरियार, सेलम और त्रिची में गेहूं के उत्पादों को लोकप्रिय बनाने के लिए कई प्रदर्शन किए ।

समाज और पास-पड़ोस के साथ संस्थान का अपने कार्यक्रमों के माध्यम से गहरा संबंध है । इन कार्यक्रमों में सामुदायिक समाज सेवा योजना कार्यकलाप, प्रौढ़ साक्षरता कार्य, राष्ट्रीय सेवा योजना और अनेक परियोजनाएं जैसे गेहूं के उत्पादों को

लोकप्रिय बनाना, ग्रामीण परिवारों के भंडारों में सुधार, युवतियों के स्वास्थ्य एवं विकास पर सहयोगी अध्ययन और ग्रामीण निर्धन परिवारों को अच्छे रहन-सहन के लिए प्रेरित करना शामिल हैं ।

संस्थान ने ओरेगान स्टेट यूनिवर्सिटी, कार्वालिस, ओरेगान, यू.एस.ए. के साथ एक क़रारनामा किया है जिसके अनुसार 1990-92 के बीच दोनों विश्वविद्यालयों के मध्य छह-छह प्रोफेसरों का आदान-प्रदान होगा । प्रोफेसरों के आदान-प्रदान से अनुसंधान संबंध दृढ़ होंगे और 'राष्ट्रीय विकास में परिवार का विस्तार' पर अंतर-विषयक रूचि केंद्रित होगी । अभ्यागत अमरीकी प्रोफेसर संस्थान के अध्यापकों को सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में गुणात्मक अनुसंधान विधियों और माइक्रो-कम्प्यूटरों के प्रयोग के बारे में प्रशिक्षण देंगे ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पूर्वस्नातक कक्षाओं के लिए गृहविज्ञान में 25-30 मिनट की अवधि के 240 पाठ तैयार करने का काम अविनाशीलिंगम संस्थान को सौंपा है । इस कार्य के लिए अपेक्षित साजसामान विदेशों से मंगवा लिया गया है और आडियो-वीडियो प्रोडक्शन प्रयोगशाला स्थापित हो चुकी है । अपेक्षित तकनीकी स्टाफ की नियुक्ति की जा चुकी है और संस्थान के स्टाफ को पाठ तैयार करने का प्रशिक्षण दिया जा चुका है । लगभग 220 पाठ पूरे हो चुके हैं ।

(xvi) राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुरः

विद्यापीठ द्वारा शुरू की गई शिक्षण और मूल्यांकन के समाकलन की प्रक्रिया आलोच्य वर्ष में और भी मजबूत और उन्नत बनाई गई । इस समाकलन का उद्‌देश्य विषय पढ़ाने वाले शिक्षकों द्वारा छात्रों का मूल्यांकन कराना है ।

विद्यापीठ सामुदायिक सेवा और विस्तार कार्यक्रमों पर बल देता है । यह कार्यकलाप क्षेत्र विशेष पर आधारित हैं और फिलहाल उदयपुर जिले के दो खंडों - सालुम्बर तथा सारदा - तक सीमित है । इस कार्यकलाप में छात्र और अध्यापक दोनों ही भाग लेते हैं । इसके अतिरिक्त विद्यापीठ के तीन जनसंख्या क्लब, दो योजना फोरम, दस निलयम, दस अनवरत केंद्र और 250 प्रौढ़ शिक्षा केंद्र हैं । विद्यापीठ "शिक्षा कर्म योजना" जैसे कई गैर-पारंपरिक शिक्षा कार्यक्रम भी चलाता है ।

विद्यापीठ ने अनुसंधान और शिक्षण के समाकलन का प्रस्ताव भी दिया है । इस प्रयोजन से इसने स्नातकोत्तर स्तर पर 'अनुसंधान एवं पुस्तकालय कौशल - रिपोर्ट लेखन' का अनिवार्य प्रश्नपत्र शुरू किया है ।

विद्यापीठ का अनुसंधान संस्थान 'राजस्थानी अध्ययन संस्थान' नामक एक विशेष संस्थान में बदल गया है ।

(xvii) अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, देवनार बंबई:

संस्थान, फिलहाल, निम्नलिखित पाठ्यक्रम चलाता है :

(i) जनसंख्या अध्ययन में एक वर्षीय प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम ।

(ii) एकवर्षीय मास्टर आफ पापुलेशन स्टडीज़ पाठ्यक्रम ।

(iii) एक या दो सेमेस्टर का मास्टर आफ पापुलेशन स्टडीज़ (ब्रिज पाठ्यक्रम)

(iv) जनसंख्या अध्ययन में एकवर्षीय एम. फिल. पाठ्यक्रम ।

(v) जनसंख्या अध्ययन में पी-एच.डी. ।

इसके अतिरिक्त, संस्थान के तत्वाधान में, परिवार कल्याण प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र द्वारा स्वास्थ्य शिक्षा में एक-वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी चलाया जाता है ।

संस्थान द्वारा 1990-91 में कई संगोष्ठियां और सम्मेलन आयोजित किए गए । कुछ महत्वपूर्ण आयोजन इस प्रकार हैं :

(i) '2001 में बंबई' विषय पर विचार गोष्ठी ।

(ii) 'भारत में महिलाओं की स्थिति और जनसांख्यिकीय परिवर्तन' विषय पर अखिल भारतीय संगोष्ठी ।

(iii) अखिल भारतीय राजकीय जनसांख्यिकीविद सम्मेलन ।

गत 34 वर्षों में विभिन्न देशों के 1172 प्रशिक्षार्थियों को संस्थान में प्रशिक्षण दिया गया । इनमें 30 देश एशिया और प्रशांत महासागर क्षेत्र के, दो देश अफ्रीका के और एक-एक उत्तरी अमरीका तथा यमन का था ।

(xviii) राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल (हरयाणा):

संस्थान के डेरी विस्तार, कृषि विज्ञान केंद्र और परिचालन अनुसंधान परियोजना समाज और पास-पड़ोस के साथ घनिष्ठ संपर्क बनाए हुए थे । इसका प्रयोजन ग्रामीण लोगों को अधिक पैदावार वाले बीज देकर, संकरण, कृत्रिम वीर्य-सेचन अपनाकर और दुग्ध पदार्थ यथा पनीर, मक्खन, दही, खीर आदि बनाकर उनकी अर्थव्यवस्था में सुधार करना था ।

9 अपनाए गए गांवों और करनाल के एक भाग में वीर्य-सेचन, गर्भ-निरूपण, बच्चे की देखभाल, टीका लगाने और पशुओं के उपचार की सुविधाएं प्रदान की गई हैं । इनके साथ-साथ दूध और दुग्ध पदार्थों के विभिन्न पक्षों पर सलाह दी जाती है ।

कृषिविज्ञान केंद्रों द्वारा कृषकों को कृत्रिम वीर्य सेचन का तीन महीने का प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे अपने पशुओं को भयानक रोगों से बचा सकें और स्वस्थ रख सकें । ग्रामीण लोगों के लिए आय के साधन जुटाने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए उन्हें मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण भी दिया जाता है ।

8.05 विश्वविद्यालय मानी गई संस्थाओं को दिए गए अनुदान

विश्वविद्यालय मानी गई संस्थाओं को वर्ष 1990-91 के दौरान दिए गए योजनागत और योजनेतर अनुदान का विवरण सारणी 8.3 में दिया गया है ।

सारणी 8.3

(रूपए लाख में)

		योजनेतर	योजनागत	जोड़
1.	अविनाशीलिंगम गृह-विज्ञान संस्थान	60.00	13.55	73.55
2.	वनस्थली विद्यापीठ	-	39.07	39.07
3.	बिरला प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान संस्थान	0.19	64.07	64.26
4.	बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान	0.12	39.80	39.92
5.	केंद्रीय अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा संस्थान	233.35	24.55	257.90
6.	केंद्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान	-	0.30	0.30
7.	दयालबाग शैक्षिक संस्थान	59.99	52.25	112.24
			0.28*	0.28*
8.	डक्कन कालेज इन्स्टीट्यूट आफ पोस्ट ग्रेजुएट एजूकेशन एंड रिसर्च, पुणे	0.16	1.01	1.17
9.	गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान	159.00	28.20	187.20
10.	गुजरात विद्यापीठ	156.63	25.67	182.30
11.	गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय	99.39	14.09	113.48
12.	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान	0.16	0.23	0.39

सारणी 8.3 (क्रमशः)

	योजनेतर	योजनागत	जोड़
13. भारतीय विज्ञान संस्थान	1654.56	658.80	2313.36
14. भारतीय खान स्कूल	425.97	76.37	502.34
15. जामिया हमदर्द	19.69	5.77	25.46
	1.53*		1.53*
16. राजस्थान विद्यापीठ	-	29.35	29.35
17. योजना तथा वास्तुकला विद्यालय	-	0.80	0.80
18. श्री सत्य साई उच्च अध्ययन संस्थान	-	45.32	45.32
19. श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ नई दिल्ली	0.04	0.06	0.10
20. टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान	161.40	60.64	222.04
21. थापर इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी संस्थान	-	60.44	60.44
22. तिलक महाराष्ट्रीय विद्यापीठ	-	18.68	18.68
जोड़	3030.65	1259.02	4289.67
	1.53*	0.28*	1.81*

*समायोजन द्वारा

खंड - 9
विश्वविद्यालयों को योजनेतर अनुदान

9.01 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12 (ख) के अधीन साविधिक व्यवस्था के अनुसार केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुरक्षण अनुदान प्रदान किए जाते हैं । ये अनुदान स्टाफ (शिक्षा तथा शिक्षणेतर) के वेतन, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, भवनों आदि के अनुरक्षण पर होने वाले सभी संकायों के आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए दिए जाते हैं । अलीगढ़ मुस्लिम तथा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के मामले में, इन विश्वविद्यालयों के मेडीकल कालेजों से संलग्न अस्पतालों के अनुरक्षण के लिए भी ये अनुदान प्रदान किए जाते हैं ।

इसके अतिरिक्त, केंद्रीय तथा राज्य विश्वविद्यालयों को विशेष प्रयोजनों के लिए व्यय की सहमत सीमा तक योजनेतर अनुदान प्रदान किए जाते हैं । योजनेतर अनुदानों में इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी के अधीन छात्रवृत्तियों तथा अध्येतावृत्तियों, शिक्षा अध्येतावृत्तियों, राष्ट्रीय अध्येतावृत्तियों, राष्ट्रीय एसोशिएटशिपों, राष्ट्रीय व्याख्यान, कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्तियों और अनुसंधान एसोशिएटशिपों के लिए दी जाने वाली राशि शामिल होती है । इनमें अध्येतावृत्तियों के अनुदान तथा विश्वविद्यालयेतर संस्थाओं (यथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, आयुर्विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान का स्नातकोत्तर संस्थान, आयुर्विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान का स्नातकोत्तर संस्थान, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् आदि) को प्रतिपूर्ति की गई पुरस्कारों की राशि भी शामिल है ।

वर्ष 1990-91 के दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत प्रदत्त योजनेतर अनुदानों का विवरण सारणी 9.1 में दिया गया है :

सारणी - 9.1

वर्ष 1990-91 के दौरान विभिन्न योजनाओं के अधीन प्रदत्त योजनेतर अनुदानों का विवरण

क्रम सं.	प्रयोजन	राशि (लाख रू में)
1.	विश्वविद्यालयों को अनुरक्षण अनुदान*	14865.09
2.	विश्वविद्यालय मानी गई संस्थाओं को अनुरक्षण अनुदान	2983.01
3.	विशिष्ट प्रयोजनों के लिए अन्ना तथा रूड़की विश्वविद्यालयों को अनुरक्षण अनुदान	98.42
4.	दिल्ली विश्वविद्यालय के संघटक/संबद्ध कालेजों को अनुरक्षण अनुदान	5417.62
5.	बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संघटक/संबद्ध कालेजों को अनुरक्षण अनुदान	52.59
6.	केंद्रीय विश्वविद्यालयों तथा विश्वविद्यालय मानी गई संस्थाओं को मकान निर्माण पेशगी**	**
7.	शिक्षक अध्येतावृत्ति, राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति/एसोशिएटशिप, राष्ट्रीय व्याख्यान, सेवानिवृत्त शिक्षक, इमेरिटस अध्येवृत्ति आदि जैसी योजनाओं के लिए शिक्षक पुरस्कार	39.82

क्रम सं.	प्रयोजन	राशि (लाख रू में)
8.	अनुसंधान अध्येतावृत्तियों/ एसोशिएटशिपें	447.44
9.	इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी के अधीन छात्रवृत्तियाँ/ अध्येतावृत्तियां	169.83
10.	विश्वविद्यालय संस्थाओं को प्रतिपूर्ति व्यय	17.49
11.	जनंसपर्क केंद्र	250.79
		@24342.10

* इसमें केंद्रीय विश्वविद्यालय और दिल्ली के कालेजों को दी गई क्रमशः रू. 996 लाख तथा 454.22 लाख की अनुदान राशि सम्मिलित हैं । यह राशि उन्हें 1991-92 के लिए अग्रिम किस्त के रूप में 1.4.1991 को दिए जाने वाले मार्च, 1991के वेतन की राशि के व्यय के लिए दी गई थी ।

** 1990-91 से इस राशि को योजनागत अनुदानों के अधीन दिया जा रहा है ।

@ इस राशि में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को जारी किए गए प्रशासन प्रभार, अधिकारियों, स्थापना आदि के वेतन के रू. 477.65 लाख शामिल नहीं हैं ।

9.02 केंद्रीय विश्वविद्यालयों को योजनेतर अनुदान

वर्ष 1986-87 से 1990-91 के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालयों के अनुरक्षण के लिए आयोग द्वारा प्रदत्त अनुदानों का विवरण सारणी 9.2 में दिया गया है । विवरण से यह मालूम होगा कि अनुदान की राशि में प्रतिवर्ष वृद्धि होती रही है । 1990-91 के दौरान केंद्रीय विश्वविद्यालयों को रू. 14865.09 लाख के अनुदान जारी किए गए ।

सारणी 9.2

केंद्रीय विश्वविद्यालयों को योजनेतर अनुदान

(रू. लाख में)

क्र. सं.	विश्वविद्यालय	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91
1.	अलीगढ़ मुस्लिम	1888.62	2540.05	2748.06	2912.95	3383.27
2.	बनारस हिंदू	2811.65	3366.15	3394.04	3559.60	4112.32
3.	दिल्ली	1427.02	1655.82	1889.25	1926.58	2471.07
4.	हैदराबाद	361.08	423.75	489.01	567.60	673.62
5.	जवाहरलाल नेहरू	735.27	952.20	1023.84	1130.23	1315.62
6.	नार्थ इस्टर्न हिल	669.85	752.60	843.00	884.98	986.07
7.	विश्व भारती	521.11	713.10	773.40	832.32	957.64
8.	जामिया मिलिया	-	-	30.00	526.58	679.46
9.	पांडिचेरी	-	-	-	-	286.02
	जोड़	8414.60	10403.67	11190.60	12340.84	14865.09

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय तथा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के मेडीकल कालेजों तथा उनसे संलग्न अस्पतालों का अनुरक्षण-व्यय विश्वविद्यालय के ब्लाक अनुदानों से पूरा किया गया जबकि विश्वविद्यालय आयुर्विज्ञान कालेज, दिल्ली विश्वविद्यालय के अनुरक्षण अनुदान सीधे संस्था को प्रदान किए गए ।

9.03 केंद्रीय विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय मानी गई संस्थाओं तथा राज्य विश्वविद्यालयों को अनुरक्षण अनुदान

लोक लेखा समिति ने अपनी 73 वीं रिपोर्ट में जो प्रेक्षण दिए हैं, उनका अनुपालन करते हुए केंद्रीय विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय मानी गई संस्थाओं तथा राज्य के उन विश्वविद्यालयों को, जिन्होंने 1988-89 की सूचना भेज दी है, दिए गए अनुरक्षण अनुदानों का विवरण (योजनेतर) परिशिष्ट-XXIX में दिया गया हैं ।

9.04 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए मकान निर्माण पेशगी के लिए परिक्रामती निधि सृजित करने के लिए योजनागत अनुदान

केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों (शिक्षक तथा शिक्षकेतर) द्वारा अपना मकान निर्माण करने में आसानी हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए आयोग ने एक योजना शुरू की जिसके अनुसार विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों को मकान निर्माण पेशगी के लिए एक परिक्रमी निधि का सृजन करेंगें ।

इस योजना के अधीन आयोग विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों, आवेदकों की संख्या तथा निधियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए प्रतिवर्ष अनुदान प्रदान करता है । पहले, यह योजनेतर अनुदान के रूप में दिया जाता था । लेकिन, वर्ष 1990-91 से यह योजनागत अनुदान के रूप में दिया जाएगा । वर्ष 1990-91 के दौरान आयोग ने इस प्रयोजन के लिए 9 केंद्रीय विश्वविद्यालयों को रू. 145 लाख का अनुदान जारी किया ।

खंड - 10
संकाय सुधार कार्यक्रम

10.01 आयोग संकाय सुधार के ऐसे विभिन्न कार्यक्रमों को वित्तीय सहायता देता रहा है जो शिक्षकों को अध्ययन और अनुसंधान के उनके क्षेत्रों में आधुनिक विकासों के सम्पर्क में रखने तथा उनके विषयों और संबद्ध क्षेत्रों में विशेषज्ञों के साथ विचारों के आदान-प्रदान के अवसर प्रदान करते है । इन कार्यक्रमों का उद्देश्य शिक्षकों की व्यावसायिक योग्यता का सुधार करना है जिससे कि वे उच्च कोटि की शैक्षिक सामग्री का निर्माण कर सकें और उच्च शिक्षा के स्तर को बनाए रखने में योगदान कर सकें। वर्ष 1990-91 के दौरान आयोग ने ऐसे जिन कार्यक्रमों को सहायता प्रदान की उनका विवरण नीचे दिया जा रहा है :-

10.02 संगोष्ठियां, परिचर्चाएं, पुनश्चर्या पाठ्यक्रम कार्यशालाएं आदि

आयोग विश्वविद्यालयों तथा कालेजों को संगोष्ठियों, परिचर्चाएं, पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, कार्यशालाएं आदि आयोजित करने के लिए अनुमोदित मानकों के अनुसार वित्तीय सहायता देता है । इस प्रकार के कार्यक्रम "असमनुदेशित अनुदान" योजना के अधीन आयोजित किए जाते हैं और रू. 1.5 लाख से रू. 4 लाख तक की सीमा के अंतर्गत प्रत्येक विश्वविद्यालय को संकाय की संख्या के आधार पर सहायता प्रदान की जाती है । इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करने के लिए वर्ष 1990-91 के दौरान आयोग ने जो प्रस्ताव स्वीकृत किए उनकी संख्या नीचे दी जा रही हैं :

क्र. सं.	कार्यक्रम	मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान	विज्ञान	जोड़
1.	संगोष्ठियां	42	22	64
2.	परिचर्चाएं	3	12	15
3.	कार्यशालाएं	6	10	16
	जोड़	51	44	95

इसके अतिरिक्त आयोग अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद और नीपा आदि विश्वविद्यालयेतर संस्थाओं द्वारा आयोजित ऐसी ही गतिविधियों में भाग लेने के लिए विश्वविद्यालय तथा कालेज के शिक्षकों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता भी प्रदान करता है ।

10.03 सम्मेलन

आयोग विश्वविद्यालयों तथा कालेजों को राज्य, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर सम्मेलनों का आयोजन करने के लिए पांच हज़ार रूपये से लेकर तीस हज़ार रूपये तक का सांकेतिक अंशदान प्रदान करता है । इन सम्मेलनों के आयोजन से संकाय सदस्यों तथा अनुसंधानकर्ताओं को अपने अनुसंधान कार्यों के परिणामों पर चर्चा करने का सुअवसर मिला है । वर्ष 1990-91 में आयोग ने 49 सम्मेलन आयोजित करने के लिए सहायता प्रदान की । उनमे से 8 राज्य स्तर पर, 3 क्षेत्रीय स्तर पर, 31 अखिल भारतीय स्तर पर और 7 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किए गए थे ।

10.04 अंग्रेजी भाषा के शिक्षण को सुदृढ़ बनाना

आयोग ने ब्रिटिश काउंसिल तथा केंद्रीय अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा संस्थान, हैदराबाद के सहयोग से अंग्रेजी भाषा शिक्षण के लिए विशेषीकृत ग्रीष्मकालीन संस्थान आयोजित करने के लिए विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करना जारी रखा । आयोग पुस्तकें, उपस्करों तथा स्टाफ के लिए सहायता प्रदान करता है । ब्रिटिश काउंसिल इन संगोष्ठियों के लिए विशेषज्ञों की व्यवस्था करती है और केंद्रीय अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा संस्थान, हैदराबाद ज्ञानसाधन व्यक्तियों के लिए पूर्वसंस्थान कार्यशालाएं आयोजित करता है । इस प्रयोजन के लिए आयोग ने 15 विश्वविद्यालयों को अंग्रेजी भाषा शिक्षण केंद्रों के रूप में चुना हैं ।

10.05 अकादमिक स्टाफ कालेज योजना

चरण-I : नव-नियुक्त लेक्चररों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम

इस योजना का सूत्रपात आयोग ने 1987-88 के दौरान किया था जब विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में नव-नियुक्त लेक्चररों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित करने के लिए 48 अकादमिक स्टाफ कालेज अनुमोदित किए गए थे । इस योजना का उद्देश्य विशिष्ट विषयों एवं तकनीकों तथा साथ ही कार्यप्रणालियों में व्यवस्थित अभिविन्यास के जरिए शिक्षकों के अभिप्रेरण को बढ़ावा देना है ताकि उनमें उचित प्रकार के मूल्यों का विकास हो सके और वे इससे नवप्रवर्तनात्मक और सृजनात्मक कार्य की पहल

करने के लिए प्रोत्साहित हो सकें । प्रत्येक अकादमिक स्टाफ कालेज से प्रतिवर्ष चार-चार सप्ताह की अवधि के 5 या 6 अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित करने की अपेक्षा की जाती हैं इस कार्यक्रम में 85-90 प्रतिशत शिक्षक अकादमिक स्टाफ कालेज के अधिसूचित कार्यक्षेत्र** से लिए लिए जाते है और शेष 10-15 प्रतिशत को अखिल भारतीय आधार पर बाहरी राज्यों से लिया जा सकता है । 48 अकादमिक स्टाफ कालेजों में से 46 ने वर्ष 1990-91 के अंत तक अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित करना शुरू कर दिया था । शेष दो विश्वविद्यालयों, यथा जादवपुर और विश्व भारती में से आयोग ने वर्ष 1991-92 से जादवपुर विश्वविद्यालय द्वारा इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है ।

चरण-II : सेवाकालीन शिक्षकों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम

वर्ष 1988-89 में आयोग ने यह कार्यक्रम शुरू किया । तब से अब तक सेवाकालीन शिक्षकों के वास्ते विषयमूलक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए क्षेत्रीय/राष्ट्रीय आधार पर 151 विश्वविद्यालय विभागों/संस्थाओं का पता लगाया है । आजकल केवल लेक्चरारों के लिए ही ये पाठ्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं । प्रत्येक केंद्र से यह अपेक्षा की जाती है कि वह वर्ष के दौरान सामजिक विज्ञान, विज्ञान एवं मानिविकी के आबंटित विषयों में चार-पांच पाठ्यक्रम और भाषाओं के दो-तीन पाठ्यक्रम आयोजित करेगा ।

आयोग ने अंगस्त 1990 में राष्ट्रीय शैक्षिक योजना तथा प्रशासन संस्थान (नीपा) के सहयोग से अकादमिक स्टाफ कालेजों के निदेशकों की एक बैठक का आयोजन किया जिसमें निम्नलिखित विषयों पर विचार-विमर्श हुआ :

(I) जुलाई 1990 तक आयोजित अभिविन्यास/पुनश्चर्या कार्यक्रमों की प्रगति ।

(II) अकादमिक स्टाफ कालेजों द्वारा अभिविन्यास शिक्षकों से प्राप्त कार्यक्रमों की प्रतिपुष्टि ।

(III) वर्ष 1990-91 के लिए इन कार्यक्रमों को बढ़ाना, तथा

(IV) अकादमिक स्टाफ कालेजों के प्रभावी एवं निर्विध्न कार्यकरण के लिए कदम उठाना ।

* अकादमिक स्टाफ कालेज के अधिसूचित कार्यक्षेत्र में सामान्यतः राज्य के विनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय और कालेज शामिल होते है ।

आलोच्य वर्ष के दौरान संचालित कार्यक्रमों की संख्या नीचे सारणी में दी गई है :

वर्ष 1990-91 के दौरान अकादमिक स्टाफ कालेजों द्वारा संचालित कार्यक्रम

क्र. सं.	कार्यक्रमों का प्रकार	कार्यक्रमों की संख्या	सहभागी शिक्षकों की संख्या
1.	अभिविन्यास	156	4601
2.	पुनश्चर्या	308	8369
	जोड़	464	12970

आयोग अकादमिक स्टाफ कालेजों को अभिविन्यास/पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए 100 प्रतिशत सहायता प्रदान करता है । इस कार्यक्रम के लिए वर्ष 1990-91 के दौरान विश्वविद्यालयों को रू. 450.74 लाख की अनुदान राशि जारी की गई ।

आयोग द्वारा नियुक्त समिति द्वारा इस कार्यक्रम की समीक्षा की गई । समिति ने अपनी रिपोर्ट फरवरी, 1991 में प्रस्तुत की । आयोग द्वारा रिपोर्ट पर व्यापक विचार विमर्श होने तक यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालयों को वर्तमान पैटर्न पर 31.3.1992 तक तदर्थ आधार पर सहायता प्रदान की जाए ।

10.06 राष्ट्रीय अध्येतावृत्तियां

राष्ट्रीय अध्येतावृत्तियों की योजना उत्कृष्ट शिक्षकों को अपने सामान्य कार्य से एक या दो वर्ष का अवकाश लेकर पूर्णतः अनुसंधान कार्य करने का अवसर प्रदान करती

है । इस योजना के अंतर्गत नियत अवधि की 30 अध्येतावृत्तियां उपलब्ध हैं । जिन शिक्षकों को ये अध्येतावृत्तियां दी जाती हैं वे अपना सामान्य वेतन और भत्ते तथा प्रति मास रू. 500/- का अव्यपगतीनय अनुदान भी पाते हैं । वर्ष 1990-91 के दौरान इस योजना के अंर्तगत दस स्कालर कार्य कर रहे थे । आयोग ने इस योजना का व्यापक प्रचार करने का निर्णय किया है ताकि वर्ष प्रतिवर्ष उपलब्ध अध्येतावृत्तियां प्रदान करना सुनिश्चित किया जा सके ।

10.07 अभ्यागत एसोशिएटशिपें

इस योजना का लक्ष्य सामान्यत: 40 वर्ष से कम आयु के तथा अनुसंधान में लगे विश्वविद्यालय/कालेज के उत्कृष्ट शिक्षकों को ऐसे अन्य विश्वविद्यालय केद्रों/अनुसंधान संस्थाओं/राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में अल्पावधियों (यह अविध एक समय मे तीन माह से अधिक नहीं होनी चाहिए) के लिए जाने तथा यहां काम करने के लिए सहायता देना है जहां उनके कार्य क्षेत्रों से संबद्ध विशेष सुविधाएं हैं । आयोग एसोशिएटों की यात्रा का वास्तविक खर्च वहन करता है । इसके अतिरिक्त प्रत्येक एसोशिएट को रहने के खर्च के लिए प्रतिमास रू. 1200/- का भत्ता मिलता है । यदि मेजबान संस्था द्वारा नि:शुल्क आवास की व्यवस्था नहीं की जाती है तो एसोशिएट को प्रतिमास रू. 2000/- का भत्ता दिया जाता है । उन एसोशिएटों को 500/- रूपए की अतिरिक्त राशि भी दी जाती है जिन्हें अपने कार्य के संबंध में क्षेत्र-कार्य करने की आवश्यकता पड़ती है । तीन प्रकार की एसोशिएटशिपें उपलब्ध हैं अर्थात् एक वर्ष की एसोशिएटशिपों की संख्या 100 हैं जबकि तीन और पांच वर्ष की एसोशिएटशिपों की संख्या 150 (प्रत्येक) हैं ।

वर्ष 1990-91 के दौरान कोई एसोशिएटशिप प्रदान नहीं की गई क्योंकि योजना समीक्षाधीन थी आलोच्य वर्ष के दौरान आयोग ने इस योजना का व्यापक प्रचार करने का निर्णय लिया ताकि वर्ष प्रतिवर्ष उपलब्ध अध्येतावृत्तियां प्रदान करना सुनिश्चित किया जा सके ।

10.08 राष्ट्रीय लेक्चरशिप

वर्ष के दौरान, आयोग ने राष्ट्रीय लेक्चरशिप की योजना को आठवीं योजना में समाप्त करने का निर्णय लिया । वर्ष 1970 में प्रारंभ की गई इस योजना का उद्देश्य विश्वविद्यालयों के उत्कृष्ट शिक्षकों और अनुसंधानकर्त्ताओं की सेवाओं का उपयोग शैक्षणिक स्तरों के संवर्धन के लिए करना था । प्रारंभ से अब तक विभिन्न विश्वविद्यालयों और कालेजों के 750 से अधिक शिक्षकों को राष्ट्रीय लेक्चरशिपें प्रदान की गई है ।

योजना को इसलिए समाप्त करना पड़ा क्योकि यह राष्ट्रीय अध्येतावृत्तियों, अभ्यागत प्रोफेसरों, अभ्यागत अध्येताओं, अभ्यागत एसोशिएटशिपों और वृत्तिक अवार्डो सहित विश्वविद्यालय प्रणाली मे आयोग द्वारा साथ-साथ संचालित इसी प्रकार की अन्य संकाय सुधार योजनाओं के साथ परस्परव्यापी पाई गई थी ।

10.09 अतिथि/अंशकालिक शिक्षक

विश्वविद्यालय और कालेज अतिथि/अंशकालिक शिक्षकों की नियुक्ति अपवादस्वरूप परिस्थितियों में ऐसे विशेषीकृत क्षेत्रों/विषयों में करते है जिनमे शिक्षण को सुदृढ़ता तथा अतिरिक्त पूर्णता प्रदान करने के लिए व्यावसायिक विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है और साथ ही ऐसी स्थिति में भी जहां कार्यभार इतना नहीं होता कि पूरे शैक्षिक वर्ष के लिए पूर्णकालिक नियामित शिक्षक की नियुक्ति उचित ठहराई जाए । अतिथि/अंशकालिक शिक्षकों को प्रतिमास रू. 1000/- का मानदेय प्रदान किया गया जाता है बशर्ते कि प्रति सप्ताह कार्यभार 7-10 घंटा हो ।

10.10 इमेरिटस अध्येतावृत्तियां

इस योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालयों के उन उच्च योग्यताप्राप्त तथा अनुभवी अवकाशप्राप्त प्रोफेसरों को इमेरिटस अध्येतावृत्ति दी जाती है जो अपने सेवाकाल के दौरान सक्रिय रूप से अनुसंधान कार्य में रत रहे हों । यह अध्येतावृत्ति दो वर्ष के लिए या 65 वर्ष की आयु तक (इनमें जो भी पहले हो) दी जाती है । इसका उद्देश्य सेवानिवृत्त प्रोफेसरों को उनके विशेषज्ञता के क्षेत्रों में सक्रिय अनुसंधान करते रहने के लिए तथा उनकी सेवाओं का आयोग के शैक्षिक कार्यक्रमों का परिवीक्षण करने के लिए अवसर प्रदान करना है । अध्येतावृत्ति पाने वाले व्यक्ति को अपने सामान्य सेवा-निवृत्ति हितलाभों के अतिरिक्त रू. 4000/- प्रति मास की अध्येतावृत्ति राशि तथा लिपकीय सहायता, यात्रा, लेखन-सामग्री, डाक व्यय, टेलीफोन किराए, उपभोज्य वस्तुओं आदि के लिए रू. 10.000/- प्रति वर्ष का अव्यपगतनीय आकस्मिक अनुदान भी मिलता हैं । उन अध्येताओं को केंद्रीय सरकार की दरों पर मकान किराया भत्ता भी दिया जाता हैं जो प्राइवेट मकानों में किराए पर रहते हैं । किसी नियत समय में अध्येतावृत्तियों की कुल संख्या 60 है । वर्ष 1990-91 के दौरान इस योजना के अंतर्गत 29 अवार्ड प्रदान किए गए ।

10.11 अभ्यागत प्रोफेसर/अभ्यागत अध्येता

आयोग मानदेय/दैनिक भत्ते की अदायगी के आधार पर विश्वविद्यालयों को अभ्यागत प्रोफेसरों/अभ्यागत अध्येताओं की नियुक्ति के लिए सहायता प्रदान करता है । अभ्यागत प्रोफेसर को देय मानदेय प्रतिमास रू. 5000/- हैं । अभ्यागत अध्येता को दैनिक

भत्ते के रूप में 200/- रूपए दिया जाता है । आयोग ने वर्तमान दिशानिर्देशों में परिवर्तन किए बिना योजना को आठवीं योजना अवधि (1990-95) में चालू रखने का निर्णय लिया है । इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अनुदान की मात्रा उसे आठवीं योजना में सामान्य विकास के लिए आवंटित की गई राशि के अनुरूप होगी जिसका ब्यौरा इस प्रकार है :-

क्र. सं	सामान्य विकास के लिए आठवीं योजना (1990-95) में आवंटन	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिया जाने वाला अनुदान
क.	रू. 75 लाख तक	रू. 3 लाख
ख.	रू. 75 लाख और रू. 100 लाख के बीच	रू. 4 लाख
ग.	रू. 100 लाख से ऊपर	रू. 5 लाख

वर्ष 1990-91 के दौरान, इस प्रयोजन के लिए रू. 3.78 लाख की राशि अनुदान के रूप में प्रदान की गई ।

कश्मीर विश्वविद्यालय के अनेक शिक्षक आयोग से इस बात का अनुरोध करते है कि उन्हें कश्मीर विश्वविद्यालय के बाहर अन्य स्थानों में शिक्षण/अनुसंधान के कार्य सौंपे जाएं क्योकि कश्मीर में कार्य करने के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं है । नवंबर, 1990 में हुई अपनी बैठक मे आयोग ने इस पर विचार करके निर्णय लिया कि अन्य विश्वविद्यालयों में "अभ्यागत संकाय" के कुछ स्थान बनाएं जाएं ताकि कश्मीर विश्वविद्यालय और उसके संबद्ध कालेजों वाले के वर्ग क, ख, और ग) वर्तमान लेक्चरारों , रीडरों और प्रोफेसरों के लिए) के शिक्षकों को शिक्षण / अनुसंधान का कार्य सौंपा जा सके । इन वर्गो के लिए प्रति माह समेकित मानदेय क्रमशः रू. 2500/- रू. 3000/- और रू. 4500/- देय होगा । आयोग ने यह भी निर्णय लिया कि ये शिक्षक उपर्युक्त दरों के आधार पर मानदेय के अतिरिक्त अपने मूल विश्वविद्यालय (कश्मीर विश्वविद्यालय) और संबद्ध कालेजों से वेतन

पाने के हकदार होंगे । 'अभ्यागत संकाय' के अवार्ड की अवधि दो अर्धवर्षिक सत्र या एक शैक्षिक वर्ष की होगी ।

10.12 अनुसंधान परियोजनाओं में सेवा-निवृत्त शिक्षकों की सहभागिता

आयोग अनुमोदित अनुसंधान परियोजनाओं में प्रमुख अन्वेषकों के रूप में भाग लेने वाले सेवानिवृत्त शिक्षकों को मानदेय प्रदान करता रहा है । इस योजना के अंतर्गत यह निर्धारित किया गया है कि सेवा-निवृत्त शिक्षक को अपने अनुसंधान/परियोजना कार्य के अतिरिक्त, सप्ताह में 4 से 6 घंटों के दौरान विश्वविद्यालय/कालेज में उपस्थित रहना चाहिए । इस कार्य के लिए सेवानिवृत्त शिक्षकों को देय मानदेय की राशि प्रतिमास रू. 2000/- हैं ।

10.13 अनुसंधान वैज्ञानिक

आलोच्य वर्ष के दौरान, विश्वविद्यालयों और संस्थाओं की परियोजनाओं मे कार्यरत क, ख, ग वर्ग के अनुसंधान वैज्ञानिकों के कार्यों की समीक्षा की गई । अनुसंधान वैज्ञानिक योजना के नियमों के प्रावधान के अनुसार आयोग ने, समीक्षा समिति की सिफारिश पर प्रत्येक विषय के एक उम्मीदवार को छोड़कर अन्यों को उसी वर्ग में संविदा की आंशिक या पूर्ण अवधि के लिए कार्य करने के लिए अनुमत किया है । आलोच्य वर्ष के दौरान, आयोग ने चयन समिति की सिफारिशों पर क वर्ग (लैक्चरर के समकक्ष) के अनुसंधान वैज्ञानिक अवार्ड के लिए 53 उम्मीवारों (अनु० जाति/अनु० जनजाति के उम्मीदवारों को मिलाकर) को चुना है । आयोग ने यह भी निर्णय किया कि आयोग द्वारा गठित समीक्षा समिति द्वारा अनुसंधान वैज्ञानिक योजना की गंभीरता से समीक्षा की जानी चाहिए ।

10.14 विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में सम्मिलित होने के लिए यात्रा अनुदान

आयोग कालेज शिक्षकों को विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय अकादमिक सम्मेलनों में भाग लेने के लिए आंशिक सहायता देता है । इस योजना में आयोग का अनुदान, पंजीकरण फीस, अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, हवाई अड्डा कर, दैनिक भत्ते जैसे स्वीकार्य मदों पर प्रचलित दरों पर कुल व्यय का अधिक से अधिक 50 प्रतिशत होता है । रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान इस प्रयोजन के लिए आयोग ने रू. 29.15 लाख का अनुदान कालेजों को दिया ।

विश्वविद्यालय शिक्षकों के लिए "असमनुदेशित अनुदान" योजना के अंतर्गत ऐसी ही सहायता उपलब्ध है ।

10.15 संकाय आवास काम्प्लेक्स/अतिथि गृह

आयोग संकाय आवास काम्प्लेक्सों, शिक्षकों के होस्टलों और संकाय के लिए अतिथि-गृहों के निर्माण के लिए भी सीमित आधार पर अनुदान देता रहा है । वर्ष 1990-91 के दौरान इस प्रयोजन के लिए रू. 76 लाख का अनुदान जारी किया गया ।

10.16 शिक्षक अध्येतावृत्तियां

यह योजना संबद्ध कालेजों में कार्यरत शिक्षकों को एम. फिल./पीएच. डी. उपाधि हासिल करने के योग्य बनाती है और इससे वे अपनी शिक्षण योग्यता तथा कार्यप्रणाली सुधार सकते हैं और वे अपने अध्ययन और अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम विकासों से अवगत रह सकते हैं ।

आठवीं योजना में इस योजना का संशोधन किया गया है । वर्ष 1990-91 से संचालित इस संशोधित योजना के अनुसार, आयोग केवल एक वर्ष की अवधि की अल्पकालीन शिक्षक अध्येतावृत्तियां प्रदान करेगा जिससे कालेज शिक्षक एम. फिल. उपाधि के लिए कार्य कर सकेंगे । पहले पीएच. डी. करने के लिए जो दीर्घकालीन शिक्षक अध्येतावृत्तियां प्रदान की जाती थीं उन्हें अब समाप्त कर दिया गया है । लेकिन, पीएच. डी. उपाधि के लिए जिन शिक्षकों ने पर्याप्त कार्य कर लिया है और जिन्हें अब केवल एक वर्ष कार्य करने की आवश्यकता रह गई है उन्हें अपना कार्य समाप्त करने के लिए एक वर्षीय अल्पकालीन अध्येतावृत्ति प्रदान करने पर विचार किया जा सकता है ।

यह योजना केवल उन कालेजों पर लागू होगी जो आठवीं योजना अवधि में विकास सहायता पाने के हकदार होंगे । अध्येतावृत्तियों की संख्या स्थायी शिक्षकों (या राजकीय कालेजों के मामले में नियमित आधार पर होगी, जिसमें प्रिंसिपल शामिल होगा परन्तु इसमें शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक/शारीरिक शिक्षा निदेशक और पुस्तकाध्यक्ष शामिल नहीं होंगे । प्रत्येक कालेज में, पांच स्थायी शिक्षकों (या राजकीय कालेज के मामले में नियमित आधार पर नियुक्त शिक्षकों) के पीछे एक वर्षीय एक अल्पकालीन शिक्षक अध्येतावृत्ति प्रदान की जाएगी और इस प्रकार की अध्येतावृत्तियां आठ से अधिक नहीं होगी । केवल स्थायी शिक्षक (या राजकीय कालेजों के मामले में नियमित आधार पर

नियुक्त शिक्षक) जिनकी आयु 45 वर्ष तक की है (महिला शिक्षकों के मामले में 5 वर्ष की छूट होगी) और जिन्होंने कम-से-कम स्नातकोत्तर डिग्री स्तर पर 50 प्रतिशत अंक अर्जित किए है उन्हें इन अध्येतावृत्तियों के लिए पात्र माना जाएगा । इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सहायता से इन अध्येतावृत्तियों का अनुमोदन उस विश्वविद्यालय का उपकुलपति करेगा जिससे कालेज संबद्ध है । आयोग केवल व्यय की प्रतिपूर्ति करेगा ।

इस योजना के अंतर्गत आयोग अध्येताओं को प्रतिमास रू. 750/- निर्वाह-व्यय भत्ते के रूप में और आकस्मिकता अनुदान मानविकी, समाजिक विज्ञान और वाणिज्य विषयों के संबध में रू. 5000/- तक प्रतिवर्ष तथा विज्ञान विषयों (गणित, सांख्यिकी, भूगोल तथा मनोविज्ञान विषयों को मिलाकर) के संबंध में रू. 7500/- तक प्रतिवर्ष प्रदान करेगा । इसके अधीन चुन गए शिक्षकों को अनुसंधान केंद्रों में कार्यभार संभालने और अध्येतावृत्ति की अवधि समाप्त होने पर मूल संस्था में वापस आने के लिए कालेज दरों के आधार पर (प्रथम श्रेणी ट्रेन बस से) यात्रा भत्ता दिया जाएगा । शिक्षक अध्येता को निर्वाह-व्यय भत्ता तथा यात्रा भत्ता तभी देय होगा जब अनुसंधान केंद्र और मूल संस्था के बीच की दूरी 40 कि. मी से अधिक होगी और अनुसंधान केंद्र और मूल संस्था एक ही शहर में न होकर अलग-अलग शहर में होंगे ।

यह योजना व्यावसायिक कालेजों ओर ऐसे कालेजों में काम करने वाले शिक्षकों पर लागू नहीं होती जिनमें, आयुर्विज्ञान, कृषि और इंजीनियरी विषय पढ़ाए जाते है ।

10.17 पारंपरिक स्कालर

पिछले वर्ष चालू की गई इस योजना के अधीन आयोग विश्वविद्यालयों में नियुक्ति के लिए संस्कृत, पाली, प्राकृत, अरबी और फारसी के पारंपरिक स्कालरों का चयन करता है । इय योजना से यह आशा की जाती है कि इससे विश्वविद्यालयों में पारंपरिक भारतीय विद्वतता एवं आधुनिक विद्या का संगम होगा । चुने गए पारंपरिक विद्वानों को उतनी ही परिलब्धियां/मानदेय मिलेगा जितना कि अभ्यागत प्रोफेसरों को दिया जाता है । वे परामर्श, मार्ग-दर्शन तथा औपचारिक व्याख्यान और अनौपचारिक वार्ता देने के लिए संकाय सदस्यों/अनुसंधान स्कालरों को निर्दिष्ट विश्वविद्यालयों के कैम्पसों में उपलब्ध होंगे । इनकी नियुक्ति एक वर्ष के लिए की जाएगी । लेकिन, कुछ स्कालर अपनी जीवन शैली के कारण अपना स्थान छोड़ने में असमर्थ होंगे । ऐसे मामलों मे विश्वविद्यालय/कालेज शिक्षक, मार्गदर्शन तथा परामर्श के लिए उनके पास जाएंगे जिसके लिए उन्हें नियमानुसार

यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता दिया जाएगा । आयोग ने ऐसे विश्वविद्यालयों के लिए जो ऐसे स्कालरों की नियुक्ति करेंगे अलग से अनुदान की व्यवस्था कर दी है ।

10.18 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की प्रोफेसरशिप

वर्ष 1989-90 के दौरान आयोग ने विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के लिए सभी विषयों में वि. अ. आ. प्रोफसरशिप के 100 से 150 स्थान सृजित करने के लिए एक योजना तैयार की है । इस योजना को मानव संसाधान विकास मंत्रालय भारत सरकार को भेजा गया है । उसकी सहमति की प्रतीक्षा की जा रही है ।

खंड-11
छात्रों के लिए कार्यक्रम

11.01 आयोग छात्रों के हितलाभ के लिए विभिन्न शैक्षिक एवं कल्याण कार्यक्रम लागू करता रहा है ताकि अध्ययन, अधिगम तथा अनुसंधान के लिए उपयुक्त वातावरण पैदा हो सके । इस संबंध में आयोग द्वारा किए गए प्रयासों का देश में उच्च शिक्षा के स्तरों के अनुरक्षण तथा सुधार पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है । स्टाफ की नियुक्ति, शैक्षिक भवनों, पुस्तकालयों तथा प्रयोगशालाओं के निर्माण, उपस्करों, पुस्तकों तथा पत्रिकाओं की खरीद समेत आयोग के सभी विकास कार्यक्रमों का छात्रों के कल्याण तथा शैक्षिक कार्यक्रम चलाने के लिए अनुकूल वातावरण तथा परिस्थितियों को बढ़ावा देने पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है । इसके अतिरिक्त आयोग ने एक ओर जरूरतमंद तथा सामाजिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए और दूसरी ओर योग्य छात्रों के अनेक विशिष्ट कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं । चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों का ब्यौरा अगले पैराग्राफों में दिया गया है ।

11.02 'नियतकालीन आधार' पर कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्तियां

आयोग ने 'नियतकालीन आधार' पर कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्तियों के आबंटन से संबंधित योजना के कार्यान्वयन के लिए विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता देना जारी रखा ताकि सामाजिक विज्ञानों सहित विज्ञान एवं मानविकी विषयों में एम. फिल./ पी-एच.डी. डिग्री के लिए उच्च अध्ययन एवं अनुसंधान कार्य के लिए शिक्षकों को अवसर प्रदान किए जा सकें । 1984 से कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्तियां केवल उन्हीं उम्मीदवारों को प्रदान की जाती हैं जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा संचालित राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा अथवा इस प्रयोजन के लिए समान घोषित परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं ।

जिन उम्मीदवारों ने राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी उनके लिए 'नियतकालीन आधार' योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालयों को अध्येतावृत्तियां आबंटित कर दी गई थीं । उपलब्ध कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्तियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालयों से योग्यता प्राप्त उम्मीदवारों को ये वृत्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया गया था । इसके अलावा आयोग कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति परीक्षा उत्तीर्ण उम्मीदवारों के खपाने के लिए आबंटित कोटे के अतिरिक्त अधिसंख्यक/वैयक्तिक अध्येतावृत्तियां भी प्रदान करता है ।

11.03 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्तियां

पहले "नियतकालीन आधार पर कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति" वाली वि. अ. आ. की योजना के अंतर्गत विभिन्न विश्वविद्यालयों को आबंटित अनुसंधान अध्येतावृत्तियां अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए आरक्षित थीं । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग - एन ई टी - जे आर एफ परीक्षा शुरू किए जाने के बाद अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जे आर एफ में 10 प्रतिशत आरक्षण वाली योजना को समाप्त कर दिया गया और अब आरक्षण के बजाय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए उपर्युक्त परीक्षाओं में 10 प्रतिशत अंकों की छूट दे दी गई है । मई, 1989 के दौरान, कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति की परीक्षा में उत्तीर्ण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की बहुत कम संख्या को देखते हुए आयोग ने यह निर्णय लिया कि कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति परीक्षा में उत्तीर्ण सभी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को अध्येतावृत्ति प्रदान कर दी जाए । यह निर्णय भी लिया गया कि यदि "नियतकालीन आधार पर कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति योजना के अधीन कोई रिक्त स्थान नहीं है तो आयोग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के ऐसे उम्मीदवारों के लिए विश्वविद्यालयों को कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति के वैयक्तिक अधिसंख्यक स्थानों की व्यवस्था करेगा । कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति परीक्षा के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सभी उत्तीर्ण उम्मीदवारों को इस निर्णय की सूचना भेज दी गई थी ।

इसके अतिरिक्त, आयोग प्रत्येक वर्ष अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए खुले चयन के माध्यम से समाजविज्ञानों सहित विज्ञान तथा मानविकी विषयों में 50 अध्येतावृत्तियां सीधे ही प्रदान करता है । खुले चयन की संशोधित प्रक्रिया के अनुसार जो उम्मीदवार छूट प्रदत्त स्तर पर भी वि. अ. आ., एन. ई. टी./संयुक्त वि. अ. आ. - वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति की परीक्षाएं उत्तीर्ण नहीं कर पाते, उनका साक्षात्कार लेकर उन्हें अध्येतावृत्तियां प्रदान की जाती हैं । तद्नुसार, आयोग ने वर्ष 1989-90 और 1990-91 के लिए अध्येतावृत्तियां प्रदान करने के बारे में अंतिम निर्णय ले लिया है ।

11.04 सीमावर्ती पर्वतीय क्षेत्रों के लिए छात्रवृत्तियां

आयोग सीमावर्ती क्षेत्रों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी जातियों के छात्रों को खुले चयन द्वारा 25 स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियां प्रदान करता है ताकि इन क्षेत्रों के छात्रों तथा देश के बाकी भागों के छात्रों के बीच शैक्षिक संपर्क को बढ़ावा मिल सके ।

11.05 इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी में अनुसंधान अध्येतावृत्तियां

आयोग इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी में प्रतिवर्ष 60 अनुसंधान अध्येतावृत्यिां प्रदान करता है ताकि छात्र इस विद्या में अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्रों में उच्च अध्ययन तथा अनुसंधान (जिसे पूरा करने पर प.एच.डी. की डिग्री मिलती है । इसके लिए न्यूनतम योग्यता इंजीनीयरी/प्रौद्योगिकी में मास्टर डिग्री है । उम्मीदवार को अंतिम तीन शैक्षिक वर्षो में जी ए टी ई / संयुक्त यू जी सी - सी एस आई आर, जे आर एफ परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण कर लेनी चाहिए । वर्ष 1989-90 और 1990-91 के लिए दिए जाने वाले अवार्डो के लिए उम्मीदवारों का चयन किया जा रहा है ।

11.06 अनुसंधान छात्रों की आकस्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालयों को एकमुश्त अनुदान

आयोग विश्वविद्यालयों को उन अनुसंधान छात्रों की आकस्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एकमुश्त अनुदान प्रदान करता है जिन्हें अध्येतावृत्ति/छात्रवृत्ति नहीं मिलती । इस प्रयोजन के लिए दो स्तरों पर सहायता दी गई थी अर्थात् गत तीन वर्षो के दौरान जिन विश्वविद्यालयों में पूर्णकालिक अनुसंधान छात्रों की औसत संख्या 100 हो उनके लिए रू. 25,000/- और जिनमें पूर्णकालिक अनुसंधान छात्रों की संख्या 100 से अधिक हो उनको रू. 50,000/-.

11.07 विकासशील दर्शों के राष्ट्रिकों को कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्तियां तथा अनुसंधान एसोशिएटशिपें

आयोग विकासशील देशों के राष्ट्रिकों को एम. फिल. / पी-एच.डी. की उपाधि के लिए 20 कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्तियां तथा पश्च-डाक्टरेट अनुसंधान के लिए सात अनुसंधान एसोशिएटशिपें प्रदान करता है । ये अनुसंधान एसोशिएटशिपें विज्ञान, इंजीनियरी और सामाजिक विज्ञानों सहित मानविकी विषयों में दी जाती है । आलोच्य अवधि के दौरान आयोग ने चयन समिति की सिफारिश पर विभिन्न विकासशील देशों के 33 कनिष्ठ अनुसंधान अध्येताओं और दो अनुसंधान एसोशिएटों का चयन किया । अध्येतावृत्ति तथा एसोशिएटशिप तभी प्रदान की जाती है जो विदेश मामलों के मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय से क्रमशः राजनीतिक और सुरक्षा की दृष्टि से स्पष्ट संकेत प्राप्त हो जाते हैं ।

11.08 अनुसंधान एसोशिएटशिपें

आयोग गांधी अध्ययन, नेहरू अध्ययन तथा राष्ट्रीय एकता - प्रत्येक के लिए

पांच-पांच अनुसंधान एसोशिएटशिपें सहित कुल 150 अनुसंधान एसोशिएटशिपें प्रदान करता है ताकि जिन छात्रों ने विज्ञान, सामाजिक विज्ञानों सहित मानविकी और इंजीनियरी/टेक्नोलाजी में पश्च-डाक्टरेट अनुसंधान कार्य में प्रतिभा तथा योग्यता प्रदर्शित की है उन्हें अवसर प्रदान किये जा सकें । आलोच्य वर्ष के दौरान आयोग ने 1987-88 तथा 1988-89 के निर्धारित कोटे के लिए अनुसंधान एसोशिएटशिप प्रदान करने के लिए उम्मीदवारों का चयन किया जा चुका है और वर्ष 1989-90 के लिए आवेदन मांगे गए हैं ।

11.09 महिलाओं के लिए अंशकालिक अनुसंधान एसोशिएटशिपें

आयोग प्रत्येक वर्ष महिलाओं के लिए 40 अंशकालिक अनुसंधान एसोशिएटशिपें प्रदान करता है ताकि जिन छात्राओं ने विज्ञान, सामाजिक विज्ञानों सहित मानविकी और इंजीनियरी/टेक्नोलाजी में स्वतंत्र रूप से अथवा परियोजना कार्य में पश्च-डाक्टरेट अनुसंधान कार्य में प्रतिभा और योग्यता प्रदर्शित की है, उन्हें अवसर प्रदान किए जा सकें । आलोच्य वर्ष के दौरान 1988-89 के निर्धारित कोटे के लिए उम्मीदवारों का चयन किया जा चुका है और 1989-90 के कोटे के लिए आवेदन मांगे गए हैं ।

11.10 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए अनुसंधान एसोशिएटशिपें

आयोग प्रत्येक वर्ष अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 40 अनुसंधान एसोशिएटशिपें अलग से रखता है । आलोच्य वर्ष के दौरान आयोग ने वर्ष 1987-88 तथा 1988-89 के लिए निर्धारित कोटे के 40 - 40 स्थानों के लिए अनुसंधान एसोशिएटशप प्रदान करने के लिए उम्मीदवारों का चयन कर लिया है और वर्ष 1989-90 के लिए आवेदन मांगे हैं ।

11.11 विकलांग छात्रों के लिए अनुसंधान एसोशिएटशिपें

विकलांग छात्रों के लिए प्रत्येक वर्ष 30 अनुसंधान एसोशिएटशिपें आरक्षित रखी जाती हैं । आलोच्य वर्ष के दौरान आयोग ने वर्ष 1987-88 और 1988-89 के लिए निर्धारित वार्षिक कोटे की 30 - 30 एसोशिएटशिपों के लिए अंध, बधिर तथा मूक छात्रों सहित शारीरिक रूप से विकलांग छात्र उम्मीदवारों का चयन कर लिया है । आयोग ने वर्ष 1989-90 के लिए एसोशिएटशिपें प्रदान करने के लिए आवेदन मांगे हैं ।

11.12 छात्रावासों का निर्माण

सामाजिक न्याय के हित में, आयोग ने यह विहित किया है कि जिन विश्वविद्यालयों को आयोग छात्रावासों के निर्माण करने के लिए सहायता प्रदान करता है इन विश्वविद्यालयों को ऐसे छात्रावासों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए 20 प्रतिशत सीटें आरक्षित करनी होंगी । आठवीं योजना के लिए निर्धारित संशोधित मार्ग-निर्देशों के अनुसार आयोग महिला छात्रावासों के निर्माण का पूरा खर्च वहन करेगा और पुरुष छात्रावासों के निर्माण का 75 प्रतिशत खर्च वहन करेगा । जबकि सातवीं योजना के दौरान यह अनुदान क्रमशः 75 और 50 प्रतिशत था । आयोग एकल सीट वाले कमरों का निर्माण करने के बजाय शयनशालाएं और /या दो या तीन सीट वाले कमरों का निर्माण करने के लिए बढ़ावा देता है ताकि प्रति छात्र लागत कम बैठे ।

वर्ष 1990-91 के दौरान विश्वविद्यालयों को तथा कालेजों को छात्रावासों के निर्माण/सुधार के लिए रू. 100 लाख का अनुदान दिया गया ।

11.13 चुनिन्दा विश्वविद्यालयों में भारत भवन छात्रावास काम्प्लेक्स

चुनिन्दा विश्वविद्यालयों में चरणबद्ध रूप में भारत भवन छात्रावास काम्प्लेक्स स्थापित करने के संबंध में नियुक्त की गई समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए आयोग ने वर्ष 1989-90 के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार से यह अनुरोध किया कि वह इसके लिए अलग से निधियां आबंटित करे ताकि आठवीं योजना की अवधि के दौरान इस योजना को कार्यान्वित किया जा सके ।

बहरहाल, आयोग ने, आठवीं योजना के प्रस्तावों को तैयार करते समय विश्वविद्यालयों में भारत भवन छात्रावास काम्प्लेक्सों सहित छात्रावासों के निर्माण के लिए रू. 55 करोड़ का प्रावधान किया है ।

11.14 युवा तथा खेल-कूद - राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) का कार्यान्वयन

युवा तथा खेल-कूद के क्षेत्र में आयोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) के विभिन्न उपबंधों का कार्यान्वयन कर रहा है । इस संबंध में वर्ष 1990-91 के दौरान आयोग ने युवा तथा खेलकूदों के क्षेत्र में निम्नलिखित कदम उठाए :

(क) आयोग ने लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा कालेज, ग्वालियर के साथ मिलकर शारीरिक शिक्षा निदेशकों के लिए चार सप्ताह की अवधि के पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया । लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा कालेज ने प्रथम पाठ्यक्रम का आयोजन मई/जून 1990 में किया ।

(ख) शारीरिक शिक्षा की मॉडल पाठ्यचर्या तैयार करने के लिए नियुक्त समिति की रिपोर्ट, जिसे शारीरिक शिक्षा नामिका के पास भेजा गया था उसे अंतिम रूप दिया गया । समिति की रिपोर्ट को शारीरिक शिक्षा की नामिका की सिफारिशों सहित अपनाने के लिए विश्वविद्यालयों में परिचालित किया गया है ।

खंड - 12
सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

12.01 सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम

सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों का उद्देश्य भारत तथा अन्य देशों के बीच सांस्कृतिक, शैक्षिक एवं वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देना है । ये कार्यक्रम भारत सरकार तथा अन्य देशों की सरकारों के मध्य हुए विशिष्ट समझौतों के अंतर्गत आते हैं । भारत सरकार ने विश्वविद्यालय स्तरीय उच्च शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को कार्यान्वयन के लिए सौंपे हैं । ये कार्यक्रम सामान्यतः इन विषयों से संबंधित हैं - अध्ययन-व-व्याख्यान हेतु शिक्षकों को आदान-प्रदान, विचार-विनिमय, हेतु शिक्षकों का आदान-प्रदान, विचार-विनिमय, संबंधों के बीच द्विपक्षीय शैक्षिक संबंधों का विकास, संयुक्त संगोष्ठियों का आयोजन, विदेशी-भाषा शिक्षकों का समनुदेशन तथा छात्रवृत्तियां/अध्येतावृतियां प्रदान करना । इन कार्यक्रमों के अधीन सामान्य रूप से 4 से 12 सप्ताह के दौरे किए जाते हैं । विशेष मामलों में, इन दौरों की अवधि छह महीने तक हो सकती है । विदेशी भाषा शिक्षकों के समनुदेशन तथा छात्रवृत्तियां/अध्येतावृत्तियां प्रदान करने के मामलों में इन दौरों की अवधि सामान्यतः एक शैक्षिक वर्ष होती है । ये कार्यक्रम हमारे शिक्षकों के लिए विशेष उपयोगी होते हैं । इनके माध्यम से शिक्षक अपने विशेषज्ञता क्षेत्र में हो रही प्रगति से अवगत होते रहते हैं और सहयोगी कार्यक्रम विकसित करने की संभावनाओं का पता लगा सकते हैं । वर्ष 1990-91 के दौरान आयोग 48 देशों के साथ ऐसे कार्यक्रमों को लागू कर रहा था । आलोच्य वर्ष के दौरान आयोग ने विभिन्न देशों के 113 विदेशी छात्रों के दौरों की मेजबानी की तथा भारत की विभिन्न संस्थाओं में उनके कार्यक्रम आयोजित किए । वर्ष के दौरान इन कार्यक्रमों के अधीन भारत से विदेश भेजे जाने वाले छात्रों की संख्या 114 थी ।

12.02 द्विपक्षीय संस्थागत संबंध

हाल के वर्षो में आयोग ने जिस महत्वपूर्ण कार्य पर जोर दिया वह था दोनों देशों के विश्वविद्यालयों के अभिज्ञात विभागों तथा उच्च शिक्षा संस्थाओं के मध्य विशिष्ट क्षेत्रों में द्विपक्षीय संस्थागत संबंधों का विकास । तदनुसार यू. एस. एस. आर., जर्मनी, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, पोलैंड, फ्रांस, यूगोस्लाविया, इटली, फिनलैंड, ईरान, चीन, बहरीन आदि जैसे देशों के साथ द्विपक्षीय सहयोग के क्षेत्रों का पता लगा लिया गया

है । संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा के साथ इस प्रकार के सहयोग के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं । इस कार्यक्रम की समीक्षा समय-समय पर की जाती है ।

वर्ष 1990-91 के दौरान सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों के अधीन विभिन्न कार्यकलापों का सारांश नीचे दिया गया है । :

12.03 प्रतिनिधि

1. सेचिलीज के एक तीन-सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने 26 फरवरी, 1991 से 14 दिनों के लिए भारत का दौरा भारत-सेचिलीज़ सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत किया ।

2. ईरान के एक छह-सदस्यीय शिष्ट मंडल ने मार्च-अप्रैल, 1991 में भारत का दौरा किया । इस दौरे को सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम से बाहर समायोजित किया गया था ।

12.04 विदेशी भाषा शिक्षक

आयोग ने रूसी, जर्मन, पोलिश, सर्वोक्रोशियाई, रूमानी, बुलगेरियाई, मंगोली, कोरियाई, वियतनामी, हंगेरियन, पुर्तगाली, चीनी और फ्रांसीसी भाषा के शिक्षक उन विश्वविद्यालयों में भेजना जारी रखा जिनमें सांस्कृतिक विनियम कार्यक्रम के उपबंधों के अनुसार संबंधित विदेशी भाषाओं को पढ़ाने के लिए समुचित आधार-संरचना विद्यमान थी । विदेशी भाषा शिक्षकों को भारतीय शिक्षकों की सहायता करने के लिये रखा जाता है न कि उनके स्थान पर । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए आयोग ने इस बात पर बल दिया कि विश्वविद्यालय के विदेशी भाषा विभाग को भारतीय संकाय सदस्यों की सहायता से संबंधित विदेशी भाषा का शिक्षण में समुचित आधार-संरचना विकसित करनी चाहिए ताकि संबंधित विदेशी भाषा का शिक्षण उस स्तर तक का हो जाए जिससे वे विदेशी भाषा शिक्षकों के साथ तालमेल कर सकें वर्ष1990-91 के दौरान रूसी में 45, जर्मन में 11, फ्रांसीसी में 10, स्पेनिश में 2 तथा पोलिश, सर्वोक्रोशियाई बुलगेरियाई, मंगोली, कोरियाई वियतनामी, हंगेरियाई, चीनी तथा पुर्तगाली क्रमशः एक-एक शिक्षक भारतीय विश्वविद्यालयों में नियुक्त किए गए ।

12.05 अध्येयावृत्तियां और छात्रवृत्तियां

वर्ष 1990-91 में सांस्कृतिक विनियम कार्यक्रम के दौरान निम्नलिखित अध्येतावृत्तियां/छात्रवृत्तियां दी गई :

(I) प्राकृतिक विज्ञान, गणित, भूविज्ञान, जर्मन भाषा और साहित्य एवं मानविकी एवं सामाजिक विज्ञानों के कुछेक क्षेत्रों में उच्च अनुसंधान के लिए जर्मन अकादमिक विनिमय सेवा द्वारा प्रदान की गई 12 अध्येतावृत्तियों के लिए आयोग ने 15 छात्रों को नामित किया । इनमें से दो अध्येतावृत्तियां जर्मन भाषा और साहित्य के लिए आरक्षित हैं ।

(II) जर्मन अकादमिक विनिमय सेवा द्वारा भारतीय विश्वविद्यालयों के जर्मन भाषा विभागों में एम. ए. पाठ्यक्रमों के वरिष्ठ छात्रों के साथ-साथ एम. फिल./एम. लिट. पाठ्यक्रमों में नामांकित छात्रों के लिए छह अल्पकालीन अध्येतावृत्तियों के लिए छह छात्रों को नामित किया गया ।

(III) आयोग ने, भारतीय विश्वविद्यालयों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और विश्वविद्यालय मानी गई संस्थाओं में जर्मन भाषा का शिक्षण करने वाले शिक्षकों के लिए जर्मन अकादमिक विनियम सेवा द्वारा भेजे गए तीन मास की अवधि के तीन आमंत्रणों के लिए तीन भारतीय शिक्षकों को नामित किया ।

(IV) आयोग ने, जर्मन संस्कृति, इतिहास, अर्थशास्त्र, दर्शनशास्त्र, शिक्षा और प्राकृतिक विज्ञानों में भारत में पी. एच. डी. के लिए पंजीकृत भारतीय छात्रों के लिए जर्मन अकादमिक विनिमय सेवा द्वारा प्रदान की गई तीन से छह माह की अवधि की वर्ष 1991 के लिए छह अल्पकालीन (24 मानव मास अध्येतावृत्तियों के लिए पांच छात्रों को नामित किया ।

(V) आयोग ने, वर्ष 1990-91 के लिए फ्रांसीसी भाषा, साहित्य और सभ्यता के लिए फ्रांसीसी सरकार द्वारा प्रदान की गई 14 अध्येतावृत्तियों के लिए 14 शिक्षकों को और 4 छात्रवृत्तियों के लिए 4 छात्रों को नामित किया ।

12.06 ऐसे शिक्षकों को यात्रा अनुदान प्रदान करना जिन्हें विदेश में उनके रख-रखाव के लिए अध्येतावृत्तियां/वजीफे दिए जाने का प्रस्ताव है

आयोग ने ऐसे शिक्षको को यात्रा अनुदान देना जारी रखा जो अपने अनुसंधान कार्य के लिए सामग्री एकत्र करने के लिए या उस देश की किसी ऐजेंसी से, जहां छात्र को अपने रख-रखाव के लिए वित्तीय सहायता मिलने का प्रस्ताव है, अध्येतावृत्ति या सहायता प्राप्त करने के लिए विदेशों में जाते हों । वर्ष के दौरान इस योजना के अंतर्गत 12 शिक्षकों को सहायता प्रदान की गई ।

12.07 यू. के. तथा अन्य देशों में अनुसंधान कार्य के लिए स्रोत सामग्री का एकत्रीकरण

इस योजना के अधीन आयोग मानविकी तथा समाज विज्ञानों के वरिष्ठ भारतीय विद्वानों को उनके यू. के. छह से आठ सप्ताह की अवधि के दौरों के लिए यात्रा तथा अनुरक्षण व्यय की व्यवस्था करता है ताकि वे अपने अनुसंधान कार्य के लिए ऐसी सामग्री एकत्रित कर सकें जो सामान्यतः भारत में उपलब्ध नहीं होती । आलोच्य वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम के अधीन उपलब्ध 52 सप्ताहों की अवधि का पूरा उपयोग किया गया है और 9 स्कालरों को सहायता प्रदान की गई ।

12.08 भारत-अमेरिका अध्येतावृत्ति कार्यक्रम

इस कार्यक्रम के अंतर्गत भारत में पश्च-डॉक्टरेट अनुसंधान कार्य के लिए अमरीकी छात्रों की 10 मास की अवधि की 15 अध्येतावृत्तियों के लिए आयोग ने 10 मास की अवधि वाली 12 दीर्घकालीन अध्येतावृत्तियों तथा दो से तीन मास की अवधि वाली छह अल्पकालीन अध्येतावृत्तियों के लिए नामन प्राप्त किए । भारत सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका में पश्च-डाक्टरेट कार्य के लिए विश्वविद्यालयों/कालेजो और प्रौद्योगिकी संस्थानों से भारतीय शिक्षकों के दौरे के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को 12 अध्येतावृत्तियों आबंटित कीं । आयोग ने आंबटित अध्येतावृत्तियों में से चार अध्येतावृत्तियों को तीन मास की अवधि वाली 12 अल्पकालीन अभ्यागतवृत्तियों में बदल दिया । तदनुसार आयोग ने 10 मास की अवधि वाली 8 दीर्घकालीन अध्येतावृत्तियों तथा तीन मास की अवधि वाली 12 अल्पकालीन अभ्यागतवृतियों के लिए नामन किए ।

12.09 वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद सी. एन. आर. एस. वैज्ञानिकों का विनिमय कार्यक्रम

आलोच्य वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा फ्रांस का दौरा करने के लिए 200 श्रम दिवस आबंटित किए और उसी प्रकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी फ्रांस के वैज्ञानिकों द्वारा अनुसंधान कार्यक्रमों के सिलसिले में भारत का दौरा करने के लिए सी. एन. आर. एस. को 200 श्रम दिवस आबंटित किए वर्ष 1990-91 के दौरान छह भारतीय विद्वानों ने चार-चार सप्ताहों के लिए फ्रांस का दौरा किया ।

12.10 कनाडियन अध्ययनों का विकास

आयोग ने कनाडा से संबंधित अध्ययन कार्यक्रमों की शुरूआत की है । आयोग ने भारत में कनाडियन अध्ययनों के विकास से संबंधित परामर्शी दल की सलाह पर 13

विभागों को विभिन्न स्तरों पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए उनका पता लगा लिया है । ये केंद्र कनाडा से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन करेंगे । ये अध्ययन मुख्य रूप से ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं से संबंधित होंगे ।

12.11 अकादमिक संपर्क अंतर्विनिमय योजना (अकादमिक लिंक इंटरचेंज स्कीम)

यह कार्यक्रम, भारत और यू. के. की उच्च शिक्षा संस्थाओं के बीच विशिष्ट क्षेत्रों में संपर्क के विकास के लिए ब्रिटिश काउंसिल के सहयोग से क्रियान्वित किया जाता है । योजना का मुख्य उद्देश्य संयुक्त रूप से अनुसंधान कार्य करना, संयुक्त प्रकाशन, पाठ्यचर्या विकास और संकाय सदस्यों के दौरों की व्यवस्था करना है ।

वर्ष 1990-91 के दौरान 15 भारतीय स्कालरों ने यू. के. का दौरा किया जबकि 10 ब्रिटिश स्कालरों ने भारतीय विश्वविद्यालयों का दौरा किया । इस योजना के अधीन स्कालरों को प्रायोजित करने वाले देश को अंतर्राष्ट्रीय यात्रा व्यय वहन करना होता है जबकि मेजबान देश को आवास, भोजन, जेब-खर्च और आंतरिक यात्रा व्यय वहन करना होता है ।

12.12 'सार्क' पीठें/अध्येतावृत्तियां/छात्रवृत्तियां

'सार्क' मंत्रिपरिषद की 15वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में भारत सरकार ने 'सार्क' पीठों /अध्येतावृत्तियों/छात्रवृत्तियों की योजना शुरू करने का निर्णय लिया । इस योजना का कार्यान्वयन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग करेगा । इस योजना में देशवार उपलब्ध स्थान इस प्रकार है : -

	बंगला देश	भूटान	भारत	नेपाल	पाकिस्तान	श्रीलंका	मालदीव
पीठ	1	-	-	-	1	-	-
अध्येतावृत्ति	6	1	6	1	6	6	-
छात्रवृत्ति	12	-	12	2	12	12	-

वर्ष 1990-91 के दौरान, आयोग ने पाकिस्तान को एक पीठ के लिए एक अध्येतावृत्ति के लिए दो तथा छात्रवृत्ति के लिए पांच स्कालरों को नामित किया । उसी प्रकार , अन्य 'सार्क' देशों से भूटान ने अध्येतावृत्ति के लिए एक नामांकन, नेपाल ने अध्येतावृत्ति के लिए एक तथा छात्रवृत्ति के लिए दो नामांकन और पाकिस्तान ने छात्रवृत्ति के लिए चार नामांकन भेजे । योजना के अंतर्गत नामित करने वाला देश स्कालर का

अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्ग किराया देता है और मेजबान देश दाखिले के लिए समस्त प्रबंध और स्वीकार्य नियमों के अनुसार भत्तों की अदायगी करता है ।

12.13 सैद्धान्तिक भौतिकी के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (आई. सी. आई. पी.)

सैद्धान्तिक भौतिकी के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के आयोजकों त्रिस्टे (इटली) में या किसी अन्य देश में आयोजित ग्रीष्मकालान स्कूलों में भाग लेने के लिए भारतीय विश्वविद्यालयों/कालेजों से शिक्षकों को आमंत्रित करते हैं । आयोग शिक्षकों को अंतर्राष्ट्रीय हवाई किराए का 50 प्रतिशत प्रदान करता है और ग्रीष्मकालीन स्कूल की कुल अवधि के लिए रख-रखाव सहित शेष राशि सैद्धांतिक भौतिकी के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र प्रदान करता है । वर्ष 1990-91 के दौरान, इस योजना के अधीन आयोग ने विश्वविद्यालय/कालेज के 4 शिक्षकों को सहायता प्रदान की ।

12.14 राष्ट्र-मंडल शैक्षिक स्टाफ अध्येतावृत्तियां तथा छात्रवृत्तियां

राष्ट्रमंडल शैक्षिक स्टाफ अध्येतावृत्तियों तथा छात्रवृत्तियों का उद्देश्य राष्ट्रमंडल के विकासशील देशों के विश्वविद्यालयों/कालेजों के शिक्षकों को सहायता प्रदान करना है ताकि वे यू. के. में विश्वविद्यालयों अथवा इसी प्रकार की अन्य संस्थाओं में अपने अनुभव में वृद्धि कर सकें । इस कार्यक्रम के अंतर्गत, आयोग यू. के. स्थित राष्ट्रमंडल विश्वविद्यालयों के एसोसिएशनों के साथ तालमेल रखता है तथा राष्ट्रमंडल अध्येतावृत्तियां और छात्रवृत्तियां पाने के लिए नामन प्रस्तुत करता है ताकि भारतीय विश्वविद्यालयों तथा कालेजों के होनहार संकाय सदस्य यू. के. स्थित विश्वविद्यालयों अथवा अन्य संस्थाओं में अनुसंधान कार्य कर सकें । अध्ययन के विशेष क्षेत्र निर्दिष्ट नहीं किए गए हैं लेकिन आयुर्विज्ञान एवं शल्य चिकित्सा इनके क्षेत्र में शामिल नहीं किए गए हैं क्योंकि ये विषय पहले ही राष्ट्रमंडल आयुर्विज्ञान अवार्ड के अंतगर्त शामिल हैं । वर्ष 1990-91 के दौरान आयोग ने अध्येतावृत्तियों के लिए 25 और छात्रवृत्तियों के लिए 25 छात्रों की सिफारिश की । इनमें से अंतिम रूप में राष्ट्रमंडल विश्वविद्यालय संघ ने अध्येतावृत्तियों के लिए 13 तथा छात्रवृत्तियों के लिए 15 छात्रों का चयन किया ।

12.15 विदेश यात्राएं

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पर लोक लेखा समिति (छठी लोक सभा) की 73 वीं रिपोर्ट में दी गई 3.8 सिफारिश पर लिए गए निर्णय के अनुसरण में वर्ष 1990-91 के दौरान आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अधिकारियों द्वारा किए गए विदेशी दौरे का विवरण परिशिष्ट-XXX में दिया गया है ।

खंड - 13
प्रौढ़ अनुवर्ती तथा विस्तार शिक्षा और दूरवर्ती शिक्षा

13.01 प्रौढ़ अनुवर्ती तथा विस्तार शिक्षा

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बहुत पहले ही शिक्षा के विस्तार को विश्वविद्यालय प्रणाली के तीसरे आयाम के रूप में उतना ही महत्वपूर्ण मान लिया है जितना कि पहले दो आयाम यथा शिक्षण और अनुसंधान । इस संबंध में आयोग के विचार इन शब्दों में व्यक्त किए गए हैं :-

"यदि विश्वविद्यालय प्रणाली को समस्त शिक्षा प्रणाली और समाज के प्रति पूर्ण रूप में अपने उत्तरदायित्वों का पर्याप्त रूप से निर्वाह करना है तो उसे शिक्षा के विस्तार को तीसरा महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व मान लेना चाहिए और इसे वही दर्जा दिया जाना चाहिए जो अनुसंधान और शिक्षण को दिया गया है । यह एक नया और अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसका विकास उच्च्व प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए । "

इस संदर्भ में, विश्वविद्यालयों और कालेजों में प्रौढ़, अनुवर्ती तथा विस्तार कार्यक्रमों के लिए दिशा-निर्देशों (1988) में जिन महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर विचार किया गया है उनमें निम्नलिखित शामिल होगें :

(क) कार्यमूलक साक्षरता के लिए जनसंपर्क कार्यक्रम और पश्च-साक्षरता कार्यक्रमों सहित निरक्षरता का उन्मूलन :

(ख) अनुवर्ती शिक्षा कांर्यक्रम और यथा: मूल अधिगम कौशलों और व्यावसायिक जानकारी का विकास :

(ग) जीवन के स्तर के सुधार के लिए जनसंख्या शिक्षा जिसमें स्वास्थ्य और पोषण, मादक द्रव्यों के सेवन की रोकथाम, पर्यावरण शिक्षा आदि शामिल हो :

(घ) समाज के सभी वर्गों के लिए विधिक साक्षरता, महिलाओं के विकास, जनजातीय विकास, उपभोक्ता शिक्षा सहित विभिन्न विकास कार्यक्रमों की जानकारी में संवर्धन और योजना मंचों के द्वारा योजनाओं के बारे में जानकारी:

(ड) विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंतरण सहित लोगों के लिए विज्ञान :

(च) अन्य कल्याण और एकीकृत सामुदायिक विकास के क्रियाकलाप ।

आयोग की सहायता इनके लिए उपलब्ध है :

(क) केंद्र-आधारित उपागम के साथ-साथ कार्यात्मक साक्षरता के लिए जनसंपर्क कार्यक्रमों (गैर -एन एस एस तथा गैर-एन सी सी के छात्रों के संबध में के जरिए निरक्षरता का उन्मूलन, (ख) छात्र क्लबों और प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों के जरिए जनसंख्या शिक्षा क्रियाकलाप, (ग) अनुवर्ती शिक्षा, और (घ) जन शिक्षण निलयम (जे. एस. एन.)

दिशा-निर्देशों के अनुसार मार्च, 1991 के अंत तक अनुमोदित कार्यक्रमों की स्थिति नीचे दर्शायी गई है :

(क)	कार्यक्रमों से जुड़े विश्वविद्यालयों की संख्या	-	93
(ख)	कार्यक्रमों से जुडे कालेजों की संख्या	-	1284
(ग)	विश्वविद्यालयों एवं कालेजों से जुडे प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों की संख्या	-	17940
(ध)	कार्यमूलक साक्षरता के लिए जनसंपर्क कार्यक्रम	-	93 विश्वविद्यालय 1284 कालेज

(ड.) जनसंख्या शिक्षा :

	i) विश्वविद्यालय/कालेजों में जनसंख्या शिक्षा क्लबों के जरिए	-	1286
	ii) प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों में जनसंख्या शिक्षा क्रियाकलापों के जरिए	-	16780
(च)	अनुवर्ती शिक्षा पाठयक्रम	-	794
(छ)	जनशिक्षणं निलयम	-	1096

आयोग ने उपर्युक्त कार्यक्रमों को चलाने के लिए विश्वविद्यालयों तथा साथ ही साथ उनसे संबद्ध कालेजों को सहायता प्रदान करना जारी रखा ।

वर्ष 1988 में तैयार किए गए दिशा-निर्देशों के अधीन उपर्युक्त कार्यक्रमों को मंजूरी देते समय यह निर्णय किया गया था कि इन कार्यक्रमों की समीक्षा तीन वर्ष पश्चात् वर्ष 1990-91 में की जाएगी। इस प्रयोजन के लिए प्रोफेसर रामलाल पारिख की अध्यक्षता में गठित उप-समिति की बैठक दिसंबर, 1990 में हुई जिसमें यह निर्णय किया गया कि उपसमिति द्वारा चल रहे कार्यक्रमों की समीक्षा कार्यक्रमों में भाग लेने वाले विश्वविद्यालयों को आमंत्रित करके की जानी चाहिए जिससे उनके निष्पादन, समस्याओं और नए प्रस्तावों पर विचार-विमर्श हो सके । तदनुसार मार्च, 1991में समीक्षा का कार्य प्रारंभ कर दिया गया था और इस संबंध में उपसमिति की विस्तृत रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

विश्वविद्यालयों में प्रौढ़ एवं अनुवर्ती शिक्षा के विभागों/केंद्रों के स्टाफ के वेतन के लिए आयोग मार्च, 1995 तक सहायता प्रदान करता रहेगा । वर्ष के दौरान आयोग ने विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों तथा कुलाधिपतियों से बराबर इस बारे में संपर्क बनाए रखा कि राज्य सरकारों से इस प्रकार का आश्वासन प्राप्त करना चाहिए कि 31.3.1995 के पश्चात आयोग की सहायता समाप्त होने पर वे स्टाफ के वेतन आदि का दायित्व वहन करना प्रारंभ कर देंगे ।

विश्वविद्यालयों/संस्थाओं द्वारा प्रौढ़ तथा अनुवर्ती शिक्षा के क्षेत्र में किए जाने वाले कार्य को और स्थानीय परिस्थितियों के संदर्भ में उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आयोग ने वाहन की खरीद और वाहन चालक के वेतन के लिए सहायता दिशा-निर्देशों के अनुसार 50 : 50

के अंश के आधार पर देना जारी रखा । इसी प्रकार दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित सीमा में विश्वविद्यालयों को दृश्य-श्रव्य सामग्री की खरीद के लिए सहायता प्रदान की गई थी

13.02 कार्यमूलक साक्षरता के लिए जनसंपर्क कार्यक्रम

आयोग भारत सरकार द्वारा वर्ष 1986 में शुरू किए गए कार्यमूलक साक्षरता के लिए जनसंपर्क कार्यक्रमों को बढ़ावा देने में सक्रिय रूप से प्रयत्नशील है । प्रौढ़ शिक्षा के अधिकांश कार्यक्रमों का कार्यान्वयन मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार अपने साक्षरता मिशन के जरिए करता है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने समस्त विश्वविद्यालयों एवं कालेजों के शिक्षकों और छात्रों को इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पर्याप्त बल दिया है । वर्ष के दौरान, तदनुसार विश्वविद्यालयों को यह परामर्श दिया गया कि वे एन एस एस, गैर-एन एस एस; गैर-एन सी सी आदि के जरिए इस कार्यक्रम को जारी रखने और सुदृढ़ करने के लिए प्रयत्न करते रहें जिसके लिए आयोग की सहायता उपलब्ध कराई गई थी।

आलोच्य वर्ष के दौरान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के भूतपूर्व अध्यक्ष ने राष्ट्रीय पुनरूज्जीवन के लिए जनकार्य (एम. ए. एन. आर.) का विचार प्रस्तुत किया । इस संबंध में उन छात्रों एवं शिक्षकों, स्वैच्छिक एजेंसियों, रक्षा तथा कार्यालय कर्मचारियों सहित सेवानिवृत्त कार्मिकों के साथ पर्याप्त विचार-विमर्श किया गया जो शिक्षा प्रणाली का समर्थन करते हैं ताकि उन्हें इस कार्यक्रम में जोड़ा जा सके । इस कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसा अनुभव किया गया है कि निरक्षरता को खत्म करने के अतिरिक्त इस बात की भी आवश्यकता है कि पेय-जल, स्वच्छता, स्वास्थ्य आदि जैसी समस्याओं पर भी ध्यान दिया जाए।

वर्ष के दौरान, भारतीय ज्ञान विज्ञान समिति, नई दिल्ली (समाज से निरक्षरता के उन्मूलन से संबंधित स्वैच्छिक ऐजेंसी) ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय से अनुरोध किया कि देशव्यापी साक्षरता आंदोलन के लिए पूर्णकालिक आधार पर विश्वविद्यालय शिक्षकों की सेवाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए । आयोग पूर्णकालिक आधार पर दो वर्ष की अवधि के लिए विश्वविद्यालयों/कालेजों के 100 शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर देने के लिए सहमत हो गया जिनका पूरा व्यय भी आयोग वहन करेगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 10 शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति पर भारतीय ज्ञान विज्ञान समिति में कार्य करने के लिए अनुमोदित किया गया है ।

13.03 योजना फोरम

योजना फोरम की स्कीम को पुनः तैयार किया गया है और इसे विश्वविद्यालयों/कालेजों

के प्रौढ़ अनुवर्ती शिक्षा के विभागों/केंद्रों से अलग कर दिया गया है । विश्वविद्यालयों/कालेजों को यह सुझाव दिया गया है कि वे इस योजना को अर्थशास्त्र विभाग के अंतर्गत जारी रखें । सहायता की राशि भी प्रत्येक यूनिट के लिए 10,000/- रूपए तक कर दी गई है ।

13.04 जनसंख्या शिक्षा

आयोग ने विश्वविद्यालय प्रणाली में जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम के विकास के लिए जनसंख्या शिक्षा क्लबों की स्थापना के लिए विश्वविद्यालयों तथा कालेजों को सहायता प्रदान करना जारी रखा। विश्वविद्यालयों को यह सलाह दी गई कि सबसे निचले स्तर पर जनसंख्या शिक्षा के प्रसार के लिए, प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों/जन शिक्षण नियमों का उपयोग करें। इसके अतिरिक्त, यू एन एफ पी ए-विश्वविद्यालय अनुदान आयोग परियोजना के अंतर्गत गठित कार्यकारी ग्रुप तथा जनसंख्या शिक्षा संसाधन केंद्र (पी. ई. आर. सी.) पाठ्यचर्या, पी. ई. आर. सी. स्टाफ और शिक्षकों के प्रशिक्षण तथा समाज में विस्तार कार्यकलापों के विकास कार्य हेतु विशिष्ट क्षेत्रों में विश्वविद्यालयों/कालेजों द्वारा चलाए जा रहे जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम में समर्थन सेवा उपलब्ध करा रहे हैं । पाठ्यक्रमों के पुनर्गठन की योजना के अधीन कुछ विश्वविद्यालयों ने पूर्व-स्नातक स्तर पर जनसंख्या शिक्षा को आधारभूत पाठ्यक्रम के रूप में शामिल कर लिया है । आलोच्य वर्ष के दौरान, आयोग मार्च, 1995 तक पी ई आर सी सहित इस कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता जारी रखने के लिए सहमत हो गया है । जनसंख्या शिक्षा संसाधन केंद्रों के कार्यकरण का एक महत्वपूर्ण पहलू उनके सेवा क्षेत्र तथा महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभागों तथा गैर-सरकारी संगठनों जैसे अन्य विभागों के बीच संबंध स्थापित करना है । कार्यकारी ग्रुपों द्वारा किए जाने वाले अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में शिक्षण सामग्री (प्रिंट तथा दृश्य-श्रव्य) ; प्रशिक्षण मैनुअल की निर्देशिका और इस कार्यक्रम के लिए उपयोगी अन्य सामग्री तैयार करना शामिल है।

जनसंख्या शिक्षा संसाधन केंद्रों ने नुक्कड़ नाटक, पुतली प्रदर्शन, कार्यशालाएं, संगोष्ठियां, व्याख्यान आयोजित किए और पी ई आर सी के स्टाफ के साथ-साथ सेवा क्षेत्रों को प्रशिक्षण प्रदान किया । ग्राम/समुदाय नेताओं, ग्रामीण महिलाओं, कालेज प्रिंसिपलों/शिक्षकों, लेखकों आदि के लिए जनसंख्या शिक्षा संसाधन केंद्रों ने जनसंख्या शिक्षा पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए ।

13.05 शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए अल्पसंख्यक समुदायों के कमजोर वर्गों के उम्मीदवारों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने हेतु अनुशिक्षण कक्षाएं

आयोग ने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने तथा व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने के लिए शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए अल्पसंख्यक समुदायों के कमजोर वर्गों के उम्मीदवारों

को तैयार करने तथा उनके लिए अनुशिक्षण कक्षाएं आयोजित करने हेतु विश्वविद्यालयों तथा कालेजों को सहायता देना जारी रखा । आलोच्य वर्ष के दौरान 11 विश्वविद्यालयों और 12 कालेजों को सहायता प्रदान की गई जिनके गत वर्षो के दौरान आयोजित किए गए कार्यक्रम के बारे में प्रगति रिपोर्टे तथा अनुदान उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त हो गए हैं । इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान अनुशिक्षण कक्षांए आयोजित करने के लिए अनेक कालेजों का पता लगाया गया जिनको सहायता प्रदान की जा सकती है । अन्य संस्थाओं को इस कार्यक्रम को शीघ्र क्रियान्वित करने के लिए कहा गया है ।

विश्वविद्यालयों में स्थित केंद्र अखिल भारतीय सेवाओं तथा राज्य सेवाओं के लिए अनुशिक्षण प्रदान करते हैं जबकि कालेजों में स्थित केंद्र निचली परीक्षाओं के लिए अनुशिक्षण कक्षाएं चलाते हैं ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अब विश्वविद्यालयों में 20 केंद्र तथा कालेजों में 33 सेल स्थापित किए है ।

13.06 दूरवर्ती शिक्षा/पत्राचार पाठ्यक्रम

दूरवर्ती शिक्षा/पत्राचार शिक्षा का आधार मूलतः गृह अध्ययन के लिए शिक्षात्मक सामग्री की आपूर्ति करना है लेकिन इसके साथ-साथ व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रमों, रेडियो कार्यक्रमों, दृश्य-श्रव्य साधनों आदि का भी उपयोग किया जाता है। इस स्कीम के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं :

(क) वैकल्पिक पद्धतियों का उपयोग करते हुए शिक्षा की बढ़ती मांग को पूरा करना तथा (ख) समान अवसर प्रदान करना । इसके लिए पिछड़े क्षेत्रों तथा समाज के कमजोर वर्गों के उन लोगों के लिए जो कमजोर आर्थिक दशाओं के कारण काम चाहते हैं और उन महिलाओं के लिए सुविधाएं जुटानी होंगी जिन्हें अपने परिवारों और समुदायों की परम्पराओं के कारण कालेज जाना कठिन होता है ।

31.3.1991 तक 39 विश्वविद्यालय/संस्थाएं पत्राचार पाठ्यक्रम संचालित कर रही थीं । उनके द्वारा संचालित पाठ्यक्रम को दर्शाने वाली एक सूची परिशिष्ट-XXXI में दी गई है । आलोच्य वर्ष के दौरान, आयोग ने इस प्रयोजन के लिए स्टाफ, व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रमों, अध्ययन केंद्रों, पाठ्य सामग्री तैयार करने, पुस्तकालय सुविधाओं आदि के रूप में सात विश्वविद्यालयों को सहायता प्रदान की ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्थायी समिति द्वारा गठित उप-समिति ने दूरवर्ती शिक्षा के लिए संशोधित दिशा-निर्देश संबंधी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है । रिपोर्ट की जांच की जा रही है ।

रिपोर्ट में दूरवर्ती शिक्षा के निम्नलिखित पहलू शामिल हैं :

(i) विश्वविद्यालय प्रणाली में पत्राचार पाठ्यक्रमों की संस्थाओं का संगठनात्मक गठन ।

(ii) सहायता पैटर्न ।

(iii) पत्राचार पाठ्यक्रम चलाने वाले विश्वविद्यालयों द्वारा सहायता उपागम का विकास करना ताकि संसाधन आधार-संरचना का आदान-प्रदान कार्यक्रम को प्रभावी रूप में चलाने के लिए किया जा सके।

(iv) शिक्षण-सामग्री की सतत समीक्षा करना और उसे उद्‌यतन बनाना ।

खंड - 14

अनुसूचित जाति तथा अनूसूचित जनजाति के व्यक्तियों को सुविधाएं

14.01 गत वर्षों के दौरान आयोग ने विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए विशेष प्रयास किए हैं । इन प्रयासों में विश्वविद्यालयों तथा कालेजों द्वारा प्रदत्त विभिन्न छात्रवृत्तियों के आरक्षण की व्यवस्था भी की है । आयोग ने इन जातियों के शिक्षित समुदाय की उन्नति के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं ।

वर्ष के दौरान आयोग ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की संसदीय समिति की निम्नलिखित टिप्पणियों पर विचार किया :

(क) लेक्चररों के पदों को अग्रेनीत करना ।

(ख) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्तियों की समीक्षा करके उनके स्थानों में वृद्धि करना; और

(ग) केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए एक समान भर्ति/पदोन्नति के नियमों का प्रकाशन ।

उपर्युक्त 'क' के संबंध में आयोग, भारत सरकार की टिप्पणियों को, समस्त केंद्रीय विश्वविद्यालयों और माने गए विश्वविद्यालयों (आयोग से शतप्रतिशत अनुरक्षण अनुदान प्राप्त करने वाले) को कार्यान्वयनार्थ भेजने के लिए सहमत हो गया है । जहां तक 'ख' का प्रश्न है आयोग ने यह इच्छा व्यक्त की कि इस मामले पर एन ई टी की नियमन समिति की बैठक में विचार किया जाए । उपर्युक्त 'ग' के संबंध में आयोग चाहता है कि एक समान भर्ती/पदोन्नति के नियम शीघ्र प्रकाशित किए जाएं ।

निम्नलिखित पैराओं में, आयोग द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के हितों के संवर्धन और उनकी सुरक्षा के संबध में जो विभिन्न उपाए किए गए हैं और योजनाएं चालू की गई हैं, उनका ब्यौरा दिया गया है ।

14.02 विश्वविद्यालयों तथा कालेजों के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आरक्षण

आयोग ने विश्वविद्यालयों से अनुरोध किया है कि वे विभिन्न पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए लिए 15 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए 7 ½ प्रतिशत सीटें आरक्षित करें और यदि जरूरी हो तो अनुसूचित जाति की सीटें अनुसूचित जनजाति के छात्रों को और अनुसूचित जनजाति के छात्रों की सीटें अनुसूचित जाति के छात्रों को दी जा सकती हैं । उपर्युक्त ढंग से आरक्षण करते समय, किसी भी अध्ययन पाठ्यक्रम के लिए अपेक्षित अंकों की न्यूनतम प्रतिशत में 5 प्रतिशत अंकों की छूट दी जा सकती है । उपर्युक्त छूट देने के बाद भी यदि आरक्षित कोटे की कुछ सीटें खाली रहती हैं तो उन्हें उनकी परस्पर योग्यता के अनुसार अंकों में और अधिक छूट दी जा सकती है ताकि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए आरक्षित सभी सीटें केवल इन दोनों वर्गों के छात्रों द्वारा भरी जा सकें । पिछले वर्ष विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में सभी पाठ्यक्रमों तथा संकायों /विभागों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों के प्रवेश के लिए आरक्षण को पूरी तरह लागू करने के संबध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए थे ।

14.03 लेक्चरारों तथा शिक्षकेतर पदों की नियुक्तियों में आरक्षण

विश्वविद्यालयों/कालेजों से लेक्चरारों तथा शिक्षकेतर पदों पर नियुक्तियां करते समय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए क्रमशः 15 प्रतिशत तथा 7 ½ प्रतिशत पद आरक्षित करने का अनुरोध किया गया अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों को अनारक्षित न करने के भारत सरकार के प्रतिबंध से संबधित अनुदेशों की जानकारी विश्वविद्यालयों को दे दी गई है और उनसे यह अनुरोध किया गया है कि वे सीधी भर्ती तथा पदोन्नतियां दोनों में ही अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की भर्ती के लिए विशेष अभियान चलाएं ताकि निर्धारित प्रतिशतता के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिए निर्धारित कोटे को वस्तुतः पूरा किया जा सके ।

14.04 छात्रावासों में सीटों का आरक्षण

आयोग ने विश्वविद्यालयों/संस्थानों से यह अनुरोध किया गया है कि वे प्रत्येक छात्रावास में उपलब्ध कुल सीटों में से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए क्रमशः 15 प्रतिशत तथा 7 ½ प्रतिशत से कम सीटें आरक्षित न करें ।

14.05 स्टाफ क्वार्टर्स तथा शिक्षक होस्टलों में स्थानों/यूनिटों का आरक्षण

आयोग ने विश्वविद्यालयों/संस्थाओं से अनुरोध किया है कि वे वर्ष 1990-91 से शिक्षक होस्टलों और स्टाफ क्वार्टर्स के आबंटन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए आरक्षण प्रदान करें । यह आरक्षण केंद्रीय विश्वविद्यालयों और माने गए विश्वविद्यालयों (वि. अनु. आ. से शतप्रतिशत अनुरक्षण अनुदान प्राप्त करने वाले) में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए क्रमशः 15 प्रतिशत तथा 7 ½ प्रतिशत तक होगा । राज्य के विश्वविद्यालयों/माने गए विश्वविद्यालयों (राज्य सरकारों से अनुरक्षण अनुदान प्राप्त करने वाले) में आरक्षण का प्रतिशत वह होगा जो संबधित राज्य सरकारों द्वारा इस प्रकार की सुविधाओं के लिए निर्धारित किया जाएगा ।

14.06 विश्वविद्यालयों/संस्थाओं में विशेष सेलों की स्थापना

यह देखने के लिए कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों के प्रवेश, रोज़गार, छात्रावासों मे आरक्षण संबंधी विभिन्न आदेशों को और उनके शिक्षा स्तर को सुधारने के लिए उपचारी पाठ्यक्रमों तथा अन्य उपायों को कारगर ढ़ंग से लागू किया जा रहा है, आयोग ने विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थाओं में अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए विशेष सेल स्थापित किए हैं । आयोग इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विश्वविद्यालयों/संस्थाओं को स्टाफ के वेतन के व्यय को पूरा करने के लिए शत-प्रतिशत आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करता जा रहा है । वर्ष 1990-91 के दौरान आयोग ने ऐस तीन सेल स्थापित करने से संबंधित प्रस्ताव स्वीकार किए । इस प्रकार, 31.3.1991 तक अनुमोदित विशेष सेलों की संख्या 90 हो गई ।

इस प्रकार स्थापित विशेष सेलों को आयोग की सहायता 31 मार्च, 1992 तक की अवधि के लिए उपलब्ध है जोकि 31.3.1995 तक बढ़ाई जा सकती है बशर्ते संबधित विश्वविद्यालय/संस्था राज्य सरकार का इस आशय का आश्वासन भेजे कि 1.4.1995 से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सेल के स्टाफ का उत्तरदायित्व राज्य सरकार का होगा ।

14.07 अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के लिए कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्तियां

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्कीम "एक नियम समय आधार पर कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति" के तहत विभिन्न विश्वविद्यालयों को आबंटित कनिष्ठ

अनुसंधान अध्येतावृत्तियों में से अभी तक 10 प्रतिशत अध्येतावृत्तियां अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के लिए आरक्षित की गई थीं । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग - एन. ई. टी. - जे. आर. एफ. परीक्षा प्रारम्भ करने के पश्चात् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्तियों में 10 प्रतिशत आरंक्षण समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए उपर्युक्त परीक्षा में अपेक्षित अंकों में 10 प्रतिशत की छूट देने का प्रावधान रखा गया है । मई, 1989 में आयोग ने यह निर्णय लिया कि वास्तव में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के एन ई टी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्र आमतौर से बहुत कम होते हैं इसीलिए कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सभी छात्रों को अध्येतावृत्ति प्रदान कर दी जाए । यह भी निर्णय लिया गया था कि "एक नियम समय आधार पर कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति" स्कीम के अंतर्गत यदि कोई रिक्त स्थान नहीं है तो ऐसी स्थिति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए आयोग विश्वविद्यालयों में और वैयक्तिक अधिसंख्या कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्तियों की व्यवस्था करेगा । कनिष्ठ अध्येतावृत्ति परीक्षा में उत्तीर्ण अनुसूचित जाति/जनजाति के सभी उम्मीदवारों को इसकी सूचना भेजा दी गई थी ।

इसके अतिरिक्त, समाज-विज्ञान समेत विज्ञान तथा मानविकी में 50 कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्तियां विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा खुले चयन के माध्यम से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों को सीधे ही प्रदान करने की योजना को भी जारी रखा गया है । खुले चयन की संशोधित प्रक्रिया के अनुसार जो छात्र विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एन. ई. टी./संयुक्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा संचालित कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए स्तरों में छूट दिए जाने के बावजूद भी उत्तीर्ण नहीं होते उन्हे भी साक्षात्कार लेकर अध्येतावृत्ति प्रदान की जाती हैं । तदनुसार वर्ष 1989-90 और 1990-91 के लिए प्रदान की जाने वाली अध्येतावृत्तियां प्रदान करने के संबंध में अंतिम चयन किया जा चुका है ।

14.08 अनुसंधान एसोशिएटशिपों का आरक्षण

आयोग ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए प्रत्येक वर्ष 40 अनुसंधान एसोशिएटशिपें आरक्षित की हैं । वर्ष 1990-91 के दौरान, आयोग ने वर्ष 1987-88 और 1988-89 के कोटे की 40-40 सीटें प्रदान करने के लए अंतिम निर्णय ले लिया है और 1989-90 के कोटे के लिए आवेदन आमंत्रित कर लिए हैं ।

14.09 शिक्षक अध्येतावृत्तियों का आरक्षण

आयोग ने 50 शिक्षक अध्येतावृत्तियां (पी. एच. डी. के लिए 20 तथा एम. फिल. के लिए 30) अनुसूचित जाति/अनुसचित जनजाति के शिक्षकों के लिए 'सीधे अवार्ड' योजना के तहत शुरू की है जिसका उद्देश्य संबद्ध कालेजों में काम करने वाले अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के शिक्षकों को उनकी योग्यताएं बढानें के लिए और अधिक अवसर प्रदान करना है˙ एम. फिल. पाठ्यक्रम के लिए अल्पकालीन अध्येतावृत्ति की अवधि एक वर्ष हैं । पी. एच. डी. डिग्री करने केलए दीर्घकालीन अध्येतावृत्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष है (इसमें एक वर्ष एम.फिल. का शामिल है) । विशेष मामलों में, दीर्घकालीन शिक्षक अध्येतावृत्तियों की अवधि एक वर्ष और बढ़ाई जा सकती है˙ उक्त स्कीम के अंतर्गत आयोग ने वर्ष 1990-91 के दौरान 50 शिक्षक अध्येतावृत्तियां (24 पी. एच. डी. में और 26 एम. फिल. में) प्रदान कीं ।

14.10 सीमावर्ती पहाड़ी क्षेत्रों के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियां

आयोग ने सीमवर्ती पहाड़ी क्षेत्रों के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए 25 छात्रवृत्तियां शुरू की हैं ताकि वे विज्ञान, मानविकी तथा समाज-विज्ञानों में स्नातकोत्तर अध्ययन कर सकें ।

14.11 उपचारी अनुशिक्षण कक्षाएं

आयोग समाज के कमजारे वर्गों विशेषतः अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए उपचारी अनुशिक्षण कक्षाएं आयोजित करने से संबंधित योजना को लागू कर रहा है । सामान्यतः ऐसी अनुशिक्षण कक्षाओं में छात्र-शिक्षक अनुपात 20:1 से अधिक नहीं होगा ।

14.12 अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों की जरूरतें पूरा करने वाले कालेजों को सहायता

वर्ष के दौरान कालेजों को परिचालित आठवीं येाजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों की जरूरतें पूरी करने वाले कालेजों को आठवीं योजना के दौरान दी जाने वाली सहायता का पैटर्न वर्ष 1990-91 से निम्नलिखित रूप में होगा :

क्र० सं०	छात्र नामांकन	सहायता राशि की सीमा
1.	100-500	5 लाख रूपए
2.	501-1000	6 लाख रूपए
3.	1001-2000	8 लाख रूपए
4.	2001-3000	9 लाख रूपए
5.	3001 तथा इससे अधिक	10 लाख रूपए

14.13 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यालय में आरक्षण

आयोग ने आलोच्य वर्ष के दौरान अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजतियों के आरक्षित वर्गों के लिए उचित प्रतिनिधित्व देने तथा आयोग के कार्यालय में इनके आरक्षण में जहां भी कमी थी उसको इस संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार पूरा करने के प्रयत्न जारी रहें ।

आलोच्य वर्ष के दौरान अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आरक्षित वर्गों के निम्नलिखित कर्मचारियों की नियुक्ति/पदोन्नति की गई :-

क्र० सं०	संवर्ग	सीधी भर्ती द्वारा की गई नियुक्ति		पदोन्नति द्वारा भरे गए पद	
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1.	शिक्षा अधिकारी	1	-	-	-
2.	अवर सचिव	-	-	2	-
3.	अनुभाग अधिकारी	-	-	1	-
4.	कनिष्ठ आशुलिपिक	1	-	-	-
5.	वर्ग 'डी' (चपरासी)	3	1	-	-

खंड-15

उच्च शिक्षा तथा महिलाएं

15.01 उच्च शिक्षा के सामान्य तथा तकनीकी क्षेत्र में महिलाओं के लिए शिक्षा संबंधी अवसरों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई हैं । उसी प्रकार, महिलाओं ने भी इन अवसरों को प्राप्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है । इसका पता इस बात से चलता है कि सभी संकायों में तथा शिक्षा के सभी स्तरों पर महिलाओं के नामांकनों में वृद्धि हुई हैं । समाज, उपयोग तथा व्यापार की बदलती हुई जरूरतों के अनुरूप विश्वविद्यालयों तथा कालेज स्तरों पर महिला-शिक्षा को विविधता तथा पुनरभिविन्यास प्रदान किया गया है । विशेषीकृत एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने के लिए प्रतिस्पर्धी महिलाओं की संख्या मे साल दर साल वृद्धि होती रही हैं । निम्नलिखित पैराओं में उच्च शिक्षा में महिलाओं की सहभागिता (संख्या एवं अन्य अवसरों के संदर्भ में) में सुधार और इस संबंध में आयोग द्वारा किए गए प्रयासों का विवरण दिया गया है ।

15.02 नामांकन में वृद्धि

उच्च शिक्षा संस्थाओं में नामांकित महिलाओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है । इसका विवरण सारणी 15.1में दिया गया है ।

सारणी के देखने से यह ज्ञात होगा कि महिलाओं का नामांकन 1950-51 में 40 हजार से बढ़कर 1990-91में 14.37 लाख हो गया । इस प्रकार, 40 वर्षों की अवधि में महिलाओं के नामांकन में 36 गुनी से अधिक वृद्धि हुई । इस अवधि के दौरान नामांकित महिलाओं की संख्या नामांकित प्रति सैकड़ा पुरूष की तुलना में तीन गुनी से अधिक वृद्धि हुई अर्थात् 1950-51 में 14 से बढ़ाकर 1990-91 में 48 हो गई ।

सारणी 15.2 में 1981-82 से 1990-91 तक की अवधि के दौरान कुल नामांकन के अनुपात में महिलाओं का नामांकन दिखाया गया है । इससे यह ज्ञात होता है कि कुल नामांकन के अनुपात में महिलाओं के नामांकन में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है । यह वृद्धि 1981-82 में 27.7 प्रतिशत से बढ़कर 1985-86 में 29.6 प्रतिशत और 1990-91में 32.5 प्रतिशत हो गई । इस प्रकार, महिलाओं का नामांकन वर्ष 1981-82 में 8.17 लाख से बढ़कर 1990-91 में 14.37 लाख हो गया ।

सारणी 15.1

महिलाओं का नामांकन तथा महिलाओं की संख्या (प्रति सैंकड़ा पुरूष)

	1950-51	1955-66	1960-61	1965-66	1975-76	1981-82
महिलाओं का कुल नामांकन (हज़ार में)	40	84	150	271	595	817
महिलाओं की संख्या (प्रति सैंकड़ा पुरूष)	14	17	23	24	33	38

1982-83	1983-84	1984-85	1985-86	1986-87*	1987-88*	1988-89*	1989-90*	1990-91*
880	940	992	1067	1149	1224	1292	1367	1437
39	40	41	42	44	46	46	47	48

*अनुमानित

सारणी 15.2
कुल नामांकन तथा महिलाओं का नामांकन

वर्ष	कुल नामांकन	महिलाओं का नामांकन	महिलाओं का प्रतिशित
1981-82	29,52,066	8,16,704	27.7
1982-83	31,33,093	8,80,156	28.1
1983-84	33,07,649	9,40,253	28.4
1984-85	34,04,096	9,92,139	29.1
1985-86*	36,05,029	10,67,484	29.6
1986-87*	37,54,409	11,48,848	30.6
1987-88*	39,10,828	12,24,089	31.3
1988-89*	40,74,676	12,91,672	31.7
1989-90*	42,46,878	13,67,595	32.2
1990-91*	44,25,247	14,36,887	32.5

*अनुमानित

15.03 महिला कालेज

सारणी 15.3 में केवल महिला कालेजों की संख्या दिखाई गई है । यह संख्या सन् 1981-82 में 624 से बढ़कर 1990-91 में 874 हो गई । इस प्रकार इस दशक मे40 प्रतिशत से भी अधिक वृद्धि हुई ।

सारणी 15.3

महिला कालेज

वर्ष	केवल महिला कालेजों की संख्या
1981-82	624
1982-83	647
1983-84	676
1984-85	712
1985-86	741
1986-87	780
1987-88	786
1988-89	824
1989-90	851*
1990-91	874*

* अनंतिम

15.04 महिलाओं के नामांकन का राज्यवार वितरण

वर्ष 1986-87 से वर्ष 1990-91 के लिए महिलाओं के नामांकन का राज्यवार वितरण परिशिष्ट -XXXII में दिया है ।

इससे यह ज्ञात होगा कि इस अवधि के दौरान कुल नामांकन के प्रतिशत के रूप में महिलाओं के नामांकन में सभी राज्यों में वृद्धि हुई है । कुल नामांकन के प्रतिशत के रूप में महिलाओं के नामांकन का अखिल भारतीय औसत 1986-87 में 30.6 प्रतिशत से बढ़कर 1990-91 में 32.5 प्रतिशत हो गया । गत वर्षों की भांति 1990-91 में कुल नामांकन के प्रतिशत के रूप में महिलाओं के नामांकन की सबसे अधिक वृद्धि (53.0 प्रतिशत) केरल में हुई और उसके बाद क्रमशः पंजाब (48.2 प्रतिशत), दिल्ली (46.3 प्रतिशत), हरियाणा (42.2 प्रतिशत), मेघालय/नागालैंड (39.0 प्रतिशत) और तमिलनाडु (38.5 प्रतिशत) में हुई । दूसरी ओर, गत वर्षों की भांति बिहार का स्थान सबसे नीचे रहा जहां 1990-91 में कुल नामांकन का 16.4 प्रतिशत भाग महिलाओं के नामांकन का रहा । 14 राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में प्रतिशत के रूप में महिलाओं का नामांकन अखिल भारतीय औसत 32.2 प्रतिशत से अधिक रहा । ये राज्य हैं : गुजरात हरियाणा, जम्मू तथा कश्मीर, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय/नागालैंड, पंजाब, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल/त्रिपुरा/सिक्किम ।

15.05 स्तरवार वितरण

अध्ययन के विभिन्न स्तरों पर स्त्री-पुरूषों का संख्यावार वितरण परिशिष्ट XXXIII में दिया गया है। इसके देखने से पता चलता है कि वर्ष 1981-82 से वर्ष 1990-91 के दौरान कुल नामांकन के प्रतिशत के रूप में स्नातक, स्नातकोत्तर और अनुसंधान आदि सभी स्तरों पर महिलाओं के नामांकन में लगातार वृद्धि होती रही है । उदाहरणार्थ, स्नातक स्तर पर कुल नामांकन के प्रतिशत के रूप में महिलाओं का नामांकन 1981-82 में 27.7 प्रतिशत से बढ़कर 1990-91 में 32.3 प्रतिशत हो गया । उसी प्रकार, स्नात्कोत्तर स्तर पर महिलाओं का नामांकन 28.6 प्रतिशत से बढ.कर 34.2 प्रतिशत हो गया तथा अनुसंधान स्तर पर 27.7 प्रतिशत से बढ़कर 36.7 प्रतिशत हो गया । यह बड़ी दिलचस्प बात है कि विशेष रूप से अनुसंधान स्तर पर महिलाओं के नामांकन में अन्य स्तरों के अपेक्षाकृत तेजी से वृद्धि हुई । डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र स्तर पर महिलाओं का नामांकन कुल नामांकन का 1990-91 में 25.5 प्रतिशत रहा । इससे ज्ञात होता है कि आलोच्य अवधि के दौरान नामांकनों कि मिश्रित प्रवृत्ति रही अर्थात् नामांकन

में वृद्धि एक वर्ष अधिक हुई तो दूसरे वर्ष कम । परन्तु, पिछले 3 वर्षों से इसमें लगातार वृद्धि हो रही है ।

15.06 संकायवार वितरण

परिशिष्ट XXXIV में दिए गए महिला नामांकन के संकायवार वितरण से पता चलता है कि प्रत्येक संकाय में कुल नामांकन के प्रतिशत के रूप में महिलाओं के नामांकन में वर्ष 1981-82 से 1990-91 तक प्रायः उतरोत्तर वृद्धि होती रही है । लेकिन, कुछ संकायों में महिलाओं के नामांकन में किसी वर्ष कमी आई तो अगले वर्ष उसमें पुनः वृद्धि हुई है । महिलाओं के नामांकन के प्रतिशत में सबसे अधिक वृद्धि शिक्षा शास्त्र संकाय में हुई जिसमें 1990-91 के कुल नामांकन के प्रतिशत के रूप में महिलाओं का नामांकन 53.4 प्रतिशत रहा । अन्य विधाओं में स्त्रियों के नामांकन का प्रतिशत इस प्रकार रहा :- कला संकाय में (44.0 प्रतिशत), अन्य में (39.4 प्रतिशत), विज्ञान में (33.3 प्रतिशत) आयुर्विज्ञान में (32.3 प्रतिशत) और वाणिज्य में (20.8 प्रतिशत) । यह एक दिलचस्प बात है कि इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी, कृषि, पशुचिकित्सा विज्ञान और विधि जैसे व्यावसायिक संकायों में कुल नामांकन के प्रतिशत के रूप में महिलाओं का नामांकन आलोच्य अवधि में लगातार बढ़ता रहा है । इससे पता चलता है कि अधिकाधिक महिलाएं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को ग्रहण करने लगी हैं और यह एक स्वस्थ प्रवृत्ति जान पड़ती है ।

15.07 विश्वविद्यालयों में महिला अध्ययनों का संवर्धन

महिला अध्ययन सामाजिक वास्तविकता का एक व्यापक, समीक्षात्मक और संतुलित बोध का लक्ष्य कार्य है । इसके आवश्यक घटकों में ये बात शामिल है (I) सामाजिक प्रक्रियाओं में महिलाओं का योगदान;

(II) उनके अपने जीवन, व्यापक सामाजिक वास्तविकता और अपने संघर्षों एवं आकांक्षाओं का प्रत्यक्ष ज्ञान, (III) असमानता की जड़ें तथा ढांचा जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं को महत्वपूर्ण बौद्धिक कार्यों के विषय-क्षेत्र, उपागमों और संकल्पनात्मक ढांचे में शामिल नहीं किया गया है और उन्हें कोई महत्व अथवा स्थान नहीं दिया गया है ।

आयोग विश्वविद्यालयों को महिलाओं के अध्ययन कार्यक्रमों को बढ़ावा देने और अनुसंधान परियोजनाएं शुरू करने, पाठ्यचर्या विकास, प्रशिक्षण एवं विस्तार के लिए

महिला अध्ययन केंद्रों/सेलों की स्थापना हेतु विभिन्न प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के लिए अभिप्रेरक के रूप में और सामाजिक तथा अकादमिक विकास के लिए महत्वपूर्ण साधन के रूप में सहायता प्रदान कर रहा है ।

आयोग में महिलाओं के अध्ययन से संबंधित स्थायी समिति है जो योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा करती है, उसके संबंध में सलाह देती है और उसका परिवीक्षण करती है । इस समिति की सहायता के लिए दो उपसमितियां है । इनमें से एक समिति विश्वविद्यालयों में केंद्र/सेल स्थापित करने के लिए प्राप्त प्रस्तावों की जांच करती है तथा वर्तमान केंद्र/सेलों के कार्यो का परिवीक्षण करती है । दूसरी समिति महिला अध्ययन से संबंधित अनुसंधान प्रस्तावों की जांच करती है ।

महिलाओं के अध्ययनों के विकास के लिए आयोग मार्च, 1995 तक सहायता प्रदान करता रहेगा । 31 मार्च, 1991 तक आयोग ने 20 विश्वविद्यालयों तथा 9 कालेजों/विश्वविद्यालय विभागों को महिला अध्ययन केंद्र/सेल स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान की । इसके अतिरिक्त, आयोग ने महिलाओं के अध्ययनों से संबंधित अनुसंधान प्रयोजनों के लिए भी सहायता प्रदान की ।

15.08 महिलाओं के लिए अंशकालिक अनुसंधान एसोशिएटशिपें

आयोग हर वर्ष महिलाओं के लिए 40 अंशकालिक एसोशिएटशिपें प्रदान करता है ताकि उन महिला अनसंधानकर्ताओं को अवसर मिल सके जिन्होंने विज्ञान, मानविकी/सामाजिक विज्ञान और इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी में स्वतंत्र रूप से पश्चडाक्टरेट अनुसंधान कार्य या परियोजना कार्य नियत करने में प्रतिभा और दक्षता प्रदर्शित की है । आलोच्य अवधि के दौरान आयोग ने 1988-89 के लिए निर्धारित कोटे के लिए एसोशिएटशिपें प्रदान करने हेतु निर्णय लिया और वर्ष 1989-90 के कोटे के लिए आवेदन-पत्र आमंत्रित किए ।

खंड - 16

प्रबंधात्मक गठन एवं वित्त

16.01 प्रबंधात्मक गठन

आयोग के बारह सदस्य है । अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष इसके पूर्णकालिक कार्यकारी सदस्य है । आयोग के सचिवालय का प्रमुख एक सचिव होता है । उसकी सहायता के लिए एक वित्तीय सलाहकार, एक निदेशक (विज्ञान) तथा दो अपर सचिव होते हैं ।

आयोग के सचिवालय में ब्यूरो, अनुभाग तथा प्रभाग होते है । बेसिक यूनिट के रूप में एक अनुभाग होता है जिसका प्रमुख अनुभाग अधिकारी होता है और उसकी सहायता के लिए पर्याप्त स्टाफ होता है जिसमें सहायक, उच्च श्रेणी लिपिक, अवर श्रेणी लिपिक/अंक शामिल है । इनकी संख्या प्रत्येक अनुभाग के कार्य की मात्रा पर निर्भर करते हुए सामान्यतः पांच और आठ के बीच होती है । आमतौर पर, दो अनुभागों के लिए एक शाखा अधिकारी होता है जो एक अवर सचिव/शिक्षा अधिकारी या समकक्ष ओहदे का अधिकारी होता है । सामान्यतः दो से तीन अनुभागों का एक प्रभाग होता है । विश्वविद्यालयों और कालेजों के विकास कार्यक्रमों के लिए चार प्रभाग कार्य करते हैं और अन्य चार प्रभाग अनुसंधान कार्यक्रमों, चयन और पुरस्कार, प्रौढ़ शिक्षा आदि से संबंधित कार्य करते हैं । अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, जनसंपर्क और सूचना/सांख्यिकी का कार्य करने के लिए अलग प्रभाग है । सामान्य तौर पर एक प्रभाग का प्रमुख उप-सचिव या समन्वयक, प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी आदि जैसा समकक्ष ओहदे का कोई अधिकारी होता है । कुछेक प्रभागों का प्रमुख संयुक्त सचिव होता है । जिसे ब्यूरो प्रमुख कहते हैं । संयुक्त सचिवों/उपसचिवों/समकक्ष ओहदे के अन्य अधिकारियों के ग्रुप का कार्य अपर सचिव/निदेशक (विज्ञान)/वित्तीय सलाहकार को सौंपा जाता है जिन्हें ब्यूरो चीफ कहा जाता है । आजकल आयोग के समस्त कार्य की देखभाल चार ब्यूरो चीफ कर रहे हैं जिनकी सहायता के लिए आठ ब्यूरो प्रमुख हैं । विशेषीकृत कार्य के लिए, जो एक निर्दिष्ट अवधि या विशिष्ट समनुदेशनों के लिए होता है आयोग परामशदाताओं के सेवाएं उपलब्ध करता है । आजकल तीन परामर्शदाता हैं जो आंकडा-आधारित प्रबंध प्रणाली, जन-संपर्क तथा शिक्षा टेक्नालाजी तथा शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद संबंधी मामलों में आयोग को परामर्श देते

हैं । वर्ष के दौरान, "प्री-स्कूल टेलीवीजन" की प्रायोगिक परियोजना के लिए आयोग को परामर्श देने के लिए एक प्रमुख सलाहकार की नियुक्ति की गई ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिनियम की धारा 10 के अनुसार आयोग एक सचिव तथा अन्य उन कर्मचारियों की नियुक्ति करता है जो आयोग के कुशल कार्यकरण के लिए आवश्यक हैं । ये नियुक्तियां केंद्रीय सरकार द्वारा तैयार किए गए नियमों के अनुसार की जाती हैं । नियुक्तियां सीधी भर्ती, पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति तथा संविदागत नियुक्तियों द्वारा की जाती है ।

16.02 योजनेतर निधियां

आलोच्य वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भारत सरकार ने रू. 24420 लाख का सहायता अनुदान मिला । उपर्युक्त अनुदान के अतिरिक्त विभिन्न विविध मदों के अंतर्गत रू. 410.71 लाख की राशि भी मिली । इस प्रकार, वर्ष 1990-91 के दौरान (रू. 1.59 लाख के अथ शेष सहित योजनेतर प्राप्त राशि रू. 24832.30 लाख थी जिनमें से रू. 24819.77 लाख के अनुदान प्रदान किए गए । वर्ष 1990-91 के दौरान विभिन्न योजनाओं के अधीन प्रदत्त योजनेतर अनुदानों का मदवार बयौरा नीचे सारणी 16.1 में दिया गया है ।

सारणी 16.1

वर्ष 1990-91 के दौरान विभिन्न योजनाओं के अधीन प्रदत्त योजनेतर अनुदानों का विवरण

क्रम संख्या	प्रयोजन	राशि (लाख रूपये में)
1.	स्थापना वेतन	110.95
	(क) अधिकारियों का वेतन	59.58
	(ख) भत्ता, मानदेय (इसमें मंहगाई भत्ते, अंतरिम राहत, बोनस, नगर प्रतिकर भत्ता, छुट्टी यात्रा रियायत तथा यात्रा भत्ता आदि की रशि शामिल है)	120.38
	(ग) आयोग/समिति के सदस्यों को यात्रा/दैनिक भत्ता	1.61
	(घ) अन्य प्रभार यथा, मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, डाक शुल्क, टेलीफोन, बिजली/पानी के प्रभार, मोटर वाहनों का रखरखाव, प्रकाशन, पुस्तकालय की पुस्तकें तथा पत्रिकाएं, फर्नीचर तथा जुड़नार की खरीद, विश्वविद्यालय अनुरक्षण, अन्य व्यय, किराया, पौर-कर तथा कर, विभागीय प्रभार, सवारी भत्ता आदि ।	131.09
	(ड.) केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लिए अंशदान, पेंशन तथा छुट्टी वेतन, अंशदायी भविष्य निधि, सामान्य भविष्य निधि, सामान्य भविष्य निधि, उपदान आदि ।	54.04

क्रम संख्या	प्रयोजन	राशि (लाख रूपये में)
2.	केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुरक्षण अनुदान	14865.09
3.	विश्वविद्यालय मानी गई संस्थाओं को अनुरक्षण अनुदान	2983.01
4.	विशिष्ट प्रयोजनों के लिए अन्ना तथा रूडकी विश्वविद्यालयों, (रांची) और थापर इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी संस्थान (पटियाला) को अनुरक्षण अनुदान	98.42
5.	दिल्ली विश्वविद्यालय के संघटक/संबंद्ध कालेजों को अनुरक्षण अनुदान	5417.62
6.	बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संघटक/संबंद्ध कालेजों को अनुरक्षण अनुदान	52.59
7.	केंन्द्रीय विश्वविद्यालयों तथा विश्वविद्यालय मानी गई संस्थाओं को मकान निर्माण पेशगी	सामान्य योजना के अधीन अदायगी की गई ।
8.	शिक्षक अध्येतावृत्ति (सामान्य तथा अ.जा./अ.ज.जा. के उम्मीदवारों के लिए), राष्ट्रीयअध्येतावृत्तियां/एसोशिएटशिप, राष्ट्रीय व्याख्यान, एमेरिटस अध्येतावृत्ति आदि जैसी योजनाओं के जिए शिक्षक पुरस्कार	39.83
9.	अनुसंधान अध्येतावृत्तियां/एसोशिएटशिपें	447.45
10.	इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी के अंतर्गत छात्रवृत्तियां/अध्येतावृत्तियां	169.82
11.	विश्वविद्यालयेतर संस्थाओं को अनुदान	17.49
12.	मीडिया केंद्र (जनसंपर्क)	250.79
	जोड़	24819.77

उपर्युक्त सारणी को देखने से पता चलेगा कि योजनेतर निधियों का अधिकांश भाग केंद्रीय विश्वविद्यालयों, विद्यालय मानी गई संस्थाओं तथा केंद्रीय विश्वविद्यालयों के संबंद्ध कालेजों के अनुरक्षण व्यय को पूरा करने के लिए नियत किया गया था । इससे यह भी मालूम होगा कि कुल योजनेतर अनुदान में से लगभग 59.89 प्रतिशत ब्लाक अनुदान के रूप में केंद्रीय विश्वविद्यालयों को, 12.01 प्रतिशत विश्वविद्यालय मानी गई संस्थाओं को, 0.39 प्रतिशत कुछ विशेष प्रयोजनों के लिए अन्ना तथा रूड़की विश्वविद्यालयों और बिरला संस्थान तथा थापर संस्थान को तथा 22.03 प्रतिशत केंद्रीय विश्वविद्यालयों से संबद्व कालेजों के अनुरक्षण के लिए दिया गया । शिक्षकों को विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन देने तथा विभिन्न प्रकार की अनुसंघान अध्येतावृत्तियों तथा विश्वविद्यालयेतर संस्थाओं और मीडिया केंद्रों के लिए रूपये 925.38 लाख (3.72 प्रतिशत) का अनुदान दिया गया ।

16.03 योजनागत निधियां

आलोच्य वर्ष के दौरान, आयोग को एस ए सी सी कार्यक्रम सहित विश्वविद्यालयों और संस्थाओं के सामान्य विकास के लिए भारत सरकार से रू. 12.100 लाख का सहायता अनुदान मिला । इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने के पात्र विश्वविद्यालयों/संस्थाओं में इंजीनियरी तथा तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए अलग से रूपये 1800 लाख आबंटित किए गए । योजनागतशीर्ष के अंतर्गत विविध प्राप्ति के रूप में इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी सहित केवल रू. 92.17 लाख थे जो बैंक खातों पर ब्याज तथा गत वर्षो के दौरान प्रदत्त अनुदानों की अवयियित बकाया राशि की वापसी आदि के माध्यम से प्राप्त हुए थे । इस प्रकार, वर्ष 1990-91 के दौरान कुल योजनागत प्राप्तियां (इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी तथा अथ शेष की रू. 85.19 लाख की राशि सहित) रू. 14,077.36 थी । विभिन्न संस्थाओं को योजनागत अनुदान के रूप में इंजीनियरी/प्रौद्यागिकी को मिलाकर रू. 13,934.54 लाख दिए गए । इसका ब्यौरा नीचे सारणी 16.2 में दिया जा रहा है ।

सारणी 16.2

वर्ष 1990-91 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की मुख्य छह योजनाओं के अंतर्गत दिए गए योजनागत अनुदानों का विवरण

(रू लाखों में)

क्र. स.	योजना	विश्वविद्यालय	कालेज	विविध	जोड़.
1.	पाठ्यक्रमों, प्रौढ़, अनुवर्ती तथा विस्तार शिक्षा कार्यक्रमों का पुर्नगठन	629.61	59.06	14.64	703.31
2.	शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम	3386.30	2351.81	16.66	5754.77
3.	अनुसंधान गुणवत्ता सुधार तथा मंत्रिमंडल के लिए विज्ञान सलाहकार समिति के लिए कार्यक्रम	4617.65	396.22	87.12	5100.99
4.	जन-संपर्क तथा समाज के कमजोर वर्गों का सुधार	339.16	55.84	13.25	408.25
5.	स्वायत्त कालेजों की स्थापना तथा विश्व-विद्यालयों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की प्रबंध प्रणाली का सुधार	0.02	57.62	103.31	160.95
6.	इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी का विकास	1799.79	6.48		1806.27
	जोड़	10772.53	2927.03	234.98	13934.54

*मंत्रिमंडल के लिए विज्ञान सलाहकार समिति

চিত্র শিল্প

विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि

1980-81 से 1990-91

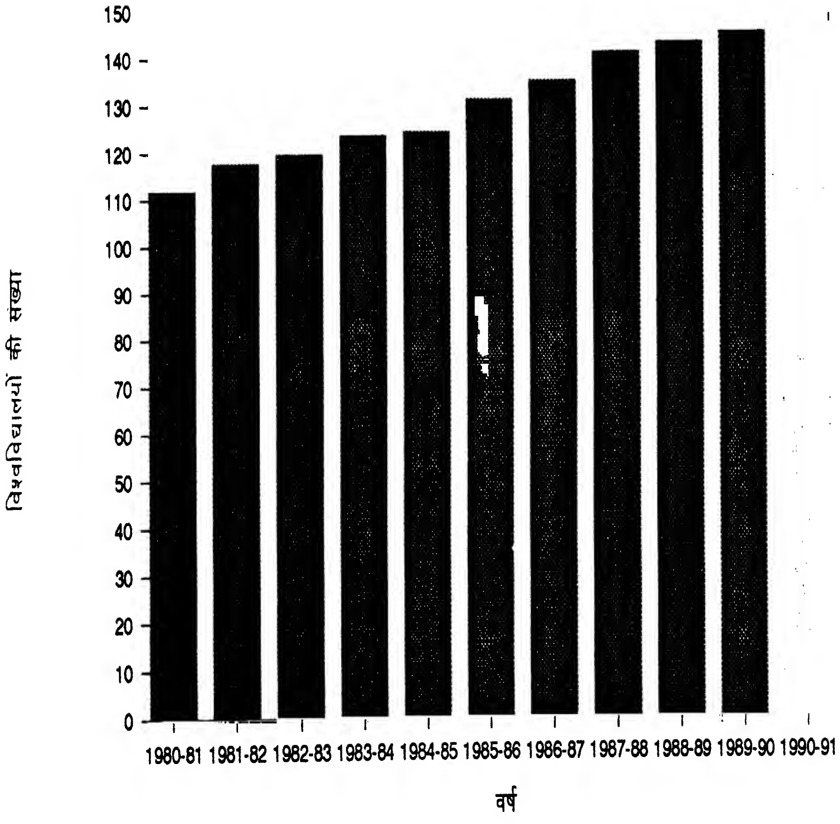

विश्वविद्यालय मानी गई संस्थाओं की संख्या में वृद्धि

1980-81 से 1990-91

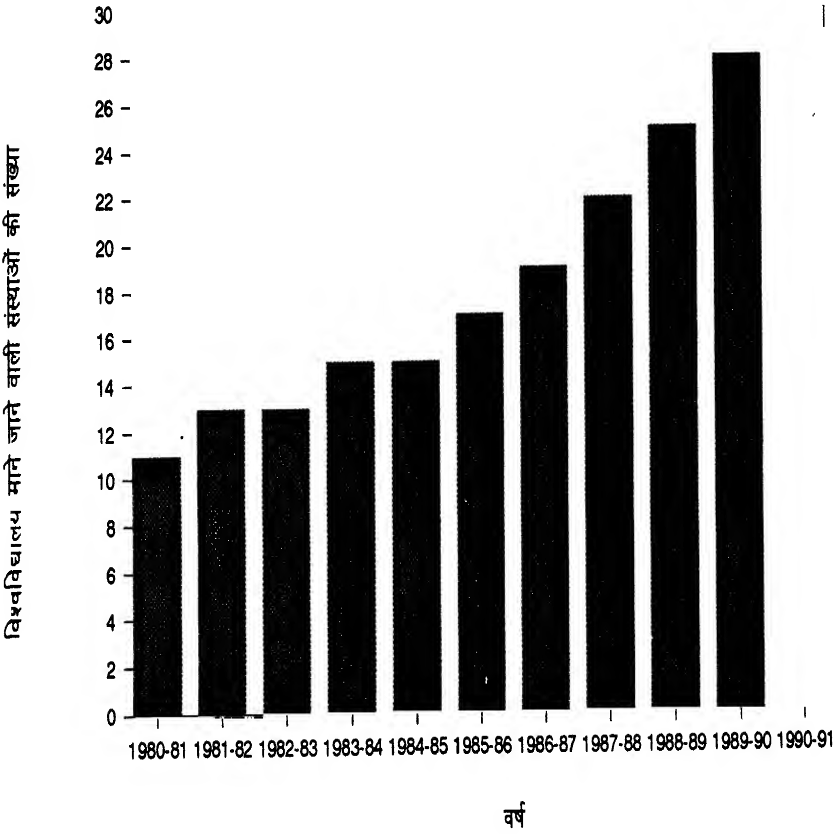

कालेजों की संख्या में वृद्धि

1980-81 से 1990-91

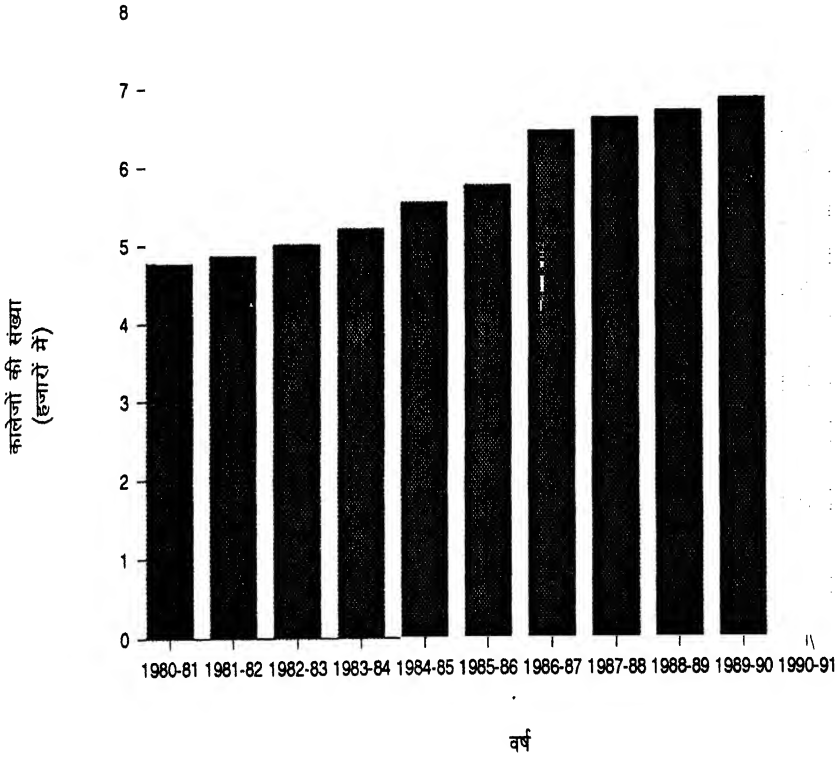

छात्र नामांकनों में वृद्धि

1980-81 से 1990-91

(विश्वविद्यालय स्तर)

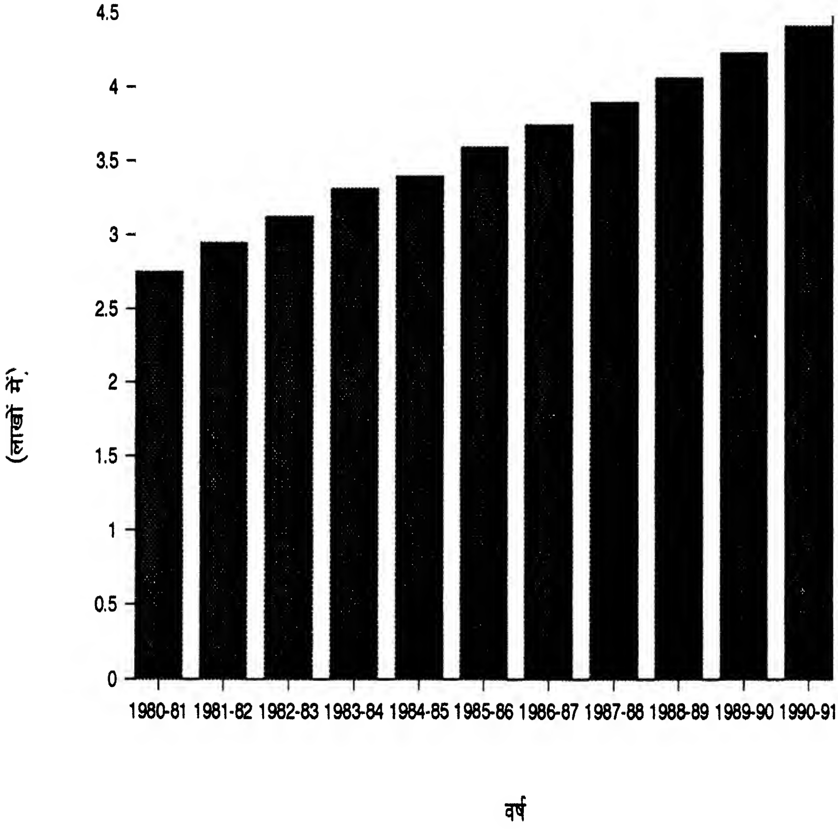

विश्वविद्यालय विभागों/विश्वविद्यालय कालेजों तथा संबंध कालेजों में शिक्षण स्टाफ

1985-86 से 1990-91

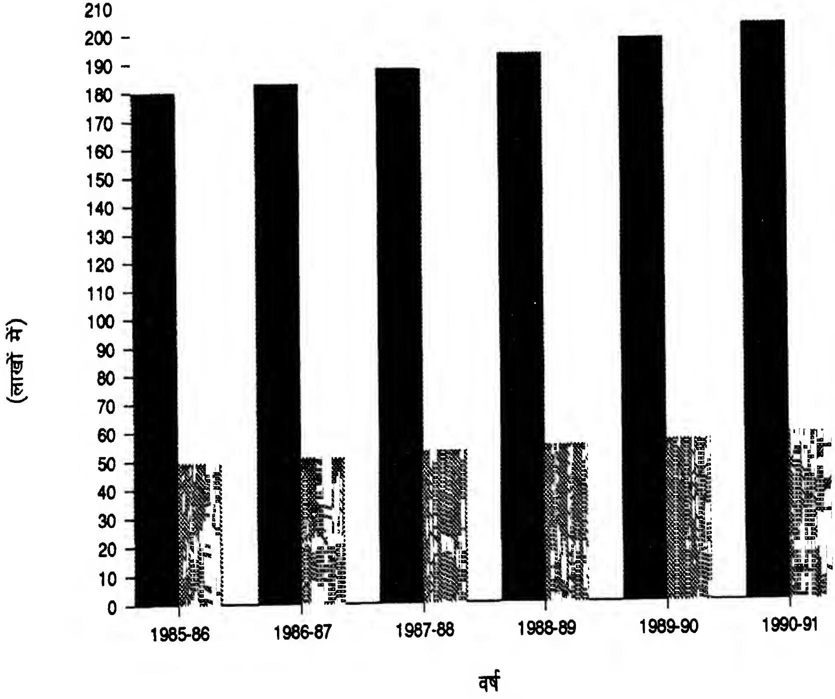

प्रिंसिपल/प्रवर प्राध्यापक/उपाचार्य/सहायक आचार्य/अस्थायी प्राध्यापक और टयूटर/डिमांस्ट्रेटर भी शामिल है (सम्बद्ध कालेज)

आचार्य/उपाचार्य, प्राध्यापक और टयूटर/डिमांस्ट्रेटर भी शामिल हैं (विश्वविद्यालय कालेज)

महिलाओं का नामांकन

(विश्वविद्यालय स्तर)

1980-81 से 1990-91

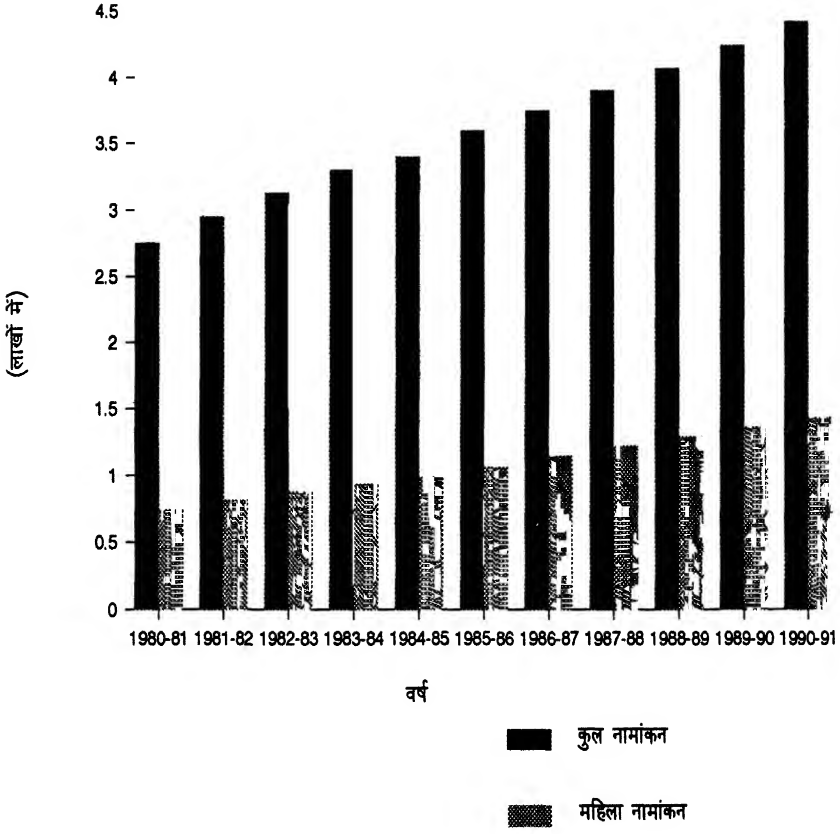

अप्रैल 1990 से मार्च 1991 के दौरान जन संपर्क केंद्रों से प्राप्त कार्यक्रमों का विषय-वार ब्यौरा

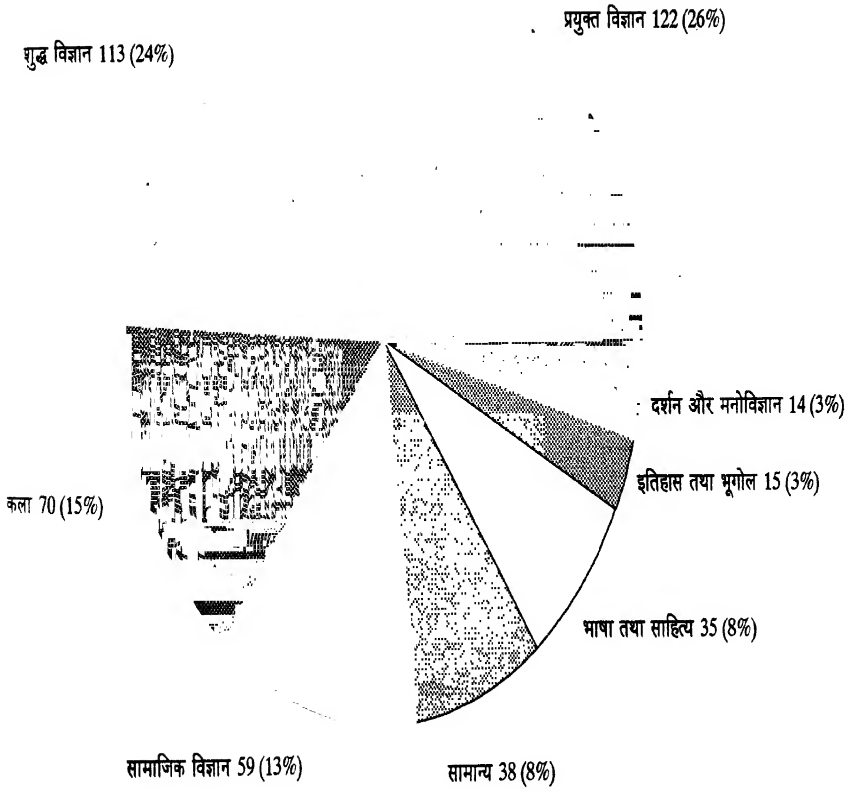

कार्यक्रमों का प्रसारण - नया और पुनः प्रसारण

अप्रैल 1990 से मार्च 1991 तक (संख्या-वार)

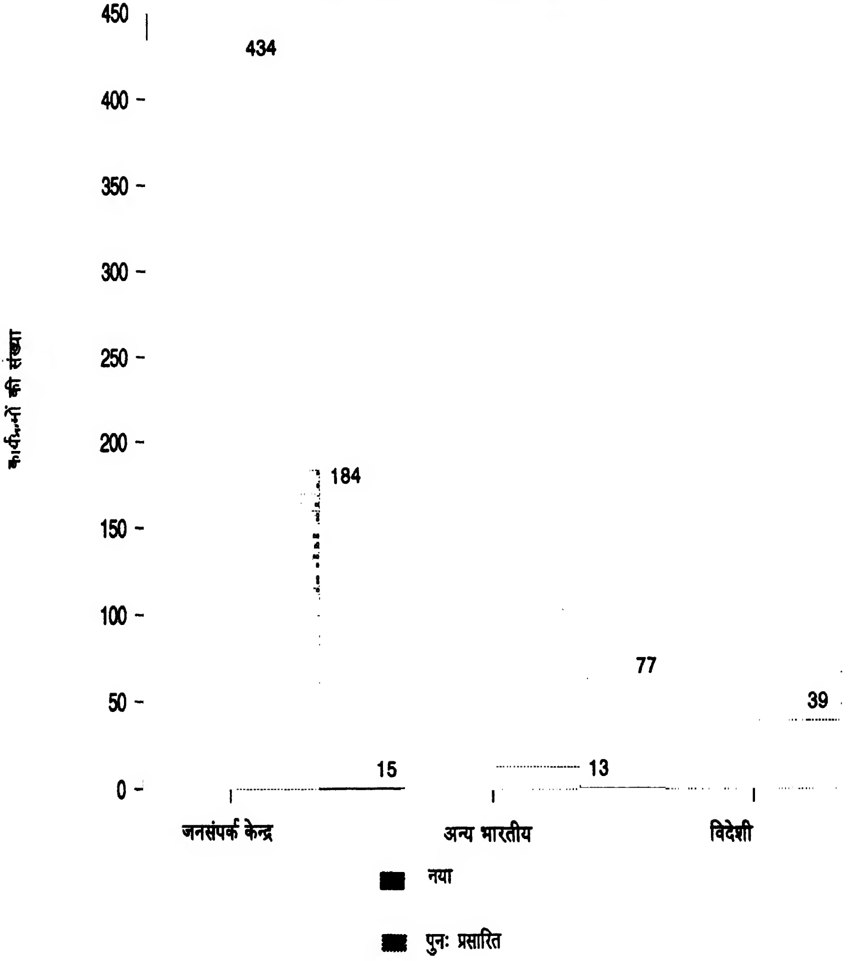

परिशिष्ट

प्रस्तावना

इस रिपोर्ट के विभिन्न परिशिष्टों में सारणी रूप में विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों से संबन्धित आंकड़े विस्तार से दिए गये हैं । यह ध्यान रहे कि इस रिपोर्ट के परिशिष्ट संख्या II, III, IV, V, VI, X, XI, XXXII, XXXIII एवम् XXXIV में वर्ष 1986-87 से वर्ष 1990-91 तक के आंकलित आंकड़े हैं । परिशिष्ट VII, VIII- तथा IX की सारणी में वर्ष 1989-90 तथा 1990-91 में दिए गए आंकड़े अस्थाई हैं । परिशिष्ट XII में वर्ष 1988-89 तथा 1989-90 में दिये गये आंकड़े भी अस्थाई हैं ।

परिशिष्ट-I

भारतीय विश्वविद्यालय तथा विश्वविद्यालय मानी जाने वाली संस्थाओं की सूची (31.3.1991 तक)

क्रम सं.	विश्वविद्यालय/संस्थान का नाम	स्थापना वर्ष
1	कलकत्ता	1857
2	बंबई	1857
3	मद्रास	1857
4	इलाहाबाद	1857
5	बनारस हिन्दू	1916
6	मैसूर	1916
7	पटना	1917
8	उस्मानिया	1918
9	अलीगढ़	1921
10	लखनऊ	1921
11	दिल्ली	1922
12	नागपुर	1923
13	आंध्र	1926
14	आगरा	1927
15	अन्नामलाई	1929
16	केरल	1937
17	उत्कल	1943
18	डा. हरिसिंह गौड़	1946
19	राजस्थान	1947
20	पंजाब	1947
21	गौहाटी	1948
22	कश्मीर	1949
23	रूड़की	1949
24	पूना	1949
25	एम. एस. बड़ौदा विश्वविद्यालय	1949
26	कर्नाटक	1949
27	गुजरात	1950

परिशिष्ट-I (क्रमशः)

क्रम सं.	विश्वविद्यालय/संस्थान का नाम	स्थापना वर्ष
28	एस. एन. डी. टी. महिला	1951
29	विश्व भारती	1951
30	बिहार	1952
31	श्री वेंकटेश्वर	1954
32	सरदार पटेल	1955
33	जादवपुर	1955
34	कुरूक्षेत्र	1956
35	इंदिरा कला संगीत	1956
36	विक्रम	1957
37	गोरखपुर	1957
38	रानी दुर्गावती	1957
39	सम्पूर्णानंद संस्कृत	1958
40	मराठावाड़ा	1958
41	जी. बी. पंत कृषि तथा तकनीकी विश्वविद्यालय, नैनीताल	1960
42	बर्धवान	1960
43	कल्याणी	1960
44	भागलपुर	1960
45	रांची	1960
46	के. एस. दरभंगा संस्कृत	1961
47	पंजाब कृषि	1962
48	पंजाबी	1962
49	उड़ीसा कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय	1962
50	उत्तरी बंगाल	1962
51	रवीन्द्र भारती	1962
52	मगध	1962
53	जोधपुर	1962
54	सुखाड़िया	1962
55	शिवाजी	1962
56	देवी अहिल्या	1964
57	जीवाजी	1964
58	रवि शंकर	1964

परिशिष्ट-I (क्रमशः)

क्रम सं.	विश्वविद्यालय/संस्थान का नाम	स्थापना वर्ष
59	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय	1964
60	आंध्र प्रदेश कृषि	1964
61	बंगलौर	1964
62	जवाहरलाल नेहरू कृषि	1964
63	डिब्रूगढ़	1965
64	कानपुर	1965
65	मेरठ	1965
66	मदुरै कामराज	1965
67	सौराष्ट्र	1965
68	पश्चिमी गुजरात	1965
69	बरहामपुर	1967
70	सम्बलपुर	1967
71	गुजरात आयुर्वेद	1968
72	जवाहर लाल नेहरू	1968
73	महात्मा फूले विद्यापीठ	1968
74	कालीकट	1968
75	अवधेश प्रताप सिंह	1968
76	असम कृषि	1968
77	गुरू नानक देव	1969
78	जम्मू	1969
79	पंजाबराव कृषि	1969
80	हरियाणा कृषि	1970
81	हिमाचल प्रदेश	1970
82	बरकतुल्ला	1970
83	राजेंद्र कृषि	1970
84	तमिलनाडु कृषि	1971
85	कोचीन	1971
86	केरल कृषि	1972
87	गुजरात कृषि	1972
88	कोंकण कृषि विद्यापीठ	1972
89	एल. एन. मिथिला	1972

परिशिष्ट-I (क्रमशः)

क्रम सं.	विश्वविद्यालय/संस्थान का नाम	स्थापना वर्ष
90	मराठवाडा कृषि विद्यापीठ	1972
91	जवाहरलाल नेहरू तकनीकी	1972
92	उत्तरी पूर्वी पर्वतीय	1973
93	कुमाऊं	1973
94	हेमवती नंदन बहुगुणा	1973
95	काशी विद्यापीठ	1974
96	विधानचंद्र कृषि	1974
97	हैदराबाद	1974
98	नरेन्द्र देव कृषि एवं तकनीकी	1974
99	चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं तकनीकी	1974
100	अवध	1975
101	बुंदेलखंड	1975
102	रूहेलखंड	1975
103	महर्षि दयानंद	1976
104	ककाटिया	1976
105	नागार्जुन	1976
106	भावनगर	1978
107	अन्ना	1978
108	हिमाचल प्रदेश कृषि	1978
109	मणिपुर	1980
110	गुलबर्ग	1980
111	मंगलौर	1980
112	बिरसा कृषि	1980
113	विद्यासागर	1981
114	श्री जगन्नाथ संस्कृत	1981
115	श्री कृष्ण देव राय	1981
116	तमिल	1981
117	भरथियार	1982
118	भारतीदेसान	1982
119	शेरे-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं तकनीकी	1982
120	आंध्र प्रदेश ओपन	1982

परिशिष्ट-I (क्रमशः)

क्रम सं.	विश्वविद्यालय/संस्थान का नाम	स्थापना वर्ष
121	श्री पद्मावती महिला	1983
122	अमरावती	1983
123	गुरू घासीदास	1983
124	महात्मा गांधी	1983
125	मदर टेरेसा	1984
126	अलगप्पा	1985
127	अरूणाचल	1985
128	पांडिचेरी	1985
129	गोवा	1985
130	इंदिरा गांधी नेशनल ओपन	1985
131	तेलगू	1985
132	डा० यशवंत सिंह परमार हार्टिकल्चर एडं फौरेस्ट्री	1986
133	आंध्र प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय	1986
134	विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान धारवाड़	1986
135	उत्तरी गुजरात	1986
136	इंदिरा गांधी कृषि	1987
137	कोटा ओपन	1987
138	अजमेर	1987
139	त्रिपुरा	1987
140	कुएम्पू	1987
141	राजस्थान कृषि	1987
142	पूर्वांचल	1987
143	जामिया मिलिया इस्लामिया	1988*
144	डा० एम. जी. आर. मेडिकल	1989
145	यशवन्त राव चव्हाण महाराष्ट्र खुला विश्वविद्यालय	1990
146	तमिलनाडु पशु एवं पशु चिकित्सा विज्ञान	1990
147	उत्तरी महाराष्ट्र	1991
148	नालंदा मुक्त	1991

परिशिष्ट-I (क्रमशः)

क्र० सं०	संस्थान का नाम	स्थापना वर्ष
	विश्वविद्यालय मानी जाने वाली संस्थाएं	
1	भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर	1958
2	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान	1958
3	गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार	1962
4	गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद	1963
5	टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान	1964
6	बिरला तकनीकी और विज्ञान संस्थान, पिलानी	1964
7	भारतीय खान स्कूल, धनबाद	1967
8	केंद्रीय अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा संस्थान, हैदराबाद	1973
9	गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान, गांधीग्राम	1976
10	वास्तुकला तथा योजना विद्यालय, नई दिल्ली	1979
11	दयालबाग शैक्षिक संस्थान, आगरा	1981
12	श्री सत्य साई उच्च अध्ययन संस्थान, प्रसान्तनीलयम	1981
13	वनस्थली विद्यापीठ, राजस्थान	1983
14	भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान, इज्जतनगर	1983
15	अन्तर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, बम्बई	1985
16	थापर अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी संस्थान, पटियाला	1985
17	बिड़ला प्रौद्योगिकी संस्थान, मेसरा	1986
18	राजस्थान विद्यापीठ	1987
19	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ	1987
20	श्री लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली	1987
21	तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पुने	1987
22	श्री अविनाशलिंगम महिला गृहविज्ञान तथा उच्च अध्ययन संस्थान	1988
23	उच्च तिब्बती अध्ययन केन्द्रीय संस्थान	1989
24	राष्ट्रीय डेयरी शोघ संस्थान	1989
25	मतस्य शिक्षा केन्द्रीय संस्थान	1989
26	जामिया हमदर्द, नई दिल्ली	1989
27	राष्ट्रीय कला संरक्षण का इतिहास तथा संग्रहालय	1989
28	डेक्कन कालिज स्नातकोत्तर तथा शोध संस्थान, पुने	1990
29	जैन विश्वभारती संस्थान, करनाल (हरियाणा)	1991

क्रम सं.	संस्थान का नाम	स्थापना वर्ष
	राज्य के अधिनियम द्वारा स्थापित संस्थान	
1	संजय गांधी स्नातकोत्तर चिकित्सा विज्ञान संस्थान, लखनऊ	1983
2	निज़ाम का चिकित्सा विज्ञान संस्थान, हैदराबाद	1990
3	निज़ाम औषधि विज्ञान संस्थान, हैदराबाद	1990

परिशिष्ट-II

छात्रों की नामांकन संख्या में वृद्धि (1971-72 से 1990-91)

वर्ष	कुल नामांकन संख्या	पिछले वर्ष की अपेक्षा वृद्धि	प्रतिशत वृद्धि
1971-72	20,65,041	1,11,341	5,7
1972-73	21,68,107	1,03,066	5.0
1973-74	22,34,385	66,278	3.1
1974-75	23,66,541	1,32,158	5.9
1975-76	24,26,109	59,568	2.5
1976-77	24,31,563	5,454	0.2
1977-78	25,64,972	1,33,409	5.5
1978-79	26,18,228	53,256	2.1
1979-80	26,48,579	30,351	1.2
1980-81	27,52,437	1,03,858	3.9
1981-82	29,52,066	1,99,629	7.3
1982-83	31,33,093	1,81,027	6.1
1983-84	33,07,649	1,74,556	5.6
1984-85	34,04,096	96,447	2.9
1985-86	36,05,029	2,00,933	5.9
1986-87	37,54,409	1,49,380	4.1
1987-88	39,10,828	1,56,419	4.2
1988-89	40,74,676	1,63,848	4.2
1989-90	42,46,878	1,72,202	4.1
1990-91	44,25,247	1,78,369	4.2

परिशिष्ट-III

1986-87 से 1990-91 तक की अवधि में छात्रों के नामांकन में वृद्धि (पी.यू.सी./इंटर/प्री.यूनी. के अतिरिक्त)

			1986-87	
क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य	नामांकन	पिछले वर्ष से वृद्धि	प्रतिशत वृद्धि
1.	आन्ध्रप्रदेश	2,62,141	9,767	3.9
2.	आसाम	72,788	2,934	4.2
3.	बिहार	2,69,361	9,360	3.6
4.	गुजरात	2,26,457	8,248	3.8
5.	हरियाणा	79,214	3,309	4.4
6.	हिमाचल प्रदेश	20,739	1,137	5.8
7.	जम्मू और कश्मीर	26,659	1,447	5.7
8.	कर्नाटक	2,53,645	8,506	3.5
9.	केरल	1,46,119	5,037	3.6
10.	मध्य प्रदेश	2,73,009	8,929	3.4
11.	महाराष्ट्र	5,06,454	20,740	4.3
12.	मणिपुर	10,523	639	6.5
13.	मेघालय/नागालैंड/ मिज़ोरम	10,760	464	4.5
14.	उड़ीसा	83,084	2,373	2.9
15.	पंजाब	1,39,562	5,083	3.8
16	राजस्थान	1,78,088	5,622	3.3
17.	तमिलनाडु	2,73,463	23,816	9.5
18.	उत्तर प्रदेश	5,11,603	18,111	3.7
19.	पश्चिम बंगाल/ त्रिपुरा/सिक्किम	3,07,946	10,241	3.4
20.	दिल्ली	1,02,704	3,617	3.7
	जोड़	37,54,409	1,49,380	4.1

परिशिष्ट-III (क्रमशः)

1986-87 से 1990-91 तक अवधि में छात्रों के नामांकन में वृद्धि (पी.यू.सी./इंटर/प्री.यूनी. के अतिरिक्त)

		1987-88		
क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य	नामांकन	पिछले वर्ष से वृद्धि	प्रतिशत वृद्धि
1.	आन्ध्रप्रदेश	2,72,286	10,145	3.8
2.	आसाम	75,845	3,057	4.0
3.	बिहार	2,79,058	9,697	3.6
4.	गुजरात	2,35,017	8,560	3.6
5.	हरियाणा	82,668	3,454	4.4
6.	हिमाचल प्रदेश	21,942	1 203	5.8
7.	जम्मू और कश्मीर	28,189	1,530	5.7
8.	कर्नाटक	2,62,447	8,802	3.5
9.	केरल	1,51,335	5,216	3.6
10.	मध्य प्रदेश	2,82,330	9,231	3.3
11.	महाराष्ट्र	5,28,080	21,626	4.3
12.	मणिपुर	11,204	681	6.5
13.	मेघालय/नागालैंड/मिज़ोरम	11,246	486	4.3
14.	उड़ीसा	85.527	2,443	2.9
15.	पंजाब	1,44,838	5,276	3.6
16.	राजस्थान	1,83,894	5,806	3.3
17.	तमिलनाडु	2,99,552	26,089	8.7
18.	उत्तर प्रदेश	5,30,379	18,776	3.7
19.	पश्चिम बंगाल/त्रिपुरा/सिक्किम	3,18,539	10,593	3.4
20.	दिल्ली	1,06,452	3,748	3.7
	जोड़	39,10,828	1,56,419	4.2

परिशिष्ट-III (क्रमशः)

1986-87 से 1990-91 तक की अवधि में छात्रों के नामांकन में वृद्धि (पी.यू.सी./इंटर/प्री.यूनी. के अतिरिक्त)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य	1988-89 नामांकन	पिछले वर्ष से वृद्धि	प्रतिशत वृद्धि
1.	आन्ध्रप्रदेश	2,82,821	10,535	3.9
2.	आसाम	79,030	3,185	4.2
3.	बिहार	2,89,104	10,046	3.6
4.	गुजरात	2,43,901	8,884	3.9
5.	हरियाणा	86,273	3,605	4.5
6.	हिमाचल प्रदेश	23,214	1,272	5.8
7.	जम्मू और कश्मीर	29,807	1,618	5.7
8.	कर्नाटक	2,71,554	9,107	3.5
9.	केरल	1,56,738	5,403	3.6
10.	मध्य प्रदेश	2,91,872	9,542	3.4
11.	महाराष्ट्र	5,50,629	22,549	4.3
12.	मणिपुर	11,929	725	6.5
13.	मेघालय/नागालैंड/ मिज़ोरम	11,753	507	4.5
14.	उड़ीसा	88,041	2,514	2.9
15.	पंजाब	1,50,813	5,475	3.8
16.	राजस्थान	1,89,889	5,995	3.3
17.	तमिलनाडु	3,28,129	28,577	9.5
18.	उत्तर प्रदेश	5,49,844	19,465	3.8
19.	पश्चिम बंगाल/ त्रिपुरा/सिक्किम	3,29,497	10,958	3.4
20.	दिल्ली	1,10,338	3,886	3.7
	जोड़	40,74,676	1,63,848	4.2

परिशिष्ट-III (क्रमशः)

1986-87 से 1990-91 तक अवधि में छात्रों के नामांकन में वृद्धि
(पी.यू.सी./इंटर/प्री.यूनी. के अतिरिक्त)

			1989-90	
क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य	नामांकन	पिछले वर्ष से वृद्धि	प्रतिशत वृद्धि
1.	आन्ध्र प्रदेश	2,93,768	10,947	3.9
2.	आसाम	82,381	3,351	4.2
3.	बिहार	2,99,743	10,639	3.7
4.	गुजरात	2,53,316	9,415	3.9
5.	हरियाणा	90,034	3,761	4.4
6.	हिमाचल प्रदेश	24,579	1,365	5.9
7.	जम्मू और कश्मीर	31,518	1,711	5.7
8.	कर्नाटक	2,80,977	9,423	3.5
9.	केरल	1,62,347	5,609	3.5
10.	मध्य प्रदेश	3,01,738	9,866	3.4
11.	महाराष्ट्र	5,74,140	23,511	4.3
12.	मणिपुर	12,701	772	6.1
13.	मेघालय/नागालैंड/ मिज़ोरम	12,282	529	4.5
14.	उड़ीसा	90,629	2,588	2.9
15.	पंजाब	1,55,994	5,681	3.6
16.	राजस्थान	1,96,079	6,190	3.3
17.	तमिलनाडु	3,59,432	31,303	9.5
18.	उत्तर प्रदेश	5,70,023	20,179	3.7
19.	पश्चिम बंगाल/ त्रिपुरा/सिक्किम	3,40,832	11,335	3.4
20.	दिल्ली	1,14,365	4,027	3.7
	जोड़	42,46,878	1,72,202	4.1

परिशिष्ट-III (क्रमशः)

1986-87 से 1990-91 तक की अवधि में छात्रों के नामांकन में वृद्धि (पी.यू.सी./इंटर/प्री.यूनी. के अतिरिक्त)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य	1990-91 नामांकन	1990-91 पिछले वर्ष से वृद्धि	1990-91 प्रतिशत वृद्धि	1986-87 से 1990-91 कुल वार्षिक औसत नामांकन में वृद्धि
1.	आन्ध्रप्रदेश	3,05,067	11,299	3.8	3.9
2.	आसाम	85,797	3,416	4.1	4.2
3.	बिहार	3,10,672	10,929	3.6	3.6
4.	गुजरात	2,63,059	9,743	3.8	3.8
5.	हरियाणा	93,946	3,912	4.3	4.4
6.	हिमाचल प्रदेश	26,016	1,437	5.8	5.8
7.	जम्मू और कश्मीर	33,298	1,780	5.6	5.7
8.	कर्नाटक	2,90,661	9,684	3.4	3.5
9.	केरल	1,67,942	5,595	3.4	3.5
10.	मध्य प्रदेश	3,11,836	10,098	3.3	3.4
11.	महाराष्ट्र	5,98,519	24,379	4.2	4.3
12.	मणिपुर	13,469	768	6.0	6.3
13.	मेघालय/नागालैंड/मिज़ोरम	12,828	546	4.4	4.4
14.	उड़ीसा	93,209	2,580	2.8	2.9
15.	पंजाब	1,61,526	5,532	3.5	3.7
16.	राजस्थान	2,02,445	6,366	3.2	3.3
17.	तमिलनाडु	3,93,375	33,943	9.5	9.3
18.	उत्तर प्रदेश	5,90,808	20,785	3.6	3.7
19.	पश्चिम बंगाल/त्रिपुरा/सिक्किम	3,52,238	11,406	3.3	3.4
20.	दिल्ली	1,18,536	4,171	3.6	3.7
	जोड़	44,25,247	1,78,369	4.2	4.2

परिशिष्ट-IV

विश्वविद्यालयों में छात्रों का नामांकन स्तरवार
(1986-87 से 1990-91)

स्तर	1986-87		1987-88		1988-89		1989-90		1990-91	
	नामांकन	कुल %	नामांकन	कुल %	नामांकन	कुल %	नामांकन	कुल %	नामांकन	कुल %
स्नातक	33,07,634	88.1	34,45,439	88.1	35,89,790	88.1	37,41,500	88.1	38,98,643	88.1
स्नातकोत्तर	3,56,669	9.5	3,71,529	9.5	3,87,094	9.5	4,03,453	9.5	4,20,398	9.5
अनुसंधान	41,299	1.1	43,019	1.1	44,821	1.1	46,716	1.1	48,678	1.1
सनद/ प्रमाण पत्र	48,807	1.3	50,841	1.3	52,971	1.3	55,209	1.3	57,528	1.3
जोड़	37,54,409	100.0	39,10,828	100.0	40,74,676	100.0	42,46,878	100.0	44,25,247	100.0

परिशिष्ट-V

वर्ष 1990-91 के दौरान विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में स्तरवार छात्र नामांकन

स्तर	विश्वविद्यालय के विभाग/विश्वविद्यालय कालेज	सम्बद्ध महाविद्यालय	जोड़	सम्बद्ध महाविद्यालयों में उनकी प्रतिशतता			
				1990-91	1989-90	1988-89	1987-88
स्नातक	4,75,634	34,23,009	38,98,643	87.8	87.8	87.8	87.7
स्नातकोत्तर	1,82,873	2,37,525	4,20,398	56.5	56.5	56.6	56.5
अनुसंधान	41,376	7,302	48,678	15.0	15.0	15.0	15.0
सनद/प्रमाण पत्र	32,561	24,967	57,528	43.4	43.4	43.4	43.6
जोड़	7,32,444	36,92,803	44,25,247	83.4	83.4	83.4	83.3

परिशिष्ट-VI

विश्वविद्यालयों में छात्रों का नामांकन संकायवार (1986-87से1990-91)

अध्ययन के	1986-87		1987-88		1988-89		1989-90		1990-91	
पाठ्यक्रम	नामांकन	कुल %	नामांकन	कुल %	नामांकन	कुल %	नामांकन	कुल %	नामांकन	कुल %
कला (जिनमें प्राच्य विद्या शामिल है)	15,18,282	40.4	15,81,542	40.4	16,45,414	40.4	17,17,437	40.4	17,89,480	40.4
विज्ञान	7,35,864	19.6	7,68,022	19.6	8,00,266	19.6	8,34,087	19.6	8,69,119	19.6
वाणिज्य	8,22,216	21.9	8,57,971	21.9	8,93,984	21.9	9,31,765	21.9	9,69,882	21.9
शिक्षा	86,352	2.3	89,949	2.3	93,718	2.3	95,979	2.3	99.613	2.3
अभियांत्रिकी/ प्रौद्योगिकी	1,83,966	4.9	1,92,148	4.9	2,01,289	4.9	2,09,371	4.9	2,16,837	4.9
चिकित्सा	1,27,650	3.4	1,31,013	3.4	1,37,257	3.4	1,42,270	3.4	1,50,458	3.4
कृषि	42,800	1.1	43,410	1.1	44,007	1.1	45,229	1.1	46,908	1.1
पशु चिकित्सा विज्ञान	9,761	0.3	10,168	0.3	10,594	0.3	10,957	0.3	11,063	0.3
विधि	1,98,984	5.3	2,05,318	5.3	2,13,920	5.3	2,22,961	5.3	2,34,538	5.3
अन्य	28,534	0.8	31,287	0.8	34,227	0.8	36,822	0.8	37,349	0.8
जोड़	37,54,409	100.0	39,10,828	100.0	40,74,676	100.0	42,46,878	100.0	44,25,247	100.0

परिशिष्ट-VII

संकाय के अनुसार कालिजों का विवरण
(1986-87 से 1990-91)

संकाय	महाविद्यालयों की संख्या*				
	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90	190-91
कला, विज्ञान एवं वाणिज्य	4,353	4,487	4,542	4,643	4,742
तकनीकी/व्यवसायिक विवरण	696	724	741	783	818
(क) अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी	253	260	263	268	277
(ख) औषधि/फार्मेसी/आयुर्वेद नर्सिंग/दंतचिकित्सा/ होम्योपैथी/यूनानी	342	364	375	410	427
(ग) कृषि	68	67	69	70	79
(घ) पशु चिकित्सा विज्ञान	33	33	34	35	35
विधि	202	210	217	224	232
शारीरिक शिक्षा	479	488	495	494	531
प्राच्य विद्या	720	714	714	728	728
संगीत/ललित कला	62	66	70	70	70
जोड़	6,512	6,685	6,779	6,942	7,121

परिशिष्ट-VII (क्रमशः)

महिला महाविद्यालय

वर्ष	केवल महिलाओं के लिए महाविद्यालयों की संख्या
1980-81	609
1981-82	624
1982-83	647
1983-84	676
1984-85	712
1985-86	741
1986-87	780
1987-88	786
1988-89	824*
1989-90	851*
1990-91	874*

* अस्थाई

परिशिष्ट-VIII

1986-87 से 1990-91 तक की अवधि में महाविद्यालयों की वृद्धि राज्यवार

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य	1986-87 महाविद्यालयों की संख्या (यू.सी.* ए. सी)	पिछले वर्ष से वृद्धि	1987-88 महाविद्यालयों की संख्या (यू.सी.* ए. सी)	पिछले वर्ष से वृद्धि	1988-89 महाविद्यालयों की संख्या (यू.सी.* ए. सी)	पिछले वर्ष से -वृद्धि	1989-90 महाविद्यालयों की संख्या (यू.सी.* ए. सी)	पिछले वर्ष से वृद्धि	1990-91 महाविद्यालयों की संख्या (यू.सी.* ए. सी)	पिछले वर्ष से वृद्धि	1986-87 1990-91 तक की अवधि में वृद्धि
1.	आन्ध्र प्रदेश	495	3	534	39	545	11	579	34	588	9	93
2.	अरूणाचल प्रदेश	3	3	3	-	3	-	4	1	4	-	1
3.	आसाम	180	9	181	1	185	4	185	-	185	-	5
4.	बिहार	617	49	644	27	644	-	644	-	663	19	46
5.	गोवा	19	19	19	-	24	5	27	3	27	-	8
6.	गुजरात	311	9	317	6	319	2	329	10	334	5	23
7.	हरियाणा	142	-1	147	5	150	3	147	-3	147	-	5
8.	हिमाचल प्रदेश	34	1	40	6	42	2	42	-	42	-	8
9.	जम्मू और कश्मीर	41	2	41	-	41	-	42	1	44	2	3
10.	कर्नाटक	603	47	648	45	667	19	667	-	685	18	82
11.	केरल	189	1	192	3	191	-1	194	3	194	-	5
12.	मध्य प्रदेश	502	30	515	13	525	10	549	44	564	15	62
13.	महाराष्ट्र	874	40	863	-11	881	18	929	48	1002	73	128
14.	मणिपुर	23	-	24	1	25	1	25	-	25	-	2
15.	मेघालय/मिज़ोरम/ नागालैड़	37	3	38	1	38	-	43	5	43	-	6
16.	उड़ीसा	248	23	254	6	254	-	270	16	277	7	29
17.	पंजाब	231	5	227	-4	232	5	232	-	234	2	3
18.	राजस्थान	237	16	246	9	246	-	248	2	250	2	13
19.	तमिलनाडु	311	-	314	3	326	12	338	12	346	8	33
20.	त्रिपुरा	-	-	12	12	12	-	17	5	17	-	17
21.	उत्तर प्रदेश	964	402	963	-1	964	1	967	3	979	12	15
22.	पश्चिम बंगाल/ सिक्किम	372	15	381	9	382	1	381	-1	387	6	15
23.	दिल्ली	68	-	68	-	69	1	69	-	70	1	2
24.	पांडिचेरी	11	9	14	3	14	-	14	-	14	-	3
	जोड़ :	6,512	685	6,685	173	6,779	94	6,942	163	7,121	179	609

यू. सी. – विश्वविद्यालय महाविद्यालय
ए. सी – सम्बद्ध महाविद्यालय
टिप्पणी :

1. केन्द्रीय प्रदेशों अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह, चण्डीगढ़ दमन एवं दीव तथा लक्ष्य द्वीप के महाविद्यालयों को क्रमशः पाण्डिचेरी, पंजाब, गुजरात, तथा केरल के महाविद्यालयों के साथ युग्मित किया गया है ।
2. दिल्ली के सायं कालीन महाविद्यालयों को देश के अन्य संबंधित राज्यों/केंन्द्रीय प्रदेशों के महाविद्यालयों की तरह अलग से गिना जाता हैं ।

परिशिष्ट-IX

1986-87 से 1990-91 तक की अवधि में महाविद्यालयों की वृद्धि (केवल कला, विज्ञान एवं वाणिज्य) राज्यवार

	राज्य/संघ राज्य	1986-87 महा-विद्यालयों की संख्या	1986-87 पिछले वर्ष से वृद्धि	1987-88 महा-विद्यालयों की संख्या	1987-88 पिछले वर्ष से वृद्धि	1988-89 महा-विद्यालयों की संख्या	1988-89 पिछले वर्ष से वृद्धि	1989-90 महा-विद्यालयों की संख्या	1989-90 पिछले वर्ष से वृद्धि	1990-91 महा-विद्यालयों की संख्या	1990-91 पिछले वर्ष से वृद्धि	1986-87 1990-91 तक की अवधि में वृद्धि
1.	आन्ध्र प्रदेश	323	4	343	20	350	7	357	7	357	-	34
2.	अरूणाचल प्रदेश	3	3	3	-	3	-	4	1	4	-	1
3.	आसाम	150	9	150	-	151	1	152	1	152	-	2
4.	बिहार	448	48	467	19	467	-	467	-	186	19	38
5.	गोवा	10	10	10	-	14	4	17	3	17	-	7
6.	गुजरात	207	7	212	5	210	2	219	9	222	3	15
7.	हरियाणा	107	-	111	4	112	1	111	1	112	1	5
8.	हिमाचल प्रदेश	29	1	33	4	33	-	33	-	33	-	4
9.	जम्मू और कश्मीर	25	2	25	-	25	-	25	-	26	1	1
10.	कर्नाटक	373	19	404	31	411	7	410	1	421	11	48
11.	केरल	130	-	131	1	131	-	133	2	133	-	3
12.	मध्य प्रदेश	385	25	399	14	408	9	430	22	445	15	60
13.	महाराष्ट्र	563	15	565	2	582	17	613	31	634	21	71
14.	मणिपुर	19	-	20	1	21	1	21	-	21	-	2
15.	मेघालय/मिज़ोरम/ नागालैंड	28	3	29	1	29	-	34	5	34	-	6
16.	उड़ीसा	175	21	176	4	176	-	195	16	202	7	27
17.	पंजाब	180	5	179	1	183	4	183	-	185	2	5
18.	राजस्थान	136	8	141	5	141	-	142	1	142	-	6
19.	तमिलनाडु	204	-4	206	2	212	6	212	-	212	-	8
20.	त्रिपुरा	-	-	9	9	9	-	13	4	13	-	13
21.	उत्तर प्रदेश	390	-	390	-	391	1	391	-	403	12	13
22.	पश्चिम बंगाल/ सिक्किम	295	14	306	11	306	-	306	-	310	4	15
23.	दिल्ली	46	-	46	-	46	-	46	-	48	2	2
24.	पांडिचेरी	6	4	7	1	7	-	7	-	7	-	1
	जोड़ :	4,232	194	4,365	133	4,421	56	4,521	100	4,619	98	387

टिप्पणी :

1. केन्द्रीय प्रदेशों में अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह, चण्डीगढ़ दमन एवं दीव तथा लक्ष्य द्वीप के महाविद्यालयों को क्रमशः पाण्डिचेरी, पंजाब, गुजरात, तथा केरल के महाविद्यालयों के साथ युग्मित किया गया है ।

2. दिल्ली के सायं कालीन महाविद्यालयों को देश के अन्य संबंधित राज्यों/केंद्रीय प्रदेशों के महाविद्यालयों की तरह अलग से गिना जाता हैं

परिशिष्ट-X

अध्यापन कर्मचारियों की संख्या और उनका विवरण
(विश्वविद्यालय विभागों/विश्वविद्यालय महाविद्यालय में पदनामों के अनुसार)
(1986-87 से 1990-91)

वर्ष	आचार्य	उपाचार्य	व्याख्याता*	ट्यूटर/ डिमांस्ट्रेटर	जोड़
1986-87	6,445	13,248	29,360	2,097	51,150
	(12.6)	(25,9)	(57.4)	(4.1)	(100.0)
1987-88	6,858	13,982	30,198	2,127	53,165
	(12.9)	(26.3)	(56.8)	(4.0)	(100.0)
1988-89	7,037	14,347	31,390	2,199	54,973
	(12.8)	(26.1)	(57.1)	(4.0)	(100.0)
1989-90	7,262	14,864	32,337	2,269	56,732
	(12.8)	(26.2)	(57.0)	(4.0)	(100.0)
1990-91	7,509	15,369	33,437	2,346	58,661
	(12.8)	(26.2)	(57.0)	(4.0)	(100.0)

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े उस वर्ष के अध्यापकों की कुल संख्या में उस पद की प्रतिशतता को प्रदर्शित करते हैं ।

* इनमें सहायक आचार्य एवं सहायक व्याख्याता सम्मिलित हैं ।

परिशिष्ट-XI

सम्बद्ध महाविद्यालयों में पदनामों के अनुसार अध्यापन कर्मचारियों की संख्या और उसका विवरण (1986-87 से 1990-91)

वर्ष	प्रवर अध्यापक*	व्याख्याता**	ट्यूटर/ डिमांस्ट्रेटर	जोड़
1986-87	25,104	1,49,888	8,246	1,83,238
	(13.7)	(81.8)	(4.5)	(100.0)
1987-88	26,055	1,54,257	8,496	1,88,808
	(13.8)	(81.7)	(4.5)	(100.0)
1988-89	27,367	1,58,187	8,541	1,94,095
	(14.1)	(81.5)	(4.4)	(100.0)
1989-90	27,708	1,62,856	8,771	1,99,335
	(13.9)	(81.7)	(4.4)	(100.0)
1990-91	28,421	1,67,047	8,996	2,04,464
	(13.9)	(81.7)	(4.4)	(100.0)

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े उस वर्ष के अध्यापन कर्मचारियों की कुल संख्या में उस पद को प्रदर्शित करते हैं ।

* प्रिंसिपलों/प्रवर व्याख्याताओं/उपाचार्यों को सम्मिलित करके ।

** सहायक आचार्य एवं सहायक व्याख्याताओं को सम्मिलित करके ।

परिशिष्ट-XII

प्रदान की गई डॉक्टरेट की उपाधियाँ संकायवार (1985-86से1989-90)

संकाय	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90*
कला	2,886	2,858	3,114	3,242	3,375
विज्ञान	2,838	2,814	3,038	3,074	3,110
वाणिज्य	263	249	284	330	383
शिक्षा	219	215	245	247	249
अभियांत्रिकी/ प्रौद्योगिकी	194	224	225	229	233
आयुर्विज्ञान	61	68	82	86	90
कृषि	627	583	712	758	807
पशु चिकित्सा विज्ञान	155	101	120	126	132
विधि	34	36	35	39	44
अन्य	69	71	79	88	98
जोड़ :	7,346	7,219	7,934	8,219	8,521

*अस्थायी

परिशिष्ट-XIII

अप्रैल, 1990 से मार्च, 1991 के दौरान संचार केन्द्रों से प्राप्त कार्यक्रम (विषयवार विवरण)

क्र. सं.	विषय श्रेणी	संख्या	प्रतिशत
1.	अनुप्रयुक्त विज्ञान	122	26.2 %
2.	शुद्ध विज्ञान	113	24.3 %
3.	कला	70	15.0 %
4.	समाज विज्ञान	59	12.7 %
5.	भाषा एवम् साहित्य	35	7.5 %
6.	इतिहास और भूगोल	15	3.2 %
7.	दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान	14	3.0 %
8.	सामान्य	38	8.1 %
	कुल	466	

परिशिष्ट-XIV

अप्रैल, 1990 से मार्च, 1991 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वव्यापी कक्षा कार्यक्रम प्रसारण

कार्यक्रम स्रोत	संख्या	प्रतिशत	अवधि	प्रतिशत
संचार केन्द्र	618	81.10	12075 मिनिट (201 घण्टा)	81.36
अन्य भारतीय	28	3.68	630 मिनिट (10 घण्टा)	2.24
विदेशी	116	15.22	2137 मिनिट (36 घण्टा)	14.40
कुल	762		14842 मिनिट (247 घण्टा)	

प्रसारण दिनों की कुल संख्या (मध्याह्न 12.00 बजे से अपराह्न 1.00 बजे तक) (दिनांक 1.4.90 से 9.9.90 तक) : 278

कुल दिनों की संख्या जितने दिन खेल कूद अधि गतिविधियों की वजह से वि. अ. आ. विश्वव्यापी कक्षा कार्यक्रम रद्द किया गया । : 17

परिशिष्ट -XV

"कॉंसिस्ट" के अंतर्गत सहायता प्राप्त विभागों का ब्यौरा

क्र. सं.	विश्वविद्यालय का नाम	सहायता प्राप्ति वर्ष	स्नात्कोत्तर शिक्षा तथा अनुसंधान	मुख्य प्रदत्ता उपस्कर
1	2	3	4	5
1.	रेडियो भौतिकी एंव इलैक्ट्रोनिकी विभाग, कलकत्ता विश्वविद्यालय	1983-84	धन अवस्था इलैक्ट्रोनिकी युक्तियां माइक्रो इलैक्ट्रोनिक एम.एम. तरंग प्रयोगशाला तथा प्रकाश वोल्टीय युक्तियों की स्थापना सहित इपोडियाडो की रचना ।	सांद्रता के लिए एकाग्रता का वर्गीकरण कक्ष अशुद्धता प्रोफेशनल, जीवन समय आदि प्लैज्मा तथा शुल्क निक्षारण उपकरण पर्यावरणी नियंत्रण उपकरण, क्राइयो तापमान जनरेटर की नाप ।
2.	भौतिकी विभाग पंजाब विश्वविद्यालय पंजाब	1983-84	प्रायोगिक न्यूक्लीय भौतिकी	4.ए.डी.सी. सहित मल्टीयूजर डाटा विश्लेषण प्रणाली, हालियम रिसन संसूचक पदार्थो एवं युक्तियों की वैदूयुत/ प्रकाशीय गुण धर्मो के अभिलक्षण एवं अध्ययन के लिए प्रणाली/दृष्टि-ध्वनिक स्पैक्ट्रामापी ।
3.	भौतिकी विभाग पूना विश्वविद्यालय, पुणे	1983-84	स्नात्कोत्तर शिक्षा	गेर-डंकले समाकलन गोलक सपेक्ट्रमीस्फुर दीप्ति-मापी (रेंज 0.32.2.5) चुम्बकीय प्रवृत्ति मापन सेट अप, प्रकाशध्वनि स्पैक्ट्रमापी, "न्यूरो मोटिक" 2 चैनल न्यूरोमाइयोग्राफी
4.	भौतिकी विभाग भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर	1983-84	क्रस्टल वृद्धि तथा पदार्थ निर्माण	प्रोग्रामित तापमान नियंत्रित भटटी, क्रिस्टल पुलिंग यूनिट (आईएफ हीटर, पुलिंग मैकेनिज़म पर्यावरण नियंत्रण, तापमान, नियंत्रण (तरल होलियम लिक्विफायर निम्न ताप मापन सुविधाएं ।

1	2	3	4	5
5.	भौतिकी विभाग बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	1984-85	संश्लेषण का विशेष संदर्भ सहित पदार्थ भौतिकी, क्रिस्टल वृद्धि तथा क्रिस्टलों का अभिलक्षण लेसर तथा आणविक प्रकाश भौतिकी	एस.टी.एम.ई.बी.आई.सी, ई.डी.ए. एक्स और ई. एल.एस.एस. संलग्न सहित इलेक्ट्रान सुक्ष्मदर्शी डी.टी.ए./टी.जी.ए.डी.एस.सी. सुविधा, मुखौटा संघारित्र, मुखौटा सुरेखक निर्वात चक्र, स्त्राइब रव पराश्रव्य बा. ँन्डरसाविविरक जोक्राल्सकी क्रिस्टल अभिकर्षक, दाब टनिंग और ध्रुवण नियंत्रण की सुविधाओं सहित एन. डी/वाई ए. जी. लेसरपंपर रंजक लेकर ।
6.	भैतिकी स्कूल मद्रास विश्वविद्यालय	1984-85	नामिकी और सैद्यातिंक भौतिकी	माक्रो संघारित्र एक्स विवर्तमापी 1730/10, उच्च शुद्वता जर्मेनियम संसूचक, दो बिंदु-अंकीय स्प्रेक्ट्रम स्टेबिलाइजर वाला बहु चैनली विश्लेषक अति वेग वाला ममास बाउर स्पेक्ट्रोमीटर ।
7.	भौतिकी विभाग रूड़की विश्वविद्यालय	1985-86	धन अवस्था भौतिकी (सैद्यातिक और प्रायोगिक) अणसुंघटन भौतिकी	कम्प्यूटर युक्तियां, पीजी/डी.टी.ए. के लिए एक साथ थर्मल विश्लेषण प्रणाली ।
8.	भौतिकी स्कूल आंध्र विश्वविद्यालय	1987-88	मैटीरियल तथा नाभिकीय भौतिकी	फैब्रीपिरोट इंटर फिरोमीटर वी.एच. एफ डापलर साउन्डर, ट्रांन्स पोर्टेबल डिजीटल आयनो-सौन्ड आई.पी. एस-42
9.	भौतिकी विभाग अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	1987-88	सैद्धांतिक भौतिकी, प्रायोगात्मक न्यूक्लीय भौतिकी तथा उच्च शक्ति भौतिकी लेसर स्पैक्ट्रोस्कोपी तथा मैटीरियल का परस्पर अध्ययन	एफ.टी.आई.आर.ई.पी.आर. कक्ष कांप्टन स्प्रैस्डगामा किरण स्पैक्ट्रोमीटर

1	2	3	4	5
10.	भौतिकी विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय	1987-88	सैद्धांतिक भौतिकी	रूधर फोर्ड स्कैटरिंग, एक्स-रे फ्लोरासैस, इलैक्ट्रो-आप्टिकल, सर्फस अकाउस्टिक्स वेव डिवाइसेस के गुण, एक्स-रे डिफ्रैक्टोमीटर का चलचित्र ।
11.	भौतिकी विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय	1987-88	सालिड स्टेट तथा मालीक्यूलर भौतिकी	माइक्रोवैक्स 1 एड ओन्स मल्टीचैनल एनालाइजर एसैसरीज सहित, माइक्रोवेव नेटवर्क एनालाइजर । थर्मल विश्लेषण पद्धति, आर.एफ. इम्पीडेन्स एनालाइजर ।
12.	भौतिकी विद्यालय हैदराबाद विश्वविद्यालय	1987-88	सैद्धांतिक भौतिकी, मैटीरियल भौतिकी हाई टी सी सुपर कंडक्टर अव्यवस्थित मैटीरियल के विशेष संदर्भ में	एन.एम.आर. मैग्नोमीटर, माइक्रोवैक्स ।। तरल नाइट्रोन संयंत्र, तरल हीलियम संयंत्र ।
13.	भौतिकी विभाग जादवपुर विश्वविद्यालय	1987-88	जमे हुए पदार्थ की भौतिकी उच्च ऊर्जा तथा सैद्धांतिक भौतिकी	न्यूक्लियर ट्रैक के लिए सेमी स्वचालित स्कैनिंग तथा माप पद्धति, बबल चैम्बर स्कैनर टेप ड्राइव
14.	भौतिकी विभाग राजस्थान विश्वविद्यालय	1988-89	उच्च टी सी तथा उच्च शक्ति पार्टाइड प्लग्स.	एक्स पी.सी.ए.ई.एस. तथा सी ई डी एक्स टी.जी. डी टी जी, डी टी ए, डी एस सी रिएक्टर सहित
15.	भैतिकी विभाग उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद	1988-89	कन्डयूज्ड मैटर भौतिकी	तरल नाईट्रोजन प्लांट पी सी तथा मिनी कम्प्यूटर, लेसर सुविधा लोजिक विश्लेषक
16.	रसायन विभाग पंजाब विश्वविद्यालय	1983-84	जैव और भौतिकी रसायन	जी.एल.सी. फिशर स्कैनिंग बैड कॉलम प्रतिलोभी वर्णलेखन विज्ञान, क्रोमेटोटान मोलीक्यूलर स्टिल्स फोटो सहसंबंध स्पैक्ट्रॉन एच. पी. एल. सी.

1	2	3	4	5
17.	घन व्यवस्था और संरचनात्मक रसायन, भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर	1983-84	घन व्यवस्था और संरचनात्मक रसायन	आई. आर. स्पैक्ट्रोमीटर, बंद परिपथ हीलियम क्रोयोस्टेट
18.	रसायन विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय	1984-85	जैब रूप से सक्रिय यौगिको पण्टाइडों आदि के विशेष सन्दर्भ सहित संश्लेषण और संरचनात्मक कार्बनिक रसायन मिसेल और यंत्रीकरण-अध्ययनों के विशेष सन्दर्भ सहित भौतिक रसायन	कम्प्यूटर उच्च निपाचन द्रव वर्णलेख, धृवण लेखी प्रोग्रामन योग्य थर्मोस्टेट
19.	रसायन विभाग हैदराबाद विश्वविद्यालय	1984-85	कार्बनिक संश्लेषण	
20.	रसायन विभाग जोधपुर विश्वविद्यालय	1984-85	अनुर्वर खंड के पौधों का पादाप रसायन विज्ञान, मृदा रसायन और भौतिक रसायन	प्रवाह रोधी स्पैक्टोमीटर सी.एच्र. एन. विश्लेषक एच.पी.एल.सी. मिनी कम्प्यूटर
21.	रसायन स्कूल मद्रास विश्वविद्यालय	1984-85	आकर्बनिक रसायन	एन.डी.वाई.ए.जी. लेसर, ई.एस. आर. स्पैक्ट्रामीटर प्रकाश रसायन उपसाधनों सहित, प्रवाह रोधी उपसाधान स्पैक्ट्रोफ्लोमीटर के लिए संशोधित स्पैक्ट्रा उपसाधन
22.	रसायन विभाग पूना विश्वविद्यालय	1984-85	विकिरण और न्यूक्लीय रसायन	द्रव प्रस्फुर काउंटर, बहु-चैनली विश्लेषक गाली और एस.आई.एच. आई. संसूचक गामा स्त्रेत
23.	रसायन विभाग राजस्थान विश्वविद्यालय	1984-85	कार्ब-घात्विक रसायन और कार्बनिक फ्लुओरीन	एक्स किरण विर्दतन एकक
24.	कार्बनिक रसायन विभाग, भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलौर	1984-85	कार्बनिक रसायन	उच्च विभेदन की जी.सी वाला द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर

परिशिष्ट-XV (क्रमशः)

1	2	3	4	5
25.	रसायन विभाग, उत्तर पूर्वीय पर्वतीय विश्वविद्यालय	1986-87	भौतिकी तथा कार्बनिक रसायन	प्रोटीन एन एम आर स्पेक्ट्रो मीटर, गैस क्रोमोटोग्राफ क्लोज्ड हीलियम क्रोयोकूलर अटैचमेंट ई एस आर स्पैक्ट्रोमीटर के लिए इलैक्ट्रो कैमिकल यंत्र(साइक्लिक वोल्टमीटर) तरल नाइट्रोजन क्रोयोस्टेट
26.	रसायन विभाग, आन्ध्र विश्वविद्यालय	1987-88	तटीय प्राकृतिक उत्पाद	एफटी-एन एम आर मल्टीप्रोब सहित जीएलसी ट्रेसर एफ आई डी सहित, स्वचालित सीएचेन विश्लेषक
27.	रसायन विभाग	1987-88	एनलिटिकल रसायन	एन एम आर, ए ए एस, आयोजन क्रोमैटोग्राफ स्पैक्ट्रोफ्लोरीमीटर एच पी एल सी, सोल्यूशन कैलोरी मीटर
28.	रसायन विभाग गुरू नानक देव विश्वविद्यालय	1987-88	कार्बनिक रसायन	हाईरिजोल्यूशन मल्टी न्यूक्लीयर 90 एम एच जैड एन एम आर मास स्पैक्ट्रोमीटर पोलरो ग्राफिक एनलाइजर, डैन्सीटोमीटर यथा स्पैक्ट्रोफोटोमीटर
29.	रसायन विभाग गोरख पुर विश्वविद्यालय	1987-88	भौतिकी तथा अकार्बनिक रसायन	एन एम आर 60 एम एच जैड आई आर स्पैक्ट्रोफोटोमीटर एलीमैंट एनैलाइजर प्रोटोइरैडिएशन तथा कारो सियोन मापक पद्वति
30.	रसायन विभाग बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	1987-88	स्ट्रक्चरल रसायन	मास स्पैक्ट्रोमीटर पैरीफेरियल मिनी कम्प्यूटर उपयुक्तसॉफ्टवेयर सहित, आई. आर. इलैक्ट्रो रसायन पद्वति
31.	भौतिकी तथा अकार्बनिक रसायन भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर	1987-88	भौतिकी तथा अकार्बनिक	मल्टी न्यूक्लीयर एन एम आर सी एच एन विश्लेषक

1	2	3	4	5
			जीवन विज्ञान एवम् जैविक विज्ञान	
32.	जीव रसायन विभाग आयुर्विज्ञान संस्थान बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	1983-84	अणुजीव विज्ञान और आनुवांशिक इंजीनियरिंग	द्रव अपकेन्द्रीय की परिचालन यूनिट, उच्च दाब द्रव वर्णलेख वृत्तीय द्वीकोमी स्पेक्ट्रोमीटर, गैस वर्ण लेख बड़ा किण्वक
33.	वनस्पति विज्ञान विभाग, कलकत्ता विश्वविद्यालय	1983-84	कोशिका वनस्पति विज्ञान, क्रोमोसोम अनुसंधान	द्रव प्रस्फुरण कांउटर, एच.पी.एल. सी. गिल्सन विश्लेषक ल्योफिलइसर सी. ओ, 2 उष्माचित्र और विशिष्ट वैद्युत कण-संचालन यूनिट, गैस वर्णलेख जो ज्वाला आयनन और नारइट्रोजन संसूचक एकक युक्त हैं ।
34.	जीव विज्ञान स्कूल, जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय	1983-84	विकिरण जीव विज्ञान, ऊत्तक संवर्घ, और अनुवंशिकी इंजीनियरी सहित अणु जीव विज्ञान	गैस-द्रव्य वर्ण लेख, प्रशीतित सेंट्रोफयूज, इलेक्ट्रोन स्पिन अनुवाद स्पेक्ट्रोमीटर, एच.पी.एल.सी
35.	जैव विज्ञान स्कूल, मदुरै कामराज विश्वविद्यालय	1983-84	आण्विक आनुवंशिकी, प्रतिरक्षा विज्ञान, पादप रोविज्ञान और पादप फिजियोलॉजी	द्रव अपकेन्द्रित, द्रव प्रस्फुरण काउंटर
36.	सुक्ष्म जीव विज्ञान विभाग, एम.एस विश्वविद्यालय	1983-84	औद्योगिक सूक्ष्म जीव विज्ञान और सूक्ष्म जैविक रोगाणुवीय आनुवंशिकी	एच. पी. एल. सी. इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, हिम शुष्की अपकेंन्द्रित काउंटर
37.	जीव विज्ञान अध्ययन पी. जी. स्कूल अहमदनगर कॉलेज (पूना विश्वविद्यालय)	1983-84	विकासीय आनुवंशिकी	एन. एम. आर. स्पेक्ट्रोमीटर, रोटरयुक्त प्रशीतित उच्चगति अपकेंद्रित डी. एन. ए. गलन प्रोफाइल और डी. एन. ए. पुनः सहवास के अध्ययन की विशिष्ट संलग्नी युक्त यू. वी. सोक्ट्रोफोटोमीटर द्रव प्रस्फुरण काउंटर के लिए विकिरण प्रतिरक्षा अपमान और भिन्न प्लाट उपसाधन

1	2	3	4	5
38.	जैव रसायन विभाग उस्मानिया विश्वविद्यालय	1984-85	ऐमिनो पण्टाइड और प्रोटीनों धातु आविषालुता और कवकी उपापन्वय रसायन और जैव	यूवी विस रिकार्डिंग स्पैक्ट्रोफोटोमीटर संसाधित्र नियंत्रित द्रव प्रस्फुरण प्रणाली परमरण्वीय अवशोषण स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एफ एन एच 2 एन ओ 3 सी, आदि के लिए ओरियन आयन विश्लेषकरुएच पी एल सी 3 टिमेरी ग्राडिएट कोडल एल सी 4 ए
39.	कीट अनुसंधान संस्थान, लौयोला कॉलेज, मद्रास विश्वविद्यालय	1984-85	की-पादप अन्योन्यक्रिया के सन्दर्भ में परिपोषी विशिष्टता	उच्च निष्पादन वर्णलेख, प्रशीतित अपकेन्द्रित यू वी स्पेक्ट्रोमीट मिनी बाम्ब कैलोरीमीटर
40.	सूक्ष्म जीव विज्ञान और कोशिका जीव विज्ञान विभाग, भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर	1984-85	सूक्ष्मजीवों यूक्रियोट्स में जीव साचना, बनावट और कार्य रोगाणुक उपापचय और अनप्रयुक्त सूक्ष्म जीव विज्ञान रोगजनक जीवों का प्रतिरक्षा विज्ञान, टाइनर इम्यूनोलाजी इम्यूनोडाया ननोस्टिक प्रौद्योगिकी	इलेक्ट्रोन सूक्ष्मदर्शी एम. 106 आर अल्ट्रामाइक्रोटोम युक्त, द्रलुत प्रोटीन द्रव क्रोमेग्राफी प्रणाली किण्वक, यूत्री-स्पेक्ट्रोफोटो मीटर, कैमरायुक्त यूवी ट्रास प्रदीपक उच्च वोल्टा वैद्युत का कण संचालन तंत्र
41.	जैव रसायन विभाग भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर	1984-85	लिपिड और जैव-झिल्लियां आण्विक अंतः स्त्रव विज्ञान तंत्रिका रसायन और जैव ऊर्जा विज्ञान	उच्च वेग अपकेंद्रित द्रव द्रस्फुरण, काउंटर रोटरयुक्त द्रुत अपकेन्द्रित, स्पेक्ट्रोफलोरीमीटर, एच पी एल सी
42.	प्राणी विज्ञान विभाग कलकत्ता विश्वविद्यालय	1985-86	अनुवंशिकी और कशेरूकी अत: स्रव विज्ञान	प्रतिबिंब विश्लेषक एच पी एल सी
43.	प्राणी विज्ञान विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय	1985-86	कोशिका और विकासी जीव विज्ञान जननात्मक अन्त:स्राव विज्ञान शरीर क्रिया विज्ञान	प्रवाह साइटोमीटर, एच पी एल सी ऊतक संवर्धन हाब्रीडोमा सुविघा, जी एल सी द्रव प्रस्फुरण काउंटर और विषालता

1	2	3	4	5
44.	प्राणी विज्ञान विभाग बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	1985-86	जननात्मक शरीर क्रिया विज्ञान और अन्तः स्रव विज्ञान, जैव-विज्ञान और साइटोआनुवंशिकी	द्रप्रस्फुरण काउंटरद्रुत अपकेंद्रित, प्लाज्मा-2000 स्पेक्ट्रोमीटर यू वी स्पेक्ट्रोमीटर, एक्स-रे मशीन उच्च वेग प्रशीतित अपकेंद्रित
45.	वनस्पति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय	1985-86	जीव विज्ञान-जन पादप फिजीऑलोजी अणुजीव विज्ञान	वृद्धि चैम्बर, द्रव प्रस्फुरण काउंटर, डेसिटोमीटर ध्रुवण सूक्ष्मदर्शी
46.	वनस्पति विज्ञान विभाग बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	1985-86	शैवाल विज्ञान और परिस्थिति विज्ञान	एमिनो-ऐसिड विश्लेषक, जी एल सी सी एन, एच विश्लेषक उच्च वोल्टता वैद्युत कण संचलन
47.	समुद्री विज्ञान स्कूल कोचीन विश्वविद्यालय	1985-86	तटीय और एस्टेरीन, समुद्र विज्ञान और तटीय जल तथा पक तट	इलेक्ट्रोन सूक्ष्मदर्शी, द्रव प्रस्फुरण संतुलन विभेदक थर्मल विश्लेषक एक्स-किरण विर्वतन विश्लेषक, सी एन एच विश्लेषक प्रोटीन परिशुद्धता मैग्नेटोमीटर
48.	अणु जैव भौतिकी यूनिट भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलौर	1985-86	जैव अणु-संरचना और अन्योन्याक्रिया	घूर्णी एनोड, एक्स-किरण जनित्र, सूक्ष्म संसाधित्रनियंत्रित प्रकाश विभेदन सी डी स्पेक्ट्रोमीटर, प्रोटीन सिक्वेटर द्रव्य प्रस्फुरण काउंटर
49.	जीव रसायन विभाग एम. एस. विश्वविद्यालय	1986-87	न्यूट्रीशन जीव रसायन न्यूरोकैमिस्ट्री	स्पेट्रोफोटोमीटर, सुपर रैफ्रीजरेटड सैंट्रीफयेजेज, तरल सिन्टीलेशन काउंटर
50.	जीव रसायन विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय	1987-88	प्लांट नायोकैमिस्ट्र तथा एन्जायमोलॉजी	स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, सुपररैफ्रीजरेटड अल्टोस्कैन लेसर डैसिंटोमीटर पूर्णतया क्रोमैटोग्राफी पद्धति
51.	जीव रसायन विभान कलकत्ता विश्वविद्यालय	1987-88	न्यूट्रीशन जीव रसायन तथा सूक्ष्म जीव रसायन फिज़ियोलॉजी	अल्ट्रसैंट्रीफयूज रैफ्रीफयूज़ एच पी ए सी तरल सिन्टीलेशन कांउटरए गामा कांउटर मिनी गामा तथा आर. आई. ए. के साथ

1	2	3	4	5
52.	जीव विज्ञान पटना विश्वविद्यालय	1987-88	माइक्रोलॉजी पैथोलॉजी तथा अलोई	टी ई एम, तीव्र सैंट्रीफयूज़ यू/बी आई एस स्पेट्रोफोटोमीटर तथा स्कैनरडी. डी एन ए सीक्वैसिंग कक्ष, कमैन्टेशन वैसल कंट्रोल सहित
53.	जीव विज्ञान विभाग भागलपुर विश्वविद्यालय	1987-88	माइकोटॉक्सीकॉलौजी तथा वातावरणीय जीव विज्ञान	लियोफिलाइजर, मिजट, इलैक्ट्रोफोरसिस, लेसर डैंसीटोमीटर सहित, एच पी एल सी, फलोडंजैक्शन विश्लेषण पद्धति
54.	जीव विज्ञान में उच्च अघ्ययन केन्द्र मद्रास विश्वविद्यालय	1987-88	माइकोलॉजी प्लान्ट पैथेलॉजी तथा अलाई	यू वी/वी आई एस स्पेक्ट्रोफलोमीटर अल्ट्राटोम लिक्विड साइन्टीलेशन पद्धति, मिश्रित आक्सीजन मॉनीटर, अल्ट्रासैनिक डिसाइन्टीग्रेटर
55.	समुद्री जीवविज्ञान विभाग, अन्नामलाई विश्वविद्यालय	1987-88	मैराइन माइक्रोबायोलॉजी तथा टॉक्सीकोलॉजी	एच पी एल सी, माइक्रोवियल पहचान पद्धति प्लाज्मा, स्पेक्ट्रोमीटर तीव्र गतिरैफीजरेटड सैंट्रीफ्सूज़
56.	प्राणी विज्ञान पूना विश्वविद्यालय	1987-88	केवल स्नातकोत्तर अध्ययन	इलैक्ट्रोन माइक्रोस्कोप अन्य उपकरणों तथा फोटोग्राफी कक्ष सहित
57.	प्राणी विज्ञान विभाग गुजरात विश्वविद्यालय	1987-88	सैल ऐडिएशन जीव विज्ञान	क्रोमोजोम वर्क स्टैशन स्वचालित फांडिग कांउटिग कार्यटाइपिंग बाइनोक्यूलर माइक्रोस्कोप इंटरएक्टिवएनालाइज़र स्कैनिंग नियंत्रण के लिए एम सी पी कक्ष

भूमि-विज्ञान

58	भू-विज्ञान विभाग, प्रैसीडेंसी कॉलेज, कलकत्ता	1984-85	कैम्ब्रियन पूर्व की कुछेक छालों में भूपपर्टी विकास और धातु जनन	आई सी पी एल आयनन द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर
59.	भू-विज्ञान विभाग, गुवाहाटी विश्वविद्यालय	1984-85	शैलविज्ञान (अवसादी, कायांतरी आग्नेय और कोयला)	ट्यूब सहित परमाण्वीय अवशोषण स्पेक्ट्रोमीटर ज्वाला फोटोमीटर, प्रतिबिंब विश्लेषक फोटो सूक्ष्मदर्शी प्रक्षेप संलग्नी सहित

1	2	3	4	5
60.	भू-विज्ञान विभाग, कुमाऊं विश्वविद्यालय	1984-85	बाहय् लघु हिमालय में गाउला नदी भू-जलीय, भूकायांतरी और वातावरणी आन्वेषण, प्रकृति के संसाधन और वातावरणीय निगलन, लघु हिमाचल की बाहरी रेंज का सुदूर सुग्राहयता द्वारा निर्माण	डी टी ए / डी टी जी एडीटिव कलर व्यूअर ट्रान्सफेक्सकोप (ए पी टी-1 टाइम)
61	भू-विज्ञान विभाग, एम. एस. विश्वविद्यालय बड़ौदा	1984-85	चतुर्थक भू-विज्ञान	परमाण्वीय अवशोषण स्पेक्ट्रोमीटर, ई डी एक्स गुणात्मक और मात्रात्मक विश्लेषकर (एस ई एम की संलग्नी), (एल के बी संलग्नी), एल के बी द्रव प्रस्फुरण (सी 14 और एच के लिए) डिज़िटल तरह का प्रतिरोधकता मीटर, नमूना संग्रहरण के लिए, सुवाहय, ड्रिलिंग यूनिट
62.	भू-विज्ञान विभाग, रूड़की विश्वविद्यालय	1984-85	इंजी,.भू भौतिकी इंजी. भू-जल विज्ञान, इंजी. भू-विज्ञान	चल प्रयोगशाला, आई सी पी एल. स्पेक्ट्रल आंकड़ा विश्लेषक
63	भू-विज्ञान विभाग, उस्मानीया विश्वविद्यालय	1984-85	अन्वेषण भू-भौतिकी	स्पंद ई एम तंत्र, बहु-सैंसर कूप-सेंसर यूनिट (सैंसर लगा ट्रक)
64.	भू-विज्ञान विभाग, जादवपुर विश्वविद्यालय	1984-85	आर्थिक भू-विज्ञान शैल विज्ञान खनिज और भू-विज्ञान	प्लाज्मा यूनिट युग्मित आगमनतः डी टी ए/ डी जी ए
65.	भू-विज्ञान विभाय, पंजाब विश्वविद्यालय	1986-87	एक्सप्लोरेशन भू-विज्ञान तथा भू-रसायन हिमालय का भू-विज्ञान	स्टीरियोस्कोपिक ऑफ इनोक्यूलर माइक्रोस्कोप सी पी सी मास स्पैक्ट्रोमीटर
66.	भू-विज्ञान विभाग, मैसूर विश्वविद्यालय	1987-88	प्रेलिइन्टोलॉजी तथा प्रिकैम्ब्रियन चट्टानों का भू-रसायन	माइक्रोस्कोप, इलैक्ट्रान प्रोब माइक्रोएनालाइज़ अटैचमैन्ट सहित चिलर, यूपीएस, लॉगीटैक (क)

1	2	3	4	5
67.	भू-विज्ञान विभाग बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	1987-88	माइक्रो पेलियन्टोलॉजी स्ट्रेटी ग्राफी	एस ई एम उपकरणों सहित
68.	अनप्रयुक्त भू-विज्ञान, विभाग, भारतीय स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद	1987-88	स्ट्रक्चरल भू-विज्ञान तथा खनन एक्सप्लोरेशन	एक्स आर डी टैक्सचर गोनियोमीटर सहित आईसपी सीक्वैन्टिरियल स्पैक्ट्रोमीटर लॉगीटैक कीटिंग व पालिश मशीन पर्वन की शक्ति के परिक्षण की मशीन
			गणित	
69.	गणित विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय	1984-85	संख्या सिद्धांत, अल्जेबरा विश्लेषण (शुद्ध गणित विभाग) द्रव गति विज्ञान	(अनुप्रयुक्त गणित विभाग)
70.	गणित विभाग, रामानुजन संस्थान मद्रास विश्वविद्यालय	1985-86	विश्लेषण, अल्जेबरा, ज्यामिती संस्थिति	-
71.	गणित विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय	1987-88	-	
72.	सांख्यिकी विभाग, पूना विश्वविद्यालय	1987-88	-	
73.	गणित तथा सांख्यिकी विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय	1987-88	-	
			इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी	
74.	सिविल इंजी. विभाग, रूड़की विश्वविद्यालय	1984-85	परिवहन इंजी. वातावरणीय इंजी. सुदूर सुग्राहयूता और फोटौग्रामैटिक इंजी.	परिवहन प्रयोगशाला के लिए, तापमान और आर्दता नियंत्रण तंत्र, बहुप्रयोजन चल प्रयोग शाला अंकीय प्रदायी पठन सहित पार्थिव आलेखित जुमट्रॉसफेरोस्कोप

1	2	3	4	5
75.	सिविल इंजी. विभाग भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर	1985-86	हाइड्रोमेकेनिक्स और जल संसाधन	त्रि-अक्षीय और सनपीडन परीक्षण सुविधा विभेदी थर्मल विश्लेषक और पृष्ठीक क्षेत्रफल मापन युक्ति लेसर डोपलर पवन वेगमापी, डाइनोमीटर टर्बाइन कैलकोरम आलेखित
76.	रसायनिक इंजी. अन्ना विश्वविद्यालय	1984-85	प्रक्रियव विकास--परिवहन प्रक्रियाएं, क्रिस्टल वृद्धि	गैस वर्ण लेख, परमाण्वीय अवशोषण स्पेक्ट्रोमीटर उच्च दाब द्रव वर्ण लेख, माड्यूली क्रिस्टल वृद्धि यूनिट परिचालन और टिल्टिंग प्रबंध युक्त विद्युत तख्त और ब्लोअर वाला रोटरी शुष्कक
77.	रसायनिक प्रौद्योगिकी विभाग, रसायन इंजीनियरी प्रभाग बंबई विश्वविद्यालय	1984-85	बहुचरण प्रतिक्रियाएं, बहुचरण रिएक्टर, पार्थक्य प्रक्रम पवन वेगमापी	फुरिए रूपांतर अवरत्क, द्रव नाइट्रोजन प्लांट झिल्ली-प्रक्रमों के लिए क्रोड सुविधाएं, लेसर डोप्लर एनीमोमीटर
78.	विद्युत इंजीनियरी विभाग, भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलौर	1984-85	पावर इलैक्ट्रोनिक्स और प्रपोद सुदूर सुग्राहयता सिग्नल और प्रतिबिंब प्रक्रम, स्नातकोत्तर शिक्षा	मिनी कंम्प्यूटर प्रणाली, तर्क विश्लेषक, करेंट ट्रांसड्यूसर उच्च वियोजन-वीसी आर सर्वण और सवगर्ण माकीटर सहित, वीसी आर और कैमरा के लिए बोर्ड पर शक्ति आपूर्ति आर जी वी वीडियों अंक रूपक, प्रतिबिंब संसाधन प्रणाली का विस्तार ।
79.	विद्युत इंजीनियरी विभाग रूड़की विश्वविद्यालय	1985-86	औद्योगिक यंत्रीकरण और पावर प्रणालियों, प्रक्रम-यंत्रीकरण पर बल देते हुए मापन और यंत्रीकरण	बहुप्रयोग संसाधित्र विकास प्रणाली, व्यापक प्रयोजन द्वि-अर्जन प्रणाली, फेरीफेरयल संलग्नी वाला कम्प्यूटर, रिलेयुक्त विद्युत व्यवस्था उद्दीपक

1	2	3	4	5
80.	इलैक्ट्रोनिक्स विभाग, प्रौद्योगिकी संस्थान बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	1984-85	माइक्रोवेव इंजीनियरी संचार व्यवस्था इंजीनियरी	सिगनल जेनरेटर डबलर, स्वचालित अदिश नेटवर्क विश्लेषक के, अस्यूच्च निर्वात तंत्र द्रव्य मान विश्लेषक और ओवन की सुविघायुक्त, चूषण पंप और डंबों आण्विक पंप, आण्विक गैस शोधक सहित हाइड्रोजन प्लांट, सम्पर्कहीन
81.	विद्युत संचार इंजीनियरी विभाग भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर	1984-85	कम्प्यूटर, साफ्टवेयर, हार्डवेयर और प्राकाशकीय संचार अंकय परिपथ	प्रतिरोधकता मापन उपकरण 32 बिटमिनी कम्प्यूटर, लेसर और उपसाधन फाइबर प्रकाशकीय परिक्षण सेट अप, प्रोग्राम योग्य अंकीय परीक्षण और मापन-यंत्र
82.	इलैक्ट्रोनिक्स इंजीनियरी विभाग, रूड़की विश्वविद्यालय	1985-86	संचार प्रणाली तथा नियंत्रण और दिशा निर्देश (चित्रों और वाकप्रक्रमण तथा अंकीय नियंत्रण पर बल)	स्पेक्ट्रम विश्लेषण, कैमरा और मानीटर सहित अंकीयचित्र संग्रह प्रणाली, 16- बिटमाइक्रो संसाधित अंकीयप्रणाली, अंकीय नेटवर्क विश्लेषक
83.	यांत्रिक और औद्योगिक इंजीनियरी विभाग रूड़की विश्वविद्यालय	1985-86	सी ए डी/सी ए एम वैल्डिंग इंजीनियरी, प्रशीतन और वातानुकूलन	सी एन सी/मिलिंग मशीन सी ए डी/सी ए एम सुविधा, 2- डी/3 ड्राफिटिंग सिस्टम सालिड और पृष्ठ प्रतिरूपण और विनिर्माण 6 एक्विंज रोबेट ड्राप्टिंगप्लोटर
84.	उत्पादन इंजीनियरी विभाग, जादवपुर विश्वविद्यालय बंगलौर	1985-86	विनिर्माण-प्रणालियां और रोबोटिक्स	डी. एन सी 11, विजनसिस्टम, आटो-इन्सपेक्ट सिस्टम, सेंसर और एक्यूएटर

1	2	3	4	5
85.	धात्विकी विभाग भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलौर	1985-86	खनिज प्रक्रमण, हाईड्रोधात्विकी पाइरो-धात्विकी, कम्प्यूटर माडलिंग, घात्विक कांच	समाधात टैस्टर, एक्स-2 डिप्रेक्टमीटर, लेथे और शापिंग मशीन, इलेक्ट्रॉन रासायनिक मापन कन्सोल, यूवी दृश्य से स्पेक्ट्रोमीटर, उच्च तापमान प्रतिबाधा स्पेक्ट्रोमीटर, गैसविश्लेषण वर्ण लेख, विश्लेषण क्रमवीक्षण इलेक्ट्रोन सूक्ष्मदर्शी
86.	धातु कर्मीय इंजीनियरी विभाग, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	1985-86	द्रुतपिंडन और धातु कांच विरूपण और विभव, प्रावस्था स्थायित्व और प्रावस्था रूपास्तरण प्रक्रम घात्विकी	पृष्ठीय क्षेत्रफल विश्लेषक, इन्स्टरोन परीक्षण मशीन आयतन, प्रसारमापी, मात्रात्मक, प्रतिबिंब विश्लेषक उच्च वेग मूवी कैमरा लेथे और मिलिंग मशीन
87.	भूकम्प इंजीनियरी विभाग, रूड़की विश्वविद्यालय	1984-85	सांरचनिक गतिविज्ञान, मुद्रा एंव शैल गति विज्ञान, इंजी. भूकम्प विज्ञान और सिन्टैक्टोनिक्स	सहायक व्यवस्था सहित 15 टी अधि-उध्वक्रास, उच्चवेग और उच्च नियोजन दत्त-अर्जन और प्रक्रम व्यवस्था जो वातानुकुलित आवासों सहित गतिशील परीक्षण ढांचे के लिए है, आधार सहित शेक टेबल प्लेटफार्म और माडल संरचना के लिए प्लेटफार्म, कंपन-परिक्षण/दत्त प्रक्रमण के लिए नियंत्रित पावर, आपूर्ति का मोटर ढांचा ।
88.	खनन इंजीनियरी विभाग भारतीय खनन स्कूल, धनबाद	1986-87	शैलमैकेनिक्स और भू-तलीय नियंत्रण, खनन प्रणालियां और	गति नियंत्रण के लिए लयोनार्डशब्द वाले सेट सहित संवातन, स्लेको और अग्नि एरोस के लिए तकनीकें खनन वातावरणसुदूर मानीटर, शैल-रव अध्यनिक शैल स्फोट सुविधा सुबाह्य कैरिंग रिंग ।

1	2	3	4	5
89.	खनन इंजीनियरी विभाग प्रौद्योगिकी संस्थान, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	1986-87	खनन योजना और डिजायन अन्वेषण और समुपयोजन	आगमनतः युग्मित प्लाज्मा उत्सर्जन स्पैक्ट्रोमीटर गण का आकार विश्लेषक और सिनसलिन-11 वायुवाहित धूल नापन यूनिट ।
90.	इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग जादवपुर विश्वविद्यालय	1986-87	शक्ति नियंत्रण पद्धति नाप तोल तथा यंत्रीकरण	सुपर माइक्रो कम्प्यूटर मल्टीटर्मिनल सुविधाओं सहित वास्तविक समय आंकडे एग्जीबिशन तथा स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क सुविधा सहित, मल्टीचैनल प्रोग्रामेबिल पोलीग्राफ इमेज प्रोसैसिंग सिस्टम, मिनी कम्प्यूटर
91	जल संसाधन के लिए केन्द्र अन्ना विश्वविद्यालय	1987-88	भूमि जल संसाधन तथा संसाधन प्रबन्ध	बोर होल डीप वाटर कैमरा वीसीआर तथा उपकरणों सहित जल गुण विश्लेषक मापक एएएस एस ए एस टैरामीटर लोगर यूनिट तथा वी ईएस सॉफ्टवेयर, एक्सप्लोरेशन रिंग ड्रैग बैलेन्सिंग कक्ष, इलेक्ट्रानिक दूरी मापक मीटर
92.	सिविल इंजीनियरिंग विभाग, जावदपुर विश्वविद्यालय	1987-88	स्ट्रक्चरल इंजीरियरिंग तथा संसाधन प्रबन्ध	एच तथा वी शेकमेजे, इलैक्ट्रानिक ट्राइएक्सिल वायूटनल मापक यंत्रों सहित/माइक्रो कम्प्यूटर सहित उपकरण
93.	कैमिकल, इंजीनियरिंग विभाग, भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलौर	1987-88	मल्टीफेज फिनौमिना	संगणक पद्धति वीडीयो पद्धति हाके विस्कोमीटर एचपीएलसी, प्रैशर रिएक्टर, लेसर होलोग्राफ मिनी मैक्स पोलीमर इवैल्यूशन पद्धति

1	2	3	4	5
94.	इलैक्ट्रानिक्स तथा संचार विभाग, कोचीन विश्वविद्यालय विज्ञान तथा तकनीकी	1987-88	माइक्रोप्रोसैसर एप्लीकेशन तथा माइक्रोवेव एन्टीना	इमेज स्कैनर सीएडी पद्धति (पी सी बी डिजाइन पद्धति) एलेन पद्धति, आरेफ नेटवर्क विश्लेषक पोलर डिस्प्ले आमिलरी शक्ति वितरण सहित ब्रॉडबैंडमाइक्रोवेटव कक्ष, माइक्रोवेव फ्रीक्वैक्सी काउन्टर
95.	फार्मास्यिउटिकल विज्ञान विभाग	1987-88	फार्मास्यिउटिकल रसायन तथा फार्माकोलॉजी	एचपीएलसी, एनेमार आई, यूवी-डबल बीम स्पैक्ट्रोफोटोमीटर, प्रीसियन पोलीरिमीटर कम्प्यूटराइज्ड एनीमल एक्टिविटी मानीटर उपकरणों सहित इलैक्ट्रोमैगनैटिक ब्लड फ्लड फ्लो मीटर
96.	मैटेलर्जीकल इंजीनियरिंग रूड़की विश्वविद्यालय	1987-88	धातु कास्टिग तकनीक	वैक्यूम इंडकशन मैल्टिंग कक्ष, 5 किलो क्षमता वैक्यूम 10-5 टॉर, घुलनशील गैस विश्लेषक (ओ एनेच) जल परिक्षण सुविधा, कोरोसिओर मीटर चैम्बर तथा पौटैन्शोस्टैट
97.	एयरो स्पेस विभाग, भारतीय विज्ञान संस्थान	1988-89		एयरोडायनोमिक्स
98.	चिकित्सा विज्ञान संस्थान, दिल्ली	1988-89	चिकित्सा विज्ञान कैंन्सर शोध	अध्यापन प्रशिक्षण, इलाज

रसायन शास्त्र एवम् विज्ञान

1.	भू-विज्ञान विभाग मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर	1989-90	टैक्टोनिक्सव व भू-रसायन	माइक्रोस्कोप प्रोजेक्शन अटैचमैंट के साथइमेज एनालाइजर, स्वचलित थिनिंग व पॉलिशिंग सेक्शन मशीन, टेबलटाप, स्कैनिंग इलैक्ट्रान माइक्रोस्कोप तथा ग्राइन्डर्स

1	2	3	4	5
2.	रसायन विज्ञान विभाग, उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद	1989-90	बायोऐक्टिव प्राकृतिक उत्पाद हैट्रोसाइलिक्स, काइनैटिक्स की इलैक्ट्रान स्थानांतरण प्रतिक्रियाएं तथा बायो-कोऑर्डिनेशन रसायन विज्ञान	90 एम. एच. जैड; एन. एम. आर. फ्लैश फोटोलाइसिस उपकरण यू. वी./विज/आई. आर. माइक्रोप्रोसैसर सहित स्पैक्ट्रोफोटोमीटर, पी.सी. /ए.टी.

गणित

1	2	3	4	5
1.	गणित विभाग बम्बई विश्वविद्यालय	1989-90	प्रोबेबीलिटि, एनालाइसिस एण्ड काम्बीनैट्रिक्स	2 पी.सी./ए.टी. टर्मिनल सहित
2.	गणित विभाग सम्बलपुर विश्वविद्यालय	1989-90	विश्लेषण व सापेक्षता	सी.पी.यू. 4 एम. बी. रैम व पेरीफेरियल्स सहित जैरोक्स मशीन
3.	गणित विभाग आंध्र विश्वविद्यालय	1989-90	विश्लेषण तथा संख्या सिद्धांत	पी. सी. एस.-3 जैरोक्स/इलैक्ट्रॉनिक टाइपिंग मशीनें
4.	गणित विभाग जोधपुर विश्वविद्यालय	1989-90	विशेष प्रणालियां एम.एच.डी. फ्लूयड़ गतिविज्ञान	4 एम. बी. रैम तथा पेरीफेरियल्स सहित सी. पी. यू.

सांख्यिकी

1	2	3	4	5
1.	सांख्यिकी विभाग कर्नाटक विश्वविद्यालय	1989-90	प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रैन्स मल्टीवेरियेट, एनालाइसिस	4 एम. बी. रैम तथा अन्य सहायक उपकरण सॉफ्टवेयर सहित कम्प्यूटर प्रौसैसिंग यूनिट
2.	सांख्यिकी विभाग कलकत्ता विश्वविद्यालय	1989-90	प्रोबेबलिटी, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रैन्स ऑप्रेशन्स रिसर्च तथा क्वालिटि कन्ट्रोल, मल्टीवेरियेट एनालाइसिस	4 एम. बी. रैम तथा अन्य सहायक उपकरणों सहित जैरोक्स मशीन
3.	सांख्यिकी विभाग कर्नाटक विश्वविद्यालय	1989-90	स्टैटिस्टिकल इन्फ्रैन्स इन स्टौकास्टिक प्रोसैस, जनसंख्या अध्ययन	4 एम. बी. रैम तथा अन्य सहायक उपकरणों सहित सी. पी. यू.

1	2	3	4	5
			वनस्पति विज्ञान	
1.	वनस्पति विभाग, इलाहबाद	1989-90	पेलियो बॉटनी-मार्फोलॉजी माइक्रोबॉयोलॉजी-माइकोलॉजी प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी	व्हीकल, स्टीरियो माइक्रोस्कोप स्टीरियो बायोनुकूलर माइक्रोस्कोप काल्ड रूप असेम्बली, टैम्पह्यूमिडिटी कंट्रोल उपकरण सहित ग्लास हाउस सेंट्रीफ्यूज क्लाइमेटाइजरआमिनो एसिड एनालाइजर स्वचालित फीजिंग माइक्रोटॉम
2.	वनस्पति विज्ञान विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय	1989-90	प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट जेनेटिक्स एंव प्लांट वायरोलॉजी	यू. वी-वी. आई. एस. स्पैक्ट्रोफोटोमीटर पोर्टेबलअल्ट्रासेंट्रीफ्यूज, गामा काउन्टर इनवर्ट फेज़ कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप रिसर्च फोटो माइक्रोस्कोप
3.	जेनेटिक्स विभाग, उस्मानिया विश्वविद्यालय	1989-90	प्लांट जेनेटिक्स तथा टिश्यू कल्चर	प्रीपेरेट्रीफ्यूज, प्लांट ग्रोथ चैम्बर अल्ट्रासैन्ट्रीफ्यूज (एफ. पी. एल. सी. उपकरण सी. ओ. 2 इन्क्यूबेटर्स)
4.	वनस्पति विज्ञान पादप आणविक जीवविज्ञान विभाग दक्षिण परिसर, दिल्ली विश्वविद्यालय	1990-91	पादप आणविक जीव विज्ञान	अल्ट्रासेन्ट्रीफ्यूज हाईस्पीड रेफ्रीजरेरिटिड सेन्ट्रीफ्यूज, ग्रोथ चेम्बर

परिशिष्ट-XVI

विषयों की सूची : 20 जनवरी, 1991 को आयोजित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति तथा प्रवक्ता पात्रता परीक्षा

क्रम संख्या	विषय	संकेत संख्या
1.	अर्थशास्त्र	01
	ग्रामीण अर्थशास्त्र	01ए
	सहकारिता	01बी
	डैमोग्राफी	01सी
	विकास योजना/विकास अध्ययन	01डी
	इकोनोमिट्रिक्स	01ई
	अनुप्रयुक्त अर्थशास्त्र	01एफ
	विकास अर्थशास्त्र	01जी
	व्यापार अर्थशास्त्र	01 एच
2.	राजनीतिशास्त्र	02
3.	दर्शनशास्त्र, द. भारतीय दर्शन/अध्ययन सहित	03/03ए
4.	मनोविज्ञान	04
5.	समाजशास्त्र	05
	ग्रामीण समाजशास्त्र	05 ए
	ग्रामीण सेवाएं	05 बी
	समाज डायनैमिक्स सहित	05 सी
6.	इतिहास	06
7.	मानवशास्त्र (एन्थ्रोपोलॉजी)	07
8.	वाणिज्य	08ए
	लेखा तथा व्यापार सांख्यिकी सहित	08 ए
9.	शिक्षा	09
10.	समाज कार्य	10

परिशिष्ट-XVI (क्रमशः)

क्रम संख्या	विषय	संकेत संख्या
11.	सुरक्षा सहित अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन/अंतर्राष्ट्रीय संबंध/ कूटनीति अध्ययन	11
12.	गृहविज्ञान	12
13.	ग्रामीण विकास	13
14.	लोक प्रशासन	14
15.	जनसंख्या अध्ययन	15
16.	संगीत, हिन्दुस्तानी, कर्नाटक वोकल इंस्ट्रूमैन्ट हिंदुस्तानी, परक्यूशन, संगीतशास्त्र तथा रवीन्द्र संगीत सहित	16
17.	प्रबंध (व्यापार प्रशासन, प्रबंध विपणन/विपणन प्रबंध/उद्योग संबंध तथा कार्मिक प्रबंध/कार्मिक प्रबंध/वित्तीय प्रबंध/तथा सहकारिता प्रबंध सहित)	17
18.	मैथिली	18
19.	बंगाली	19
20.	हिन्दी	20
21.	कन्नड़	21
22.	मलयालम	22
23	उड़िया	23
24.	पंजाबी	24
25	संस्कृत	25
26	तमिल	26
27	तेलुगू	27
28.	उर्दू	28
29.	अरबी	29
30.	अंग्रेजी	30
31.	भाषाविज्ञान	31

परिशिष्ट-XVI (क्रमशः)

क्रम संख्या	विषय	संकेत संख्या
32.	चीनी	32
33.	डोगरी	33
34.	नेपाली	34
35.	मणिपुरी	35
36.	असमिया	36
37.	गुजराती	37
38.	मराठी	38
39.	फ्रैंच	39
40.	स्पैनिश	40
41.	रशियन	41
42.	पर्शियन	42
43.	राजस्थानी	43
44.	जर्मन	44
45.	जापानी	45
46.	प्रौढ़ शिक्षा/सतत् शिक्षा/एन्ड्रोगोगी/अनौपचारिक शिक्षा	46
47.	शारीरिक शिक्षा	47
48.	कार्य शिक्षा	48
49.	अरब संस्कृति	49
50.	भारतीय संस्कृति	50
51.	इस्लामी अध्ययन	51
52.	पश्चिमी एशिया अध्ययन	52
53.	दक्षिण पूर्वी एशिया अध्ययन	53
54.	अफ्रीका अध्ययन	54

परिशिष्ट-XVI (क्रमशः)

क्रम संख्या	विषय	संकेत संख्या
55.	श्रम कल्याण तथा आद्योगिक संबंध/श्रम तथा/ समाज कल्याण/ मानव	55
56.	दक्षिण एशिया अध्ययन	56
57.	रूसी अध्ययन	57
58.	विधि	58
59.	पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान	59
60.	गांधीवादी विचारधारी/शान्ति अध्ययन	60
61.	बौद्ध अध्ययन	61
62.	धार्मिक अध्ययन/थियोलॉजी	62
63.	जन संचार एवं पत्रकारिता	63
64.	कम्यूनिकेटिव अंग्रेजी	64
65.	नाट्य कला (परफोर्मिंग आर्ट)	65
	नृत्य	65 ए
	नाटक/थिएटर	65 बी
66.	संग्रहालय विज्ञान	66
67.	पुरातत्व विज्ञान	67
68.	अपराध विज्ञान	68
69.	तमिल एवं भारतीय संस्कृति	69
70.	आदिवासी एवं क्षेत्रीय भाषाएं/साहित्य	70
71.	लोक साहित्य	71
72.	तुलनात्मक साहित्य	72
73.	ज्योतिष	73 ए
	सिद्धान्त ज्योतिष	73 बी
	नव्य व्याकरण	73 सी
	मीमांसा	73 डी

परिशिष्ट-XVI (क्रमशः)

क्रम संख्या	विषय	संकेत संख्या
	नव्य न्याय	73 ई
	सांख्य योग	73 एफ
	तुलनात्मक दर्शन	73 जी
	शुक्ल यजुर्वेद	73 एच
	माधव वेदान्त	73 आई
	धर्मशास्त्र	73 जे
	साहित्य	73 के
	पुराना इतिहास	73 एल
	अगम	73 एम
	व्याकरण	73 एन
74.	महिला अध्ययन	74
75.	शहरी तथा क्षेत्रीय योजना	75
76.	संसाधन विकास	76
77.	वाणी तथा श्रवण	77
78.	प्राकृत तथा टैक्नोलॉजी (अर्द्धमगधी सहित)	78
79.	दृश्य कला	79
	ड्राइंग तथा पेंटिंग	79 ए
	ललित कला	79 बी
	कला का साहित्य	79 सी
80.	मानव/भूगोल	80
81.	सामाजिक औषध तथा समाज स्वास्थ्य	81
82.	फारैन्सिक विज्ञान	82
83.	पाली	83
84.	कश्मीरी	84
85.	कोंकणी	85

परिशिष्ट -XVII

उन विज्ञान विषयों की सूची जिनके लिए कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति पात्रता हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा सी०एस०आई०आर० ने संयुक्त रूप से 30 जून, 1990 को परीक्षा आयोजित की थी ।

क्र०सं०	विषय	संकेत संख्या
01.	रसायनिक विज्ञान	01
02.	वायुमण्डलीय, सामुद्रिक एवम् ग्राहीय विज्ञान	02
03.	जीवन विज्ञान	03
04.	गणितीय विज्ञान :	
	(क) गणित	04
	(ख) सांख्यिकी	05
05.	भौतिकीय विज्ञान	06

परिशिष्ट-XVIII

उन विज्ञान विषयों की सूची जिनके लिए कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति व प्राध्यापक पात्रता हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा सी. एस. आई. आर. ने संयुक्त रूप से 30 दिसम्बर, 1990 को परीक्षा आयोजित की थी ।

क्र. सं.	विषय	संकेत संख्या
1.	रसायनिक विज्ञान	01
2.	वायु मण्डलीय, सामुद्रिक एवम् ग्राहीय विज्ञान	02
3.	अभियांत्रिकी विज्ञान	03
4.	जीवन विज्ञान विषय	04
5.	गणितीय विज्ञान :	
	(क) गणित	05
	(ख) सांख्यिकी	06
6.	भौतिकीय विज्ञान	07

परिशिष्ट-XIX

मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान विषयों में उच्च अध्ययन केन्द्रों की सूची 31.3.1991 तक

क्र.सं.	विषय	विश्वविद्यालय/संस्थान	विशेषज्ञता का क्षेत्र
1.	अर्थशास्त्र	बम्बई विश्वविद्यालय	लोक वित्त तथा औद्योगिक अर्थशास्त्र
2.	अर्थशास्त्र	दिल्ली विश्वविद्यालय	विकास का अर्थशस्त्र तथा आर्थिक इतिहास
3.	अर्थशास्त्र	गोखले संस्थान	कृषि अर्थशास्त्र
4.	भाषा विज्ञान	अन्नामलाई विश्वविद्यालय	द्रविड़ भाषा विज्ञान
5.	इतिहास	अलीगढ़ मुस्लिम, विश्वविद्यालय,अलीगढ़	मध्यकालीन भारतीय इतिहास
6.	संस्कृत	पूना विश्वविद्यालय	संस्कृत साहित्य
7.	दर्शन	मद्रास विश्वविद्यालय	दर्शन की अद्वैत तथा समरूप पद्वतियां
8.	शिक्षा	एम. एस. विश्वविद्यालय, बड़ौदा	शैक्षिक अनुसंधान
9.	मनोविज्ञान	उत्कल विश्वविद्यालय,	शैक्षिक तथा सामाजिक मनोविज्ञान
10.	मनोविज्ञान	इलाहाबाद विश्वविद्यालय,	1. अनुप्रयुक्त एंव परीक्षणात्मक सामाजिक मनोविज्ञान 2. संगठनात्मक मनोविज्ञान
11.	समाजशास्त्र	दिल्ली विश्वविद्यालय,	समाजशास्त्र
12.	पुरातत्व विज्ञान	डेक्कन कॉलेज, पुणे	भारतीय पुरात्तव विज्ञान
13.	दर्शन	जादवपुर विश्वविद्यालय	1. भारतीय तथा पश्चिमी-ज्ञान के सिद्वांत एवं वास्तविकता 2. भारतीय तथा पश्चिमी तर्कशास्त्र तथा भाषा 3. भारतीय तथा पश्चिमी नीति शास्त्र, धर्म, समाजिक एवं राजनैतिक दर्शन 4. मस्तिष्क का दर्शन
14.	मानवशास्त्र	रांची विश्वविद्यालय, रांची	1. मानवशास्त्र के सिद्वांत तथा पद्वति में उच्च अध्ययन 2. सूक्ष्म विश्लेषण पद्वति
15.	भाषाशास्त्र	उस्मानिया विश्वविद्यालय	1. इतिहास तथा तुलनात्मक पद्वति (भारतीय-आर्य तथा द्रविड) 2. फोनॉटिक्स (भाषाशास्त्र तथा प्रयोगात्मक) 3. सम्पर्क एवं केंद्रमुख अध्ययन मध्य एशिया में मुण्डा, द्रविड़ तथा भारतीय आर्य भाषाओं के विशेष संदर्भ मेंअध्ययन 4. सामाजिक भाषाशास्त्र तथा अनुप्रयुक्त भाषा शिक्षण साक्षरता तथा अनुवाद के विशेष संदर्भ में 5. मनोवैज्ञानिक भाषाशास्त्र
16.	गुजराती	एस. एन. डी. टी. महिला विश्वविद्यालय	आधुनिक गुजराती साहित्य

परिशिष्ट-XX

मानविकी तथा समाज विज्ञान विषयों में विशेष सहायता प्राप्त विभागों की सूची (31.3.1991)

क्र० सं०	विषय	विश्वविद्यालय/संस्थान	विशेषता का क्षेत्र
1.	वाणिज्य	अलीगढ मुस्लिम	1. पिछड़े क्षेत्रों तथा कमजोर वर्गों में उद्यमियों का अध्ययन 2. शक्ति तथा जल प्रबन्ध
2.	वाणिज्य	आंध्र विश्वविद्यालय	1. आंध्र प्रदेश में स्थानीय उद्योगों की समस्याओं का अन्वेष
3.	वाणिज्य	इलाहाबाद	1. वित्त तथा लेखे 2. सार्वजनिक उद्यम प्रबन्ध 1. बाजार
4.	वाणिज्य	बनारस हिन्दू	1. बैंकिंग बीमा तथा वित्त का संयुक्त अध्ययन
5.	वाणिज्य	कलकत्ता विश्वविद्यालय	1. लेखे तथा वित्त 2. आथिक वातावरण तथा मानव संसाधन विकास
6.	वाणिज्य	दिल्ली विश्वविद्यालय	1. लेखा तथा वित्त 2. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 3. संगठनात्मक व्यवहार/मानव संबंध
7.	वाणिज्य	गौहाटी विश्वविद्यालय	1. ग्रामीण विकास 2. लेखा तथा वित्त
8.	वाणिज्य	राजस्थान विश्वविद्यालय	1. लेखा तथा वाणिज्य आंकडों की प्रक्रिया 2. ग्रामीण प्रबंध 3. बैंकिंग तथा संस्थानों का वित्त
9.	अर्थशास्त्र	आंध्र विश्वविद्यालय	1. कृषि अर्थशास्त्र एंव सहकारिता 2. क्षेत्रीय एंव नगर अर्थशास्त्र 3. लोक अर्थशास्त्र
10.	अर्थशास्त्र	कलकत्ता विश्वविद्यालय	नगरीय अर्थशास्त्र

क्र० सं०	विषय	विश्वविद्यालय/संस्थान	विशेषता का क्षेत्र
11.	अर्थशास्त्र	जादवपुर विश्वविद्यालय	1. क्षेत्रीय आर्थिक अध्ययन विशेष संदर्भ में (क) व्यापार तथा उद्योग (ख) यातायात ऊर्जा
12.	अर्थशास्त्र	एम.एस. विश्वविद्यालय बड़ौदा	1. शिक्षा का अर्थशास्त्र एंव मानव संसाधन 2. भारतीय अर्थ की उत्पादन पद्यति
13.	अर्थशास्त्र	मराठवाड़ा विश्वविद्यालय	1. क्षेत्रीय विकास 2. कृषि अर्थशास्त्र 3. अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र
14.	अर्थशास्त्र	प्रैज़ीडैन्सी कॉलेज, कलकता	1. भारतीय अर्थशास्त्र
15.	अर्थशास्त्र	पंजाबी विश्वविद्यालय	1. क्षेत्रीय अर्थशास्त्र 2. समाजवाद का अर्थशास्त्र
16.	अर्थशास्त्र	श्री वेंकेटेश्वर	1. श्रम अर्थशास्त्र 2. कृषि अर्थशास्त्र
17.	अर्थशास्त्र	सरदार पटेल	1. कृषि अर्थशास्त्र
18.	अर्थशास्त्र	उस्मानिया	2. योजना का अर्थशास्त्र
19.	अर्थशास्त्र	मद्रास विश्वविद्यालय	1. अनुप्रयुक्त कल्याण एवं अनुप्रयुक्त विकास का अर्थशास्त्र
20.	अर्थशास्त्र	उत्कल विश्वविद्यालय	1. ग्रामीण विकास तथा क्षेत्रीय योजना
21.	अर्थशास्त्र	राजस्थान विश्वविद्यालय	1. आर्थिक विकास विषय, राजस्थान अर्थ के विषय सन्दर्भ में
22.	अर्थशास्त्र	जवाहरलाल नेहरू	1. योजना तथा औद्योगीकरण 2. व्यापार एवम् विकास
23.	राजनीति विज्ञान	कलकत्ता विश्वविद्यालय	भारतीय राजनीति- क्षेत्रीय राजनीति के विशेष सन्दर्भ में

परिशिष्ट-XX (क्रमशः)

क्र० सं०	विषय	विश्वविद्यालय/संस्थान	विशेषता का क्षेत्र
24.	राजनीति विज्ञान	दिल्ली विश्वविद्यालय	1. भारतीय राजनैतिक अध्ययन 2. शान्ति अध्ययन 3. राजनैतिक सिद्धान्त 4. राजनीति एंव विकासशील देश 5. भारत में प्रशासन विकास
25.	राजनीति विज्ञान	जादवपुर विश्वविद्यालय	1. अंतर्राष्ट्रीय संबंध 2. रक्षा तथा सामरिक अध्ययन
26.	राजनीति विज्ञान	एम.एस. विश्वविद्यालय बड़ौदा	1. अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनैतिक अर्थव्यवस्था, विश्व स्तर पर अध्ययन 2. विदेश नीति का तुलनात्मक अध्ययन, विशेष तौर से भारतीय विदेश नीति के विश्लेषण पर प्रकाश डालते हुए 3. अंतर्राष्ट्रीय संगठन एंव समकालीन अंतर्राष्ट्रीय विधि आदेशों का पालन आयाम
27.	राजनीति विज्ञान	हैदराबाद विश्वविद्यालय	1. तीसरी दुनियां के देशों के सन्दर्भ में अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन 2. समाजवादी सिद्धान्त तथा कार्यक्रमों के सन्दर्भ में राजनीतिक सिद्धान्त
28.	राजनीति विज्ञान	राजस्थान विश्वविद्यालय	भारत में भारतीय राजनैतिक परंपरा एंव समकालीन ढांचा तथा पद्वति एवं भारत में इसकी कार्य प्रणाली
29.	राजनीति तथा लोक प्रशासन	पूना विश्वविद्यालय	भारत सरकार, राजनीति तथा प्रशासन, महाराष्ट्र के विशेष संदर्भ में
30.	प्राचीन इतिहास	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	1. भारत का सामाजिक आर्थिक इतिहास 2. पुरातत्वशास्त्र

परिशिष्ट-XX (क्रमशः)

क्र० सं०	विषय	विश्वविद्यालय/संस्थान	विशेषता का क्षेत्र
31.	आधुनिक इतिहास	कलकत्ता विश्वविद्यालय	1. आधुनिक भारत का आर्थिक इतिहास 2. आधुनिक भारतीय इतिहास कृषि सुधार इतिहास, सामाजिक इतिहास एंव बुद्विमानों का इतिहास
32.	इतिहास एवम् पुरातत्वशास्त्र	कर्नाटक विश्वविद्यालय	कला पुरातत्व विज्ञान एवम् लोकप्रिय लोक संस्कृति
33.	इतिहास	एम. एस. विश्वविद्यालय बड़ौदा	1. आधुनिक भारत का इतिहास एंव पुरातत्व विज्ञान 2. मध्यकालीन कला, पुरातत्व विज्ञान शिला लेख विद्या एंव टक विद्या
34.	इतिहास	मैसूर विश्वविद्यालय	आधुनिक दक्षिण भारतीय इतिहास की समस्याएं, उस क्षेत्र का सामाजिक अर्थशास्त्रीय इतिहास1 के विशेष सन्दर्भ में
35.	ए. आई. एच.सी. एवम् पुरातत्वशास्त्र	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	1. ऐतिहासिक और पुरातत्वशास्त्र के स्रोत तथा सनर्हत्यक स्रोत
36.	कला इतिहास	एम.एस. विश्वविद्यालय	भारतीय व पश्चिमी कला वस्तुशास्त्र तथा वस्तुशिल्प के विशेष सन्दर्भ में
37.	इतिहास	जवाहरलाल नेहरू	भारतीय इतिहास
38.	इतिहास	पटना विश्वविद्यालय	मध्यकालीन भारत का सामाजिक अर्थशास्त्रीय इतिहास, नगरीय समस्याओं के विशेष सन्दर्भ में
39.	इतिहास	हैदराबाद विश्वविद्यालय	दक्षिण का विभिन्न कालों में सामाजिक तथा सांस्कृतिक इतिहास
40.	इतिहास	दिल्ली विश्वविद्यालय	भारत का सामाजिक एवम् आर्थिक इतिहास
41.	इतिहास	गुजरात विद्यापीठ	1. स्वतन्त्रता का इतिहास 2. पुरातत्व का इतिहास
42.	दर्शन	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	1. भारतीय दर्शन की विभिन्न धाराऐं भारतीय संस्कृति के सन्दर्भ में 2. भारतीय धर्म तुलनात्मक सुधार के साथ 3. भाषा व्याकरण का दर्शन

क्र० सं०	विषय	विश्वविद्यालय/संस्थान	विशेषता का क्षेत्र
43.	दर्शन	दिल्ली विश्वविद्यालय	1. भारतीय तर्कशास्त्रीय तथा एपिस्टोमोलॉजी, भाषा के दर्शन सहित 2. सामाजिक दर्शन-भारतीय विचारों के विशेष सन्दर्भ में
44.	दर्शन	पंजाब विश्वविद्यालय	1. सामाजिक दर्शन-सामाजिक विचार सहित भारतीय सामाजिक यर्थात के सन्दर्भ में 2. संस्कृति का दर्शन, सौंदर्यशास्त्र एंव नीतिशास्त्र सहित भारतीय दार्शनिक परंपराओं के विशेष सन्दर्भ में
45.	दर्शन	राजस्थान विश्वविद्यालय	1. विज्ञान का दर्शन एंव तर्कशास्त्र 1. भारतीय दर्शन 1. विधिशास्त्र का दर्शन
46.	दर्शन	विश्व भारती	1. कला तथा संस्कृत का दर्शन 2. अध्यात्म विद्या तथा धर्म
47.	दर्शन	उत्कल विश्वविद्यालय	1. मूलभूत मूल्यों का विश्लेषणात्मक अध्ययन 2. भारतीय दर्शन के मूलभूत सन्दर्भ में विश्लेषणात्मक अध्ययन
48.	दर्शन	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	1. वेदान्त की धाराऐं 2. तर्कशास्त्र एंव एपिस्टोमालॉजी
49.	दर्शन	आन्ध्र विश्वविद्यालय	दर्शन, धर्म तथा संस्कृति-वेदान्त एंव बौद्ध धर्म के विशेष सन्दर्भ में
50.	दर्शन	पूना विश्वविद्यालय	1. विज्ञान का तर्कशास्त्र, तथा दर्शन 2. भारतीय शास्त्रीय दर्शन 3. सामाजिक-सांस्कृतिक तथा नैतिक दर्शन
51.	समाज कार्य	एम.एस. विश्वविद्यालय बडौदा	गरीबी हटाओं तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रम
52.	समाज कार्य	दिल्ली विश्वविद्यालय	सामाजिक नीति, विकास तथा सामाजिव कार्य प्रक्रिया का नया रूप

परिशिष्ट-XX (क्रमशः)

क्र० सं०	विषय	विश्वविद्यालय/संस्थान	विशेषता का क्षेत्र
53.	समाज शास्त्र	जामिया मिलिया इस्लामिया	सामाजिक एवम् मानव संसाधन
54.	सामजशास्त्र	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	1. विकास एंव आधुनिकरण का समाज शास्त्र
			2. व्यवसाय तथा व्यावसायिकता का सामजशास्त्र
			3. सामाजिक गतिविधियां तथा गति का समाजशास्त्र
			4. कृषि ढांचे तथा पद्धति का समाज शास्त्र
			5. सीमावर्ती वर्ग का अध्ययन, अल्पसंख्यक तथा नीतिशास्त्र संबंधी समुदाय
55.	समाजशास्त्र	पंजाब विश्वविद्यालय	1. विकास अध्ययन
			2. नगरीय अध्ययन
			3. जनसंख्या अध्ययन
56.	समाजशास्त्र	रविशंकर विश्वविद्यालय	लोक संगीत तथा पारंपरिक संस्कृति में सतत् परिवर्तन निम्नलिखित के सन्दर्भ में
			1. परम्परागत लोक संस्कृति का अध्ययन
			2. प्रमुख परम्पराओं का अध्ययन
			3. भारतीय समाज की गतिशीलता
57.	समाजशास्त्र	बंगलौर विश्वविद्यालय	1. ग्रामीण परिवर्तन की गतिशीलता
			1. संस्थानों के विकास की पद्धति
58.	समाजशास्त्र	उस्मानिया विश्वविद्यालय	ग्रामीण नगरीय विकास
59.	समाजशास्त्र	पूना विश्वविद्यालय	विकास का समाजशास्त्र
60.	समाजशास्त्र	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	ग्रामीण परिवर्तन एंव क्षेत्रवाद, उ.प्र. के तुलनात्मक स्वरूप के विशेष सन्दर्भ में

परिशिष्ट-XX (क्रमशः)

क्र० सं०	विषय	विश्वविद्यालय/संस्थान	विशेषता का क्षेत्र
61.	मनोविज्ञान	दिल्ली विश्वविद्यालय	1. निश्चित पद्धति 1. अनुप्रयुक्त सामाजिक मनोविज्ञान
62.	मनोविज्ञान	बंगलौर विश्वविद्यालय	मानव संसाधन विकास एवम् मनोवैज्ञानिक कल्याण
63.	मनोविज्ञान	गोरखपुर विश्वविद्यालय	1. मानव विकास का वातावरण 2. प्रयोगात्मक सैद्धांतिक मनोविज्ञान
64.	मनोविज्ञान	श्री वेंकेन्टश्वर विश्वविद्यालय	प्रौढ होने के विशेष सन्दर्भ में मनोविज्ञान जीवन विस्तार विकास मनोविज्ञान
65.	मानवशास्त्र	दिल्ली विश्वविद्यालय	मानव इकोलॉजी
66.	मानवशास्त्र	पंजाबी विश्वविद्यालय	उत्तर पश्चिमी भारत का मानव शास्त्र, जीव विज्ञान तथा सामाजिक पृष्ठभूमि में (पंजाब, हरियाणा, तथा हिमाचल प्रदेश के विशेष सन्दर्भ में)
67.	मानवशास्त्र	उत्कल विश्वविद्यालय	क्षेत्रीय विकास का मानवशास्त्र उड़ीसा के विशेष संदर्भ में
68.	शिक्षा	एच.पी. विश्वविद्यालय	वंचितों की शिक्षा
69.	शिक्षा	केरल विश्वविद्यालय	शिक्षण तकनीक एंव पाठ्यक्रम सीखने का अध्ययन
70.	शिक्षा	कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय	1. शैक्षिक प्रबन्ध 1. शैक्षिक तकनीक
71.	भाषाशास्त्र	दिल्ली विश्वविद्यालय	1. भाषाशास्त्र के सिद्धान्त 1. सामाजिक भाषाशास्त्र 1. अनुप्रयुक्त भाषाशास्त्र

परिशिष्ट-XX (क्रमशः)

क्र० सं०	विषय	विश्वविद्यालय/संस्थान	विशेषता का क्षेत्र
72.	भाषाशास्त्र	डक्कन महाविद्यालाय	1. प्रयोगात्मक स्वरशास्त्र तथा उच्चारणशास्त्र 2. दक्षिण एशिया भाषाशास्त्र का व्याकरण तथा सिमैन्टिक्स
73.	अंग्रेजी	जादवपुर विश्वविद्यालय	पुर्नजागरण अध्ययन/19 वीं शताब्दी का अध्ययन/अनुवाद के सिद्वान्त तथा प्रयोग
74.	संस्कृत	जादवपुर विश्वविद्यालय	1. साहित्य तथा साहित्यिक आलोचना तथा भाषा का दर्शन 2. भारतीय दर्शन शास्त्र
75.	संस्कृत	कर्नाटक विश्वविद्यालय	1. साहित्यिक, साहित्यिक आलोचना 2. दर्शन की वेदान्त पद्वति
76.	बौद्व अध्ययन	दिल्ली विश्वविद्यालय	1. पाली भाषा पर आधारित बौद्व धर्म 2. संस्कृत (हाईबर्ड) पर आधारित बौद्व धर्म व बौद्व दर्शन 3. दर्शन का इतिहास, कला, वस्तुशिल्प तथा संस्कृति
77.	तुलनात्मक साहित्य	जादवपुर विश्वविद्यालय	1. तुलनात्मक भारतीय साहित्य 2. तृतीय विश्व साहित्य 3. अनुवाद 4. पूर्व-पश्चिम संबंध
78.	उर्दू	कश्मीर विश्वविद्यालय	1. उर्दू साहित्य संस्कृति विद्याकश्मीरी भाषा के विशेष सन्दर्भ में 2. उर्दू पत्रकारिता तथा जनसंपर्क

परिशिष्ट-XX (क्रमशः)

क्र० सं०	विषय	विश्वविद्यालय/संस्थान	विशेषता का क्षेत्र
79.	उर्दू	उस्मानियां विश्वविद्यालय	दक्खिनी भाषा तथा साहित्य
80.	अरबी	अलीगढ़ मुस्लिम	1. आधुनिक अरबी साहित्य 2. भारतीय-अरबी साहित्य एंव संबंध
81.	तेलुगु	श्री बेंकेटश्वर विश्वविद्यालय	1. लोक धुन कथा अध्ययन दक्षिण भारतीय साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन
82.	तमिल	मदुरै कामराज विश्वविद्यालय	1. भारतीय साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन 2. तमिलनाडु की लोक धुन कथा अध्ययन 3. क्षेत्रीय जनसंचार
83.	पंजाबी	पंजाबी विश्वविद्यालय	1. पंजाबी साहित्य में फारसी तथा संस्कृति संसाधन 2. कविता-संस्कृत तथा पश्चिमी लोक गीत तथा सिमिओटिक्स 3. तुलनात्मक साहित्य (आधुनिक भारतीय भाषाओं के सन्दर्भ में समालोचना में पाठ्यक्रम
84.	हिन्दी	सरदार पटेल	1. साहित्य पर भाषाशास्त्र एंव भाषा की पहुंच 2. तुलनात्मक साहित्य 3. नाटक एंव नाट्य विद्या
85.	हिन्दी	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	आधुनिक भारतीय कविता
86.	गुजराती	एस.एन.डी.टी. महिला	आधुनिक गुजराती साहित्य
87.	बंगाली	बर्धवान विश्वविद्यालय	1. राड की भाषा और संस्कृति 2. पूर्वि भारत की भाषाओं के साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन
88.	उड़िया	सम्बलपुर विश्वविद्यालय	लोक साहित्य, तुलनात्मक साहित्य आधुनिक साहित्य(कविता, कहानी आदि)
89.	कन्नड़	मैसूर विश्वविद्यालय	1. तुलनात्मक साहित्य 2. शास्त्रीय अध्ययन 3. लोक धुन

परिशिष्ट-XX (क्रमशः)

क्र० सं०	विषय	विश्वविद्यालय/संस्थान	विशेषता का क्षेत्र
90.	मलयालम	केरल विश्वविद्यालय	1. तुलनात्मक भारतीय साहित्य तथा साहित्य आलोचना 2. तुलनात्मक भाषा अध्ययन 3. साहित्यिक पुर्नजागरण संस्कृतिक दृष्टिकोण 4. लोक धुन अध्ययन 5. चीनी अध्ययन, थियोमैटिक अध्ययन, इपोच तथा काल अध्ययन
91.	जन संचार एंव पत्रकारिता	उस्मानिया	छपाई तथा संचार शोध
92.	जनसंचार एंव पत्रकारिता	बंगलौर विश्वविद्यालय	दृश्य-श्रवय शोध
93.	जन संचार एंव पत्रकारिता	बनारस हिन्दू	विकास संचार
94.	विधि	दिल्ली विश्वविद्यालय	1. कराधान सहित अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार विधि 2. विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवम् पर्यावरण विधि, विधि एवम् विकास

परिशिष्ट-XXI

विभागीय अनुसंधान सहायता - मानविकी एंव सामाजिक विज्ञान 31-03-1991 तक

क्र. सं.	विश्वविद्यालय/संस्थान		विशेषता का क्षेत्र
1.	मराठी	मराठवाड़ा	प्राचीन साहित्य-मानुभाव आधुनिक साहित्य, लोक साहित्य
2.	असमिया	गौहाटी	मयांग तथा डूम क्षेत्र की बोली का सर्वेक्षण, प्राचीन पाण्डुलिपी का संपादन, लोकधुनल सामग्री अध्ययन का संचय एंव विश्लेषण। दक्षिण कामरूप एंव दक्षिण गोलपाड़ा की भाषाओं में भिन्नता का अध्ययन ।
3.	संगीत एंव संगीतशास्त्र	बनारस हिन्दू	संगीत एवम् संगीतशास्त्र
4.	शिक्षा	एस. एन. डी. टी. महिला विश्वविद्यालय	शिक्षाशास्त्र के स्नात्तकोत्तर छात्रों में शोध प्रवृत्ति के विकास की पहचान के लिए तकनीक एंव सामग्री को एकत्र करने के प्रयास
5.	दर्शन	हैदराबाद विश्वविद्यालय	भाषा का दर्शन और धर्म का दर्शन
6.	शिक्षा	दक्षिण गुजरात	वर्ग मार्गदर्शन कार्यक्रम के विकास के लिए तकनीक का प्रयोग । जनसंख्या शिक्षा के लिए विभिन्न जनसंपर्क साधनों का विकास
7.	दर्शन	उत्तर पूर्वी पर्वतीय	भारतीय धर्म दर्शन द्वारा युक्तिसंगत, न्यायोचित तथा जनजाति विचार
8.	मानवशास्त्र	कलकत्ता विश्वविद्यालय	मानव एंव पर्यावरण एक मानवशास्त्रीय अध्ययन
9.	मानवशास्त्र	लखनऊ विश्वविद्यालय	भौतिक मानवशास्त्र में सामाजिक मानव शास्त्र तथा मार्फोलॉजिकल जिनेटिक्स गुण
10.	भू-राजनीति	पंजाब विश्वविद्यालय	भू-राजनीति
11.	राजनीतिशास्त्र	उस्मानिया विश्वविद्यालय	भारत की राजनैतिक अर्थव्यवस्था तथा भारत के राज्यों की राजनीति
12.	इतिहास	गढ़वाल विश्वविद्यालय	मध्य केंद्रीय हिमाचल के विभिन्न क्षेत्रों के व्यक्तियों का पुरातत्व अध्ययन तथा भौतिकवाद एंव वातावरण में उनकी प्रतिक्रया

परिशिष्ट-XXI (क्रमशः)

विभागीय अनुसंधान सहायता - मानविकी एंव सामाजिक विज्ञान 31-03-1991 तक

क्र. सं.	विश्वविद्यालय/संस्थान		विशेषता का क्षेत्र
13.	अर्थशास्त्र	जम्मू विश्वविद्यालय	सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण कृषि अर्थशास्त्र
14.	समाज कार्य	लखनऊ विश्वविद्यालय	1. औद्योगिक संबंध तथा पर्सनल प्रबंध 2. चिकित्सा एवं मनोवैज्ञानिक समाज कार्य 4. अपराध विज्ञान एवं रांशोधित प्रशासन 5. परिवार शिशु कल्याण 6. ग्रामीण विकास 7.सामाजिक नीति योजना तथा विकास 8.समाज कल्याण प्रशासन एवं समाज सुरक्षा 9. समाज शोध तथा सांख्यिकी
15.	हिन्दी	श्री वेंकेटेश्वर	हिन्दी तथा तेलुगू साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन
16.	फारसी	कश्मीर विश्वविद्यालय	1.आधुनिक एवं प्राचीन फारसी साहित्य 2. फारसी साहित्य मे शोध
17.	सामाजिक कार्य	आंध्र विश्वविद्यालय	सामाजिक विकास और परिवार कल्याण (अध्यापन, शोध एंव अभ्यास)
18.	सामाजिक कार्य	राजस्थान विद्यापीठ	जनजातीय महिला और असंगठित खेतिहर ग्राम और अन्य सीमान्त समूह

परिशिष्ट-XXII

विज्ञान, अभियांत्रिकी तथा तकनीकी विषयों में विश्वविद्यालयवार उच्च अध्ययन केन्द्रों की सूची 31-03-1991 तक

क्रं. सं.	विभाग	विश्वविद्यालय/महाविद्यालय	विशेषज्ञता का क्षेत्र
1.	2.	3.	4.
01.	समुद्री जीव विज्ञान	अन्नामलाई	समुद्री जीव विज्ञान, ज्वारनदमुखी जीवविज्ञान, प्रदूषण एवं आविषालुताविज्ञान, मत्स्य जीवविज्ञान, प्लवक उत्पादकता, सूक्ष्म जीवविज्ञान तथा परिस्थिति विज्ञान
02.	गणित	बम्बई	शुद्ध गणित
03.	रेडियो भौतिकी तथा इलैक्ट्रोनिक्स	कलकत्ता	पिंड अवस्था इलैक्ट्रानिक्स एवं युक्तियां, अन्तरिक्ष विज्ञान, पद्धति विज्ञान
04.	वनस्पतिशास्त्र	दिल्ली	पादक आकृति विज्ञान (प्रतियोगात्मक) तथा भ्रूण विज्ञान, उत्तक संर्वधन, पादप जीव रसायनशास्त्र, जनसंख्या जीव विज्ञान तथा परिस्थिविज्ञान
05.	रसायनशास्त्र	दिल्ली	प्राकृतिक उत्पादों का रसायनशास्त्र
06.	भौतिकशास्त्र	दिल्ली	सैद्धांतिक भौतिकी तथा खगोल भौतिकी
07.	प्राणि विज्ञान	दिल्ली	कोशिकानुवंशीकी, कीट विज्ञान, अन्तःस्राव विज्ञान, मत्स्य एवं विकास जीव विज्ञान, पर्यावरण जीव विज्ञान सहित कोशिका जीव विज्ञान
08.	वनस्पतिशास्त्र	मद्रास	पादक रोग विज्ञान
09.	शुद्ध गणित	पंजाब	शुद्ध गणित तथा अनुप्रयुक्त गणित
10.	भू-विज्ञान	पंजाब	हिमालयन भू-विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान
11.	गणित	कलकत्ता	अनुप्रयुक्त गणित
12.	अनुप्रयुक्त रसायन शास्त्र (यू. डी. सी. टी.)	बम्बई	वस्त्र रसायनिक संसाधन में जल तथा ऊर्जा का संरक्षण, कंप्यूटरकृत संसाधन, परिष्कृत करने वाले कारकों का विकास, वस्त्र संसाधन में प्रदूषण नियन्त्रण
13.	खगोल विज्ञान	उस्मानिय	प्रयोगात्मक खगोलिकी
14.	शुद्ध गणित	मद्रास	बीज गणित, रेखाशास्त्र तथा संस्थिति विज्ञान

परिशिष्ट-XXII

क्रं. सं.	विभाग	विश्वविद्यालय/महाविद्यालय	विशेषज्ञता का क्षेत्र
1.	2.	3.	4.
15.	जीव रसायन	आई. आई. एस सी.	प्रोटीन, लिपिड विटामिन्स, आनुवंशिक अभियांत्रिकी, प्रत्युर्जता एवं उर्वरता नियंत्रण प्रतिरक्षा विज्ञान, प्रजनक शरीर विज्ञान, वंशनुगत विकास, वायोएनरजोर्ट वन्स एवं पादप रसायनशास्त्र
16.	वनस्पतिशास्त्र	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	एलगोलॉजी परिस्थिति विज्ञान
17.	धातु प्रौद्योगिकी	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	भौतिक तथा प्रक्रम धातुक्रम विज्ञान
18.	वनस्पतिशास्त्र	कलकत्ता	कोशिका एंव वर्णगुण सूत्र अनुसन्धान
19.	अकार्बनिक एवं भौतिक रसायन	भारतीय विज्ञान	क) अकार्बनिक अणुओं की प्रतिक्रियात्मकता संरचना तथा संश्लेषण ख) सैद्धांतिक तथा प्रयोगात्मक इलैक्ट्रोरसायन इलैक्ट्रोड फिनोमिना तथा ऊर्जा भण्डारण के सन्दर्भ में ग) सैद्धांतिक रसायनशास्त्र एवम् स्पैक्ट्रोस्कोपी
20.	प्राणि विज्ञान	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	कोशिका क्रिया विज्ञान, जैव रसायनन, साइट्रोजेनेटिक्स, प्रजनक जीव विज्ञान
21.	जैव भौतिकी	भारतीय विज्ञान संस्थान	जैव अणुओं की अन्त:क्रिया तथा संरचना
22.	शुद्ध रसायन	कलकत्ता	प्राकृतिक उत्पाद
23.	भौतिकी	भारतीय विज्ञान संस्थान	जैव अणु भौतिकी तथा ठोस पदार्थ भौतिकी
24.	पिंड अवस्था रसायन	,,	पिंड अवस्था रसायन
25.	रसायन	पंजाब	उष्मागति विज्ञान
26.	भौतिकी	पूना	पदार्थ विज्ञान तथा पिंड अवस्था भौतिकी
27.	इलैक्ट्रॉनिक्स	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	माइक्रोनेव ट्यूब्स तथा माइक्रो इलैक्ट्रानिक्स
28.	भौतिकी	"	पदार्थ भौतिकी

क्रं. सं.	विभाग	विश्वविद्यालय/महाविद्यालय	विशेषज्ञता का क्षेत्र
1.	2.	3.	4.
29.	भौतिकी	पंजाब	आणविक भौतिकी, पिंड अवस्था भौतिकी की उच्च ऊर्जा भौतिकी (सभी क्षेत्रों में सिद्धान्त तथा प्रयोग)
30.	खनन अभियांत्रिकी	बनारस हिन्दू	चट्टान यांत्रिकी तथा धरातल नियन्त्रण
31.	खनन अभियांत्रिकी	आई. एस. एम.	कोयला खनन प्रौद्योगिकी पर अधिक महत्व के साथ नवाचार खनन पद्धति
32.	सिविल अभियांत्रिकी	भारतीय विज्ञान संस्थान	1) जी ओटेक अभियांत्रिकी पर्यावरणीय जीओटेक्नीक 2) जलयान्त्रिकी तथा जल संसाधन निर्धारण नियंत्रण तथा प्रबंध 3) संरचनात्मक अभियांत्रिकी में विशेषज्ञ पद्धतियां
33.	उत्पाद अभियांत्रिकी	जादवपुर	उच्च ऊर्जा धनत्व विनिर्माण प्रक्रम
34.	वैद्युत अभियांत्रिकी	जादवपुर	नियन्त्रण पद्धति
35.	यांत्रिकी एवं औद्योगिकी अभियांत्रिकी	रूड़की	औद्योगिक, पर्यावरण, शोर प्रदूषण तथा कंप्यूटरकृत यांत्रिक अभियांत्रिकी
36.	आणविक जीवविज्ञान	बनारस हिन्दू	आणविक जीव विज्ञान एवं आनुवांशिक अभियांत्रिकी
37.	वैद्युत अभियांत्रिकी	भारतीय विज्ञान संस्थान	शक्ति नियंत्रण तथा सिग्नल प्रोसेसिंग
38.	धातुकर्म विज्ञान	भारतीय विज्ञान संस्थान	सामग्री परिवर्द्धन
39.	कार्बनिक रसायन	"	कार्बनिक रसायन
40.	भू-विज्ञान	"	आर्थिक भू-विज्ञान एवं संरचनात्मक भू-विज्ञान
41.	रासायनिक अभियांत्रिकी	बम्बई	मल्टी पेज रिएक्टिंग मल्टीफेज रिएक्टर्स (यू. डी. सी. टी.) सेपरेटिंग प्रोसेस

परिशिष्ट-XXIII

विज्ञान अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी में विभागीय विशेष सहायता
(31.3.1991 तक)

क्रं. सं.	विभाग	विश्वविद्यालय/महाविद्यालय	विशेषज्ञयता का क्षेत्र
1.	सांख्यिकी	पूना	सांख्यिकी अनुमान
2.	बनस्पति शास्त्र	आन्ध्र	पादप कोशिका अनुवांशिकी
3.	भूविज्ञान	आन्ध्र	समुद्री-भूविज्ञान
4.	जैव-रसायन	लखनऊ	होस्ट पेरासाइट रिलेशनशिप
5.	जैव-रसायन	एम. एस. विश्वविद्यालय, बड़ौता	स्नायु रसायन तथा पोषण
6.	गणित	पूना	बीजगणित, बीजगणितीय रेखाशास्त्र, क्रियात्मक विश्लेषण तथा प्रचालक
7.	भौतिकी	आन्ध्र	आयनमण्डल तथा उपरिवातावरण स्पेम्ट्रोस्कोषी तथा लेजर भौतिक, अल्ट्रासोनिक्स तथा पिंड भौतिकी सैद्वान्तिक भौतिकी
8.	रसायन	इलाहाबाद	अल्ट्रासोनिक्स, पादप उत्पाद रसायन कॉर्डीनेशन तथा संरचनात्मक रसायन प्रतिक्रिया बलगति विज्ञान
9.	रसायन	उस्मानिया	प्राकृतिक उत्पाद
10.	रसायन	पूना	कार्बनिक, भौतिक जैव रसायन
11.	रसायन	मद्रास	कार्बनिक रसायन
12.	रसायन	राजस्थान	शंशलेखित अकार्बनिक एंव कार्बधात्विक रसायन
13.	भूगोल	अलीगढ़ मुस्लिम	जनसंख्या भूगोल, भूमि उपयोग कृषि भूगोल
14.	प्राणी विज्ञान	कलकत्ता	कीट विज्ञान तथा मत्स्य विज्ञान
15.	वनस्पति विज्ञान	लखनऊ	पादप पोषण
16.	जैविक विज्ञान	मदुरै कामराज	जैविक रसायन शास्त्र और आणविक जीव विज्ञान, जीव विज्ञान एवं प्रतिरक्षा विज्ञान
17.	भूगोल	उस्मानिया	नगरीयतया चुनावी भूगोल

परिशिष्ट-XXIII (क्रमशः)

क्रं. सं.	विभाग	विश्वविद्यालय/महाविद्यालय	विशेषज्ञयता का क्षेत्र
18.	वनस्पतिशास्त्र	पटना	साइयेजनेटिक्स तथा पादप पोषण
19.	भू-विज्ञान	रूड़की	अभियांत्रिकी भू-गर्भ विज्ञान
20.	भौतिकी	रूड़की	1. सैद्धांन्तिक तथा प्रयोगात्मक ठोस अवस्था भौतिकी 2. भौतिकी तथा पर्यावरण उत्पाद
21.	रसायन शास्त्र	सरदार पटेल	पोलीमरस
22.	प्राणी विज्ञान	मराठवाड़ा	तुलनात्मक पशु शरीर क्रिया विज्ञान तथा इनवरेटब्रेट एन्डोक्रोनोलोजी
23.	भू गर्भ विज्ञान	मैसूर	प्री एम्ब्रियन, पोलियोनोलोजी, पेट्रोलोजी हाइड्रोजोलोजी, भू-रसयानशास्त्र
24.	गणित	बंगलौर	तरल यांत्रिकी (चुंबकीय जलीय स्थित विज्ञान) इलास्टीसिटी न्यूमेटीकल मेथड्स तथा अवकलन समीकरण
25.	भौतिकी	अलीगढ़ मुस्लिम	1. उच्च ऊर्जा में सैद्वान्तिक भौतिकी तथा नाभकीय भौतिकी 2. लेजर रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी सामग्री का अध्ययन सहित
26.	रसायनशास्त्र	जादवपुर	1. पर्यावरणीय कारकों सहित अकार्बनिक आयनों का ट्रेश तथा अल्ट्रारेश विश्लेषण 2. लौह पुन्ज विस्थापन में क्रोमोटोग्राफिक विधियाँ एवं सोलवेस्ट एक्सट्रेशन 3. ऊर्जा तथा सम्बन्धित अनुसंधान में सिन्थोसिस एवं मेकेनिस्टिक अध्ययन समेत फोटोरसायन 4. सिन्थेटिक अकार्बनिक रसायन, ऑर्गेने मेटेलिक्स, मेटेलोफोरफिक्स उनके प्रयोग के विशेष संदर्भ में लौह पुन्ज । 5. द्रव तथा विलयन के विशेष संदर्भ में सैद्वांन्तिक रसायनशास्त्र
27.	रसायनशास्त्र	हैदराबाद	अकार्बनिक रसायनशास्त्र
28.	औषधनिर्माण-विज्ञान	नागपुर	स्टेबिलटी तथा फोर्मूलेशन ऑफ फार्मासीयूटीकल डिसपर्सिंग फार्मासीपुरिक्स, रेडियो फोर्मासीपुरिक्स

परिशिष्ट-XXIII (क्रमशः)

क्रं. सं.	विभाग	विश्वविद्यालय/महाविद्यालय	विशेषज्ञयता का क्षेत्र
29.	औषध निर्माण विज्ञान	पंजाब	सिन्थेटिक मेडीसिनिल जैन कार्बनिक रसायन, फार्मासीपुसिक्स, फार्माकोलोजी
30.	रसायन अभियांत्रिकी	अन्ना	क्रिस्टल विकास
31.	सिविल अभियांत्रिकी	रूड़की	सिविल अभियांत्रिकी
32.	भूकम्प अभियांत्रिकी	रूड़की	भूकम्प अभियांत्रिकी
33.	चीनी-मिट्टी अभियांत्रिकी	बनारस हिन्दू	ग्लास प्रौद्योगिकी
34.	गणित	जादव पुर	उच्चटोपोलोजी एवम प्रयोगात्मक विश्लेषण (शुद्ध) अनुप्रयुक्त भूकम्प विज्ञान
35.	गणित	अलीगढ़ मुस्लिम	बीजगणित (क्लासीकल तथा प्रयोगात्मक विश्लेषण)
36.	बनस्पति शास्त्र	कल्याणी	आणविक वर्गिकी
37.	सूक्ष्म जीव विज्ञान	एम. एस. विश्वविद्यालय, बड़ौदा	सूक्ष्म जीवविज्ञान
38.	भूविज्ञान	एम. एस. विश्वविद्यालय, बडौदा	क्वार्टरनरी भूविज्ञान (बेसिक तथा अनुप्रयुक्त)
39.	गणित	मदुरै कामराज	बीजगणित, संख्या सिद्वांत
40.	जलीय जीव विज्ञान एवम् मत्स्य विज्ञान	केरल	जलीय जीवविज्ञान एवम् मत्स्य विज्ञान
41.	भू-विज्ञान	लखनऊ	पेलीनोटोलोजी, स्ट्रेटीग्राफी
42.	प्राणी विज्ञान	पंजाब	प्रोटो जूलोजी तथा कोशिका जीवविज्ञान
43.	प्राणी विज्ञान	राजस्थान	1. तुलनात्मक एन्डोक्रिनोलोजी 2. पर्यावरणीय प्रक्रियाओं की भूमिका के सन्दर्भ में इकोफिजीयोलोजी अध्ययन
44.	जैव-विज्ञान विषय	सौराष्ट्र	पर्यावरणीय जीवविज्ञान एवम इकोसिस्टम
45.	भौतिकी	जम्मू	बविल चेम्बर एवम् इम्यूनिशन तकनीकी का प्रयोग सहित प्रयोगात्मक उच्च ऊर्जा भौतिकी
46.	भूविज्ञान	प्रेसीडेंसी कालिज, कलकत्ता	गणितीय भूविज्ञान, सेडीमेटोलोजी, प्रीकोम्प्रयन भूविज्ञान
47.	क्रिस्टेलोग्राफी तथा जैव भौतिकी	मद्रास	एक्स-रे विश्लेषण तथा उच्च फिजिको-केमिकल

परिशिष्ट-XXIII (क्रमशः)

क्रं. सं.	विभाग	विश्वविद्यालय/महाविद्यालय	विशेषज्ञयता का क्षेत्र
48.	प्राणी विज्ञान	मैसूर	जनसंख्या जेनेटिक्स और उत्पादक जीवविज्ञान
49.	प्राणी विज्ञान	आन्ध्र	सामुद्रिक परासीटोलोजी तथा सामुद्रिक परिस्थित विज्ञान
50.	गणित	भारतीय विज्ञान संस्थान	अनप्रयुक्त गणित
51.	प्राणी विज्ञान	पुणे	वृद्धि के कोशिकीय तथा जैव रासायनिक पैरामीटर
52.	बनस्पति शास्त्र	केरल	मत्स्य विज्ञान के सन्दर्भ में केरल राज्य के तटीय इकोसिस्टम का अध्ययन
53.	प्राणी विज्ञान	बंगलौर	साइटो जेनेटिक्स
54.	भौतिकी	कलकत्ता	नाभकीय भैतिकी, नाभकीय तकनीकीयाँ अनुप्रयुक्त पिण्डअवस्था भौतिकी
55.	भूगोल	बनारस हिन्दू	जीआ मारफोलोजी, कृषकीय भूगोल
56.	स्कूल ऑफ फिजिक्स	मद्रास	नाभकीय भौतिकी, सैद्धांन्तिक भौतिकी
57.	पर्यावरणीय अभियांत्रिकी	अन्ना	पर्यावरणीय प्रबन्ध के लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी के पहलू
58.	प्राणी विज्ञान	गुजरात	मानक साइटोजेनेटिक्स एवम् मानव एन्ड्रोक्रोनोलोजी
59.	जलसंसाधन	अन्ना	हाइड्रोलिक अभियांत्रिकी
60	यांत्रिक अभियांत्रिकी	भारतीय विज्ञान संस्थान	कंप्यूटर एड़िड सामग्री अभियांत्रिकी
61.	वनस्पतिशास्त्र	इलाहाबाद	पोलियोबोटनी, प्लांट फिजिको लोजी, माइक्रोबायलोजी एवम् माइक्रोलोजी, साइकोलोजी
62.	आनुवंशिकी	उस्मानिया	पादप आनुवंशकि तथा उत्क संवर्धन
63.	भौतिकी	इलाहाबाद	पिण्डअवस्था तथा आणविक भौतिकी (प्रयोगात्मक तथा सैद्धान्तिक)
64.	भौतिकी	हैदराबाद	लेजर भौतिकी
65.	नाभकीय भौतिकी	आन्ध्र	प्रयोगात्मक नाभकीय भौतिकी तथा इसके अनुप्रयोग
66.	बैद्युत अभियांत्रिकी	बनारस हिन्दू	शक्ति विधियाँ
67.	वायुआकाश अभियांत्रिकी	भारतीय विज्ञान संस्थान	वायु आकाश अभियांत्रिकी

परिशिष्ट-XXIII (क्रमशः)

क्रं. सं.	विभाग	विश्वविद्यालय/महाविद्यालय	विशेषज्ञयता का क्षेत्र
68.	सिविल अभियांत्रिकी	अन्ना	ढाँचागत अभियांत्रिकी एवम् नगरीय अभियांत्रिकी
69.	बैधुत अभियांत्रिकी	अन्ना	शक्ति विधियाँ
70.	बैद्युत एवम् संचार अभियांत्रिकी	भारतीय विज्ञान संस्थान	एकाउस्टिक्स
71.	भूविज्ञान	कलकत्ता	अयस्क पेट्रोलोजी सहित पेट्रोलोजी
72.	जीव विज्ञान विषय	जवाहरलाल नेहरू	विकिरण जीवविज्ञान, पादप ऊत्तक संवर्धन, आणविक जीव विज्ञान एवम आनुवांशिक अभियांत्रिकी
73.	भूविज्ञान	एम. एल. सुखाड़िया	पेट्रोकेमिस्ट्री
74.	वनस्पतिशास्त्र	राजस्थान	पेथोलोजी, शरीर क्रिया विज्ञान जैव-रसायनशास्त्र
75.	गणित	इलाहाबाद	बीजगणितीय और डिफ्रेन्शियल टापोलोजी
76.	स्वचालन अभियांत्रिकी	भारतीय विज्ञान संस्थान	संगणक विज्ञान, सिस्टम विज्ञान तथा स्वचालन
77.	वनस्पति शास्त्र	बर्दवान	सूक्ष्म जीव विज्ञान तथा पादप
78.	रसायन	बंगलौर	कार्बनिक रसायन भौतिकी रसायन सूक्ष्म रसायन
79.	रसयान शास्त्र	सी.एन. डी. यू.	कार्बनिक एवम् अकार्बनिक रसायन शास्त्र, भौतिक तथा विश्लेषणात्मक रसायन
80.	जैव रसायन	कलकत्ता	पोषण जैव रसायन तथा स्नायु रसायान एन्जाइमोलोजी तथा सूक्ष्म जीव विज्ञान
81.	भूविज्ञान	दिल्ली	आर्थिक भूविज्ञान
82.	सूक्ष्म जीवविज्ञान एवम् कोशिका जीव विज्ञान	भारतीय विज्ञान संस्थान	लिंग निर्धारिण आणविक जीवविज्ञान, माइक्रो वोक्रिटिया का आणविक जीवविज्ञान, के रिन्डर पेस्टवाइरस पादप ऊतक संवर्धन सतही ग्लाइकोप्रोटीन की अभिव्यक्ति
83.	भूविज्ञान	कुमायूँ	भू-स्थित विज्ञान और कुमायूँ क्षेत्र के हिमालय का पेट्रोटेक्टोनिक विकास, पर्यावरणीय अन्वेषण / अध्ययन सेडीमेस्टोलो जीकल अध्ययन
84.	सिविल अभियांत्रिकी	जादवपुर	पर्यावरणीय अभियांत्रिकी
85.	स्कूल ऑफ लाइफ साइंस	हैदराबाद	पादप फिजिओ लोजी

परिशिष्ट-XXIII (क्रमशः)

क्रं. सं.	विभाग	विश्वविद्यालय/महाविद्यालय	विशेषज्ञयता का क्षेत्र
86.	भूगोल	जवाहर लाल नेहरू	मुख्य क्षेत्र 1. क्षेत्रीय विकास योजना 2. सामाजिक भूगोल
87.	प्राणी विज्ञान	एम. एस. विश्वविद्यालय	विकास जीव विज्ञान तथा शरीर क्रिया विज्ञान
88.	स्कूल ऑफ लाइफ साइंस	मणिपुर	बॉयोइकोलोजी
89.	गणित	रूड़की	विश्लेषण तथा मापन सिद्धाँत, अनुप्रयुक्त व्यावहारिक विश्लेषण साधारण तथा आंशिक डिफ्रेन्शियल समीकरण
90.	रासायनिक अभियांत्रिकी	आन्ध्र	वैद्युत रासायनिक अभियांत्रिकी एवम संक्षारण अभियांत्रिकी
91.	खाद्य प्रौद्योगिकी		सतुत विधियाँ का विकास एवम् अध्ययन उनकी गतिविज्ञान एवम् नियंत्रण रणनीतियाँ
92.	भूगोल	पंजाब	जनसंख्या भूगोल, कृषकीय भूगोल
93.	रसायनशास्त्र	बनारस हिन्दू	अकार्बनिक, कार्बनिक, भैतिक तथा विश्लेषणात्मक रसायन
94.	भौतिकी	बर्दवान	एक्स-रे क्रिस्टेलोग्राफी, पिण्ड अवस्था तथा नाभकीय भौतिकी, लेजर भौतिकी, इलेक्ट्रोनिक्स सापेक्षतता तथा इसके अनुप्रयोग
95.	रसायन शास्त्र	एम. एस. विश्वविद्यालय	1. बायोएक्टिव तथा बायोइनआर्गकि रसायन 2. पालीमर रसायन 3. केटेलाइसिस
96.	भौतिकी	कोचीन	सामग्री विज्ञान, भरतीय फिल्म उत्पादन के गुणधर्म
97.	भौतिकी	कुमायूँ	उच्च ऊर्जांकित भौतिकी, रिलेटीविस्टिक एस्ट्रोफीजिक्स एवम् स्पेक्ट्रोस्कोपी
98.	भौतिकी	पंजाबी	विकरण भौतिकी तथा सैद्घान्तिक भौतिकी
99.	गृहविज्ञान	एस. एन. डी. टी. महिला	ग्रह संसाधन प्रबंधन तथा खाद्य पदार्थ एवम पोषण
100.	गृहविज्ञान	लेडी इरविन महाविद्यालय	संचार विस्तार,
101.	गृहविज्ञान	एम.एस. विश्वविद्यालय	मानव विकास, महिला अध्ययन विशेष शिक्षा एवम् मूल्यांकन अनुसंधान

परिशिष्ट-XXIII (क्रमशः)

क्रं. सं.	विभाग	विश्वविद्यालय/महाविद्यालय	विशेषज्ञयता का क्षेत्र
102.	खाद्य पदार्थ एवम किण्वन	यू. डी. सी. टी. बम्बई	कार्बोहाइड्रेट रासायनिक एवम् प्रौद्योगिकी विशेषरूप से मिलेट्स (राजगीरा) से सम्बंधित किण्विन प्रौद्योगिकी, खाद्य पदार्थ तथा पोलीसिलीन एन्जाइम से सम्बन्धित गुणवत्ता से सम्बन्धित सूक्ष्म जीवविज्ञान
103.	भौतिकी	कर्नाटक	लेजर भौतिकी तथा संघनित भौतिकी
104.	वनस्पतिशास्त्र	जोधपुर	एरिड जोन की इकोलोजी, तनाव शरीर क्रिया विज्ञान तथा ऊत्तक संवर्धन
105.	अनुप्रयुक्त भूविज्ञान	आई. एस. एम. धनबाद	प्रीक्रेम्बियन भूविज्ञान
106.	अनुप्रयुक्त भूभौतिकी	आई. एस. एम. धनबाद	वैद्युत चुम्बकीय तथा सीजामेक विधियों की इन्टर प्रोटेशनल तकनीकियों का विकास

परिशिष्ट-XXIV
विज्ञान अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी में विभागीय शोध सहायता
31.3.1991 तक

क्र.सं.	विभाग	विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय	विशेषता का क्षेत्र
1.	भौतिकी	राजस्थान	सामग्री भौतिकी
2.	भूगोल	कलकत्ता	जीअभी फॉलोजी पेडोलोजी
3.	भू-विज्ञान	पटना	छोटा नागपुर तथा बिहार की माइका का विकास
4.	प्राणी विज्ञान	कल्यानी	साइटोलोजी (सेल जीव विज्ञान एवम्
5.	प्राणी विज्ञान		पादप नीभेटोलेजी
6.	भौतिकशास्त्र	श्रीवेंकटेश्वर	ठोस अवस्था भौतिकशास्त्र
7.	भौतिकशास्त्र	उस्मानिया	ठोस अवस्था भौतिकशास्त्र
8.	वनस्पतिशास्त्र	मैसूर	बीजपेथोलेजी
9.	रसायन शास्त्र	गोरखपुर	नॉन इक्वली विरियम थर्मोडायनामिव मकेनिज्म
10.	इलेक्ट्रोनिक्स एवम् संचार प्रौद्योगिकी	रूड़की	ठोस अवस्था वैद्युत नियन्त्रण तथा मा
11.	धातुकर्म	रूड़की	थर्मोडायनामिक्स, मेटलकास्टिंग प्रौद्द
12.	वनस्पतिशास्त्र	एम.एस. विश्वविद्यालय	विकास संरचना विज्ञान
13.	जीवन विज्ञान	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय	जीव विज्ञान विषय पादप संरचना विज्ञान
14.	जैवरसायन	अहमदनगर महाविद्यालय	जैवरसायन अध्ययन
15.	समुद्र विज्ञान	कोचीन	भौतिक समुद्र विज्ञान एवम् समुद्र भूि औद्योगिक मतस्य विज्ञान, समुद्री जी
16.	रसायनशास्त्र	जोधपुर	रासायनिक बल गति विज्ञान
17.	वनस्पतिशास्त्र	डा. एच. एस. गौर	माइक्रोलोजी, पादप संरचना विज्ञान सूक्ष्मजीवविज्ञान

परिशिष्ट-XXIV (क्रमशः)

क्र.सं.	विभाग	विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय	विशेषता का क्षेत्र
18.	यांत्रिक अभियांत्रिकी	आन्ध्र	आगमेन्टेशन टेक्नीक्स डायनामिक्स ऑफ सोलर पोन्ड
19.	ग्रह विज्ञान	श्री अविनाशलिंगम	ग्रह प्रबन्ध
20.	बोटनी	श्री वेंकटेश्वर	पादप संरचना विश्वास
21.	भौतिकी	बंगलौर	आणविक भौतिकी कन्डेन्सर मैटर भौतिकी
22.	भू-भौतिकी	उस्मानिया	समोकित खनिज खनन प्रोद्योगिकी
23.	भूविज्ञान	बनारस हिन्दू	भारत की केम्ब्रिसन्स पूर्व पहाड़ियों का अन्वेषण
24.	सांख्यिकी	गुजरात	सैद्धान्तिक तथा अनुप्रयुक्त सांख्यिकी
25.	गणित	दिल्ली	गणितीय प्रोग्रोमिंग तथा फ्लयुड गतिविज्ञान
26.	भौतिकी	एम. एल. सुखाडिया	1. बायनो स्फीयारिक भौतिकी तथा रेडियो संचार 2. सूक्ष्म कंम्प्यूटर तथा प्रोग्रेमिंग
27.	प्राणी विज्ञान	नागपुर	सीरीकल्चर
28.	समति शास्त्र	नार्थइस्टर्न हिल्स	बन जीवविज्ञान तथा परिस्थिति विज्ञान
29.	कार्बनिक रसायनशास्त्र	आन्ध्र	सामुद्रिक प्राकृतिक उत्पाद
30.	रसायन	गुहाटी	1. अकार्बनिक रसायन शास्त्र 2. भौतिक एवम् सैद्धान्तिक रसायन शास्त्र 3. कार्बनिक तथा जैव-कार्बनिक रसायन शास्त्र
31.	धातु अभियांत्रिकी	एम. एस. विश्वविद्यालय	1. प्रक्रिय धातु कर्म विज्ञान 2. संक्षारण तथा पर्यावरण कारणों से असफलता
32.	वनस्पति शास्त्र	उस्मानिया	माइकोलोजी एवम पादप शरीर सरंचना विश्वास
33.	प्राणी विज्ञान	श्री वेंकटेश्वर	पशुशरीररचना विज्ञान
34.	स्कूल ऑफ लाइफ साइंस	जी. एन. डी. यू.	आणविक जीवविज्ञान कोशिका तथा सूक्ष्म जीवविज्ञान
35.	सांख्यिकी	मैसूर	प्रयिकता सिद्धाँत, वीक कनवर प्रॉस इन्टीग्रेटिड लोग्रिथम रिकार्ट वेल्यू तथा एलाइड टोपिक्स यूनीवेरिवेवल तथा मल्टी वेरियोविल दोनो) का सिद्धाँत

परिशिष्ट-XXIV (क्रमशः)

क्र.सं.	विभाग	विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय	विशेषता का क्षेत्र
36.	सांख्यिकी	कर्नाटक	सांख्यिकीय अनुमान
37.	सांख्यिकी	पंजाब	सांख्यिकीय अनुमान विश्वशनीयता
38.	वैद्युत अभियांत्रिकी	रूड़की	शक्ति उपकरण तथा विद्युत चालित पद्यति अभियांत्रिकी तथा प्रचालन शोध
39.	वनस्पति	भागलपुर	माइकोटोक्सीकोलोजी तथा पर्यावरण जीव विज्ञान तथा पादप स्वता विज्ञान
40	प्राणी विज्ञान	एन. ई. एच. यू.	पर्यावरण जीवविज्ञान
41.	भूविज्ञान	बंगलौर	आर्थिक भूविज्ञान, सल्फाइड तथा स्वर्ण खनिजीकरण
42.	भूविज्ञान	कर्नाटक	पेट्रोलोजी, खनिज विज्ञान भू-रसायन शास्त्र
43.	भूगोल	कुरूक्षेत्र	कृषि भूगोल

परिशिष्ट - XXV (क)

पाठ्यचर्या विकास केन्द्रों की सूची (विज्ञान विषय)

1. रसायन विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
2. भूमि विज्ञान विभाग, रूड़की विश्वविद्यालय, रूड़की
3. गणित में रामानुजन उच्च अध्ययन संस्थान, मद्रास विश्वविद्यालय, मद्रास
4. भूगोल विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय, चण्ढीगढ़
5. सांख्यिकी विभाग, गुजरात विश्वविद्यालय, गुजरात
6. आण्विक जीव भौतिकी (मौलीक्यूलर आयोफिजिक्स) कक्ष, भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर
7. जीव रसायन विभाग, एम. एस. विश्वविद्यालय, बडौदा
8. भौतिकी विभाग, पूना विश्वविद्यालय, पूना
9. जीव विज्ञान विभाग, कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता
10. प्राणी विज्ञान विभाग, गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद

परिशिष्ट-XXV (ख)

पाठ्यचर्या विकास केन्द्रों की सूची (मानविकी तथा समाज विज्ञानों के विषयों में)

1. अर्थशास्त्र विभाग, बम्बई विश्वविद्यालय, बम्बई
2. इतिहास विभाग, पटना विश्वविद्यालय, पटना
3. दर्शन विभाग, जादवपुर विश्वविद्यालय, जादवपुर
4. विस्तार सेवा विभाग, अंग्रेज़ी तथा विदेशी भाषाओं का केन्द्रीय संस्थान, हैदराबाद
5. मनोविज्ञान विभाग, उत्कल विश्वविद्यालय, वाणी विहार, भुवनेश्वर (उड़ीसा)
6. मानवशास्त्र विभाग, रांची विश्वविद्यालय, रांची
7. राजनीति विज्ञान विभाग, एम. एस. विश्वविद्यालय, बडौदा
8. शिक्षा विभाग, केरल विश्वविद्यालय, त्रिवेन्द्रम
9. वाणिज्य विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
10. प्रदर्शन कला (संगीत एंव नृत्य) विभाग, संगीत भवन, विश्व भारती, शान्ति निकेतन
11. प्लास्टिक कला, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी
12. परिवार एवं बाल कल्याण विभाग, टाटा समाज विज्ञान विभाग, देवनगर, बम्बई
13. हिन्दी विभाग, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी
14. भाषा विद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, न्यू महरौली रोड़, नई दिल्ली
15. संस्कृत विभाग, पूना विश्वविद्यालय, पूणे
16. भारतीय विधि संस्थान, दिल्ली विश्वविद्यालय, भगवानदास रोड, नई दिल्ली
17. उर्दू विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़

परिशिष्ट-XXVI

1990-91 के दौरान विश्वविद्यालयों को योजनागत धारा-III के अंतर्गत तथा अभियांत्रिकी व प्रौद्योगिकी के अंतर्गत दिए गए अनुदान का विवरण (प्रमुख मदवार)

विश्वविद्यालय का नाम	विभिन्न सैक्टरों में परस्पर संबंधों का विकास	शिक्षा के स्तर में सुधार की योजना	अनुसंधान के स्तर में सुधार के कार्यक्रम	अंतरक्रम करने के कार्यक्रम	प्रबन्ध में सुधार के कार्यक्रम	जोड़	अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी	जोड़	धारा-III	जोड़ (रू. लाखों में)
केन्द्रीय वि०वि०	सैक्टर-क	सै-ख	सै-ग	सै-घ	सै-ड़	जोड़	सै-च	जोड़	धारा-III	कुल जोड़
1	2	3.	4	5	6	7	8	9	10	11
1. अलीगढ़	-	103.09	50.00	5.97	-	159.06	17.59	176.65	-	176.65
2. बनारस	23.00	127.17	165.14	-	-	315.31	166.68	481.99	-	481.99
3. दिल्ली	7.76	260.06	141.34	-	-	409.16	9.04	418.20	0.50	418.70
4. हैदराबाद	5.46	100.71	61.52	-	-	167.69	3.60	171.29	-	171.29
5. जवाहरलाल नेहरू	7.53	299.55 * 0.96	86.81	1.00	-	394.89 * 0.96	-	394.89 * 0.96	-	394.89 * 0.96
6. जामिया मिलिया	6.13 * 0.06	91.68	16.14	88.45	-	202.40 *0.06	5.29	207.69 *0.06	3.05	210.74 * 0.06
7. उ. पू. प. वि.	30.91	235.39	36.44	-	-	302.74	4.55	307.29	-	307.29
8. पांडिचेरी	2.35	36.84	8.45	1.50	-	49.74	11.35	60.47	-	60.47
9. विश्व भारती	4.50	25.45 * 0.15	12.45	-	-	42.40 * 0.15	-	42.40 * 0.15	-	42.40 * 0.15
जोड़:	87.64 * 0.06	1279.94 * 1.11	570.29	96.92	-	2042.79 * 1.17	218-08	2260.87 * 1.17	3.55	2264.42 * 1.17

* समायोजन द्वारा

परिशिष्ट-XXVI (क्रमशः)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	नाभकीय विज्ञान केन्द्र	-	-	695.52	-	-	695.52	-	695.52	-	695.52
2	अन्तर विश्वविद्यालय कन्जोरियम, इन्दौर	-	-	100.00	-	-	100.00	-	100.00	-	100.00
3	अन्तर विश्वविद्यालय पूना	-	0.72	303.50	-	-	304.22	-	304.22	-	304.22
	जोड़:	-	0.72	1099.02	-	-	1099.74	-	1099.74	-	1099.74

परिशिष्ट-XXVI (क्रमशः)

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	अविनाशलिंगम गृह-विज्ञान संस्थान	9.84	3.13	0.33	0.25	-	13.55	-	13.55	-	13.55
2	वनस्थली विद्यापीठ	9.29	29.48	0.30	-	-	39.07	-	39.07	-	39.07
3	बी. आई.टी. एस. पिलानी	0.40	-	5.00	-	-	5.40	58.67	64.07	-	64.07
4	बी. आई.टी. एस. रॉंची	1.80	3.91	0.19	-	-	5.90	33.00	38.90	0.90	39.80
5	सी.आई. ई. एफ. एल. हैदराबाद	-	2.15	2.53	19.87	-	24.55	-	24.55	-	24.55
6	दयालबाग शिक्षण संस्थान	7.77	36.39 * 0.28	0.09	-	-	44.25 * 0.28	8.00	52.25 * 0.28	-	52.25 * 0.28
7	गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान	9.35	9.15	9.70	-	-	28.20	-	28.20	-	28.20
8	गुजरात विद्यापीठ	6.46	6.70	2.01	-	-	15.17	-	15.17	10.50	25.67
9	गुरूकुल कांगड़ी वि० वि०	4.53	8.25	1.31	-	-	14.09	-	14.09	-	14.09
10	आई. ए. आर० आई. नई दिल्ली	-	-	0.23	-	-	0.23	-	0.23	-	0.23
11	आई. आई. एस. बंगलौर	-	52.35	375.09	-	-	427.44	229.16	656.60	2.20	658.80
12	आई. एस. एम धनबाद	-	7.60	12.43	-	-	20.03	56.34	76.37	-	76.37
13	राजस्थान विद्यापीठ	8.00	18.00	3.35	-	-	29.35	-	29.35	-	29.35
14	स्कूल ऑफ प्लानिंग आर्किटैक्चर, नई दिल्ली	-	-	-	0.80	-	0.80	-	0.80	-	0.80
15	श्री एल. बी. शा. संस्कृत विद्यापीठ	-	-	0.06	-	-	0.06	-	0.06	-	0.06
16	श्री एस. एस. बी. संस्कृत विद्यापीठ	0.97	41.69	0.15	-	-	42.81	1.76	44.57	0.75	45.32
17	तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ	-	14.05	3.34	-	-	17.39	-	17.39	1.29	18.68
18	टाटा समाज विज्ञान संस्थान	.	20.25	4.64	-	-	24.89	35.45	60.34	0.30	60.64
19	थापर अभियांत्रिकी एवं प्रोद्योगिक संस्थान	0.41	-	0.03	-	-	0.44	60.00	60.44	-	60.44
20	डेकन स्नातकोत्तर तथा शोध संस्थान, पुणे	-	-	1.01	-	-	1.01	-	1.01	-	1.01
21	जामिया हमदर्द	-	2.80	1.63	-	-	4.43	1.34	5.77	-	5.77
22	केन्द्रीय उच्च तिब्बति अध्ययन संस्थान	-	0.30	-	-	-	0.30	-	0.30	-	0.30
	जोड़:	58.82	256.20 * 0.28	423.42	20.92	-	759.36 *0.28	483.72	1243.08 * 0.28	15.94	1259.02 * 0.28

*समायोजन द्वारा

परिशिष्ट-XXVI (क्रमशः)

राज्य विश्वविद्यालय 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
आन्ध्र प्रदेश राज्य										
1 आन्ध्र विश्वविद्यालय	1.00	30.20	139.01	13.00	-	183.21	63.15	246.36	-	246.36
2 आन्ध्र प्रदेश ओपन.	-	-	7.15	-	-	7.15	-	7.15	-	7.15
3 ज. ला. नेहरू तकनीकी	2.23	0.67	1.97	-	-	4.97	48.89	53.86	2.00	55.86
4 ककाटिया	3.64	4.33	12.10	-	-	20.07	8.23	28.30	-	28.30
5 नागार्जुन	-	48.43	6.64	-	-	55.07	-	55.07	-	55.07
6 उस्मानिया	11.24	31.65	126.65	2.15	-	171.60	42.60	214.29	-	214.29
7 श्री कृष्णदेव राय	3.66	49.32	7.08	3.00	-	63.06	21.99	85.09	-	85.05
8 श्री पदमावती महिला	3.00	5.25	1.41	-	-	9.66	-	9.66	-	9.66
9 श्री वेंकटेश्वर	8.95	37.77	33.32 * 0.04	5.00	-	85.04 * 0.04	27.72	112.76 * 0.04	-	112.76 *. 0.04
10 तेलुगू विश्वविद्यालय	-	11.00	0.33	-	-	11.33	-	11.33	-	11.33
जोड़	33.82	218.62	335.66 *0.04	23.15	-	611.25 *0.04	212.58	823.83 *0.04	2.00	825.83 *0.04
आसाम राज्य										
1 डिब्रूगढ़	-	14.04	0.06	-	-	14.10	1.00	15.10	2.00	17.10
2 गौहाटी	3.27	21.42	31.22	0.50	-	56.41	-	56.41	2.00	58.41
जोड़:	3.27	35.46	31.28	0.50	-	70.51	1.00	71.51	4.00	75.51

*समायोजन द्वारा

परिशिष्ट-XXVI (क्रमशः)

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
बिहार राज्य											
1	भागलपुर	7.45	2.64	20.68	-	-	30.77	-	30.77	-	30.77
2	बिहार	-	27.52	1.52	-	-	29.04	-	29.04	-	29.04
3	बिरसा कृषि	-	-	0.10	-	-	0.10	-	0.10	-	0.10
4	एल. एन. मिथिला	0.89	0.76	0.55	-	-	2.20	-	2.20	-	2.20
5	मगध	-	45.50	0.39	-	-	45.89	-	45.89	2.00	47.89
6	पटना	6.50	41.22	25.42	-	-	73.14	6.79	79.93	-	79.93
7	रांची	14.28	6.51	0.57	-	-	21.36	-	21.36	-	21.36
8	के. एस. डी. संस्कृत	-	7.00	-	-	-	7.00	-	7.00	-	7.00
	जोड़:	29.12	131.15	49.23	-	-	209.50	6.79	216.29	2.00	218.29
हिमाचल प्रदेश राज्य											
1	हिमाचल	5.98	16.88	1.92	-	-	24.78	-	24.78	3.00	27.78
	जोड़:	5.98	16.88	1.92	-	-	24.78	-	24.78	3.00	27.78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
जम्मू और कश्मीर										
1. जम्मू	1.50	13.50	13.66	-	-	28.66	11.50	40.16	-	40.16
2. कश्मीर	14.16	27.48	4.06	-	-	45.70	-	45.70	-	45.70
जोड़:	15.66	40.98	17.72	-	-	74.36	11.50	85.86	-	85.86
गोवा राज्य										
1. गोवा	-	24.93	4.69	-	-	29.62	-	29.62	-	29.62
जोड़:	-	24.93	4.69	-	-	29.62	-	29.62	-	29.62
गुजरात राज्य										
1. भावनगर	8.00	10.00	0.35	-	-	18.35	-	18.35	-	18.35
2. गुजरात	15.12	21.08	8.03	19.46	-	63.69	-	63.69	-	63.69
3. एम. एस. विश्वविद्यालय	4.50	9.24	103.75 *0.07	-	-	117.49 *0.07	118.94	236.43 *0.07	-	236.43 *0.07
4. सरदार पटेल	4.10	22.08 * 1.70	18.38	1.00	-	45.56 * 1.70	5.00	50.56 * 1.70	- -	50.56 * 1.70
5. द. गुजरात	2.40	29.57	1.66	-	-	33.63	-	33.63	-	33.63
6. सौराष्ट्र	7.25	48.08	0.97	1.50	-	57.80	-	57.80	-	57.80
जोड़:	41.37	140.05 *1.70	133.14 *0.07	21.96	-	336.52 *1.77	123.94	460.46 *1.77	-	460.46 *1.77
हरियाणा राज्य										
1. हरियाणा कृषि	-	0.16	1.22	-	-	1.38	-	1.38	-	1.38
2. कुरूक्षेत्र	10.47	31.64	11.17 *0.04	-	-	53.28 *0.04	-	53.28 *0.04	-	53.28 *0.04
3. एम. डी. विश्वविद्यालय	4.00	1.87	3.64	1.50	-	11.01	-	11.01	-	11.01
जोड़ :	14.47	33.67	16.03 * 0.04	1.50		65.67 * 0.04	-	65.67 * 0.04	-	65.67 * 0.04

* समायोजन द्वारा

परिशिष्ट-XXVI (क्रमशः)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
कर्नाटक राज्य										
1. बंगलौर	2.00	18.00	28.49	-	-	48.49	2.38	50.87	-	50.87
2. गुलबर्गा	-	14.37	0.73	-	-	15.10	-	15.10	-	15.10
3. कर्नाटक	5.00	14.40	28.06	-	-	47.46	-	47.46	2.00	49.46
4. मंगलौर	-	13.63	7.04	-	0.02	20.69	-	2069	-	2069
5. मैसूर	4.50	27.90	20.98	-	-	53.38	-	53.38	-	53.38
6. कृषि एवं विज्ञान	-	-	0.10	-	-	0.10	-	0.10	-	0.10
7. कृषि एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर	-	-	0.11	-	-	0.11	-	0.11	-	0.11
8. कुवैम्पू	-	10.00	-	-	-	10.00	-	10.00	-	10.00
जोड़:	11.50	98.30	85.51	-	0.02	195.33	2.38	197.71	2.00	199.71
केरल राज्य										
1. कालीकट	-	23.55	13.40	-	-	36.95	-	36.95	-	36.95
2. विज्ञान एवं तकनीकी वि. वि., कोचीन	2.46	0.64	9.99	-	-	23.09	32.07	55.16	-	55.16
3. महात्मा गांधी वि. वि.	-	7.65	8.00	-	-	15.65	-	15.65	-	15.65
4. केरल	4.29	38.38	35.19	-	-	77.86	-	77.86	-	77.86
5. कृषि वि. वि., केरल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
जोड़ :	6.75	80.22	66.58	-	-	153.55	32.07	185.62	-	185.62

परिशिष्ट-XXVI (क्रमशः)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
मध्य प्रदेश राज्य										
1. अवधेश प्रताप सिंह	19.00	7.80	-	-	-	26.80	-	26.80	-	26.80
2. भोपाल/बरकतुल्ला	9.40	8.51	6.99	1.20	-	26.10	-	26.10	-	26.10
3. देवी अहिल्या	20.58	55.64 *0.40	85.84	33.30	-	195.36 *0.40	5.30	200.6 *0.40	8.00	208.66 *0.40
4. डा. हरि सिंह गौड़	5.82	29.82	6.27	-	-	41.91	2.75	44.66	-	44.66
5. गुरू घासीदास	2.35	27.70	9.14	-	-	39.19	-	39.19	-	39.19
6. इंदिरा कला संगीत	2.90	9.19	1.76	5.00	-	18.85	-	18.85	-	18.85
7. जीवाजी	9.40	11.07	2.03	1.50	-	24.00	-	24.00	-	24.00
8. रानी दुर्गावती	-	48.03	4.06	-	-	52.09	-	52.09	-	52.09
9. रवि शंकर	3.00	10.74	5.92	-	-	19.66	-	19.66	-	19.66
10. विक्रम वि.वि.	11.85	11.84	2.29	-	-	25.98	5.00	30.98	-	30.98
जोड़ :	84.30	220.34 * 0.40	124.30	41.00	-	469.94 *0.40	13.05	482.99 * 0.40	8.00	490.99 * 0.40

* समायोजन द्वारा

परिशिष्ट-XXVI (क्रमशः)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
महाराष्ट्र राज्य										
1. बम्बई	17.41	16.10 * 0.07	210.30	-	-	243.81 * 0.07	89.37	333.18 * 0.07	-	333.18 * 0.07
2. मराठवाड़ा	12.31	22.25	7.32	-	-	41.88	-	41.88	-	41.88
3. नागपुर	4.00	11.85	9.14	2.15	-	27.10	3.52	30.62	-	30.62
4. पूना	3.25	7.15	29.14	28.39	-	67.93	-	67.93	-	67.93
5. एस. एन. डी. टी. महिला	8.63	14.37	12.32	-	-	35.32	7.80	43.12	1.10	44.22
6. शिवाजी	0.67	14.34	5.91	-	-	20.92	-	20.92	-	20.92
जोड़ :	46.27	86.06 * 0.07	274.09	30.54	-	436.96 * 0.07	100.69	537.65 * 0.07	1.10	538.75 * 0.07
मणिपुर										
1. मणिपुर	3.20	6.81	3.46	8.01	-	21.48	-	21.48	-	21.48
जोड़ :	3.20	6.81	3.46	8.01	-	21.48	-	21.48	-	21.48
उड़ीसा										
1. ब्रहमपुर	0.87	3.67	7.33	-	-	11.87	0.35	12.22	-	12.22
2. कृषि विश्वविद्यालय, उड़ीसा	-	-	0.07	-	-	0.07	-	0.07	-	0.07
3. सम्बलपुर	3.50	11.77	2.19	1.00	-	18.46	26.16	44.26	-	44.62
4. श्री जगन्नाथ संस्कृत	-	-	0.08	-	-	0.08	-	0.08	-	0.08
5. उत्कल	5.00	37.54	15.22	-	-	57.76	11.00	68.76	-	68.76
जोड़ :	9.37	52.98	24.89	1.00	-	88.24	37.51	125.75	-	125.75

*समायोजन द्वारा

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
पंजाब राज्य										
1. गुरूनानक देव	-	21.78	9.65	-	-	31.43	-	31.43	2.00	33.43
2. पंजाब	1.50	16.11	130.62	-	-	148.23	17.75	165.98	-	165.98
3. कृषि विश्वविद्यालय	-	0.33	2.78	-	-	3.11	-	3.11	-	3.11
4. पंजाबी	15.75	9.44	15.84	20.00	-	61.03	-	61.03	-	61.03
जोड़:	17.25	47.66	158.89	20.00	-	243.80	17.75	261.55	2.00	263.55
राजस्थान राज्य										
1. राजस्थान	0.58	57.41 * 0.02	36.94	-	-	94.93 * 0.02	-	94.93 * 0.02	2.00	96.93 * 0.02
2. एम. एल. सुखाड़िया	4.20	1.01	20.00	-	-	25.21	-	25.21	-	25.21
3. कोटा ओपन	-	-	0.10	-	-	0.10	-	0.10	-	0.10
4. जोधपुर	-	31.69	11.06	10.97	-	53.72	5.39	59.11	-	59.11
जोड़ :	4.78	90.11 *0.02	68.10	10.97	-	173.96 *0.02	5.39	179.35 *0.02	2.00	181.35 *0.02
तमिलनाडु राज्य										
1. अगप्पा	-	10.61	-	-	-	10.61	-	10.61	-	10.61
2. अन्ना	0.36	16.48	77.83	5.07	-	99.74	178.85	278.59	-	278.59
3. अन्नामलाई	4.55	26.27	13.66	-	-	44.48	0.58	45.06	-	45.06
4. भरथियार	-	10.02	3.80	-	-	13.82	4.16	17.98	4.00	21.98
6. मद्रास	13.60	31.38	96.03	12.75	-	153.75	-	153.76	2.00	155.76
7. मदुरई कामराज	21.75	50.91	23.86 * 0.10	1.35	-	97.87 * 0.10	-	97.87 * 0.10	-	97.87 * 0.10
8. मदरटरेसा वूमैन्स	-	10.71	0.52	-	-	11.23	-	11.23	-	11.23
9. तमिल	2.69	9.21	2.34	-	-	14.24	-	14.24	-	14.24
जोड़ :	47.95	223.39	224.95 * 0.10	19.17	-	515.46 * 0.10	183.59	699.05 * 0.10	6.00	705.05 * 0.10

*समायोजन द्वारा

परिशिष्ट-XXVI (क्रमशः)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
त्रिपुरा राज्य										
1. त्रिपुरा	-	1.30	2.63	-	-	3.93	-	3.93	-	3.93
जोड़ :	-	1.30	2.63	-	-	3.93	-	3.93	-	3.93
उत्तर प्रदेश राज्य										
1. आगरा	-	14.72	7.84	3.00	-	25.56	-	25.56	-	25.56
2. इलाहाबाद	1.00	55.70	107.57	11.80	-	176.07	0.89	176.96	-	176.96
3. अवध	10.72	-	0.63	2.25	-	13.60	-	13.60	-	13.60
4. बुन्देलखण्ड	-	-	0.39	0.10	-	0.49	-	0.49	-	0.49
5. सी. ए. कृषि एवं तकनीकी	-	-	0.20	-	-	0.20	-	0.20	-	0.20
6. एच. एन. बहुगुणा वि.वि. गढ़वाल	6.83	25.19	12.57	-	-	44.59	-	44.59	0.75	45.34
7. जी. बी. पन्त कृषि एवं तकनीकी	-	0.17	2.10	-	-	2.17	0.79	3.06	-	3.06
8. गोरखपुर	23.84	19.50 * 0.02	30.20	0.90	-	74.44 *0.02	-	74.44 *0.02	-	74.44 * 0.02
9. कानपुर	9.30	1.16	6.00	-	-	16.46	-	16.46	-	16.46
10. काशी विद्यापीठ	0.70	5.37 *0.13	1.47	2.00	-	9.54 *0.13	-	9.54 *0.13	-	9.54 *0.13
11. कुमाऊँ	1.35	14.84	30.73	0.50	-	47.42	-	47.42	-	47.42
12. लखनऊ	8.50	22.01	62.07	1.15	-	93.73	-	93.73	-	93.73
13. मेरठ	-	2.05	6.11	-	-	8.16	-	8.16	-	8.16
14. रूहेलखण्ड	2.00	3.15	3.37	-	-	8.52	-	8.52	-	8.52
15. रूड़की	1.00	1.80	239.59	15.07	-	257.46	192.94	450.40	-	450.40
16. सम्पूर्णानन्द संस्कृत	-	9.78	2.29	2.00	-	14.07	-	14.07	-	14.07
जोड़ :	65.24	175.44 *0.15	513.13	38.77	-	792.58 *0.15	194.62	987.20 *0.15	0.75	987.95 *0.15

* समायोजन द्वारा

परिशिष्ट-XXVI (क्रमशः)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
पश्चिमी बंगाल राज्य										
1. बी.सी. कृषि	-	-	0.76	-	-	0.76	-	0.76	-	0.76
2. बर्धवान	10.90	7.81	46.51	-	-	65.22	-	65.22	-	65.22
3. कलकत्ता	6.50	32.55	216.21	0.75	-	256.01	57.28	313.29	-	313.29
4. जादवपुर	5.55	12.85	82.58	1.00	-	101.98	97.85	199.83	-	199.83
5. कल्याणी	5.59	1.70	13.23	3.00	-	23.52	-	23.52	-	23.52
6. नोर्थ बंगाल	8.44	33.59	15.87	-	-	57.90	-	57.90	-	57.90
7. रविन्द्रा भारती	5.80	12.86	5.30	-	-	23.96	-	23.96	0.40	24.36
8. विद्यासागर	-	20.00	-	-	-	20.00	-	20.00	-	20.00
जोड़:	42.78	121.36	380.46	4.75	-	549.35	155.13	704.48	0.40	704.88
कुल जोड़:	629.54 * 0.06	3382.57 * 0.73	4617.39 * 0.25	339.16 0.02	-	8968.68	1799.79	10768.47	52.74	10821.21

* समायोजन द्वारा

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

आठवीं योजनावधि (1990-95) के दौरान महाविद्यालयों के विकास हेतु सहायता-प्रस्ताव

(अ) 1. बड़े पैमाने पर स्नातक पूर्व शिक्षा तथा किसी हद तक स्नातकोत्तर शिक्षा प्रदान करने वाले महाविद्यालयों के विकास को यथोचित स्तरों तक बनाए रखने तथा सुविधाओं के यथेष्ट उपयोग को सुनिश्चित करने के विचार से उच्च शिक्षा एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है। बढ़ती हुई व्यावसायिक शिक्षा तथा उसकी व्यावहारिकता को सुनिश्चित करने तथा शिक्षा पद्धति में आवश्यक एवं अपेक्षित परिवर्तन करने तथा समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों और शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों के लोगों के विकास के लिए उन्हें समान शैक्षणिक अवसर उपलब्ध कराने के विचार से भी महाविद्यालयों का विकास करना अत्यावश्यक है।

2. आठवीं योजनावधि में सीमित वित्तीय संसाधनों को मद्देनजर रखते हुए महाविद्यालयों की विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं का निर्धारण सावधानी पूर्वक करना होगा ताकि इन संसाधनों का प्रयोग मुख्य रूप से ऐसे कार्यक्रमों के लिए किया जा सके जिनसे महाविद्यालयों में मानविकी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान तथा वाणिज्य संबंधी विषयों के स्नातकपूर्व पाठ्यक्रमों को आधुनिक एवं सुसंगत बनाया जा सके और उसके माध्यम से शैक्षिक स्तर में पर्याप्त सुधार हो सके।

3. उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले ज्यादातर विद्यार्थियों के लिए स्नातक उपाधि की शिक्षा समाप्ति का स्तर होने की संभावना है। अतः यह आवश्यक है कि वर्तमान स्नातक पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के लिए सार्थक बनाने के लिए समुचित रूप से संशोधित किया जाना चाहिए। स्नातकपूर्व पाठ्यक्रमों, जो केवल विद्यार्थियों के लिए ही नहीं अपितु स्थानीय, प्रादेशिक, तथा राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए महत्वपूर्ण हैं, को जनशक्ति की आवश्यकताओं के लिए अधिक सुसंगत बनाने की आवश्यकता है। इन पाठ्यक्रमों में प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग पर जोर देने के साथ-साथ ऐसी व्यवस्था करनी भी जरूरी है, जो विद्यार्थियों के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ाने या वर्तमान अवसरों में सुधार करने में सहायक सिद्ध हो सके। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इन पाठ्यक्रमों में मौलिक परिवर्तन व बढ़ते हुए अन्तर्विषयी अध्ययन तथा व्यवसायमूलक क्षेत्रों को सम्मिलित करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ विद्यार्थियों को अपनी रूचि और योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए।

4. गत वर्षों में, अल्प छात्र संख्या तथा अपर्याप्त सुविधाओं वाले अनेक महाविद्यालय अस्तित्व में आये हैं। ऐसे महाविद्यालयों की स्थापना को हतोत्साहित किया जाएगा। शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में जहाँ उच्च शिक्षा के लिए समुचित सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, नए महाविद्यालय स्थापित किये जाएंगें।

5. अतः आठवीं योजनावधि में महाविद्यालयों में स्नातकपूर्व तथा स्नातकोत्तर शिक्षा के विकास से संबंधित आयोग की नीति के चार मुख्य लक्ष्य होंगे : (अ) शिक्षा के स्तर तथा गुणवत्ता में सुधार (ब) उच्च शिक्षा में व्याप्त विसंगतियों तथा प्रादेशिक असंतुलनों का निराकरण (स) पाठ्यक्रमों की पुनः सरंचना तथा विविधकरण और (द) सुपात्र महाविद्यालयों को स्वायत्ता प्रदान करना। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आयोग न्यूनतम पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले महाविद्यालयों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगा ताकि ऐसे महाविद्यालयों को जो शिक्षा का उन्नत स्तर प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं वित्तीय मदद मुहैया कराई जा सके जिससे कि वे अपनी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। जैसे पुस्तक पत्रिकाएं आदि खरीद सकें तथा पुस्तक बैंकों को समृद्ध बना सकें तथा आवश्यक वैज्ञानिक उपकरण खरीद सकें। इसके अतिरिक्त आयोग ऐसे महाविद्यालयों को भवन निर्माण, शैक्षिक और तकनीकी पदों की नियुक्तियों, समाज के कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों के लिए उपचारी पाठ्यक्रमों के संचालन, विस्तार कार्यक्रमों तथा परीक्षा सुधार एवं शैक्षिक सम्मेलनों कार्यशालाओं/संगोष्ठियों को आयोजित करने के लिए भी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगा। विसंगतियों और प्रादेशिक असंतुलनों के निराकरण के लिए अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने वाले महाविद्यालयों तथा पिछड़े/ग्रामीण सीमा क्षेत्रों में स्थित महाविद्यालयों के चातुर्दिक विकास के लिए भी वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाएगी।

(ब) स्नातक पूर्व शिक्षा के विकास के लिए सहायता

1. **आयोग स्नातक पूर्व शिक्षा के लिए, केवल उन्हीं महाविद्यालयों को सहायता प्रदान करेगा जो नीचे दी गयी शर्तों को पूरा करते हैं:**

(क) महाविद्यालय में कम से कम तीन विभागों में प्रधानाचार्य समेत कम से कम दस स्थायी शिक्षक (राजकीय महाविद्यालयों में नियमित आधार पर नियुक्त) होने चाहिए। इनमें शारीरिक शिक्षा अनुदेशक/शारीरिक शिक्षा निदेशक तथा पुस्तकालय-अध्यक्ष को नहीं गिना जाएगा। महिला महाविद्यालय, पिछड़े/ग्रामीण/सीमा क्षेत्रों स्थित महाविद्यालयों तथा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले महाविद्यालयों के संबंध मे शिक्षकों की यह संख्या पांच तक हो सकती है।

(ख) महाविद्यालय में स्नातक स्तरीय कक्षाओं में कम से कम 250 विद्यार्थी होने चाहिए तथा पिछड़े/ग्रामीण/सीमा क्षेत्रों में स्थित महाविद्यालयों के मामले में (10+2 स्तर के बाद) यह संख्या 150 तथा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले महाविद्यालयों को सहायता उपलब्ध कराई जाएगी जिनमें इन वर्गों के छात्रों की संख्या कुल नामांकन संख्या का 20% होना या 35 जो भी अधिक है, होनी चाहिए। उच्चतम सीमा निम्न प्रकार है महाविद्यालयों के लिए सहायता की :-

कला, विज्ञान, वाणिज्य/बहुसंकायों वाले महाविद्यालय

(i) सामान्य श्रेणी :

क्रम सं०	छात्र नामांकन	सहायता सीमा
1.	250 से 500 तक	5 लाख रूपये
2.	501 से 1000 तक	6 लाख रूपये
3.	1001 से 2000 तक	8 लाख रूपये
4.	2001 से 3000 तक	9 लाख रूपये
5.	3001 से अधिक	10 लाख रूपये

(ii) महिला महाविद्यालय तथा पिछड़े/ग्रामीण/सीमा क्षेत्रों में स्थित महाविद्यालय :

क्रम सं०	छात्र नामांकन	सहायता सीमा
1.	150 से 500 तक	5 लाख रूपये
2.	501 से 1000 तक	6 लाख रूपये
3.	1001 से 2000 तक	8 लाख रूपये
4.	2001 से 3000 तक	9 लाख रूपये
5.	3001 से अधिक	10 लाख रूपये

(iii) अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की आवश्यकता को पूरा करने वाले महाविद्यालय :

क्रम सं०	छात्र नामांकन	सहायता सीमा
1.	100 से 500 तक	5 लाख रूपये
2.	501 से 1000 तक	6 लाख रूपये
3.	1001 से 2000 तक	8 लाख रूपये
4.	2001 से 3000 तक	9 लाख रूपये
5.	3001 से अधिक	10 लाख रूपये

(iv) **अन्य श्रेणियाँ :**

ऐसे महाविद्यालय जो एकल संकाय, महिला महाविद्यालय, पिछड़े/ग्रामीण सीमा क्षेत्रों में स्थापित महाविद्यालय तथा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों वाले महाविद्यालयों की श्रेणी में नहीं आते परन्तु उनमें स्नातक स्तर तथा 10+2 स्तर के बाद छात्र संख्या 150 से 249 के बीच है तथा प्रधानाचार्य सहित (शारीरिक शिक्षा अनुदेशक/शारीरिक शिक्षा निदेशक तथा पुस्तकालयाध्यक्ष को छोड़कर) पाँच स्थायी शैक्षिक (या राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति नियमित आधार पर हुई हो) है, को सीमान्त सहायता प्रदान की जाएगी :

(i) पुस्तकों, पत्रिकाओं तथा पुस्तक बैंकों को स्थापित करने व समृद्ध करने के लिए 100 रूपये प्रति छात्र;

(ii) श्रव्य-दृश्य सामग्री तथा रिप्रोग्राफिक सुविधाओं समेत आधारभूत वैज्ञानिक उपस्करों के लिए 200/- रूपये प्रति छात्र;

(iii) भारत के शैक्षणिक सम्मेलनों में शामिल होने के लिए प्रत्येक स्थायी शिक्षक (राजकीय महाविद्यालयों में नियमित आधार पर नियुक्त) को 500/- रूपये प्रति शिक्षक परन्तु 10,000/- रूपये से अधिक नहीं।

(स) एकल संकाय वाले महाविद्यालयों को विकास सहायता

(अ) तीन वर्षीय विधि पाठ्यक्रम चलाने वाले महाविद्यालय : सहायता सीमा 2 लाख रूपये

(i) महाविद्यालय में तीन वर्षों में छात्रों की कुल संख्या कम से कम 100 होनी चाहिए।

(ii) संस्था में प्रधानाचार्य सहित पूर्णकालिक रूप से विधि अध्यापन कर रहे स्थायी अध्यापकों (राजकीय महाविद्यालयों में नियमित आधार पर नियुक्त) की संख्या कम से कम पाँच होनी चाहिए।

(ब) समाज कार्य महाविद्यालय : स्नातकपूर्व पाठ्यक्रमों के लिए सहायता सीमा 2 लाख रूपये

(i) महाविद्यालय में स्नातक कक्षाओं में तथा (10+2 स्तर के बाद) अध्ययनरत् छात्रों की न्यूनतम संख्या 70 होनी चाहिए।

(ii) संस्था में प्रधानाचार्य सहित स्थायी अध्यापकों (राजकीय महाविद्यालयों में नियमित आधार पर नियुक्त) की संख्या कम से कम पांच होनी चाहिए।

(iii) क्षेत्र-कार्य के लिए जीप/वाहन इत्यादि के क्रय हेतु कोई सहायता प्रदान नहीं की जाएगी।

(स) **शिक्षण/शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय**

(i) **बी० एड० उपाधि प्रदान करने वाले महाविद्यालय : सहायता सीमा 2 लाख रूपये**

(क) महाविद्यालय में छात्रों की न्यूनतम संख्या 70 होनी चाहिए।

(ख) प्रधानाचार्य सहित (शारीरिक शिक्षा अनुदेशक/शारीरिक शिक्षा निदेशक, तथा पुस्तकालयाध्यक्ष को छोड़कर) स्थायी शिक्षकों (राजकीय महाविद्यालयों में नियमित आधार पर नियुक्त) की संख्या कम से कम पांच होनी चाहिए।

(ग) महाविद्यालय में छात्रों का प्रवेश विश्वविद्यालय या सम्बन्धित अधिकारी निर्धारित संख्या से अधिक नहीं चाहिए।

(ii) **बी० एड० तथा एम० एड० उपाधि प्रदान करने वाले महाविद्यालय : सहायता सीमा 3 लाख रूपये**

(क) महाविद्यालयों में छात्रों की न्यूनतम संख्या 80 होनी चाहिए।

(ख) प्रधानाचार्य सहित (शारीरिक शिक्षा अनुदेशक/शारीरिक शिक्षा निदेशक तथा पुस्तकालयाध्यक्ष को छोड़कर) स्थायी अध्यापकों (राजकीय महाविद्यालय में नियमित आधार पर नियुक्त) की संख्या कम से कम 7 होनी चाहिए।

(ग) महाविद्यालय में छात्रों को विश्वविद्यालय या सम्बन्धित अधिकारी द्वारा निर्धारित संख्या से अधिक प्रवेश नहीं देना चाहिए।

(द) **शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय : स्नातकपूर्व पाठ्यक्रमों के लिए सहायता सीमा 2 लाख रूपये**

(i) महाविद्यालय में स्नातक कक्षाओं तथा 10+2 स्तर के बाद छात्रों की न्यूनतम संख्या 70 होनी चाहिए।

(ii) महाविद्यालय में प्रधानाचार्य सहित कम से कम पांच स्थायी अध्यापक या (राजकीय महाविद्यालय में नियमित आधार पर नियुक्त) होने चाहिए।

(iii) महाविद्यालयों में छात्रों को विश्वविद्यालय या सम्बन्धित अधिकारी द्वारा निर्धारित संख्या से अधिक प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए।

(च) **गृहविज्ञान महाविद्यालय : स्नातकपूर्व पाठ्यक्रमों के लिए सहायता सीमा 2 लाख रूपये**

(i) महाविद्यालय में स्नातक कक्षाओं में तथा (10+2 स्तर के बाद) छात्रों की न्यूनतम संख्या 70 होनी चाहिए।

(ii) महाविद्यालय में प्रधानाचार्य समेत (शारीरिक शिक्षा अनुदेशक/शारीरिक शिक्षा निदेशक तथा पुस्तकालयाध्यक्ष को छोड़कर) कम से कम पांच स्थायी अध्यापक (या राजकीय महाविद्यालय में नियमित आधार पर नियुक्त) होने चाहिए।

(iii) महाविद्यालयों में छात्रों को विश्वविद्यालय या सम्बन्धित अधिकारी द्वारा निर्धारित संख्या से अधिक प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए।

(छ) **ललित कला तथा संगीत महाविद्यालय : स्नातकपूर्व पाठ्यक्रमों के लिए सहायता सीमा 2 लाख रूपये**

(i) महाविद्यालय में स्नातक कक्षाओं तथा (10+2 स्तर के बाद) छात्रों की न्यूनतम संख्या 40 होनी चाहिए।

(ii) महाविद्यालय में प्रधानाचार्य समेत (शारीरिक शिक्षा अनुदेशक/शारीरिक शिक्षा निदेशक तथा पुस्तकालयाध्यक्ष को छोड़कर) कम से कम पाँच स्थायी शिक्षक (या राजकीय महाविद्यालय में नियमित आधार पर नियुक्त शिक्षकों) की संख्या पांच होनी चाहिए।

(ज) **प्राच्य भाषाएं जैसे संस्कृत/पाली/अरबी/फारसी आदि की शिक्षा देने वाले महाविद्यालय : स्नातकपूर्व पाठ्यक्रमों के लिए सहायता सीमा 2 लाख रूपये**

(i) महाविद्यालय में स्नातक स्तरीय कक्षाओं में तथा (10+2 स्तर के बाद) छात्रों की कम से कम संख्या 40 होनी चाहिए।

(ii) महाविद्यालय में प्रधानाचार्य समेत (शारीरिक शिक्षा अनुदेशक/शारीरिक शिक्षा निदेशक तथा पुस्तकालयाध्यक्ष को छोड़कर) कम से कम 5 स्थायी अध्यापक (या राजकीय महाविद्यालयों में नियमित आधार पर नियुक्त) होने चाहिए।

(झ) **स्नातकोत्तर शिक्षा के विकास के लिए सहायता : कला/विज्ञान/वाणिज्य/बहुसंकाय/ एकल संकाय वाले महाविद्यालय**

(i) कला/विज्ञान/वाणिज्य विषयक स्नातकोत्तर विभाग वाले ऐसे महाविद्यालयों को जो निम्नलिखित शर्तें पूरी करते हैं तथा अन्य महाविद्यालयी विभागों के स्नातकोत्तर शिक्षा के विकासार्थ सहायता उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में विचार किया जाएगा।

(अ) किसी मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान, वाणिज्य, गणित, सांख्यिकी, भूगोल, मनोविज्ञान, विधि तथा संगीत एवं ललित कलाओं वाले विभागों में कम से कम चार शिक्षक होने चाहिए। उनमें से कम से कम दो शिक्षकों के पास एम०फिल०/पी०एच०डी० उपाधि होनी चाहिए। किसी विज्ञान विभाग में कम से कम छः शिक्षक होने चाहिए तथा उनमें से कम से कम तीन शिक्षकों के पास एम०फिल०/पी०एच०डी० की उपाधि होनी चाहिए।

(ब) विभाग से सम्बन्धित विषय की कम से कम तीन मानक अकादमी पत्रिकाओं के निमित्त शुल्क देने की व्यवस्था होनी चाहिए।

(स) विभाग में संकाय सदस्यों द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या किसी अन्य संगठन द्वारा मान्य शोध परियोजना संचालित हो या पिछले तीन वर्षों में प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने से पहले संकाय सदस्यों के तीन लेख मानक पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हो। संकाय सदस्यों द्वारा संचालित लघु परियोजनाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।

(द) दो वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में पूर्णकालिक विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या 20 तथा संगीत एवं ललित कलाओं वाले पाठ्यक्रमों में कम से कम 5 होनी चाहिए।

2. **विभिन्न विभागों के लिए सहायता सीमा निम्न प्रकार से होगी:-**

(अ)	मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान, वाणिज्य, विधि तथा संगीत एवं ललित कला विभाग।	प्रत्येक विभाग के लिए 2 लाख रूपये
(ब)	भूगोल, गणित, सांख्यिकी एवं मनोविज्ञान विभाग	प्रत्येक विभाग के लिए 2.5 लाख रूपये
(स)	भौतिकी, रसायन, वनस्पति विज्ञान प्राणिशास्त्र, भूविज्ञान, जैव-रसायन, गृहविज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान आदि	प्रत्येक विभाग के लिए 3 लाख रूपये

3. किसी महाविद्यालय में स्नातकोत्तर विभाग के लिए वरिष्ठ अकादमीय (प्रोफेसर, रीडर) पदों की रचना संबंधी प्रस्तावों पर उपयुक्त अधिकतम सीमा के अन्तर्गत अर्हताएं तथा योग्यताओं के आधार पर ही विचार किया जाएगा। इन पदों के लिये वे योग्यताएं तथा भर्ती नियम लागू होगें जो आयोग द्वारा विश्वविद्यालय विभाग के अन्य समकक्ष पद के लिए निर्धारित किये गए हैं। इन पदों के लिए, आयोग की सहायता 31 मार्च 1995 तक ही उपलब्ध कराई जाएगी। बशर्ते कि ये पद स्थायी आधार पर स्थापित किए जायें और इन पर 1.4.1995 से होने वाले व्ययभार को राज्य सरकार/महाविद्यालय स्वयं वहन करने के लिए सहमत हों। उससे संबंधित प्रस्तावों को विश्वविद्यालय के संयुक्त प्रस्तावों में सम्मिलित किया जा सके।

4. आयोग आवश्यकता पड़ने पर विशेष समिति की मदद से स्नातकोत्तर विभाग की आवश्यकताओं को निर्धारित कर सकता है।

(ज) महाविद्यालयों द्वारा विकास प्रस्तावों का प्रबंध

(i) आठवीं योजनावधि के दौरान विभिन्न स्तरों पर शिक्षण के प्रतिमानों में सुधार करने के लिए महाविद्यालय विकास के संबंधित प्रस्तावों को सूत्रबद्ध किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए (क) पुस्तक बैंकों की स्थापना सहित पुस्तकों एवं पत्र-पत्रिकाओं और तदविषयक सुविधाओं में वृद्धि करने तथा विद्यार्थियों की पढ़ने की आदतों में सुधार लाने की दृष्टि से वर्तमान पुस्तक बैंकों में सुविधाओं को बढ़ाना (ख) स्तरों में सुधार लाने के लिए आवश्यक उपकरण (ग) उच्च कक्षा में विद्यार्थियों तथा अंशकालिक कर्मचारियों की सहायता से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के वर्गों के विद्यार्थियों सहित कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों के लिए कार्यसाधक पाठ्यक्रम, (घ) विशेष कार्यक्रमों के रूप में समाज के कमजोर वर्गों के लाभ के लिए निकटवर्ती क्षेत्रों में विस्तारकार्य, (च) शिक्षण स्तर में सुधार लाने के लिए अतिरिक्त शिक्षण एवं तकनीकी वर्ग (छ) परीक्षा सुधार (ज) यदि कोई शोध कार्य है तो आँकड़ा संग्रह क्षेत्रकार्य तथा सम्बन्धित कार्य (केवल स्नातकोत्तर विभागों के लिए लागू) (ट) भारत में शैक्षणिक सम्मेलनों में शिक्षकों की भागीदारी के लिए और (ठ) तथा विभिन्न प्रकार के भवनों जैसे पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कक्षाकमरा, सड़क, पशुशाला, पुरूष छात्रावास, महिला छात्रावास, स्टाफ क्वार्टर, शिक्षक छात्रावास के निर्माण तथा विस्तार हेतु और विद्यमान छात्रावास में सुविधाओं के विकास से संबंधित प्रस्तावों को विश्वविद्यालय के संयुक्त प्रस्तावों में सम्मिलित किया जा सकता है। भवन परियोजना के तहत महिला महाविद्यालयों को केवल स्टाफ क्वार्टर तथा शिक्षक छात्रावास के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। महाविद्यालय योजना परिषद् की स्थापना कर सकता है और वास्तविक आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त करने के उपरान्त विकास प्रस्तावों को सूत्रबद्ध करने के कार्य में अपने संकायों को सम्मिलित कर सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि महाविद्यालय ऊपर दिए गये सभी उद्देश्यों के लिए सहायता की मांग करें। विभिन्न मदों के लिए, सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया परिशिष्ट-1 में दी गई है।

क्रम सं०	मद	वि०वि०अ०आ० की सहायता का भाग
1.	पुस्तक बैंकों सहित पुस्तकें एवं पत्र-पत्रिकाएं	100/- प्रतिशत
2.	प्रयोगशाला सहित पुस्तकें एवं पत्र-पत्रिकाएं	100/- प्रतिशत
3.	पुस्तकालय के लिए व्यावसायिक कर्मचारी वर्ग सहित शिक्षण एवं तकनीकी कर्मचारी वर्ग	100/- प्रतिशत
4.	विस्तार कार्यक्रम	100/- प्रतिशत
5.	परीक्षा सुधार	100/- प्रतिशत
6.	कमजोर छात्रों के लिए कार्यसाधक पाठ्यक्रम	100/- प्रतिशत
7.	आँकड़ा संग्रह (केवल स्नातकोत्तर शिक्षा के विकास के लिए लागू)	100/- प्रतिशत
8.	भारत में शैक्षणिक सम्मेलनों में शिक्षकों की भागीदारी	100/- प्रतिशत
9.	प्रयोगशालाओं के विस्तार सहित अकादमी भवन	75/- प्रतिशत
10.	पुस्तकालय भवन	100/- प्रतिशत
11.	कार्यशाला शेड/पशुशाला/संग्रहालय/ग्रीनहाउस	100/- प्रतिशत
12.	पुरूष छात्रावास	75/- प्रतिशत
13.	महिला छात्रावास	100/- प्रतिशत
14.	कर्मचारी वर्ग आवास/शिक्षक छात्रावास	75/- प्रतिशत
15.	जलपान-गृह/अनावासी छात्र केन्द्र निर्माण तथा उपस्कर	75/- प्रतिशत
16.	विद्यमान छात्रावासों में सुविधाओं का विकास	75/- प्रतिशत
17.	स्वास्थ्य केन्द्र-निर्माण एवं उपस्कर	75/- प्रतिशत

(ii) आशा की जाती है महाविद्यालय सहायता सीमा का 20% पत्र-पत्रिकाओं पर, उपस्करों पर 20%, भवन निर्माण परियोजनाओं पर 40% तथा शेष 20% अन्य कार्यक्रमों पर व्यय करेंगे। परन्तु, सातवीं योजना या किसी पूर्व योजना में अनुमोदित भवन निर्माण पर 31.3.91 के उपरान्त किए गये कुल व्यय समेत सभी भवन निर्माण के लिए आयोग से प्राप्त सहायता सीमा के आधे से अधिक नहीं होनी चाहिए। वे विद्यालय जो विज्ञान पाठ्यक्रम नहीं चलाते उनको उपकरणों के लिए वित्तीय अनुदान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अतएव उन्हें इस मद के लिए कोई वित्तीय अनुदान नहीं कराई जाएगी। फिर भी उपकरणों के अनुदान के बारे में आवश्यक उपस्करों का विवरण प्राप्त कर लेने के बाद ।विचार किया जाएगा।

(iii) आठवीं योजना में सभी वर्गों के पदों के लिए सहायता केवल 31 मार्च, 1995 तक इस शर्त पर उपलब्ध कराई जाएगी कि उक्त पद स्थायी आधार पर सृजित किए गए हैं और इन पदों पर 1.4.1995 से होने वाला पूरा व्यय महाविद्यालय/राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

(iv) सभी वर्गों के महाविद्यालयों, शिक्षकों को भारत में आयोजित होने वाले अकादमीय सम्मेलनों में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता 500/- रूपये प्रति स्थायी शिक्षक या राजकीय महाविद्यालय में नियमित आधार पर नियुक्त शिक्षक के आधार पर प्रदान किया जाएगा परन्तु यह वित्तीय सहायता अधिकतम 10,000/- रूपये हो सकती है। यह व्यय महाविद्यालय को स्नातकपूर्व शिक्षा के विकास के लिए प्रदत्त समग्र वित्तीय सहायता की सीमा के अन्तर्गत आयेगा।

(v) विकास प्रस्तावों को तैयार करते समय महाविद्यालय उन योजनाओं को पूरा करने के लिए कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे, जो सातवीं या किसी पूर्व योजनावधि के दौरान क्रियान्वित की गयी परन्तु पूरी नहीं हो पायी। सातवीं योजना या किसी पूर्व योजना में अनुमोदित भवन परियोजनाओं को पूरा करने में महाविद्यालय द्वारा 31.3.1991 के उपरान्त किये गये व्यय को आठवीं योजना का प्रथम प्रभार माना जाएगा। परन्तु इस संबंध में किया गया वास्तविक व्यय और 31.3.1991 तक अनुमोदित मदों पर आयोग को प्रेषित व्यय राशि तथा 1.4.1991 को अथवा उसके उपरान्त प्रदत्त अनुदान को संबंधित मदों के निमित्त निर्धारित सीमा के अन्तर्गत आठवीं योजना का प्रथम प्रभार के रूप में माना जाएगा। उन भवन निर्माण संबंधी परियोजनाओं की समीक्षा महाविद्यालय द्वारा की जा सकती है जो सातवीं योजना के दौरान अनुमोदित हुई हो किन्तु यह देखने के लिए स्थगित कर दी गयी कि क्या भवन निर्माण विषयक इन परियोजनाओं को आठवीं योजना के तहत नई परियोजनाओं के रूप में अधिमान्यता दी जा सकती है।

(vi) महाविद्यालय द्वारा 31.3.1991 के उपरान्त अन्य अनुमोदित मदों जैसे पुस्तकें, उपकरण कार्य साधक पाठ्यक्रम, विस्तार कार्यक्रम शिक्षण एवं तकनीकी कर्मचारी वर्ग, शिक्षक अध्येतावृत्ति आदि पर किये गये व्यय को आठवीं योजना का प्रथम प्रभार के रूप में माना जाएगा। साथ ही सातवीं योजना अवधि के दौरान 31.3.91 तक शिक्षक अध्येतावृत्ति के निमित्त धनराशि से कम या अधिक किये गये व्यय को भी प्रथम प्रभार के रूप में माना जाएगा। इन मदों में 31.3.1991 तक वास्तविक रूप से किया गया व्यय जो सातवीं योजना के दौरान अनुमोदित प्रत्येक मद की निमित्त निर्धारित धनराशि से अधिक न हो तथा इन उद्देश्यों के लिए 1.4.1991 तक तथा बाद में की गई भुगतान राशि को प्रथम प्रभार के रूप में नहीं माना जाएगा।

(vii) विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण से संबधित योजना बनाते समय, महाविद्यालय को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि 20% स्थान अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित विद्यार्थियों के लिए आरक्षित किये जाएंगे। परन्तु अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों की संख्या के अपेक्षित अनुपात में न होने की स्थिति में ये स्थान अन्य वर्ग के विद्यार्थियों को दिये जा सकते हैं।

(viii) आयोग द्वारा प्रत्येक प्रस्ताव पर उसकी उपयोगिता के आधार पर विचार किया जाएगा तथा विभिन्न मदों तथा कार्यक्रमों के लिए महाविद्यालय की व्यवहार्यता को ध्यान रखकर वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। आयोग सभी मदों तथा प्रस्तावित राशि को स्वीकृत करने के लिए बाध्य नहीं है।

(ix) आठवीं योजनावधि में प्रत्येक अनुमोदित मद के लिए नियत धनराशि का अनुदान सातवीं योजना या किसी पूर्व योजना में इन मदों पर दिए गए अनुदान का परीक्षित-लेखा तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हो जाने के बाद ही स्वीकृत किया जाएगा।

(x) आठवीं योजना के दौरान विकास के निमित्त सहायता पाने वाले महाविद्यालयों की निर्धारित उच्चतम सीमा के अन्तर्गत सभी विभागों एवं सामान्य सुविधाओं के लिए समेकित योजना तैयार की जानी चाहिए और उसे विश्वविद्यालय को भेजा जाना चाहिए ताकि विश्वविद्यालय वांछित प्रमाण-पत्र जारी कर सकें योजना को निर्धारित प्रपत्र पर हर दृष्टि से पूरा कर आयोग द्वारा अपनाई जाने वाली क्रियाविधि के अर्न्तगत प्रेषित किया जाना चाहिए। प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2 (एफ) के अन्तर्गत समाविष्ट या सम्मिलित है तथा 12 (बी) के तहत बनाये गये नियमों के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के योग्य घोषित किये गये हैं और यदि उनकी स्थापना 17.6.1972 को अथवा इस तिथि के पश्चात् की गयी हो तो वे अपने प्रस्तावों को भेजने के पात्र माने जाएंगे।

(ज) महाविद्यालयों के लिए अन्य कार्यक्रम :

आयोग द्वारा महाविद्यालयों में सामान्य विकास संबंधी उपर्युक्त कार्यक्रमों के अतिरिक्त शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए उपर्युक्त अधिकतम सीमा से अधिक धन जुटाने के लिए महाविद्यालयों को ऐसे प्रत्येक कार्यक्रम के लिए निर्धारित क्रिया विधि के अनुसार किया जाएगा। इन योजनाओं में कोसिप (COSHIP), कोहसिप (COHSSIP) महाविद्यालयों में अध्ययन के स्नातकपूर्व पाठ्क्रमों की पुर्नसंरचना राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, विस्तार कार्य एवं सतत् शिक्षा कार्यक्रम, स्वायत्त महाविद्यालय, खेलकूद सुविधाओं में सुधार से संबंधी योजनाएं शामिल हैं।

(झ) संकाय सुधार के निमित्त अतिरिक्त कार्यक्रम :

i) शिक्षक अध्येतावृत्ति :

आयोग महाविद्यालय के शिक्षकों को उनकी विशेषज्ञता एवं अनुसंधान के क्षेत्र में हुए विकास से उन्हें अवगत कराने तथा उनकी व्यावसायिक क्षमता में वृद्धि करने की दृष्टि से, एम० फिल० उपाधि प्राप्त करने के लिए एक वर्षीय अल्पावधि की शिक्षक अध्येतावृत्तियां उपलब्ध कराएगा।

पी०एच०डी० उपाधि प्राप्त करने के लिए दीर्घावधि की अध्येतावृत्तियों का कार्यक्रम को बन्द कर दिया गया है परन्तु ऐसे शिक्षक को जिसने अपनी पी०एच०डी० उपाधि के क्षेत्र में पर्याप्त कार्य कर लिया है तथा शेष कार्य को पूरा करने के लिए एक वर्ष चाहिए। एक वर्षीय अल्पावधि की शिक्षक अध्येतावृत्ति प्रदान की जा सकती है।

यह योजना केवल उन महाविद्यालयों में लागू की जाएगी जो आठवीं योजना के तहत विकास सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। प्रदान की जाने वाली अध्येतावृति का निर्धारण प्रधानाचार्य सहित (शारीरिक शिक्षा अनुदेशक/शारीरिक शिक्षा निदेशक तथा पुस्तकालयाध्यक्ष को छोड़कर) स्थायी शिक्षकों (या राजकीय महाविद्यालयों में नियमित आधार पर नियुक्त) के आधार पर किया जाएगा। 45 वर्ष की आयु तथा तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके स्थायी शिक्षक (या राजकीय महाविद्यालयों में नियमित आधार पर नियुक्त) जिन्होंने स्नातकोत्तर स्तर पर 55% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, इन अध्येतावृत्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन वृत्तियों के लिए शिक्षकों का चयन इस उद्देश्य के गठित समिति की मदद से किया जाएगा। ये वृत्तियां जिस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हैं उसके कुलपति द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए।

आयोग इन वृत्तियों के लिए निर्वाह खर्च 750/- रूपये प्रतिमाह, मानविकी, समाजविज्ञान तथा वणिज्य विषयों के लिए आनुषंगिक व्यय 5,000/- प्रतिवर्ष, विज्ञान विषयों सहित गणित, साख्यिंकी, भूगोल तथा मनोविज्ञान के लिए आनुषंगिक व्यय 7,500/- रूपये प्रतिवर्ष तथा वृत्ति के चयन हो जाने तथा वृत्ति अवधि पूर्ण हो जाने के बाद अनुसंधान केन्द्र तक जाने तथा मूल संस्थान तक वापस आने के लिए महाविद्यालय द्वारा निर्धारित दर से (ट्रेन/बस का प्रथम श्रेणी का) किराया देगा। परन्तु निर्वाह खर्च तथा ट्रेन/बस किराया तभी देय होगा जबकि अनुसंधान केन्द्र तथा मूल-संस्थाज की दूरी 40 कि०मी० से कम नहीं है तथा अनुसंधान केन्द्र तथा मूल-संस्थान दोनों एक ही शहर में स्थित नहीं है।

शिक्षक अध्येतावृत्ति पर आने वाले व्यय का भुगतान निर्धारित शर्तों के अनुसार वास्तविक आधार पर महाविद्यालयों को उपरोक्त (ब), (स) तथा (घ) के तहत् दिये जाने वाले अनुदान के अतिरिक्त किया जाएगा। विश्वविद्यालय को आठवीं योजना के तहत् शिक्षक अध्येतावृत्ति से संबन्धित निर्देशक सिद्धान्त वि०अ०आ० अ०शा० पत्र सं.फा०-9-1/90 (सी०पी०पी०) दिनांक 7.11.91 के द्वारा भेजी जा चुकी है।

ii) अर्न्तराष्ट्रीय सम्मेलनों में शिक्षकों की भागीदारी :

भारत के बाहर विदेशों में आयोजित अर्न्तराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित शिक्षकों की भागीदारी से संबंधित प्रस्ताव (क) प्रस्तुत किये जाने वाले लेख के मजमून (लेख का सारांश नहीं हैं) की तीन प्रतियाँ (ख) आवेदक के नाम से आये आमंत्रण पत्र की प्रति तथा (ग) प्रस्तावित व्यय के कुछ अंश को वहन करने वाले अन्य स्रोत का उल्लेख तथा

तत्संबंधी निर्धारित प्रतियों की विचार किए जाने के लिए सम्मेलन की तिथि से 60 दिन आयोग के कार्यालय में अलग से भेजे जा सकते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पूर्व स्वीकृति के बिना ऐसे सम्मेलन में भाग लेने वाले शिक्षक को आयोग कोई सहायता प्रदान नहीं करेगा। आम तौर पर एक शिक्षक द्वारा विदेश में होने वाले अर्न्तराष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए तीन वर्ष में केवल एक बार सहायता प्रदान करने के प्रस्ताव पर विचार किया जएगा।

iii) पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों, कार्यशालाओं तथा संगोष्ठियों आदि में भागीदारी

महाविद्यालय शिक्षकों पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों, कार्यशालाओं, संगोष्ठियों, परिसंवादों और ग्रीष्मकालीन शिविरों में भाग लेने के लिए भी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। ये कार्यक्रम आयोग की सहायता से विश्वविद्यालयों तथा उच्च शिक्षा के अन्य संस्थानों द्वारा भारत में ही आयोजित किए जाते रहेगें। इस संबंध में आवश्यक जानकारी उस संबंधित विश्वविद्यालय अथवा आयोग के कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं।

iv) अनुसंधान के निमित्त सहायता

आयोग सेवारत शिक्षकों को मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी संबंधी लघु/अल्पावधि अनुसंधान परियोजनाओं अथवा विकसित/वृहत अनुसंधान परियोजनाओं के संचालन के लिए सहायता उपलब्ध कराएगा। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदत्त सहायता के निमित्त शिक्षकों का चुनाव आयोग द्वारा नामिका विशेषज्ञ समितियों की सिफारिशों के आधार पर किया जाएगा। इस हेतु विवरण व निर्धारित आवेदन पत्र विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

आठवीं योजना (सन् 1990-95) में स्नातक पूर्व शिक्षा के सामान्य विकास के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहायता के निमित्त बहुसंकायों वाले महाविद्यालयों के प्रस्ताव

(प्रस्ताव लेखन से पूर्व, कृपया निर्देशक सिद्धान्तों को ध्यान पूर्वक पढ़ें)

धारा- 1. महाविद्यालय की पात्रता के निर्धारण के लिए मौलिक सूचना

(ऐसे सभी मामलों में, जहां अपेक्षित सूचना एक अलग कागज पर दी गई हो, उचित खाने के सामने उस पर अंकित अनुलग्न संख्या सहित दें)

1. महाविद्यालय का नाम
2. विश्वविद्यालय, जिससे संबद्ध है
3. महाविद्यालय की स्थापना की तिथि
4. प्रबन्ध का स्वरूप : राजकीय/गैर-सरकारी/विश्वविद्यालय
5. स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए संबंधन की प्रकृति। यह सूचित किया जाना चाहिए कि पाठ्यक्रम स्थायी/अस्थायी है, वह तिथि जिसके अंत तक संबंधन स्वीकार किया गया है। स्थायी/अस्थायी
6. क्या महाविद्यालय (यदि वह 17 जून, 1972 तक या इसके पश्चात् स्थापित हुआ है) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2 (एफ) तथा धारा 12 (बी) के अन्तर्गत अनुमोदित हैं।
   - 2 (एफ) हाँ/नहीं
   - 12 (बी) हाँ/नहीं
7. क्या महाविद्यालय एक महिला महाविद्यालय है अथवा क्या वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित पिछड़े क्षेत्रों में स्थित है अथवा क्या वह नगरपालिका, नगर निगम, नगर या अधिसूचित छावनी क्षेत्र अथवा नगर पालिका आदि की सीमाओं से दूर है, अथवा क्या ऐसे ही दूसरे नगरीय निकायों की सीमाओं से बाहर वह महाविद्यालय कम से कम 10 किलोमीटर की दूरी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित है या नहीं कृपया स्पष्ट करें।

8. पाठ्यक्रम, जिनके लिए स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तरों पर विश्वविद्यालय द्वारा संबंधन की स्वीकृति दी गई है। — स्नातकपूर्व / स्नातकोत्तर

9. प्रत्येक विभाग में शिक्षकों की संख्या के साथ-साथ महाविद्यालय में विद्यमान विभागों के नाम

विभाग सं०	शिक्षक सं०
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
योग :	

10. (क) स्थायी शिक्षकों (या राज़कीय महाविद्यालयों में नियमित आधार पर नियुक्त) की कुल संख्या (नाम, पदनाम, योग्यताएँ, नियुक्ति की तिथि तथा प्रत्येक शिक्षक की नियुक्ति की पुष्टि की तिथियों संबंधी विस्तृत विवरण अलग-अलग दिया जाना चाहिए)

(ख) अंशकालिक शिक्षकों, यदि कोई हों तो, उनकी संख्या तथा उनकी नियुक्ति के औचित्य के साथ-साथ उनके द्वारा ली गई कक्षाओं की संख्या (प्रत्येक कार्य के लिए अलग-अलग कागज का उपयोग किया जाए)

(ग) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के वर्ग के शिक्षकों की संख्या।

11. पूर्ववर्ती वर्ष अथवा उसी वर्ष, जो पहले हो, के 15 अक्टूबर तक स्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए, यदि हाँ तो, पी०यू०सी० में विद्यार्थी नामांकनः

क्र० सं०	पी०यू०सी०स्नातक/ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम	पुरूष	महिला	योग	अनुसूचित जाति छात्रों की संख्या
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	पी०यू०सी० (या +2)				
2.	बी०ए०				
3.	एम०ए०				
4.	बी०एस०सी०				

5. एम०एस०सी०

6. बी०कॉम०

7. एम०कॉम०

8. कोई अन्य पाठ्यक्रम

योग :

12. क्या महाविद्यालय ने पूर्ववर्ती योजना अवधियों में किसी प्रकार की कोई विकास सहायता प्राप्त की है। यदि प्राप्त की है तो ऐसे अनुदानों की वर्तमान स्थिति संबंधी विवरण भी कृपया प्रस्तुत करें।

क्र० सं०	योजना/ परियोजना	अनुमोदन का संदर्भ(विश्व विद्यालय अनुदान आयोग का पत्र सं० व दिनांक	वि०अ०आ० के भाग के रूप मे अनुमोदित कुलराशि	प्राप्त राशि	वास्तविक खर्च 31.3.91 तक	टिप्पणी
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	शिक्षक अध्येता वृत्ति/एफ० आई०पी०					
2.	भारत में अकादमीय सम्मेलनों में शिक्षकों की भागीदारी					
3.	पुस्तकें एवं पत्र-पत्रिकाएं					
4.	उपकरण					
5.	भवन (कृपया भवनों का नाम भी दें)					
6.	कर्मचारी वर्ग					
7.	अन्य विकास योजनाएं					
	योग :					

13. क्या महाविद्यालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की दूसरी योजनाओं, जैसे कोसिप (COSIP) कोहसिप (COHSSIP) स्वायत्त महाविद्यालय/पाठ्यक्रमों के पुनर्गठन एवं दूसरे विशेष कार्यक्रमों के अन्तर्गत अनुदान प्राप्त किया है? यदि हां तो कृपया उसका संक्षिप्त विवरण तथा उपयोग आदि की वर्तमान स्थिति स्पष्ट करें।

धारा-II कला, विज्ञान/वाणिज्य/एकल संकाय/बहु संकाय में स्नातकपूर्व शिक्षा के विकास के लिए नए प्रस्ताव

1. सहायता की अधिकतम सीमा, जिसके लिए आठवीं योजना के निर्देशक सिद्धान्तों के अनुसार महाविद्यालय।

2. स्नातकपूर्व शिक्षा के विकास के निमित्त सातवीं योजना के दौरान वांछित सहायता के लिए प्रस्ताव।

क्र० सं०	मद	निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार उपलब्ध राशि	महाविद्यालय द्वारा प्रस्तावित राशि	वि०अ०आ० का भाग	का भाग प्रस्ताव संलग्न करें और अंकित संलग्नकों की क्रम सं० दें
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	पुस्तकें एवं पत्र-पत्रिकाएं				
2.	उपकरण				
3.	अतिरिक्त शिक्षण कर्मचारी वर्ग				
4.	पुस्तकालय के लिए व्यावसायिक कर्मचारी वर्ग सहित अतिरक्ति तकनीकी कर्मचारी वर्ग				
5.	समाज के कमजोर वर्गों के लिए साधक पाठ्यक्रम				
6.	विस्तार पाठ्यक्रम				
7.	परीक्षा सुधार				
8.	भारत में अकादमीय सम्मेलनों में शिक्षकों की भागीदारी (प्रति शिक्षक 500/-रू०) (तथा अधिकतम 10,000/- रू०)				

9. भवन :

i) श्रेणी क्षेत्र/प्रयोगशालाओं का विस्तार

ii) पुस्तकालय भवन

iii) कार्यशाला शेड/पशुगृह

iv) पुरूष छात्रावास

v) महिला छात्रावास

vi) कर्मचारी वर्ग आवास/शिक्षक छात्रावास

vii) वर्तमान छात्रावासों में उपलब्ध सुविधाओं का सुधार

10. अन्य दूसरे कार्यक्रम

योग :

टिप्पणी : महाविद्यालय को अलग-अलग कागज पर प्रत्येक प्रस्ताव का विवरण एवं उसका औचित्य प्रस्तुत करना चाहिए तथा स्तम्भ 5 में अनुलग्नकों की संख्या भी देनी चाहिए। फिलहाल उपलब्ध सुविधाओं, उनका किस हद तक उपयोग हो रहा है तथा विस्तार के प्रस्ताव के सम्बन्ध में, टिप्पणी देनी चाहिए। महाविद्यालय को भवन प्रस्तावों में योजना की रूपरेखा को भी सम्मिलित कर लेना चाहिए तथा कुल अनुमानित लागत को टिप्पणी में अंकित कर देना चाहिए। भवनों पर केवल तब विचार किया जाएगा, जब वर्तमान आवास का उपयोग प्रतिदिन कम से कम 70 से 75 प्रतिशत काम के घंटों के लिए किया जा रहा हो।

प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि स्नातकपूर्व शिक्षा के विकास संबंधी प्रस्ताव महाविद्यालय के योजना मण्डल ने, जिसमें संकाय सदस्यों को भी सहयोगी बनाया गया है, सूत्रबद्ध कर लिए हैं। उक्त उद्देश्य के लिए निर्धारित निबंधन और शर्तों के अनुसार सातवीं योजना के लिए आयोग द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं को पूरा करने तथा वांछित अनुरूपयोगी हिस्से को जुटाने के लिए महाविद्यालय के पास अनिवार्यतः वित्तीय संसाधन तथा प्रबन्ध क्षमता उपलब्ध है और आयोग द्वारा अपेक्षित उपयोग प्रमाण-पत्र के साथ अनिवार्य लेखा-विवरण तथा दूसरे दस्तावेज प्रस्तुत किये जाते हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मांगी गई सहायता विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित संबंधन की शर्तों को पूरा करने के लिए नहीं हैं।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि
महाविद्यालय विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है
और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2 (एफ) सूची एवं (2) (बी) सूची में सम्मिलित है तथा उवत महाविद्यालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्देशक सिद्धांतों में निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करता है और इसलिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानकों के अनुसार स्नातकपूर्व शिक्षा के सामान्य विकास के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने का पात्र है महाविद्यालय की ओर से यह भी वचन दिया जाता है कि प्राप्त की गई अनुदान राशि का उपयोग उसके द्वारा उसी मद पर किया जाये, जिसके लिए वह स्वीकृत की गई है और वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित अनुदान शर्तों के अधीन वांछित सभी अनिवार्य/आवश्यक दस्तावेज भी प्रस्तुत करेगा।

हस्ताक्षर

दिनांक

मुहर प्रधानाचार्य

हस्ताक्षर

(कुल सचिव/निर्देशक)
महाविद्यालय विकास परिषद्

मुहर

प्रमाण-पत्र

(केवल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति में लगे महाविद्यालय)

यह प्रमाणित किया जाता है कि महाविद्यालय अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रबंध कर रहा है तथा उसमें संचालित डिग्री कक्षाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थी भी अपेक्षित/वांछित संख्या में उपलब्ध हैं और यह महाविद्यालय इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहायता प्राप्त करने से संबंधित सभी निर्धारित शर्तों को पूरा करता है। इस महाविद्यालय द्वारा प्रस्तावित शैक्षणिक विकास प्रस्तावों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिए सहायता देना भी शामिल है। निर्धारित शर्तों के अनुसार विकास कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने के लिए महाविद्यालय के पास अनिवार्य संसाधन एवं प्रबंध-क्षमता विद्यमान है और महाविद्यालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वांछित सभी अनिवार्य लेखा विवरण, दस्तावेज आदि भी प्रस्तुत कर सकता है।

स्थान : प्रधानाचार्य

दिनांकः कुल सचिव

निर्देशक

(महाविद्यालय विकास परिषद्)

मुहर

आठवीं योजना अवधि (1990-95) के दौरान कालेजों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के विकासार्थ सहायता के लिए प्रस्ताव।

प्रस्ताव फार्म को भरने से पहले कृपया दिशानिर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़िए। निर्दिष्ट मानकों के अनुसार, प्रस्ताव केवल सुपात्र विभागों के संबंध में ही दिए जाने चाहिए।

धारा - 1

1. कालेज का नाम, पूरे पते, पिन-कोड तथा राज्य सहित

2. विश्वविद्यालय जिससे संबद्ध है

3. स्थापना की तारीख और क्या उसे वि.अ.आ. की 2(च) सूची में/या 12(ख) में (यदि वह 17-6-1972 को या उसके बाद स्थापित किया गया हो) स्नातकोत्तर डिग्री तक पढ़ाने वाले कालेज के रूप में शामिल कर लिया गया है।

4. प्रबंध का स्वरूप — सरकारी/प्राइवेट/विश्वविद्यालय

5. क्या कालेज स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की संबद्धीकरण की विहित शर्तों को पूरा करता है?

6. कालेज में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाने वाले विभागों के नाम
कालेज में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाने वाले विभागों के नाम तथा उन विभागों के नाम जो वि.अ.आ. द्वारा विहित मानदंडों को पूरा करते हैं।

धारा - 2

उस विभाग संबंधी पत्रक, जिसके विकास के लिए विकास सहायता का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। ऐसे प्रत्येक विभाग के लिए अलग पत्रक दिया जाए।

1. विभाग का नाम

2. वर्ष, जिससे स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम आरम्भ किए गए थे

3. पूर्ववर्ती वर्ष अथवा चालू वर्ष के, जो भी पहले हो, 15 अक्टूबर तक एम०ए०/एम०एस०सी०/एम०कॉम० के द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों की कुल संख्या

4. विभाग में शिक्षकों की कुल संख्या

   i) पी०एच०डी० उपाधि सहित

   ii) एम०फिल० उपाधि सहित

   iii) स्नातकोत्तर उपाधि सहित

5. पिछले वर्ष के दौरान विभाग के लिए पुस्तकों एवं पत्र-पत्रिकाओं पर किया गया व्यय

6. विभाग में संकाय-सदस्यों द्वारा संचालित, अनुसंधान परियोजनाओं का विवरण। प्रयोजनकारी अभिकरण, निधियों, अवधि आदि (लघु परियोजनाओं पर विचार नहीं किया जाएगा)

7. पिछले तीन सालों के दौरान स्टाफ द्वारा अनुसंधान प्रकाशनों की संख्या शोध लेख का शीर्षक , जिस पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ उसका नाम/प्रकाशनार्थ स्वीकृत किया गया, प्रकाशन का वर्ष आदि का विवरण दें।

धारा - 3

1. सातवीं योजना अवधि में दौरान विभिन्न मदों के लिए प्राप्त सहायता का ब्यौरा

मद	वि.अ.आ. के शेयर के रूप में अनुमोदित राशि	प्राप्त राशि	31-3-91 तक व्यय	कैफियत

2. आठवीं योजना अवधि के दौरान अपेक्षित सहायता के लिए प्रस्ताव

मद	कालेज द्वारा प्रस्तावित राशि	वि.अ.आ. को शेयर	कालेज/राज्य सरकार का शेयर	विस्तृत औचित्य (कृ. संलग्नक नत्थी करें)

जोड़:

धारा - 4

प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि
महाविद्यालय विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की धारा 2 (एफ) सूची और 12 (बी) में सम्मिलित है तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशक सिद्धान्तों में नियत पात्रता शर्तों को पूरी करता है और इसीलिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानकों के अधीन स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के विकास के लिए वित्तीय सहायता पाने का पात्र है। महाविद्यालय की ओर से यह वचन भी दिया जाता है कि अनुदानों का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जाएगा, जिसके लिए वे स्वीकृत हैं या स्वीकृत किए गए हैं और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अनुदान संबन्धी शर्तों के अनुसार वांछित/अपेक्षित सभी अनिवार्य दस्तावेज भी प्रस्तुत किये जायेगें।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि निर्धारित शर्तों के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए महाविद्यालय के पास अनिवार्य संसाधन तथा प्रबंध क्षमता उपलब्ध हैं विकास कार्यक्रम महाविद्यालय में स्नातकोत्तर शिक्षा के स्तरों के सुधार में सहायक सिद्ध होंगे।

स्थान व दिनांक : विभागाध्यक्ष

महाविद्यालय के प्रधानाचार्य

निदेशक (महाविद्यालय विकास परिषद)
विश्वविद्यालय का कुल सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

प्रपत्र - स

सातवीं योजना के दौरान बुनियादी सहायता योजना के अंतर्गत शिक्षक अध्येतावृत्ति प्रदान किए जाने से संबंधित सूचना, स्नातकपूर्व तथा स्नातकोत्तर विकास प्रस्ताव पृथक रूप से योजनानुसार तैयार किए जाएं और उन्हें आठवीं योजना के विकास प्रस्तावों के साथ भेजा जाए।

शिक्षक अध्येता का नाम	अनुसंधान केन्द्र में प्रवेश करने की तिथि	वृत्ति की अवधि	निर्वाह खर्च भत्ता तथा शिक्षक अध्येता का आनुषंगिक व्यय तथा शिक्षक के स्थान पर नियुक्त स्थानापन्न का वेतन आदि पर कुल व्यय	
			31.3.91 तक	31.3.91 के बाद
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

महाविद्यालय का नाम

विश्वविद्यालय, जिससे महावद्यिालय सम्बद्ध है

हस्ताक्षर

प्रधानाचार्य

मुहर

परिशिष्ट -XXVIII

1990-91 के दौरान योजनागत महाविद्यालयों को दिए गए अनुदान का विवरण

क्र. सं.	विश्वविद्यालय का नाम 1	सैक्टर क 2	सैक्टर ख 3	सैक्टर ग 4	सैक्टर घ 5	सैक्टर ड़. 6	जोड़ 7	सैक्टर च 8	जोड़ 9	धारा III 10	कुल जोड़ (लाखों में) 11
1.	बनारस	-	1.00	-	-	-	1.00	-	1.00	-	1.00
2.	दिल्ली	23.96	267.13	20.18	12.00	-	323.27	-	323.27	1.81	325.08
3.	एन. ई. एच. यू.	-	0.37	0.03	0.50	-	0.90	-	0.90	4.05	4.95
4.	पांडेचेरी	-	0.12	1.59	-	-	1.71	-	1.71	-	1.71
	जोड़	23.96	268.62	21.80	12.50	-	326.88	-	326.88	5.86	332.74
	आन्ध्र प्रदेश राज्य										
1.	आंध्र	3.00	25.52	5.96	0.30	19.02 * 0.87	53.80 * 0.87	2.51	56.31 * 0.87	5.23	61.54 * 0.87
2.	ककाटिया	-	6.64	2.44	0.20	-	9.28	-	9.28	0.75	10.03
3.	नागार्जुन	1.00	32.36	4.47	0.20	2.00	40.03	-	40.03	-	40.03
4.	उस्मानिया	2.55	41.91	2.83	0.60	-	47.89	-	47.89		47.89
5.	श्री कृष्ण देवराय	-	7.54	1.25	0.10	-	8.89	-	8.89	-	8.89
6.	श्री वेंकटेश्वर	-	14.76	4.30	-	-	19.06	-	19.06	-	19.06
	जोड़	6.55	128.73	21.25	1.40	21.02 * 0.87	178.95 * 0.87	2.51	181.46 * 0.87	5.98	187.44 * 0.87
	आसाम राज्य										
1.	डिब्रूगढ़	-	24.31	4.50	2.65	-	31.46	-	31.46	0.25	31.71
2.	गौहाटी	-	18.22 * 0.50	3.52	3.30	-	25.04 * 0.50	-	25.04 * 0.50	-	25.04 * 0.50
	जोड़	-	42.53 * 0.50	8.02	5.95	-	56.50 * 0.50	-	56.50 * 0.50	0.25	56.75 * 0.50
	अरूणांचल प्रदेश राज्य										
1.	अरूणांचल	-	-	0.10	0.10	-	0.20	-	0.20	-	0.20
	जोड़	-	-	0.10	0.10	-	0.20	-	0.20	-	0.20

*समायोजन द्वारा

परिशिष्ट - XXVIII (क्रमशः)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
बिहार राज्य										
1. भागलपुर	-	26.63	3.96	-	-	30.59	-	30.59	-	30.59
2. बिहार	0.42	29.76	5.93	0.80	-	36.91	-	36.91	1.05	37.96
3. एल. एन. मिथिला	-	31.53	3.38	-	-	34.91	-	34.91	1.20	36.11
4. मगध	-	72.51	6.47	2.30	-	81.28	-	81.28	3.59	84.87
5. पटना	-	3.27	0.63	-	-	3.90	-	3.90	-	3.90
6. रांची	-	63.92	8.66	0.10	-	72.68	-	72.68	0.10	72.78
जोड़	0.42	227.62	29.03	3.20	-	260.27	-	260.27	5.94	266.21
गुजरात राज्य										
1. भावनगर	-	0.10	-	0.25	-	0.35	-	0.35	32.11	32.46
2. गुजरात	-	29.62	9.47	-	-	39.09	-	39.09	-	39.09
3. सरदार पटेल	-	3.36	0.09	0.13	-	3.58	0.11	3.69	1.85	5.54
4. सौराष्ट्र	-	2.46	0.03	-	-	2.49	-	2.49	-	2.49
5. दक्षिण गुजरात	0.02	12.69	0.03	0.10	-	12.84	-	12.84	-	12.84
6. उत्तर गुजरात	-	16.58	-	0.50	-	17.08	-	17.08	-	17.08
जोड़	0.02	64.81	9.62	0.98	-	75.43	0.11	75.54	33.96	109.50
गोवा राज्य										
1. गोआ	-	6.28	-	-	-	6.28	-	6.28	-	6.28
जोड़	-	6.28	-	-	-	6.28	-	6.28	-	6.28
हरियाणा राज्य										
1. कुरूक्षेत्र	3.38 * 0.06	47.84	3.90	-	-	55.12 * 0.06	0.08	55.20	8.11	63.31 * 0.06
2. महर्षि दयानन्द	-	21.72	5.18	-	-	26.90	-	26.90	1.25	28.15
जोड़	3.38 *0.06	69.56	9.08	-	-	82.02 *0.06	0.08	82.10 *0.06	9.36	91.46 *0.06

*समायोजन द्वारा

परिशिष्ट - XXVIII (क्रमशः)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
हिमाचल प्रदेश राज्य										
1. हिमाचल प्रदेश	-	9.78	6.74	-	0.06	16.58	-	16.58	2.77	19.35
2. एच. पी. कृषि	-	-	0.04	-	-	0.04	-	0.04	-	0.04
जोड़	-	9.78	6.78	-	0.06	16.62	-	16.62	2.77	19.39
जम्मू और कश्मीर										
1. जम्मू	- -	7.18 * 0.15	2.50	-	-	9.68 * 0.15	-	9.68 * 0.15	-	9.68 * 0.15
2. कश्मीर		1.00	0.17	-	-	1.17	-	1.17	-	1.17
जोड़	-	8.18 * 0.15	2.67	-	-	10.85 * 0.15	-	10.85 * 0.15	-	10.85 * 0.15
कर्नाटक राज्य										
1. अलगप्पा	-	6.64 * 0.61	1.56	0.02	-	68.22 * 0.61	-	68.22 * 0.61	4.64	72.86 * 0.61
2. कुवेम्पू	2.00	25.37	3.92	0.15	-	31.44	-	31.44	-	31.44
3. कर्नाटक	-	25.54	3.50	1.05	-	30.09	-	30.09	6.67	36.76
4. मंगलौर	-	12.98	0.96	0.03	-	13.97	-	13.97	2.62	16.59
5. मैसूर	0.50	8.74	-	0.85	-	10.09	-	10.09	1.50	11.59
6. अकुलम	-	7.35	-	0.10	-	7.45	-	7.45	-	7.45
जोड़	2.50	146.62 * 0.61	9.94	2.20	-	161.26 * 0.61	-	161.26 * 0.61	15.43	176.69 * 0.61

*समायोजन द्वारा

परिशिष्ट - XXVIII (क्रमशः)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
केरल राज्य										
1. कालिकट	-	35.85	10.89	3.37	-	50.11	-	50.11	2.50	52.61
2. गांधी वि.वि., कोट्टायम	-	55.07	5.43	-	-	60.50	-	60.50	1.30	61.80
3. केरल	0.50	26.77	13.87	-	-	41.14	-	41.14	-	41.14
जोड़	0.50	117.69	30.19	3.37	-	151.75	-	151.75	3.80	155.55
मध्य-प्रदेश राज्य										
1. अवधेश प्रताप सिंह	-	2.92	0.64	-	-	3.56	-	3.56	-	3.56
2. भोपाल	-	11.70	2.82	0.40	-	14.92	-	14.92	2.25	17.17
3. देवी अहिल्या	0.60	3.29	2.60	-	-	6.49	-	6.49	2.08	8.57
4. डॉ. एच. एस. गौड़	-	14.21	0.27	0.50	-	14.98	-	14.98	2.20	17.18
5. गुरू घासीदास	-	3.14	0.39	-	3.00	6.53	-	6.53	-	6.53
6. जीवाजी	-	3.48	2.74	0.62	-	6.84	-	6.84	2.65	9.49
7. इन्दिरा कला संगीत	-	1.64	-	-	-	1.64	-	1.64	-	1.64
8. रानी दुर्गावती	-	2.39	0.37	0.40	-	3.16	-	3.16	-	3.16
9. रविशंकर	-	9.87	0.17	0.30	2.00	12.34	-	12.34	2.31	14.65
10. विक्रम	-	5.63	0.32	0.30	-	6.25	-	6.25	2.67	8.92
जोड़	0.60	58.27	10.32	2.52	5.00	76.71	-	76.71	14.16	90.87

परिशिष्ट - XXVIII (क्रमशः)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
महाराष्ट्र राज्य										
1. अमरावती	-	41.98	0.19	0.50	-	42.67	-	42.67	-	42.67
2. बम्बई	-	24.73	4.61	-	-	29.34	-	29.34	5.14	34.48
3. मराठवाडा	0.79	49.50	4.94	1.24	-	56.47	-	56.47	17.92	74.39
4. नागपुर	1.00	41.91	1.71	2.87	-	47.49	-	47.49	12.74	60.23
5. पूना	3.00	98.74 *0.20	15.38	0.57	-	117.69 *0.20	-	117.69 *0.20	31.96	149.65 *0.20
6. एस. एन. डी. टी. महिला	-	1.95	-	-	-	1.95	-	1.95	-	1.95
7. शिवाजी	-	36.81 * 0.06	4.95	0.70	-	42.46 * 0.06	-	42.46 * 0.06	9.99	52.45 * 0.06
जोड़	4.79	295.62 * 0.26	31.78	5.88	-	338.07 * 0.26	-	338.07 * 0.26	77.75	415.82 * 0.26
मणिपुर राज्य										
1. मणिपुर वि. वि., इम्फाल	-	9.39	0.47	0.50	-	10.36	-	10.36	-	10.36
जोड़	-	9.39	0.47	0.50	-	10.36	-	10.36	-	10.36
उड़ीसा राज्य										
1. बहरामपुर	1.00	11.30	1.35	-	-	13.65	-	13.65	0.77	14.42
2. सम्बलपुर	-	10.91	1.00	-	-	11.91	-	11.91	-	11.91
3. उत्कल	-	31.90	6.54	0.10	5.00	43.54	-	43.54	2.95	46.49
जोड़	1.00	54.11	8.89	0.10	5.00	69.10	-	69.10	3.72	72.82
पंजाब राज्य										
1. गुरू नानक देव	0.55	49.82	9.50	2.00	-	61.87	-	61.87	8.66	70.53
2. पंजाब	-	40.80 *0.07	16.27	0.89	-	57.96 *0.07	0.24	58.20 *0.07	10.17	68.37 *0.07
3. पंजाबी	0.70	28.43	1.35	0.05	-	30.53	-	30.53	3.17	33.70
जोड़	1.25	119.05 * 0.07	27.12	2.94	-	150.36 * 0.07	0.24	150.60 * 0.07	22.00	172.60 * 0.07

*समायोजन द्वारा

परिशिष्ट - XXVIII (क्रमशः)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
राजस्थान राज्य										
1. अजमेर	1.15	15.11	1.03	0.29	-	17.58	-	17.58	1.25	18.83
2. जोधपुर	0.57	3.38	0.06	2.00	-	6.01	-	6.01	-	6.01
3. राजस्थान	0.90	42.82	9.51	0.21	-	53.44	0.12	53.56	0.66	54.22
4. एम. एल. सुखाड़िया	-	-	0.07	0.10	-	0.17	-	0.17	-	0.17
जोड़	2.62	61.31	10.67	2.60	-	77.20	0.12	77.32	1.91	79.23
त्रिपुरा राज्य										
1. त्रिपुरा	-	1.50	0.03	0.20	-	1.73	-	1.73	-	1.73
जोड़	-	1.50	0.03	0.20	-	1.73	-	1.73	-	1.73
तमिलनाडू राज्य										
1. भरथियार	-	7.43	2.15	-	2.26	11.84	-	11.84	8.43	20.27
2. भारती दसन	-	18.93	4.81	-	-	23.74	-	23.74	8.36	32.10
3. मद्रास	-	94.03 * 0.92	11.96	0.80	20.95	127.74 * 0.92	-	127.74 * 0.92	13.66	141.40 * 0.92
4. मदुरई कामराज	0.18	64.00	8.51	1.12	2.46	76.27	-	76.27	36.13	112.40
जोड़	0.18	184.39 * 0.92	27.43	1.92	25.67	239.59 * 0.92	-	239.59 * 0.92	66.58	306.17 * 0.92
उत्तर प्रदेश राज्य										
1. आगरा	-	42.45	13.39	-	-	55.84	-	55.84	5.28	61.12
2. इलाहाबाद	-	11.08	0.18	0.53	-	11.79	-	11.79	2.25	14.04
3. अवध	6.23	28.15 *0.01	4.04	0.55	-	38.97 *0.01	-	38.97 *0.01	1.08	40.05 *0.01
4. बुंदेल खंड	1.00	18.45	1.13	0.15	-	20.73	-	20.73	3.00	23.73

परिशिष्ट - XXVIII (क्रमश:)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. गढ़वाल	-	12.61	5.19	0.10	-	17.90	-	17.90	-	17.90
6. गोरखपुर	-	67.86	23.22	0.30	-	91.38	-	91.38	-	91.38
7. कानपुर	0.70	64.83	12.35	1.93	-	79.81	3.28	83.09	12.74	95.83
8. कुमाऊँ	-	9.74	2.27	-	-	12.01	-	12.01	0.20	12.21
9. लखनऊ	-	7.92	1.43	-	-	9.35	-	9.35	-	9.35
10. मेरठ	0.40	63.29	15.85	0.55	-	80.09	-	80.09	8.36	88.45
11. रूहेल खण्ड	-	18.31	7.40	0.70	-	26.41	-	26.41	1.81	28.22
12. पूर्वांचल	-	-	-	-	-	-	-	-	7.38	7.38
जोड़	8.33	344.69 * 0.01	86.45	4.81	-	444.28 * 0.01	3.28	447.56 * 0.01	42.10	489.66 * 0.01

पश्चिम बंगाल राज्य

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. बर्धमान	2.90	42.03 * 1.25	3.49	2.30	-	50.72 * 1.25	-	50.72 * 1.25	2.98	53.70 * 1.25
2. कलकत्ता	-	64.18 * 0.34	37.66	1.47	-	103.31 * 0.34	0.14	103.45 * 0.34	3.79	107.24 * 0.34
3. कल्याणी	-	0.30	0.13	0.10	-	0.53	-	0.53	-	0.53
4. उत्तर बंगाल	-	8.39	0.73	0.20	-	9.32	-	9.32	4.38	13.70
5. विद्यासागर	-	14.05	2.57	0.60	-	17.22	-	17.22	0.75	17.97
जोड़:	2.90	128.95 *1.59	44.58	4.67	-	181.10 *1.59	0.14	181.24 *1.59	11.90	193.14 *1.59
कुल जोड़:	59.00 * 0.06	2347.70 * 4.11	396.22	55.84	56.75 * 0.87	2915.51 *5.04	6.48	2921.99 * 5.04	323.47	3245.46 * 5.04

* समायोजन द्वारा

परिशिष्ट-XXIX (क्रमशः)

1988-89 के दौरान केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालयवत् संस्थान तथा राज्य विश्वविद्यालयों को (गैर योजनागत) मिलने वाले अनुरक्षण अनुदान तथा गैर-योजनागत आवर्ती अनुदान का विवरण

(क) केन्द्रीय विश्वविद्यालय

रू० लाखों में

राज्य/विश्वविद्यालय	वि.अ. आ. द्वारा गैर-योजनागत दिया गया अनुरक्षण अनुदान	गैर-योजनागत आवर्ती व्यय का जोड़
(1)	(2)	(3)
आन्ध्र प्रदेश		
1. हैदराबाद	489.01	485.44
दिल्ली (संघ राज्य)		
1. दिल्ली	1889.25	1980.98
2. इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय खुला	0.00	0.00
3. जवाहर लाल नेहरू	1023.84	1066.73
मेघालय		
1. नौर्थ इस्टर्न हिल	843.00	904..00
पौंडीचेरी (संघ राज्य)		
1. पौंडीचेरी	0.00	0.00
उत्तर प्रदेश		
1. अलीगढ़ मुस्लिम	2748.06	2994.00
2. बनारस हिन्दू	3394.04	4093.76
पश्चिमी बंगाल		
1. विश्व भारती	773.40	771.68

परिशिष्ट -XXIX (क्रमशः)

(ख) विश्वविद्यालय माने जाने वाले संस्थान

रू० लाखों में

राज्य /विश्वविद्यालय माने जाने वाले संस्थान	वि.अ. आ. द्वारा गैर-योजनागत दिया गया अनुरक्षण अनुदान	गैरयोजनागत आवर्ती व्यय का जोड़
(1)	(2)	(3)
आन्ध्र प्रदेश		
1. सैन्ट्रल इस्टीटयूट ऑफ इंगलिश एंड फोरन लैंग्वेज	151.40	158.14
2. श्री सत्य साई उच्च शिक्षा संस्थान	0.00	42.64
बिहार		
1. बिरला तकनीकी संस्थान मैसरा	0.00	0.00
2. इन्डियन इन्स्टीटयूट औफ माइन्स	367.40	365.16
दिल्ली (संघ शासित प्रदेश)		
1. स्कूल ऑफ प्लानिंग तथा आर्कीटेक्चर	0.00	127.87
कर्नाटक		
1. इन्डियन इन्स्टीट्यूट औफ साइन्स	1319.06	1651.61
महाराष्ट्र		
1. इन्टरनेशनल इन्स्टीट्यूट फोर पौपूलेशन साइन्सिज़	0.00	45.03
2. टाटा इन्सटीट्यूट औफ सोशल साइन्सेज	132.50	143.65
3. तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ	0.00	27.57
पंजाब		
1. थापर इन्स्टीट्यूट औफ इन्जीनियरिंग एन्ड टैक्नौलौजी	0.00	147.58
राजस्थान		
1. वनस्थली विद्यापीठ	0.00	117.51
तमिलनाडू		
1. गांधीग्राम रूरल इन्स्टीट्यूट	113.99	117.85
उत्तर प्रदेश		
1. सैन्ट्रल इन्स्टीट्यूट औफ हायर तिव्वतन स्टडीज़	0.00	62.21
2. दयाल बाग शिक्षा संस्थान	26.00	122.85

परिशिष्ट-XXIX (क्रमशः)

(ग) राज्य विश्वविद्यालय

रू० लाखों में

राज्य/विश्वविद्यालय (1)	राज्य सरकार से गैर-योजना गत अनुरक्षण अनुदान (2)	गैर योजनागत आवर्ती व्यय का जोड़ (3)
आन्ध्र प्रदेश राज्य		
1. उस्मानिया	1483.91	1374.48
2. श्री पद्मावती महिला	58.17	50.93
3. यूनीवर्सिटी ऑफ हैल्थ साइन्सेज़	1.56	35.52
अरूणाचल प्रदेश राज्य		
1. अरूणाचल	0.00	0.00
असम राज्य		
1. डिब्रूगढ़	136.80	256.39
गोआ राज्य		
1. गोआ	10.00	33.03
गुजरात राज्य		
1. उत्तर गुजरात	0.00	0.00
2. सरदार पटेल	194.97	255.55
3. सौराष्ट्र	220.13	338.70
हरियाणा राज्य		
1. कुरूक्षेत्र	751.98	939.07
2. महर्षि दयानन्द	433.54	521.71
हिमाचल प्रदेश राज्य		
1. हिमाचल प्रदेश	849.63	399.25
जम्मू एवं कश्मीर राज्य		
1. जम्मू	294.50	359.55
कर्नाटक राज्य		
1. बंगलौर	712.43	799.98
2. कर्नाटक	734.31	892.39
3. मैंगलौर	172.76	232.03
केरल राज्य		
1. कोचीन	208.26	253.05
2. केरल	411.05	963.48

परिशिष्ट XXIX (क्रमशः)

(1)		(2)	(3)
मध्य प्रदेश राज्य			
1.	बर्कतुल्ला (भोपाल)	0.00	0.00
2.	देवी अहिल्या	141.92	272.14
3.	डा० हरि सिंह गौड़	213.23	476.47
4.	रानी दुर्गावती	138.24	245.87
5.	रवीशंकर	109.78	220.65
6.	विक्रम	152.77	278.91
महाराष्ट्र राज्य			
1.	अमरावती	46.18	115.08
2.	मराठवाड़ा	296.61	511.86
3.	नागपुर	373.35	613.38
4.	पूना	439.91	945.50
5.	एस. एन. डी. टी. महिला	220.85	510.69
मणीपुर राज्य			
1.	मणीपुर	150.00	229.91
उड़ीसा राज्य			
1.	बेरहामपुर	157.50	244.62
2.	सम्बलपुर	159.50	229.21
पंजाब राज्य			
1.	गुरूनानक देव	550.88	739.85
2.	पंजाब	1457.50	1672.00
3.	पंजाबी	1060.04	775.18
राजस्थान राज्य			
1.	मोहन लाल सुखाड़िया	307.81	328.62

परिशिष्ट XXIX (क्रमशः)

(1)		(2)	(3)
तमिलनाडू राज्य			
1.	अलगप्पा	95.88	47.33
2.	भरथियार	60.75	164.78
3.	भारतीदसन	62.65	191.65
4.	मद्रास	96.51	705.47
5.	मदर टरेसा महिला	40.08	36.15
त्रिपुरा राज्य			
1.	त्रिपुरा	43.00	35.07
उत्तर प्रदेश राज्य			
1.	एच. एन. बहुगुणा (गढ़वाल)	87.74	241.76
2.	काशी विद्यापीठ	89.17	147.01
3.	कुमायूं	150.13	387.59
4.	रोहेल खण्ड	0.00	0.00
5.	संम्पूर्णानन्द संस्कृत	92.74	205.06
पश्चिमी बंगाल राज्य			
1.	बर्दवान	553.71	592.13
2.	जादवपुर	870.86	921.79
3.	नौर्थबंगाल	378.68	383.78
4.	रबीन्द्र भारती	200.86	222.84
5.	विद्यासागर	33.42	33.88

टिप्पणीः

1. केन्द्रीय विश्वविद्यालय तथा विश्वविद्यालय माने जाने वाले संस्थानों के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किया गया अनुरक्षण अनुदान तथा विश्वविद्यालयों द्वारा किया गया व्यय दिखाया गया है। राज्यों में स्थित विश्वविद्यालयों के संबंध में इस परिशिष्ट में दिए गए आंकड़े विभिन्न राज्यों में स्थित विश्वविद्यालयों द्वारा दी गई सूचना पर आधारित हैं।

2. विश्वविद्यालयों द्वारा मान्यता प्राप्त किया गया अनुरक्षण अनुदान, चाहे वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिया गया है या राज्य सरकार द्वारा दिया गया हो, जैसी भी स्थिति हो तथा कुल आवर्ती (रिकरिंग) व्यय (गैर–योजनागत) दर्शाया गया है । ऐसी निधियां (फण्डस), जो कि विश्वविद्यालयों को राज्य सरकारों से मिलने वाले विश्वविद्यालयों के लिए और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तथा विश्वविद्यालय माने जाने वाले संस्थानों के लिए मिलने वाले अनुदान के अतिरिक्त किसी अन्य स्रोत द्वारा प्राप्त हुई हो, इस विवरण में नहीं दर्शाई गई है ।

3. (गैर–योजनागत) आवर्ती व्यय में केवल मदें शामिल की गई हैं जैसे शिक्षण कर्मचारियों, प्रशासनिक कर्मचारियों का वेतन, रसायनों की खरीद, उपकरणों का अनुरक्षण, परीक्षाओं का संचालन, भवनों का अनुरक्षण तथा दैनिक कार्यकलापों पर किया गया अन्य व्यय ।

परिशिष्ट-XXX

वर्ष 1990-91 में वि०अ०आ० के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा अन्य अधिकारियों के विदेशी दौरों का विवरण

क्र०सं०	अधिकारी का नाम तथा पद	दौरे पर जाने वाले देश का नाम	से	तक	उद्देश्य	टिप्पणी
1.	प्रो० यशपाल	1. अमरीका	21.04.90 से	28.04.90	मारकोनी अर्न्तराष्ट्रीय अध्येतावृत्ति संगोष्ठि तथा पुरस्कार विवरण समारोह में शामिल होने के लिए ।	खर्च वि.अ.आ. द्वारा वहन किया गया ।
		2. हांगकांग	07.04.90 से	10.04.90	यू.एन.सी.एस.टी.डी. बैठक में शामिल होने के लिए ।	खर्चा वि.अ.आ. तथा यू.एन.सी.एस.टी.डी. ने वहन किया ।
		3. पेरिस	09.05.90 से	12.05.90	यू.एम.यू. संयुक्त परियोजना बैठक में शामिल होने के लिए ।	खर्चा यू.एन.यू. तथा वि.अ.आ. ने वहन किया ।
2.	प्रो० एस०के०खन्ना उपाध्यक्ष	मास्को	18.06.90 से	23.06.90	पुस्तक उत्पादन पर भारत-सोवियत संघ की संयुक्त आयोग की बैठक में भाग लेने वाले मण्डल में ।	खर्चा मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा वहन किया गया ।
3.	डा. एस०पी०गुप्त अपर सचिव	अमरीका	27.10.90 से	19.11.90	पोस्ट सेकेन्ड्री एजुकेशन लिंकेज कार्यक्रम के सम्बन्ध में ।	खर्चा यू.एस.आई.एस. तथा वि.अ.आ. ने वहन किया ।
4.	श्री डी०पी० हीरा अपर सचिव	श्रीलंका	01.06.90 से	07.06.90	भारत में श्रीलंका के छात्रों को प्रवेश देने के लिए अध्येतावृत्ति के चयन के लिए ।	खर्चा वि.अ.आ. द्वारा वहन किया गया ।

परिशिष्ट–XXXI

1990-1991 के दौरान पत्राचार दूरगामी शिक्षा में पाठ्यक्रमानुसार लिंगानुसार नामांकन

राज्य/विश्वविद्यालय (1)	पाठ्यक्रम (2)	नामांकन पुरूष (3)	महिला (4)	जोड़ (5)
आन्ध्र प्रदेश राज्य				
आन्ध्र				
	1. परिचयात्मक पाठ्क्रम	430	183	613
	2. बी.ए.	17097	10873	27970
	3. बी.कौम.	3268	802	4070
	4. बी.एस.सी.	511	39	550
	5. बी. एड.	270	130	400
	6. एम. ए.	2506	2637	5143
	7. एम. कौम.	824	511	1335
	8. एम. एड.	80	20	100
	9. काआपरेशन तथा रूरल अध्ययन में पी. जी. डिप्लोमा	94	6	10
	10. एन्वार्नमैन्टल विज्ञान में पी.जी. डिप्लोमा	90	10	100
	11. अनुवाद में पी जी डिप्लोमा	40	30	70
	12. फन्क्शनल अंग्रेजी में पी. जी. डिप्लोमा	40	20	60
आन्ध्र प्रदेश खुला				
	1. बी. ए.	8007	5715	13722
	2. बी. काम.	4261	315	4576
	3. बी. एस. सी.	7698	1450	9148
	4. सूचना विज्ञान में बी लिब	305	146	451
	5. पब्लिक लेखों में पी.जी. डिप्लोमा	289	52	341
	6. पब्लिक रिलेशन में पी. जी. डिप्लोमा	705	103	808
	7. फूड तथा न्यूट्रीशन में प्रमाणपत्र	297	199	496

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
आन्ध्र प्रदेश राज्य (क्रमशः)				
जवाहर लाल नेहरू तकनीकी				
	1. बी.टैक	1236	54	1290
	2. एम. बी. ए.	30	0	30
	3. एम. एम. सी.	24	0	24
	4. एम. टैक.	370	9	379
	5. एम. आर्क.	16	0	16
ककाटिया				
	1. बी ए	37	14	51
	2. बी. एड.	176	47	223
	3. बी. बी. एल. एन. ए.		एन. ए.	
	4. बी. लिब तथा सूचना विज्ञान	25	23	75
	5. एम. ए.	143	20	163
	6. एम. कौम	143	20	163
	7. एम. एस. सी.	160	16	176
	8. एम. फिल. (कला)	64	28	92
	9. वाणिज्य प्रबध में पी. जी. डिप्लोमा	27	3	30
	10. पर्सनल प्रबन्ध तथा इन्डस्ट्रियल रिलेशन में डिप्लोमा	195	10	205
	11. कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा	19	1	20
	12. ग्रामीण बैंकिग तथा सहकारिता में डिप्लोमा	14	0	14
	13. ग्रामीण विकास में सनद	11	0	11
	14. पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में प्रमाणपत्र	75	13	88
उस्मानिया				
	1. बी. ए. (औनर्स)	121	290	411
	2. बी.कौम.	335	363	688
	3. बी. एड.	400	211	611
	4. एम. ए.	846	588	1434

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
आन्ध्र प्रदेश राज्य (क्रमशः)				
	5. एम. कौम.	755	467	1222
	6. एम. एस. सी.	1375	345	1720
	7. एम एड	81	20	101
	8. गणित में पी. जी. डिप्लोमा	62	42	104
श्री वैंन्कटेश्वर				
	1. बी. ए. (औनर्स)	37	18	55
	2. बी. कौम.	11	11	22
	3. बी. एड.	289	109	398
	4. एम. ए.	320	113	433
	5. एम. कौम.	136	29	165
	6. एम एस सी	136	82	218
	7. पर्सनल प्रबन्ध में इन्डस्ट्रियल रिलेशन में सनद	329	34	363
	8. पब्लिक प्रशासन में डिप्लोमा	7	1	8
	9. भाषा विज्ञान में (वरिष्ठ) डिप्लोमा	12	5	17
	10. भाषा विज्ञान में (कनिष्ठ) डिप्लोमा	5	9	14
	11. कोबोल द्वारा सूचना सिस्टम में प्रमापत्र	38	7	45
	12. फोरट्रन द्वारा सान्टिफिक एप्लीकेशन में प्रमाणपत्र	38	8	46
	13. वर्ड प्रोसैसिंग तथा डाटा प्रबन्ध में प्रमाणपत्र	46	3	49
	14. लाईबरेरी में प्रमाणपत्र	461	103	564
सैन्ट्रल इस्टीट्यूट ऑफ इन्गलिश				
	1. एम. ए.	4	12	16
	2. अंग्रेजी अध्यापन में पी. जी. डिप्लोमा	122	100	222
	3. अंग्रेजी अध्यापन में पी. जी. प्रमाणपत्र	494	387	881
बिहार राज्य				
पटना	1. इन्टर (आर्टस)	1110	414	1524
	2. इन्टर (कौमर्स)	338	14	402

(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
बिहार राज्य (क्रमशः)					
	3.	बी. ए.	1779	485	2264
	4.	बी. ए. (औनर्स)	556	107	663
	5.	बी. कौम.	678	8	686
	6.	बी. कौम. (औनर्स)	85	8	93
गुजरात राज्य					
गुजरात विद्यापीठ*					
	1.	एम. ए.	41	9	50
	2.	एम. एड.	121	19	140
हरियाणा राज्य					
कुरुक्षेत्र					
	1.	प्री डिगरी	822	820	1642
	2.	बी. ए.	838	146	984
	3.	एम. कौम.	133	81	214
	4.	टूरिज्म तथा होटल प्रबन्ध में पी. जी. डिप्लोमा	173	18	191
महर्षि दयानन्द					
	1.	बी. एड.	5964	15399	21363
हिमाचल प्रदेश राज्य					
हिमाचल प्रदेश					
	1.	कक्षा (XI तथा XII)	61	15	76
	2.	बी. ए.	722	56	778
	3.	एम. ए.	5482	3017	8499
	4.	एम. कौम.	2352	975	3327
	5.	एम. एड.	1885	879	2764

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जम्मू तथा कश्मीर राज्य				
जम्मू (1989-90)	1. बी. ए.	25	15	40
	2. बी. कौम.	12	1	13
	3. बी. एड.	324	157	481
	4. एल. एल. बी.	295	32	327
	5. एम. कौम.	72	99	171
	6. उर्दू में प्रमाण पत्र	7	2	9
	7. अंग्रेजी सुधार में प्रमाणपत्र	15	7	22
कश्मीर				
	1. प्री डिगरी		एन . ए.	
	2. बी. ए.		एन . ए.	
	3. बी. कौम.		एन . ए.	
	4. बी. एड.	185	109	294
	5. एल. एल. बी.		एन . ए.	
	6. एम. ए.		एन . ए.	
	7. एम. कौम.		एन . ए.	
	8. हिन्दी में प्रमाणपत्र		एन . ए.	
	9. उर्दू में प्रमाणपत्र		एन . ए.	
	10. कश्मीरी में प्रमाणपत्र		एन . ए.	
	11. पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में प्रमाणपत्र		एन . ए.	
कर्नाटक राज्य				
बैंगलौर				
	1. बी. ए.	902	0	902
	2. बी. कौम.	389	0	389
	3. एम. ए.	345	0	345
	4. एम. कौम.	435	0	435

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
कर्नाटक राज्य (क्रमशः)				
मैसूर				
	1. बी. ए.	3284	1721	5005
	2. बी. कौम.	514	232	746
	3. बी. एड.	324	176	500
	4. एम. ए.	5669	2955	8624
	5. एम. कौम.	747	303	1050
	6. मार्किटिंग प्रबन्ध में पी. जी. डिप्लोमा	202	88	290
	7. बिजनेस टैक्सेशन में पी. जी. डिप्लोमा	62	8	70
	8. अंग्रेजी में पी. जी. डिप्लोमा	58	17	75
	9. पत्रकारिता में डिप्लोमा	165	40	205
	10. कन्नड़ में (पोस्ट पी. यू. सी.) डिप्लोमा	46	22	68
	11. संस्कृत में डिप्लोमा	3	1	4
	12. कन्नड़ में प्रमाणपत्र	32	16	48
	13. बी. ए.(खुला विश्वविद्यालय पद्धति)	4853	2384	7237
	14 बी. कौम.	528	107	635
	15. एम. ए.	5111	1487	6598
	16. एम. कौम.	275	43	318
केरल राज्य				
कालीकट				
	1. प्री डिग्री	61	30	91
	2. बी. ए.	1780	800	2580
	3. बी. कौम.	849	320	1169
	4. एम. ए.	218	145	363
	5. बी. ए. (खुला विश्वविद्यालय पद्धति)	250	112	362
	6. बी. कौम.	43	45	88

परिशिष्ट–XXXI (क्रमशः)

(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
केरल राज्य (क्रमशः)					
केरल					
	1.	प्री डिग्री	169	21	190
	2.	बी. ए.	295	192	487
	3.	बी. कौम.	139	14	153
	4.	एम. ए.	1160	837	1997
	5.	एम. कौम.	277	113	390
मध्य प्रदेश राज्य					
बरकतुल्ला					
	1.	बी. ए.	38	23	61
	2.	बी. कौम.	15	5	20
	3.	बी. एड.	4265	3425	7690
महाराष्ट्र राज्य					
बम्बई					
	1.	बी. ए.	1917	1873	3790
	2.	बी. कौम.	2064	1117	3181
	3.	एम. ए.	1320	2409	3729
	4.	एम. कौम.	2018	1989	4007
	5.	एम. एस. सी.	190	113	303
	6.	वित्त प्रबन्ध में सनद	266	59	325
	7.	ओपरेशनल शोध में सनद	48	9	57
पूना					
	1.	बी. ए.	47	48	95
	2.	बी. कौम.	82	103	185
एस. एन. डी. टी.					
	1.	बी. ए.	0	8542	8542
	2.	बी. कौम.	0	551	551

(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
महाराष्ट्र राज्य (क्रमशः)					
	3.	बेसिक्स औफ डायट थिरेपी में प्रमाणपत्र	0	3	3
	4.	महिला एवं विधि में प्रमाणपत्र	0	70	70
	5.	अंग्रेजी सुधार में प्रमाणपत्र	0	76	76
	6.	अनुवाद टेकनीक में प्रमाणपत्र	0	3	3
	7.	फैमिली सेविंग तथा इन्वैस्टमैंट मे प्रमाणपत्र	0	29	29
	8.	प्रवेश परीक्षा में प्रमाणपत्र	0	3122	3122
तिलक महाराष्ट्र*					
	1.	बी. ए.	2707	1182	3889
यशवंत रावचवाण खुला					
	1.	बी. ए./बी. कौम. प्रिपरेटरी	4200	800	5000
	2.	बी. ए./बी. कौम. फाउन्डेशन	2384	116	2500
	3.	कृषि में प्रमामणपत्र	80	1	81
उड़ीसा राज्य					
बैरहमपुर					
	1.	बी. एड.	510	218	728
उत्कल					
	1.	प्री डिग्री (कला)	3366	1341	4677
	2.	प्री डिग्री (वाणिज्य)	197	10	207
	3.	बी. ए.	1695	520	2215
	4.	बी. कौम.	78	12	90
	5.	बी. एड.	800	300	1100
पंजाब राज्य					
पंजाब					
	1.	बी. ए.	1857	570	2427
	2.	बी. कौम.	458	117	575

(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
पंजाब राज्य (क्रमशः)					
	3.	एम. ए.	1242	1352	2594
	4.	सांख्यिकी में डिप्लोमा	32	21	53
	5.	औफिस आरगनाइजेशन तथा प्रोसीजर में डिप्लोमा	62	15	77
	6.	जन संख्या शिक्षा में सनद	16	10	26
पंजाबी					
	1.	बी. ए.	931	314	1245
	2.	बी. कौम.	120	6	126
	3.	बी. एड.	142	108	250
	4.	एम. ए.	1447	1258	2705
	5.	एम. बी. ए.	52	0	52
	6.	एम. एड.	118	182	300
	7.	एम. फिल. (आर्टस)	23	57	80
	8.	पब्लिक एन्टरप्राइज के प्रबन्ध में पी. जी. डिप्लोमा	98	12	110
	9.	पब्लिक रिलेशन व विज्ञापन में पी. जी. डिप्लोमा	94	29	123
	10.	वाणिज्य प्रबन्ध में पी. जी. डिप्लोमा	176	2	178
	11.	वित्त प्रबन्ध में सनद	56	1	57
	12.	मार्केटिंग प्रबन्ध में में सनद	124	0	124
	13.	मैटिरियल प्रबन्ध में सनद	184	3	187
	14.	प्रोजेक्ट प्रबन्ध में सनद	36	1	37
	15.	प्रोडक्शन प्रबन्ध में सनद	45	1	46
	16.	पर्सनल प्रबन्ध तथा इन्डस्ट्रियल प्रबन्ध में सनद	177	7	184
	17.	पुस्कालय विज्ञान में सनद	450	0	450
	18.	डिविनिटि में सनद	100	28	128
	19.	पंजाबी प्रवेशिका में प्रमाणपत्र	4	5	9
	20.	ज्ञानी	86	80	166

परिशिष्ट–XXXI (क्रमशः)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
राजस्थान राज्य				
कोटा ओपन				
	1. बी. ए. प्रिपरेटरी	2120	150	2270
	2. बी. ए. फाउन्डेशन	162	60	222
	3. बी. कौम. प्रिपरेटरी	252	20	272
	4. बी. कौम. फाउन्डेशन	77	10	87
	5. बी. एड.	3851	795	4646
	6. बी. ए.	560	45	605
	7. बी. कौम.	58	0	58
	8. बी. जे. एम. सी.	522	160	682
	9. एम. ए.		एन. ए.	
	10. एम. कौम.		एन. ए.	
	11. लेबर लौ, इन्डस्ट्रियल रिलेशन तथा पर्सनल प्रबन्ध में पी. जी. डिप्लोमा	465	18	483
	12. प्रबन्ध में सनद	643	21	664
	13. टूरिज्म तथा होटल प्रबन्ध में सनद	233	21	254
	14. पब्लिक लेखे में सनद		एन. ए.	
	15. कम्प्यूटर एप्लीकेशन में सनद		एन. ए.	
	16. बैकिंग तथा इन्श्योरेंस में डिप्लोमा		एन. ए.	
	17. बायो टैक्नोलौजी में सनद		एन. ए.	
	18. लाइब्रेरी तथा सूचना विज्ञान में सनद		एन. ए.	
	19. पुस्तकालय विज्ञान में सनद	2464	1276	3740
	20. कम्प्यूटर एप्लीकेशन में सनद	584	112	696
	21. समाज विज्ञानों में गणित में प्रमाणपत्र		एन. ए.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
तमिलनाडू राज्य				
अलगप्पा				
	1. कम्प्यूटर तथा सौफ्टवेयर एप्लीकेशन में सनद	432	73	505
अन्नामलाई				
	1. फाउन्डेशन	361	303	664
	2. बी.ए.	748	1438	2186
	3. बी. लिट.	468	959	1427
	4. बी. कौम.	966	967	1933
	5. बी. एस. सी.	411	283	694
	6. बी. एड.	13919	7498	21417
	7. बी. जी. एल.	352	46	398
	8. बी. ए. एल.	112	13	125
	9. एम. ए.	2235	2396	4631
	10. एम. कौम.	1332	368	1700
	11. एम. एस. सी.	2133	989	3122
	12. एम. एड.	3226	2328	5554
	13. मार्केटिंग प्रबन्ध में पी. जी. सनद	1010	25	1035
	14. मैटीरियल मैनेजमैंट में पी. जी. सनद	900	150	1050
	15. प्रौडक्शन प्रबन्ध में पी. जी. सनद	500	70	570
	16. पर्सनल प्रबन्ध में पी. जी. सनद	1600	400	2000
	17. वित्त प्रबन्ध में पी. जी. सनद	310	25	335
	18. सहकारिता प्रबन्ध में पी. जी. सनद	374	26	400
	19. वाणिज्य प्रशासन में पी. जी. सनद	1676	333	2009
	20. बैंकिंग में पी. जी. सनद	60	9	69
	21. कंकरीट टैक्नौलौजी तथा डिजाइन के कंकरीट स्ट्रक्चर में सनद	409	20	429

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
तमिलनाडू राज्य (क्रमशः)				
	22. अनुरक्षण प्रबन्ध में सनद	225	6	231
	23. निर्माण प्रबन्ध में सनद	240	3	243
	24. सिस्टम एनालिसिस तथा डाटा प्रौसैसिंग में सनद		एन. ए.	
	25. कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग में सनद		एन. ए.	
	26. कैमिकल प्रौसैस, इन्स्ट्रमेन्टेशन तथा कन्ट्रोल में सनद	421	18	429
	27. लेवर लौ तथा प्रशासन विधि में सनद	720	102	822
	28. टैक्जेशन विधि में सनद		एन. ए.	
	29. इन्श्योरैन्स विधि में सनद		एन. ए.	
	30. बैंकिंग तथा प्रैक्टिस सहित कम्पनी विधि में सनद		एन. ए.	
	31. विधि प्रबन्ध में सनद		एन. ए.	
	32. क्रिकिनोलौजी तथा क्रिमिनल जस्टिस में प्रसाशन में सनद		एन. ए.	
	33. औटोमोबाइल टैक्नोलौजी में प्रमाणपत्र	264	0	264
मद्रास राज्य				
(1989-1990)				
मद्रास				
	1. बी. ए.	10803	9786	20589
	2. बी. लिट.	1041	2139	3180
	3. बी. कौम.	9424	6544	15968
	4. बी. एस. सी.	3304	2067	5371
	5. बी. एड.	2787	3189	5976
	6. बी. लिब. तथा सूचना विज्ञान	682	397	1079
	7. एम. ए.	15022	11047	26069
	8. एम. कोम.	4242	2401	6643
	9. एम. एड.	609	418	1027
	10. एम. लिब. तथा सूचना विज्ञान	380	131	511

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
तमिलनाडू राज्य (क्रमशः)				
	11. भूगोल में सनद	31	31	62
	12. भारतीय संविधान में विधि	12	1	13
	13. लेबर विधि में सनद	323	35	358
	14. टैकजेशन विधि में सनद	202	28	230
	15. बीमा विधि में सनद	46	9	55
	16. मर्केन्टाइल विधि में सनद	21	5	26
	17. क्रिमिनल लौ तथा एवीडैन्स में सनद	42	7	49
	18. पुस्तकालय तथा सूचना विज्ञान में प्रमाणपत्र	646	178	824
	19. बी. ए. (खुला विश्वविद्यालय पद्धति)	15357	6591	21948
	20. बी. लिट (खुला विश्वविधालय पद्धति)	2011	1776	3787
	21. बी. कौम. (do)	5017	1096	6113
	22. बी. एस. सी. (do)	987	278	1265
मदुराई कामराज				
	1. इन्टराडक्टरी पाठ्क्रम	549	154	703
	2. प्रीफाउन्डेशन	999	326	1325
	3. फाउन्डेशन	930	715	1645
	4. बी. ए.	6858	8062	14920
	5. बी. लिट.	49	48	97
	6. बी. कौम.	2871	1945	4816
	7. बी. एस. सी.	707	550	1257
	8. बी. एड.	871	1092	1963
	9. बी. जी. एल.	615	102	717
	10. बी. लिब. तथा सूचना विज्ञान	900	295	1195
	11. एम. ए.	3980	2163	6143
	12. एम. कौम.	1601	822	2423
	13. एम. एस. सी.	260	194	454

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
तमिलनाडू राज्य (क्रमशः)				
	14. एम. एड.	350	359	709
	15. पर्सनल प्रबन्ध तथा इन्डस्ट्रियल रिलेशन में पी. जी. डिप्लोमा	489	43	532
	16. टूरिज्म में पी. जी. डिप्लोमा	95	10	105
	17. जरनलिज्म तथा मास कम्यूनीकेशन में पी. जी. सनद	517	101	618
	18. प्रबन्ध में सनद	129	21	150
	19. कम्प्यूटर एप्लीकेशन में सनद	801	197	998
	20. लेबर विधि तथा प्रशासन विधि में सनद	153	11	164
	21. टैक्जेशन विधि में सनद	52	6	58
	22. कार्यालय प्रबन्ध में कम्प्यूटर में प्रमाणपत्र	40	7	47
	23. पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में प्रामाणपत्र	221	99	320
	24. फैमिली तथा चाइल्ड वैलफेयर में प्रमाणपत्र	31	54	85
मदर टरेसा महिलाओं के लिए				
	1. एम. ए.	0	95	95
	2. कम्प्यूटर में पी. जी. डिप्लोमा	0	105	105
उत्तर प्रदेश राज्य				
इलाहबाद				
	1. बी. ए.	2894	622	3516
	2. बी. कौम.	312	13	325
काशी विद्यापीठ				
	1. बी. ए.	2669	656	3325
मेरठ				
	1. बी. ए.	161	124	285
	2. बी. कौम.	19	29	48
	3. एम. ए.	838	558	1396

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
दिल्ली (संघ राज्य)				
दिल्ली				
	1. बी. ए.	14861	16481	31342
	2. बी. ए. (औनर्स)	138	379	517
	3. बी. कौम.	10559	4158	14717
	4. बी. कौम. (औनर्स)	1302	440	1742
	5. एम. ए.	570	983	1553
	6. एम. कौम.	170	294	464
इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त				
	1. बी. ए./बी.कौम. प्रिपरेटरी	10679	2456	13135
	2. बी. ए./बी. कौम. फाउन्डेशन	11458	3834	15292
	3. बी. ए. फाउन्डेशन		एन. ए.	
	4. बी. कौम. फाउन्डेशन		एन. ए.	
	5. बी. लिब तथा सूचना विज्ञान	990	535	1525
	6. प्रबन्ध (विशेषज्ञता) में सनद	880	18	898
	7. प्रबन्ध (उन्नत) में सनद	2037	92	2129
	8. प्रबन्ध में सनद	6284	355	6639
	9. दूरगामी शिक्षा में सनद	820	409	1229
	10. अंग्रेजी में क्रिएटिव लेखन में सनद	295	146	441

टिप्पणी : वे पाठयक्रम जिनमें नामांकन शून्य दिखाया गया है को 1991-92 से प्रारम्भ किया गया है।

एन. ए. : सूचना उपलब्ध नहीं हैं ।

परिशिष्ट-XXXII

कुल नामांकन संख्या में महिलाओं की नामांकन की प्रतिशतता: राज्यवार (1986-87 से 1990-91)

1986-87

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य	कुल नामांकन	महिला नामांकन	% महिला नामांकन
1.	आन्ध्र प्रदेश	2,62,141	68,255	26.0
2.	आसाम	72,788	20,913	28.7
3.	बिहार	2,69,361	40,576	15.1
4.	गुजरात	2,26,457	77,489	34.2
5.	हरियाणा	79,214	32,163	40.6
6.	हिमाचल प्रदेश	20,739	5,297	25.5
7.	जम्मू और कश्मीर	26,659	9,550	35.8
8.	कर्नाटक	2,53,645	69,080	27.2
9.	केरल	1,46,119	73,468	50.3
10.	मध्य प्रदेश	2,73,099	84,458	30.9
11.	महाराष्ट्र	5,06,454	1,75,319	34.6
12.	मणिपुर	10,523	3,412	32.4
13.	मेघालय/मिजोरम/नागालैंड	10,760	4,143	38.5
14.	उड़ीसा	83,084	18,980	22.8
15.	पंजाब	1,39,562	63,349	45.4
16.	राजस्थान	1,78,088	39,974	22.4
17.	तमिलनाडु	2,73,463	99,575	36.4
18.	उत्तर प्रदेश	5,11,603	1,09,220	21.3
19.	पश्चिम बंगाल/ त्रिपुरा/सिक्किम	3,07,946	1,09,059	35.4
20.	दिल्ली	1,02,704	44,569	43.4
	जोड़	37,54,409	11,48,849	30.6

परिशिष्ट-XXXII (क्रमशः)
कुल नामांकन संख्या में महिलाओं की नामांकन की प्रतिशतता: राज्यवार

1987-88

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य	कुल नामांकन	महिला नामांकन	% महिला नामांकन
1.	आन्ध्र प्रदेश	2,72,286	72,378	26.6
2.	आसाम	75,845	22,276	29.4
3.	बिहार	2,79,058	44,173	15.8
4.	गुजरात	2,35,017	80,955	34.4
5.	हरियाणा	82,668	32,677	39.5
6.	हिमाचल प्रदेश	21,942	5,700	26.0
7.	जम्मू और कश्मीर	28,189	10,611	37.6
8.	कनार्टक	2,62,447	72,113	27.5
9.	केरल	1,51,335	77,738	51.4
10.	मध्य प्रदेश	2,82,380	90,505	32.1
11.	महाराष्ट्र	5,28,080	1,88,738	35.7
12.	मणिपुर	11,204	3,715	33.2
13.	मेघालय/मिजोरम/नागालैंड	11,246	4,432	39.4
14.	उड़ीसा	85,527	20,011	23.4
15.	पंजाब	1,44,838	67,193	46.4
16.	राजस्थान	1.83,894	42,289	23.0
17.	तमिलनाडु	2,99,552	1,10,041	36.7
18.	उत्तर प्रदेश	5,30,379	1,14,577	21.6
19.	पश्चिम बंगाल/ त्रिपुरा/सिक्किम	3,18,539	1,16,702	36.6
20.	दिल्ली	1.06,452	47,265	44.4
	जोड़	39,10,828	12,24,089	31.3

परिशिष्ट-XXXII (क्रमशः)
कुल नामांकन संख्या में महिलाओं की नामांकन की प्रतिशतता: राज्यवार

1988-89

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य	कुल नामांकन	महिला नामांकन	% महिला नामांकन
1.	आन्ध्र प्रदेश	2,82,821	76,336	27.0
2.	आसाम	79,030	23,692	30.0
3.	बिहार	2,89,104	46,070	16.0
4.	गुजरात	2,43,901	85,021	35.0
5.	हरियाणा	86,273	35,143	40.7
6.	हिमाचल प्रदेश	23,214	6,038	26.0
7.	जम्मू और कश्मीर	29,807	11,043	37.0
8.	कनार्टक	2,71,554	76,540	28.2
9.	केरल	1,56,738	81,330	51.9
10.	मध्य प्रदेश	2,91,872	95,057	32.6
11.	महाराष्ट्र	5,50,629	1,95,782	35.6
12.	मणिपुर	11,929	3,956	33.1
13.	मेघालय/मिजोरम/नागालैंड	11,753	4,494	38.2
14.	उड़ीसा	88,041	20,869	23.7
15.	पंजाब	1,50,313	70,362	46.8
16.	राजस्थान	1,89,889	44,066	23.2
17.	तमिलनाडु	3,28,129	1,22,551	37.4
18.	उत्तर प्रदेश	5,49,844	1,21,026	22.0
19.	पश्चिम बंगाल/ त्रिपुरा/सिक्किम	3,29,497	1,22,735	37.3
20.	दिल्ली	1,10,338	49,561	44.9
	जोड़	40,74,676	12,91,672	31.7

परिशिष्ट-XXXII (क्रमशः)
कुल नामांकन संख्या में महिलाओं की नामांकन की प्रतिशतता: राज्यवार

			1989-90	
क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य	कुल नामांकन	महिला नामांकन	% महिला नामांकन
1.	आन्ध्र प्रदेश	2,93,768	80,459	27.4
2.	आसाम	82,381	25,061	30.4
3.	बिहार	2,99,743	48,471	16.2
4.	गुजरात	2,53,316	89,605	35.4
5.	हरियाणा	90,034	37,216	41.3
6.	हिमाचल प्रदेश	24,579	6,509	26.5
7.	जम्मू और कश्मीर	31,518	11,850	37.6
8.	कर्नाटक	2,80,977	80,363	28.6
9.	केरल	1,62,347	85,484	52.7
10	मध्य प्रदेश	3,01,738	99,719	33.1
11.	महाराष्ट्र	5,74,140	2,07,151	36.1
12.	मणिपुर	12,701	4,274	33.7
13.	मेघालय/मिजोरम/नागालैंड	12,282	4,767	38.8
14.	उड़ीसा	90,629	21,799	24.1
15.	पंजाब	1,55,994	74,098	47.5
16.	राजस्थान	1,96,079	46,173	23.6
17.	तमिलनाडु	3,59,432	1,36,222	37.9
18.	उत्तर प्रदेश	5,70,023	1,27,317	22.3
19.	पश्चिम बंगाल/ त्रिपुरा/सिक्किम	3,40,882	1,28,828	37.8
20.	दिल्ली	1,14,365	52,129	45.6
	जोड़	42,46,878	13,67,495	32.2

टिप्पणी: 1986-87 से 1988-89 के आंकड़े संशोधित आंकलन पर आधारित हैं तथा वर्ष 1989-90 के आंकड़े प्रथम आंकलन पर आधारित हैं ।

परिशिष्ट-XXXII (क्रमशः)
कुल नामांकन संख्या में महिलाओं की नामांकन की प्रतिशतता: राज्यवार

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य	1990-91 कुल नामांकन	महिला नामांकन	% महिला नामांकन
1	आन्ध्र प्रदेश	3,05,067	84,504	27.7
2	आसाम	85,797	26,597	31.0
3	बिहार	3,10,672	50,950	16.4
4	गुजरात	2,63,059	93,123	35.4
5	हरियाणा	93,946	39,645	42.2
6	हिमाचल प्रदेश	26,016	6,972	26.8
7	जम्मू और कश्मीर	33,298	12,520	37.6
8	कर्नाटक	2,90,661	84,873	29.2
9	केरल	1,67,942	89,009	53.0
10	मध्यप्रदेश	3,11,836	1,06,648	34.2
11	महाराष्ट्र	5,98,519	2,20,255	36.8
12	मणिपुर	13,469	4,593	34.1
13	मेघालय/मिजोरम/नागालैंड़	12,828	5,003	39.0
14	उड़ीसा	93,209	23,302	25.0
15	पंजाब	1,61,526	77,856	48.2
16	राजस्थान	2,02,445	48,992	24.2
17	तमिलनाडु	3,93,375	1,38,381	38.5
18	उत्तर प्रदेश	5,90,808	1,33,523	22.6
19	पश्चिम बंगाल/त्रिपुरा/सिक्किम	3,52,238	1,35,259	38.4
20	दिल्ली	1,18,536	54,882	46.3
	जोड़	44,25,247	14,36,887	32.5

परिशिष्ट-XXXIII
कुल नामांकन संख्या में महिलाओं की नामांकन संख्या की प्रतिशतता: स्तरवार (1981-82 से 1990-91)

वर्ष	स्नातक			स्नातकोत्तर			अनुसन्धान		
	टी.	डब्ल्यू.	%	टी.	डब्ल्यू.	%	टी.	डब्ल्यू.	%
1981-82	25,88,759	7,16,249	27.7	2,85,892	81,645	28.6	34,588	9,581	27.7
1982-83	27,57,893	7,73,342	28.0	2,96,103	86,380	29.2	36,731	10,673	29.1
1983-84	29,12,487	8,25,409	28.3	3,13,110	93,728	29.9	36,249	10,615	29.3
1984-85	29,99,621	8,71,571	29.1	3,22,541	98,415	30.5	38,160	11,332	29.7
1985-86	31,78,897	9,37,996	29.5	3,37,679	1,05,218	31.2	40,346	12,526	31.0
1986-87	33,07,634	10,10,151	30.5	3,56,669	1,13,231	31.7	41,299	13,340	32.3
1987-88	34,45,439	10,76,280	31.2	3,71,529	1,21,490	31.5	43,019	13,812	32.1
1988-89	35,89,790	11,35,233	31.6	3,87,094	1,27,741	33.0	44,821	15,508	34.6
1989-90	37,41,500	12,01,344	32.1	4,03,453	1,35,560	33.6	46,716	16,678	35.7
1990-91	38,98,643	12,60,576	32.3	4,20,398	1,43,776	34.2	48,678	17,865	36.7

परिशिष्ट-XXXIII (क्रमशः)
कुल नामांकन संख्या में महिलाओं की नामांकन की प्रतिशतताः
स्तरवार (1981-82 से 1990-91)

वर्ष	सनद/प्रमाणपत्र			जोड़		
	टी.	डब्ल्यू.	%	टी.	डब्ल्यू.	%
1981-82	42,827	9,229	21.5	29,52,066	8,16,704	27.7
1982-83	42,366	9,811	23.2	31,33,093	8,80,156	28.1
1983-84	45,803	10,501	22.9	33,07,649	9,40,253	28.4
1984-85	43,774	10,821	24.7	34,04,096	9,92,139	29.1
1985-86	48,107	11,744	24.4	36,05,029	10,67,484	29.6
1986-87	48,807	12,127	24.9	37,54,409	11,48,849	30.6
1987-88	50,841	12,507	24.6	39,10,828	12,24,089	31.3
1988-89	52,971	13,190	24.9	40,74,676	12,91,672	31.7
1989-90	55,209	13,913	25.2	42,46,878	13,67,495	32.2
1990-91	57,528	14,670	25.5	44,25,247	14,36,887	32.5

टी. = कुल नामांकन   डब्ल्यू. = महिला नामांकन

परिशिष्ट-XXXIV
कुल नामांकन संख्या में महिलाओं की नामांकन की प्रतिशतता: संकायवार (1981-82 से 1990-91)

वर्ष	कला			विज्ञान			वाणिज्य		
	टी.	डब्ल्यू.	%	टी.	डब्ल्यू.	%	टी.	डब्ल्यू.	%
1981-82	11,90,177	4,54,990	38.2	5,78,766	1,65,666	28.6	6,28,031	1,04,964	16.7
1982-83	12,59,587	4,87,620	38.7	6,23,545	1,79,650	28.8	6,69,813	1,16,837	17.4
1983-84	13,38,106	5,17,017	38.6	6,53,092	1,89,685	29.0	7,03,638	1,31,379	18.7
1984-85	13,72,277	5,40,686	39.4	6,69,563	2,00,632	30.0	7,38,506	1,42,222	19.3
1985-86	14,66,295	5,76,251	39.3	7,00,991	2,15,730	30.8	7,82,068	1,56,748	20.0
1986-87	15,18,282	6,28,047	41.4	7,35,864	2,31,061	31.4	8,22,216	1,61,977	19.7
1987-88	15,81,542	6,71,075	42.4	7,68,022	2,45,720	32.0	8,57,971	1,72,201	20.1
1988-89	16,45,414	7,06,877	42.9	8,00,266	2,59,061	32.4	8,93,984	1,81,984	20.4
1989-90	17,17,437	7,48,921	43.6	8,34,087	2,74,508	32.9	9,31,765	1,92,007	20.6
1990-91	17,89,480	7.84,360	44.0	8,69,119	2,89,417	33.3	9,69,882	2,01,735	20.8

परिशिष्ट-XXXIV (क्रमशः)
कुल नामांकन संख्या में महिलाओं की नामांकन की प्रतिशतताः संकायवार (1981-82 से 1990-91)

वर्ष	शिक्षा			अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी			आयुविज्ञान		
	टी.	डब्ल्यू.	%	टी.	डब्ल्यू.	%	टी.	डब्ल्यू.	%
1981-82	71,168	34,383	48.3	1,30,189	5,866	4.5	1,13,794	29,792	26.2
1982-83	74,167	34,893	47.0	1,42,440	7,173	5.0	1,13,902	31,648	27.8
1983-84	74,679	35,337	47.3	1,53,131	8,469	5.5	1,18,989	33,676	28.3
1984-85	76,522	36,555	47.8	1,59,046	10,052	6.3	1,18,890	35,190	29.6
1985-86	82,636	38,569	46.7	1,76,540	12,182	6.9	1,23,057	37,549	30.5
1986-87	86,352	43,608	50.5	1,83,966	12,694	6.9	1,27,650	38,933	30.5
1987-88	89,949	46,296	51.5	1,92,148	13,555	7.1	1,31,013	40,484	30.9
1988-89	93,718	48,764	52.0	2,01,289	14,591	7.3	1,37,257	43,205	31.5
1989-90	95,979	50,736	52.9	2,09,371	15,840	7.6	1,42,270	45,321	31.9
1990-91	99,613	53,193	53.4	2,16,837	17,130	7.9	1,50,458	48,598	32.3

परिशिष्ट-XXXIV (क्रमशः)
कुल नामांकन संख्या में महिलाओं की नामांकन की प्रतिशतताः
संकायवार (1981-82 से 1990-91)

वर्ष	कृषि			पशु चिकित्सा विज्ञान			विधि		
	टी.	डब्ल्यू.	%	टी.	डब्ल्यू.	%	टी.	डब्ल्यू.	%
1981-82	39,318	1,390	3.5	8,173	352	4.3	1,74,445	12,309	7.1
1982-83	39,425	1,595	4.0	8,797	424	4.8	1,83,153	13,576	7.4
1983-84	41,588	1,719	4.1	9,268	470	5.1	1,94,555	15,156	7.8
1984-85	41,741	2,045	4.9	9,413	506	5.4	1,95,708	15,745	8.0
1985-86	41,901	2,345	5.6	9,486	664	7.0	1,96,106	17,594	9.0
1986-87	42,800	2,525	5.9	9,761	683	7.0	1,98,984	18,307	9.2
1987-88	43,410	2,674	6.2	10,168	727	7.2	2,05,318	19,176	9.3
1988-89	44,007	2,840	6.5	10,594	779	7.4	2,13,920	20,180	9.4
1989-90	45,229	3,106	6.9	10,957	862	7.9	2,22,961	21,752	9.8
1990-91	46,908	3,377	7.2	11,063	907	8.2	2,34,538	23,454	10.0

परिशिष्ट-XXXIV (क्रमशः)
कुल नामांकन संख्या में महिलाओं की नामांकन की प्रतिशतता: संकायवार (1981-82 से 1990-91)

वर्ष	अन्य			जोड़		
	टी.	डब्ल्यू.	%	टी.	डब्ल्यू.	
1981-82	18,005	6,992	38.8	29,52,066	8,16,704	27
1982-83	18,264	6,740	36.9	31,33,093	8,80,156	28
1983-84	20,603	7,345	35.7	33,07,649	9,40,253	28
1984-85	22,430	8,506	37.9	34,04,096	9,92,139	29
1985-86	25,949	9,852	38.0	36,05,029	10,67,484	29
1986-87	28,534	11,014	38.6	37,54,409	11,48,849	30
1987-88	31,287	12,181	38.9	39,10,828	12,24,089	31
1988-89	34,227	13,391	39.1	40,74,676	12,91,672	31
1989-90	36,822	14,442	39.2	42,46,878	13,67,495	32
1990-91	**37,349**	**14,716**	**39.4**	**44,25,247**	**14,36,887**	**32**

टी. = कुल नामांकन डब्ल्यू. = महिला नामांकन